खण्ड-130, अंक-7
गुरूवार, 13 फाल्गुन, शक संवत् 1875
(4 मार्च, 1954 ई0)

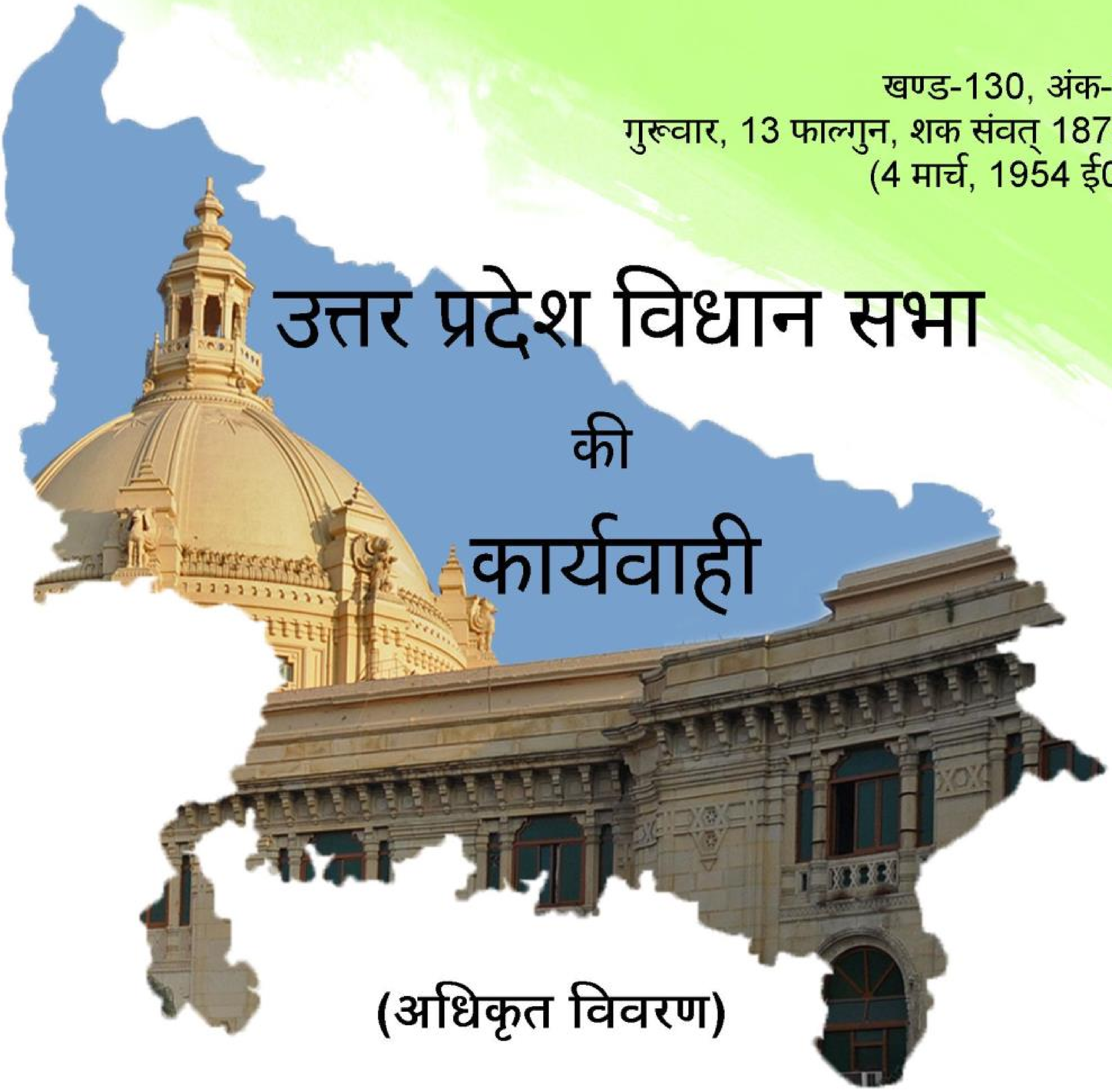

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 130 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ४ मार्च, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३४)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री

चरण सिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिमअली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुज़फ़्फ़र हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे, मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाँडेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री

रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणरव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लीलाधर अष्ठाना श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णु दयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुबिलश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पाँडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद, मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयालसिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री

हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

बनारस–आजमगढ़ रोड पर गोमती पर पुल की आवश्यकता

*१—श्री लाल बहादुर सिंह (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बनारस-आजमगढ़ रोड पर चन्दपक के पास गोमती नदी पर पीपे का पुल बनवाने का सरकार ने पिछले साल निर्माण किया था ?

निर्माण उप मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—जी नहीं ।

*२—श्री लाल बहादुर सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में इस पीपे के पुल की सुविधा उपर्युक्त स्थान पर प्रदान कर देगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सरकार इस पर विचार कर रही है ।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इस स्थान पर एक स्थायी पुल बनाने की भी योजना है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—गवर्नमेंट केवल पेन्टून ब्रिज बनाने के सवाल पर विचार कर रही है ।

कम आबादी वाले गांवों का विलीनीकरण

*३—श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—क्या यह सच है कि निकट भविष्य में ही ५०० से कम आबादी वाले गाँवों का विलीनीकरण करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो वह योजना किस प्रकार कार्यान्वित की जायगी ।

माल मंत्री के सभासचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—५०० के नहीं बल्कि २५० से कम आबादी के गाँवों के विलीनीकरण की योजना सरकार कार्यान्वित करने जा रही है । इस योजना के अनुसार २५० से कम आबादी वाले गाँव पास के बड़े गाँव में मिला दिये जायंगे, या अगर पास में कोई बड़ा गाँव नहीं है तो २ या ३ छोटे छोटे गाँव मिलाकर एक कर दिये जायंगे । इन नये गांव को बनाते समय प्राकृतिक दशाओं, गाँव वालों की सुविधाओं तथा उनकी राय का ख्याल रक्खा जायेगा ।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कोई ऐसा आदेश गया था कि ५०० से कम आबादी वाले गाँव मिला दिये जांय ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—जी हाँ, पहले ऐसा आदेश गया था लेकिन वह गलत था ।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह विलीनीकरण का कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ व २ श्री नागेश्वर द्विवेदी ने पूछे ।

श्री चरण सिंह--मैं उम्मीद करता हूं कि जून तक यह जरूर पूरा हो जायगा।

श्री ब्रज विहारी मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बतलायंगे कि ऐसे गांवों का नामकरण फिर से किया जायगा या वही पुराने नाम रहेंगे ?

श्री चरण सिंह--यह तो गाँव निवासियों की इच्छा पर है।

तहसील मऊ, जिला झांसी में ओलों से फसल को क्षति

*४--श्री रामसहाय शर्मा (जिला झांसी)-(अनुपस्थित)--क्या सरकार को सूचना मिली है कि तहसील मऊ, जिला झांसी में ओलों की भयंकर वर्षा से फसलें नष्ट हो गई हैं ? यदि हाँ, तो किन-किन ग्रामों में ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--जी हाँ, तहसील मऊ रानीपुर में ४३ गांवों में ओलों से रबी की फसल को अत्यधिक हानि पहुंची है। इन ग्रामों के नामों की सूची अभी जिलाधीश से प्राप्त नहीं हुई है।

*५--श्री रामसहाय शर्मा (अनुपस्थित)--क्या सरकार इस क्षेत्र में लगान माफ करने और ट्रैक्टरों की जुताई का रुपया मुल्तवी करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी हाँ, जिलाधीश इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही कर रहे हैं।

*६--श्री रामसहाय शर्मा (अनुपस्थित)--क्या सरकार इस क्षेत्र की जनता को तकावी इत्यादि देने तथा अन्य आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--हानि ग्रस्त क्षेत्र की परताल की जा रही है। विस्तृत सूचना प्राप्त होने पर परिस्थिति के अनुसार उचित सहायता की जायगी।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)-- क्या माननीय मंत्री जी बतायंगे कि एक रुपये में कितनी हानि पहुंची ?

श्री चरण सिंह--जो प्रेलीमिनरी रिपोर्ट आयी है उसके अनुसार मऊ रानीपुर तहसील में २५ गाँवों में बारह आने से सोलह आने तक हानि हुई है और १८ गाँवों में बारह आने से कम।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)-- क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिन २५ गांवों में बारह आने से ज्यादा हानि हुई उनको तात्कालिक सहायता सरकार द्वारा दी गई है ?

श्री चरण सिंह--उनके लिये जिलाधीश को अधिकार है कि वे नियमों के अनुसार कार्यवाही करें।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितनी हानि होने पर सरकार लगान में छूट देती है और कितनी हानि पर अन्य सहायता दी जाती है ?

श्री चरण सिंह--मैं लैंड रेवेन्यू मैनुअल की जिल्द १ के पैराग्राफ १५५से १९३ की ओर माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

---

*अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ४ से ६ तक श्री गज्जूराम ने पूछे।

श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार यह बतायेगी कि ऐसी स्थिति आने पर कलेक्टर की रिपोर्ट सरकार के पास कम से कम कितने समय में पहुंच जाना जरूरी है ?

श्री चरण सिंह--माननीय सदस्य का ध्यान फिर उसी मैनुअल की तरफ आकर्षित करूंगा। जो चीज रूल्स और ला में दी हुई है उसका सवाल यहां नहीं उठाया जाये तो अच्छा हो।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या यह सही है कि इन गांवों में कोई तात्कालिक सहायता नहीं दी गयी है और मालगुजारी आदि की वसूली जारी है ?

श्री चरण सिंह--मैं आपकी इजाजत से जो मालगुजारी की वसूलयाबी के स्थगित करने की बात है उस सिलसिले में एक आम बात कहना चाहता हूं। यह नुकसान जो फसल का हुआ है वह रबी की फसल का है। मालगुजारी जो वसूल की जा रही है वह खरीफ की है। जब रबी की फसल की मालगुजारी वसूल की जायगी और उसकी वसूलयाबी का सवाल आयगा तब इस फसल कोई जो हानि हुई है उसका लिहाज रखा जायगा। वैसे विशेष परिस्थितियों में, असाधारण हालत में, गवर्नमेंट चाहे तो अगली फसल को भी माफ कर सकती है वह दूसरी बात है। लेकिन नियमों के अनुसार मालगुजारी वसूल होनी चाहिये।

बिजनौर जिले में ओले पड़ने से फसल को भयंकर हानि

*७--**श्री शिवकुमार शर्मा**--क्या यह सही है कि बिजनौर जिले में ओले पड़ने से रबी की फसल को भयंकर हानि हुई है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में किसानों को किसी प्रकार की सहायता देने का विचार रखती है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--जी हां, बिजनौर जिले की सदर और धामपुर तहसील में १५ फरवरी को ओले पड़ने के कारण रबी की फसल को हानि पहुंची है। हानि की मात्रा की जांच पड़ताल की जा रही है। जिलाधीश से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार यह बतलायगी कि इन दोनों तहसील के कितने क्षेत्र की इन ओलों से फसल नष्ट हो गयी है ?

श्री चरण सिंह--जवाब से जाहिर है कि रिपोर्ट अभी तक हासिल नहीं है। इसलिये नहीं बतलाया जा सकता।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)--क्या २४ फरवरी को बिजनौर जिले में नगीना तहसील में भी ओला पड़ा है ?

श्री चरण सिंह--हमारे पास रिपोर्ट १५ फरवरी तक की है। २४ को पड़ा होगा तो रतनलाल जी को ज्यादा मालूम होगा।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--क्या माननीय राजस्व मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इसके लिये कोई बन्दोबस्त सरकार ने रखा है कि पत्थर पड़ें तो सरकार को तुरन्त खबर हो सके ?

श्री चरण सिंह--रेवेन्यू मैनुअल में इसकी बाबत पहले से नियम बने हुये हैं। खबर मिलते ही अफसरान मौके पर जाकर तहकीकात करते हैं और अगर ज्यादा नुकसान होता है तो कलेक्टर जाते हैं।

श्री गेंदा सिंह---तो क्या यह बतलाना सम्भव होगा कि यह या कोई नेचुरली कैलेमिटी होने पर सरकार को कितने दिनों के अन्दर खबर आ जानी चाहिये ?

श्री चरण सिंह---फौरन बाद।

तारांकित प्रश्न

*१---श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)---[१ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

राज्य में ज्वाइण्ट मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति

*२---श्री बाबूनन्दन---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के किन किन जिलों में ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट का स्थान है ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)---यह स्थायी रूप से निर्धारित नहीं है कि किसी विशेष जिले में एक अथवा उससे अधिक ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट रहेगा।

*३---श्री बाबूनन्दन---क्या सरकार कृपया बतायगी कि जौनपुर जिले में कोई ज्वाइन्ट मैजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---१ जन, १९५३ तक श्री बिमला कान्त मिश्रा, ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट जौनपुर में तैनात रहे और उसके बाद उनका तबादला हो गया। उनके तबादले के बाद से जौनपुर में कोई ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट नहीं है।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किस आधार पर और जिलों में ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट रखे जाते हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---जैसी जरूरत होती है वैसे रखे जाते हैं।

श्री बाबूनन्दन---जौनपुर जिले में कार्य की अधिकता को देखते हुये क्या सरकार वहां ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट रखने की व्यवस्था करेगी ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---अगर यह मालूम होगा कि ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट के रखने से फ़ायदा ज्यादा होगा तो करेगी लेकिन ऐसा अभी मालूम नहीं हुआ है।

वन विभाग की सड़कों का वार्षिक सुधार

*४---श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या सरकार कृपया बतायगी कि वन विभाग द्वारा वन की सड़कों का प्रतिवर्ष सुधार किया जाता है ? यदि हां, तो जो वन सड़क बिनसर जिला अल्मोड़ा से कठपूड़ी छीना होते हुए बागेश्वर को जाती है उसका सुधार क्या इस वर्ष किया गया ?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)---जी हां, जहां-जहां जरूरी समझा जाता है। प्रश्न में उल्लिखित सड़क के कुछ भाग की मरम्मत इस वर्ष की गई।

*५---श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या सरकार कृपया बतायगी कि अल्मोड़ा जिले में वन की सड़कों का वार्षिक सुधार किस आफिसर की देखरेख में किया जाता है और ऐसे सुधार के लिये किस हिसाब से रुपया नियत किया जाता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—सड़कों का वार्षिक सुधार डिवीजनल फारेस्ट आफिसर की देखरेख में होता है।

आवश्यकता तथा उपलब्ध धनराशि को ध्यान में रखते हुए रुपया नियत किया जाता है।

*६—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायगी कि वर्किंग प्लान के अनुसार वन विभाग नैनीताल जिले में किन-किन सड़कों को बनाने जा रहा है ?

श्री जगहमोहन सिंह नेगी—वर्किंग प्लान के अनुसार निम्नलिखित सड़कों के बनाने का आयोजन है :—

१—कलोना-आम पड़ाव

२—महेशखान-लक्ष्मीखान

३—माना घेर-सरगाखेत

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्किंग प्लान बनाते समय जिला प्लानिंग कमेटी से भी सलाह ली जाती है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—वर्किंग प्लान फारेस्ट डिपार्टमेंट अल्हैदा बनाता है उन सारी बातों के विषय में कि कैसे उसका प्लान्टेशन किया जाय और किस तरीके से यह माल निकाला जायगा, इसका प्लानिंग कमेटी से कोई सम्बन्ध नहीं है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या जो सड़कें वर्किंग प्लान के अनुसार बनती जा रही हैं उनमें सार्वजनिक यातायात की सुविधा भी दी जाती है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—आम तौर से ये सड़कें जंगलात का माल बाहर निकालने के लिये बनाई जाती हैं। ठेकेदार उनसे काम लेते हैं लेकिन जहां पर जनता का भी लाभ होता तो किसी-किसी को उसके इस्तेमाल के लिये परमिट दे दिये जाते हैं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन सड़कों का जो सुधार किया गया है तो क्या उनको मोटरेबिल बनाने की कोशिश की गयी है ?

श्री जगहमोहन सिंह नेगी—अभी तो मोटरेबिल नहीं है लेकिन कोशिश यह की जाती है कि जो भी सड़कें बनें उनको मोटर ऐलाइनमेंट दे दिया जाय तो अच्छा होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—यह जो आमपाड़ा, महेशखान, बरमासरगाखेत सड़कों के बनाने में वर्किंग प्लान के अनुसार कितना रुपया खर्च किया जा रहा है ?

श्री जगहमोहन सिंह नेगी—इसका कोई एस्टिमेट हमारे पास नहीं है। यह सड़कें तो वन विभाग का माल निकालने के लिये बनाई जाती हैं जिस से ठेकेदारों को इस काम में सहूलियत हो। परन्तु इन सड़कों का बनना न बनना बजट में कम ज्यादा रुपयों के मंजूर होने पर निर्भर करता है। यह जरूरी नहीं है कि यह सड़कें बनाई ही जाएं क्योंकि ये वर्किंग प्लान में लिखी गई हैं।

*७-८—श्री गेंदा सिंह—[११ मार्च, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिला प्लानिंग कमेटी के सम्बन्ध में पूछताछ

*९—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ प्लानिंग कमेटी में ग्राम सभापतियों के कौन-कौन प्रतिनिधि हैं और उनका पूरा पता क्या है ?

नियोजन उप मंत्री (श्री फूलसिंह)—सूची माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत कर दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४९४-४९६ पर)

*१०—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला प्लानिंग कमेटी को सन् १९५१-५२ तथा सन् १९५२-५३ में कितना-कितना अनुदान दिया गया था और वह धनराशि किन-किन मदों में कहां-कहां खर्च हुई ?

श्री फूल सिंह—सूची माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत कर दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४९७-५०३ पर)

*११—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला प्लानिंग कमेटी की बैठकें सन् १९५२-५३ में कितनी बार हुईं ?

श्री फूलसिंह—चार बार।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय— क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्लानिंग कमेटी में गवर्नमेंट द्वारा प्रधानों को मनोनीत करने के क्या नियम हैं ?

श्री फूलसिंह—हर पंचायत बोर्ड से एक इंसपेक्टर लिया जाता है जिसे आम तौर पर पंचायतों के प्रधान से मिल कर तय कर लेते हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार को विदित है कि उनमें पिछड़ी हुई जातियों का कोई प्रतिनिधि मनोनीत नहीं किया गया है ?

श्री फूलसिंह—गांव सभाओं के प्रधानों को नियुक्त करते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है। प्लानिंग कमेटी में इस बात का ध्यान रक्खा जाता है और उनमें हरिजन अलहदा से नियुक्त किये जाते हैं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या सरकार इस बात की कोशिश करेगी कि जिन प्लानिंग कमेटीज में हरिजन लोग नहीं हैं उनको वहां प्रतिनिधित्व देगी ?

श्री फूलसिंह—ऐसा किया जाता है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि आजमगढ़ जिला प्लानिंग कमेटी में सरकार द्वारा नामजद हुए जो प्रतिनिधि हैं, उनमें कितने हरिजन हैं ?

श्री फूलसिंह—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस जिले की प्लानिंग कमेटी के असरकारी सदस्यों ने मीटिंग करने के लिये कोई आवेदन-पत्र चेयरमैन प्लानिंग कमेटी को दिया था ?

श्री फूलसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

*१२—श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)—[११ मार्च, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या १५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जिला गोंडा में कालिंजर ग्राण्ट भूमि के पट्टेदारों का जिलाधीश को प्रार्थना-पत्र

*१३—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा तहसील उतरौला में कालिंजर ग्रांट नाम की कोई बंजर जमीन पड़ी थी जिसे जिलाधीश महोदय ने लैंड रिक्वीजीशन ऐक्ट में हस्तगत करके पट्टे पर दिया है ? यदि हां, तो वह कुल जमीन कितनी थी और कितने लोगों को दी गयी ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जी हां, १७४.४० एकड़ बंजर भूमि लैण्ड यूटिलाईजेशन ऐक्ट के अधीन ६ व्यक्तियों को पट्टे पर उठाई गई थी।

*१४—श्री गंगा प्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त जमीन को पट्टे पर पाये हुये लोगों ने जिलाधीश गोंडा तथा पुलिस कप्तान गोंडा को ७-७-५३ तथा ९-७-५३ को कोई प्रार्थना-पत्र दिया कि उनको बदमाशों द्वारा लूट ले जाने की आशंका है ? यदि हां, तो उन प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जी हां। कुछ पट्टेदारान ने प्रार्थना-पत्र भेजा था। उस पर एक ए० पी० गार्ड ११ जुलाई, १९५३ को थाना उतरौला में भेजा गया और आवश्यक कार्यवाही की गई।

*१५—श्री गंगा प्रसाद (अनुपस्थित)— क्या यह सत्य है कि पट्टेदार लोगों को १६-८-५३ को दिन दहाड़े बदमाशों ने लूट लिया और खेत को जबरदस्ती चरा लिया ? अगर हां, तो क्या इसकी जांच की गयी और उस जांच की रिपोर्ट क्या है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जी हां। इस पर मुकदमा दर्ज हुआ और जांच करने के बाद दंगा करने के अभियोग में १३ व्यक्तियों का चालान कर दिया गया है। मुकदमा अदालत के विचाराधीन है।

*१६—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—[१ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

आगरा कम्यूनिटी प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत कार्य

*१७—श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा में कम्यूनिटी प्रोजेक्ट की योजना में अब तक क्या-क्या काम हो चुका है और आगामी वर्ष में क्या-क्या काम किया जायगा ?

श्री फूलसिंह—आगरा में कम्यूनिटी प्रोजेक्ट में ३१-१-१९५४ तक जो काम हुये हैं उनकी सूची माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है। आगामी वर्ष के लिये भी सिंचाई, कृषि इत्यादि के अन्तर्गत तथा ग्रामीण धंधे, जनशक्ति संगठन सम्बन्धी कार्य किये जायंगे। इनके लिए लक्ष्य सहित एक योजना बनाई जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५०४ पर)

*१८—श्री देवकी नन्दन विभव (अनुपस्थित)—क्या सरकार आगरा शहर के पास के ग्रामों को भी राष्ट्रीय प्रसार योजना (National Extension Scheme) में लेने का विचार रखती है ?

तारांकित प्रश्न १७ व १८ श्री रमेश वर्मा ने पूछे।

श्री फूलसिंह—जब नए ब्लाक खोले जायंगे तो इस पर विचार किया जाएगा।

श्री रमेश वर्मा (जिला आगरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि निर्माण के इन कार्यों में बीज बांटने के अतिरिक्त सरकार की तरफ से कौन सहायता दी गई है ?

श्री फूलसिंह—इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी। यह आंकड़े तो सिर्फ प्लानिंग कमेटी के सामने आते हैं।

श्री रमेश वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस प्रोजेक्ट में अब तक अफसरों और कर्मचारियों के वेतन आदि पर कितना रुपया व्यय हो चुका है ?

श्री फूलसिंह—इसके लिये नोटिस की जरूरत है। इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। माननीय सदस्य तो प्लानिंग कमेटी के मेम्बर हैं और प्रोजेक्ट कमेटी के भी मेम्बर हैं इसलिये वहां से भी मालूम कर सकते हैं।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—क्या सरकार को विदित है कि जहां नेशनल एक्सटेन्शन ब्लाक खोले जा चुके हैं वहां अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है और जो विलेज लेविल वर्कर्स हैं वह भी विदड्रा कर लिये गये हैं ?

श्री फूल सिंह—नये ब्लाक्स जहां खोले गये हैं वहां अभी सर्वे का काम शुरू हुआ है और वहां के लिये जो स्टाफ रेकरूट किया गया है वह बख्शी तालाब आदि जगहों पर ट्रेनिंग पा रहा है। ट्रेनिंग के बाद बहुत जल्द स्टाफ वहां चला जायगा और काम शुरू हो जायगा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—जहां जहां पर कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स खुले हैं वहां पर क्या काम हुआ है इसकी जांच के लिये क्या सरकार कोई नान आफिशियल कमेटी बैठायगी ?

श्री फूलसिंह—प्रोजेक्ट एक्जीक्यूटिव कमेटी तो नान आफिशल कमेटी है ही। अगर कोई जरूरत समझी गई तो ऐसी कमेटी भी मुकर्रर की जा सकती है।

*१९-२१—श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी (जिला लखनऊ)—[१ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*२२-२३—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)— [स्थानान्तरित किये गये।]

पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में अंग्रेजी की अनिवार्यता

*२४—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या यह सही है कि पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अंग्रेजी में उत्तर देना अनिवार्य है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जी नहीं। परीक्षार्थी प्रत्येक विषय में, चाहे वे अनिवार्य हों या ऐच्छिक, अंग्रेजी या हिन्दी में उत्तर दे सकते हैं, केवल प्रतिबन्ध यह है कि अंग्रेजी और हिन्दी साहित्य सम्बन्धी विषय (अनिवार्य या ऐच्छिक) के उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी भाषा में ही, जैसी कि परिस्थिति हो, दिये जाने चाहिये। प्राचीन भाषाओं (Classical languages) वाले विषयों में प्रश्नों के उत्तर प्रश्न-पत्र में दिये हुए आदेशों के अनुसार देना होता है।

श्री भगवान सहाय—क्या यह पाबन्दी सिर्फ राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए है या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिये भी है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—यह तो आपका प्रश्न जब कि पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में था तो जाहिर यही होता था कि आप प्रादेशिक पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पूछ रहे हैं। वहां तक तो आपकी पहुंच नहीं है और हमारी और भी कम।

महावीर शुगर मिल, जिला गोरखपुर के गन्ना क्षेत्र में पक्की सड़क की आवश्यकता

*२५—श्री इस्तफ़ा हुसैन (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि महावीर शुगर मिल जिला गोरखपुर के गन्ना क्षेत्र में कोई भी पक्की सड़क या पक्की पटरी वाली सड़क नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार कृपा कर ऐसी सड़क केन सेस की (Cane Cess) वसूल की हुई रकम से बनवायेगी?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—जी हां। ऐसी कोई सड़क नहीं है। पंचवर्षीय सड़क निर्माण योजना के अन्तर्गत उस क्षेत्र में दो पक्की सड़कें बनाई जाने वाली हैं।

*२६—श्री इस्तफ़ा हुसैन (अनुपस्थित)—क्य सरकार बतायगी कि १-५-५३ से चीनी मिलों में गन्ने का मूल्य चीनी प्राप्ति की मात्रा के अनुसार निर्धारित हुआ था? यदि हां, तो क्या सरकार इस आदेश की एक प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री हुकुम सिंह—जी हां, आदेश की एक प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५०५-५०६ पर)

*२७—श्री इस्तफ़ा हुसैन (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायगी कि महावीर शुगर मिल जिला गोरखपुर में १९५०-५१, ५२ तथा १९५३ में लाये गये गन्ने से कितना (Cane Cess) वसूल हुआ?

श्री हुकुम सिंह—महावीर शुगर मिल से १९५०-५१ में ३,७९,८२८ रु० ५ आ०, १९५१-५२ में ३,६७,८४१ रु० ७ आ० और १९५२-५३ में ४,०८,०५८ रु० ७ आ० केन सेस वसूल हुआ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो करीब ११ लाख रुपया सरकार ने तीन वर्षों में वसूल किया वह किस काम में प्रयोग किया गया?

श्री हुकुम सिंह—वह रुपया इस सूबे के उन्नतिशील कामों में सर्फ किया जा रहा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जो प्रतिलिपि उन्होंने मेज पर रक्खी है जरा उसे पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष—वह फेहरिस्त तो बहुत लम्बी है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

अतारांकित प्रश्न

बुलन्दशहर जिले में प्लानिंग की मुख्य योजनाओं पर व्यय

१—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायगी कि बुलन्दशहर जिले की प्लानिंग की किस-किस मुख्य योजना पर सन् १९५३ में कितना व्यय किया जा रहा है?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५०७ पर।)

तारांकित प्रश्न २५ से २७ तक श्री राम नारायण त्रिपाठी ने पूछे।

भारतीय दण्ड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत श्री नारायणदत्त तिवारी को दिये गये दण्ड की सूचना

श्री अध्यक्ष---मैं एक सूचना देना चाहता हूं लेकिन इस सूचना के देने से जो परिणाम होगा उसके आगे का कदम भी उठ गया है और माननीय नारायण दत्त यहां मौजूद हैं। सूचना यह है---

"Sri Narain Dutt Tewari, M. L. A. sentenced today under Section 188 I. P. C. to pay Rs. 50 as fine. In default one week's simple imprisonment. Time to pay fine given upto 2nd April. Sri Tewari no longer in custody. Formal intimation by post despatched.

एस० डी० एम० भाभर, हल्द्वानी ने यह सूचना दी है।

श्री ब्रज बिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह उचित नहीं होगा कि जो अभी टेलीग्राम पढ़ा गया उसका हिन्दी में तर्जुमा कर दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष---तार अंग्रेजी में है। मैं इसका हिन्दी में खुलासा अर्ज कर देता हूं कि श्री नारायण दत्त तिवारी पर १८८ दफा के अन्तर्गत ५० रु० का इस अदालत से जुर्माना हुआ और ५० रु० न देने पर एक हफ्ते की सादी कैद की सजा है। जुर्माना देने का समय २ अप्रैल तक है। तिवारी जो अब कैद में नहीं हैं और उनके बारे में जो खुलासा सूचना है वह पत्र द्वारा भेज दी गयी है।

श्री गेंदा सिंह द्वारा एक विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न आपके सामने विशेषाधिकार का रखा है। उसके पेश करने के लिये मैं आपकी इजाजत चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---वह मेरे सामने अभी आया है और बहुत लम्बा है। उसमें बहुत से वाक़यात का भी सवाल है। अगर मैंने उसे वैध करार दिया तो मैं आपको कल मौका दे सकूंगा। मैं पहले उसको जांच लूं। यह समय जो एक दिन का गुजरा है यह आपके लिये बाधक नहीं होगा।

उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ संस्कृत स्टडीज के लिये प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ संस्कृत स्टडीज के लिये विधान सभा के सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन के लिये नामनिर्देशन-पत्र प्राप्त करने का अंतिम समय २६ फरवरी, १९५४ के १ बजे मध्याह्न तक था। इस समय के अन्दर निम्नलिखित अभ्यर्थियों के पक्ष में नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त हुये हैं :---

१---श्री दीनदयालु शास्त्री।

२---श्री सहदेव सिंह शास्त्री।

नाम निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा का समय २६ फरवरी, १९५४ को ३ बजे अपराह्न था जिस समय इनकी सूक्ष्म परीक्षा हुई एवं दोनों नाम निर्देशन-पत्र वैध पाये गये।

आज ३ बजे अपरान्ह तक नाम वापस लेने का अंतिम समय है। चूंकि रिक्त स्थानों की संख्या नाम निर्देशित अभ्यर्थियों की संख्या के बराबर है, अतएव आज ३ बजे तक वापस नामों को छोड़ कर शेष को या यदि कोई नाम वापस न हुआ तो दोनों नाम निर्देशित अभ्यर्थियों को विधिवत् निर्वाचित घोषित कर दिया जायगा।

१९५४–५५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—— विभिन्न अनुदानों के लिए समय विभाजन

श्री अध्यक्ष—— वित्तीय वर्ष, १९५४–५५ के लिये...

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)——अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता था कि समय निर्धारित कर दिया जाता।

श्री अध्यक्ष—— पहले मैं पढ़ दूं कि यह शुरू हो रहा है तब उसके बाद आप बतलाइये।

वित्तीय वर्ष १९५४–५५ ई० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये प्रस्ताव शुरू।

अब इन अनुदानों के सम्बन्ध में समय निर्धारित करने के जो सुझाव हैं, कृपा करके वह दे दें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)——माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला मेरा सुझाव यह है कि अनुदान संख्या १, २ और ३ आज ले ली जांय और एक साथ ले ली जांय। बाकी जो अनुदान संख्या ४ और ५ हैं वह कल ले ली जांय क्योंकि दो ही दिन हमारे पास हैं। इस सम्बन्ध में मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि यह अनुदान १,२ और ३ उन्हीं से सम्बन्धित हैं, इसलिये वे इनको एक ही साथ पेश कर दें और इन पर दिन भर बहस हो जाय। यदि आवश्यक समझा गया तो बाद में समय भी बढ़ाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष——समय तो बढ़ा ही दिया गया है। उस दिन यह तय हो गया था कि ७ बजे तक असेम्बली होगी।

इसमें और किसी को कोई आपत्ति है? (किसी के न खड़े होने पर) किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो फिर मैं यही माननीय गृह मंत्री जी से कहूंगा कि वे तीनों अनुदान एक के बाद एक पेश कर दें और उनके ऊपर एक साथ बहस हो जायगी।

अनुदान संख्या १६——लेखा शीर्षक २८, जेल तथा बन्दी बस्तियां, अनुदान संख्या १७, लेखा शीर्षक २९——पुलिस तथा अनुदान संख्या २८, लेखा शीर्षक ४७——श्रम और संख्या

गृहमंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)——अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफ़ारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६, लेखा शीर्षक २८——जेल तथा बन्दी बस्तियों के अन्तर्गत १,३१,२९,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

तथा मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७——लेखा शीर्षक २९——पुलिस के अन्तर्गत ७,२१,८५,९०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

तथा मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २८——लेखा शीर्षक ४७——श्रम और संख्या के अन्तर्गत २७,९६,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (जिला इलाहबाद)---अध्यक्ष महोदय, पुलिस के साथ श्रम को मिलाकर साथ-साथ बहस होगी इसलिये मुझे भय है कि माननीय मंत्री जी को शायद अधिक समय न मिल सके और श्रम शायद दब जायगा। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि श्रम के संबन्ध में अलग समय नियुक्त कर दिया जाय तो बड़ी कृपा होगी। मैं खड़ा भी हुआ था लेकिन आपकी आई को कैच नहीं कर सका।

श्री अध्यक्ष--- आपकी आवाज उस समय नहीं निकली थी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---मुझे कोई आपत्ति नहीं है श्रम के लिये शाम को ५ बजे से ७ बजे तक का समय निश्चित कर दिया जाय।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष --- मैं समझता हूं कि इसके लिये ५ बजे से ७ बजे तक का समय रख दिया जाय और पहले शुरू के दो अनुदानों पर इस समय विवाद होगा। क्योंकि तीनों मांगें पेश कर दी गई हैं इसलिये मैं गृह मंत्री जी से कहूंगा कि वह पहले दो अनुदानों पर ही अपना भाषण दें और ५ बजे तीसरे अनुदान पर भाषण दें।

†डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, समय बहुत थोड़ा है। इसलिये मेरा विचार इन दोनों अनुदानों में से किसी भी अनुदान के सम्बन्ध में कोई लम्बा भाषण देने का नहीं है। जहां तक जेल विभाग की बात है, यह जो बजट में मांग की गई है, पिछले साल से करीब सवा डेढ़ लाख रुपये की अधिक है। इसका कारण भी माननीय सदस्यों ने देख लिया होगा। मुख्य कारण यह है कि पिछले साल की अपेक्षा जेल की आबादी इस साल के शुरू में अधिक रही और जो हमने अनुमान बनाया है वह इसी आधार पर बनाया है कि शायद अगले साल भी आबादी इसी के लगभग रहे। आबादी क्यों अधिक है इसका कारण मैं पहले साधारण वादविवाद के सम्बन्ध में बतला चुका हूं। इसलिये उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

जेल का महकमा कोई डेवलपमेंट विभाग की तरह से नहीं है। इसलिये इसमें से नई योजनायें तो निकलती नहीं हैं जिनका कुछ विस्तृत विवरण दिया जा सके। हमने कोशिश की है कि पारसाल के ही नये प्रयोग को जारी रखा जाय और उसमें ही सुधार करने की कोशिश करें। एक प्रयोग जो जारी किया था वह यह था कि जो कैदियों से मिलते थे उनको सप्ताह में सिर्फ एक बार मिलने का अवसर मिलता था घरवालों को और उसके सम्बन्धियों को। उसकी जगह हमने सेंट्रल प्रिजिन में यह शुरू कर दिया है कि लोग सातों दिन मिल सकें दूसरी बात यह है कि जो कैदियों से मिलते हैं तो सब कैदियों को एक साथ बैठा दिया जाता है।

किसी किस्म की कोई प्राइवेसी का प्रबन्ध नहीं हो सकता। तो हमने इस बात की भी कोशिश की कि यथाशक्ति प्राइवेसी हो सके और घर वालों से वह प्राइवेसी में मिल सकें, जहां तक हो सकता था किया गया और वह तरीका काफी सफल रहा और हम उस चीज को जितने भी क्लास "ए" जेल हैं, सूबे में, हमने सब में कर दिया है। इन सब जेलों के सातों दिन मुलाकात हो सकती है और जैसा मैंने कहा, रुपया पैसा चाहिए ज्यादा प्राइवेसी देने के लिए, लेकिन जितना रुपया पैसा था, उसी में जितनी प्राइवेसी दी जा सकती थी, वह देने की कोशिश की जाती है, और अगर हो सका तो आगे हम सभी जेलों में इस चीज को बढ़ा देंगे।

दूसरा जो हमारा बड़ा प्रयोग था, वह था जहां चकिया में चन्द्र प्रभा में डैम बन रहा है। वहां पर कैदियों को खुले में रखने का तरीका बड़ा सफल रहा और इस साल वहां से कुछ पूर्व नौगढ़ में जो बांध बन्ध रहा है, वहां पर यही चीज चल रही है। पिछले साल दो हजार कैदी थे,

† भाषण माननीय मंत्री द्वारा शुद्ध नहीं हुआ है।

अब ४ हजार कैदी रखे गये हैं और हमारा ऐसा खयाल है कि वह प्रयोग काफी सफल रहा। अभी थोड़े दिन हुए आल इंडिया क्राइम प्रिवेन्शन सोसाइटी की तरफ से एक सेमिनार हुआ था, जहां पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, आसाम, की तरफ से पुलिस के बड़े अफसर, इन्स्पेक्टर जनरल आफ प्रिजंस, सेन्ट्रल प्रिजन्स के सुपरिन्टेंडेंट्स ये सब लोग आये थे। १५ दिन रहे। बहुत सी बातें वहां पर हुईं और बहुत सी आशंकाओं का समाधान किया गया। हमको भी बहुत अच्छे सुझाव दिये और लोग काफी सन्तुष्ट गये। इसका प्रमाण यह है कि पश्चिमी बंगाल भी इसी प्रकार का सेमिनार करने जा रहा है और उसमें हमारे यहां के भी अफसर बुलाये गये हैं कि इस किस्म के प्रयोग कैदियों के साथ नये नये करने से क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। हमारी जेल की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक वहीं हुई थी, और उन सब सदस्यों ने जो वहां गये थे उन्होंने उस प्रयोग को देखा, और उन्होंने जो सुझाव दिये हैं, उनको भी हम, आशा करते हैं कि कार्यान्वित करेंगे।

इस साल जेल के अन्दर बजट में दो नयी चीजें हैं। एक तो हमारे मित्र माननीय गेंदा सिंह को शिकायत थी कि देवरिया के बारे में वहां कोई जेल नहीं है। तो हमने आश्वासन दिया था कि यह कमी जरूर पूरी हो जायगी और हमने इस बजट में इसके लिए प्रबन्ध किया है कि देवरिया में एक जेल खोली जाय और दूसरी चीज यह है कि औरतें जो जेल में हैं पौने दो सौ, तो किसी जेल में दो, किसी में चार, इस तरह से हैं। इससे एक तो उनको तनहाई रहती है, दूसरी बात यह है कि अगर हम उनको कोई काम की बात सिखाना चाहें, तो एक एक, दो दो जहां रहती हैं इस वजह से उनको सिखाने में दिक्कत रहती है और प्रबन्ध करने में दिक्कत हो रही है। तो लखनऊ की जो माडेल जेल है उसका एक हिस्सा अलग कर दिया है और अधिकांश स्त्रियां वहां पर आज कल हैं और उनको इस किस्म की शिक्षा देने की कोशिश की जाती है, जिससे जेल से जाने के बाद वह समाज में कोई उपयुक्त काम कर सकें। हमारा इरादा उनको नर्सिंग या मिडवाइफरी, सिखाने का था, लेकिन नर्सिंग के लिए काफी शिक्षित होने की आवश्यकता थी। अंग्रेजी और दूसरी चीजों की काफी जानकारी होनी चाहिए। हमारे यहां इस प्रकार की स्त्रियां कम हैं, लेकिन मिडवाइफरी सिखाना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो हमने जो कस्तूरबा ट्रस्ट है, उसके साथ तय किया है और उन्होंने मंजूर कर लिया है और हमारी ऐसी योजना है कि इसी सत्र में उसका प्रबन्ध हो जाय, ताकि माननीय सदस्य स्वयं देख लें कि उनके लिए हमने क्या प्रबन्ध किया। कुछ स्त्रियों के साथ बच्चे भी होंगे, उनके लिए भी हमने क्या प्रबन्ध किया है यह भी वह देख लें।

मुख्य यही दो नयी चीजें हैं, और मैं आशा करता हूं कि सदन इस छोटी सी मांग को स्वीकार करेगा।

पुलिस के बजट के सम्बन्ध में भी मैं ज्यादा निवेदन करना नहीं चाहता। कई बातें ऐसी हैं जिनकी चर्चा पहले भी आ चुकी है। मैं भी थोड़ा बहुत उनके सम्बन्ध में निवेदन कर चुका हूं। इस बात का जिक्र आता रहता है कि पहले से जुर्म अधिक बढ़ गये हैं। मैं मजबूर हूं कि इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। जुर्म बिलकुल खत्म हो गया, ऐसा कहना गलत है। जरूर जुर्म है, काफी है, लेकिन यह कहना कि क्राइम सिचुएशन पहले से खराब हो गयी, यह बात नहीं है। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि बहुत जगहों में अस्थायी रूप से कोई चीज हो सकती है।

लेकिन साधारण रूप से मैं समझता हूं कि पहले की अपेक्षा शान्ति और सुरक्षा की व्यवस्था काफी सन्तोषजनक है। सूबे के कई हिस्से में जैसे कि आगरे के सम्बन्ध में श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी जी ने कई बार ध्यान आकर्षित किया कि वहां पर एक बड़ी भारी बदअमनी की हालत हो गयी थी। अब वहां भी काफी सुव्यवस्था की हालत पैदा हो गयी है। इसका जिक्र मैं

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

इसलिए करता हूं कि जो रोग हो उस रोग को अगर ठीक-ठीक न पहचाना जाय और उसकी हम अपने सामने एक बढ़ी चढ़ी तस्वीर रखें, तो उस रोग का ठीक-ठीक उपचार हम नहीं कर सकेंगे।

पिछले साल जो सबसे बड़ा काम हुआ है, वह है विलेज डिफेंस सोसाइटीज का संगठन। हमारा विचार था कि २६ जनवरी तक इस प्रदेश के हर गांव में विलेज डिफेंस सोसाइटीज खुल जांय। ऐसे गांव जिनमें बस्ती अच्छी कही जा सकती है, उनकी संख्या हमारे हिसाब से ९९,९६५ है। ९९,०११ गांवों में विलेज डिफेंस सोसाइटीज खुल गई। ९५४ गांव बचे। ९०७ की आबादी बहुत थोड़ी है इसलिए उन गांवों को किसी बड़े गांव के साथ जोड़ना होगा। ४७ गांव में अभी और ऐसे रह गये हैं जहां इन सोसाइटीज को खोलना है। ये विलेज डिफेंस सोसाइटीज जो खुली हैं, इनमें से अधिकांश ऐसी हैं, जो एक महीने, दो महीने या तीन महीने की हैं। इसलिए यह कहना कि इनका काम बहुत असन्तोषजनक है, यह गलत होगा। कुछ ऐसी हैं, जो कई-कई महीने से चल रही हैं, और उनके मेम्बरों ने बहुत अच्छा काम किया है, डकैतों को पकड़ने, और चोरों का मुकाबिला करने में इन डिफेंस सोसाइटीज के मेम्बरों ने बहुत बहादुरी से काम किया है और हर तरह से उनका यह काम सन्तोषजनक कहा जा सकता है। यह प्रश्न हमारे सामने रहा है कि इन सोसाइटीज के सदस्यों को हथियार दें। सोसाइटीज को तो हम हथियार नहीं दे सके हैं लेकिन एक हमारी कोशिश यह रही है कि इनके एक या दो मेम्बरों को कम से कम अवश्य हथियार मिले और कई जगह इसके लिए कोशिश हुई भी है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि जब विलेज डिफेंस सोसाइटीज खुली हैं तो मेम्बरों को तो हथियार मिले या न भी मिले, लेकिन कोई न कोई ऐसी योजना निकाली जाय जिससे कि इन डिफेंस सोसाइटीज को हथियार दिया जा सके। किस तरह से उनको हथियार दिया जाय, किस तरह से इसके लिए व्यवस्था की जाय कि प्रत्येक सोसाइटीज के पास हथियार हो जाय, इसके ऊपर हम गौर कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि साल के भीतर ही हम कोई न कोई योजना निकाल लेंगे। यह इस साल के बजट में एक नयी चीज है जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारी पुलिस की स्टैन्डिंग कमेटी के मेम्बरों ने कई बार इस बात का जिक्र किया कि सुपरिन्टेंडेंट पुलिस घोड़े नहीं रखते हैं और अधिकांश सुपरिन्टेंडेंट पुलिस जब कुछ दिनों तक सुपरिन्टेंडेंट रह लेते हैं तो फिर वह घोड़े पर चढ़ना भी भूल जाते हैं। मोटर पर वह चढ़ते हैं, क्योंकि मोटर पर चढ़ने का जमाना है। तो इससे यह होता है कि वह उन्हीं जगहों पर पहुंच पाते हैं जहां कि मोटर के लायक सड़कें हैं। जहां मोटर नहीं जा सकती, वहां कभी मुआयना नहीं हो पाता, सरप्राइज विजिट वहां के थानों पर नहीं हो पाती, और इसका नतीजा यह होता है कि उन थानों के स्टेशन आफिसर ढीले पड़ जाते हैं। अगर सुपरिन्टेंडेंट पुलिस घोड़े पर चढ़ें, तो वह उन जगहों पर भी सरप्राइज विजिट कर सकते हैं। इन सब बातों को सोचकर हमने इस बात का प्रबन्ध किया है कि अब हर सुपरिन्टेंडेंट पुलिस के लिए घोड़ा रखना जरूरी होगा, और इसके लिए बजट में प्राविजन रख दिया गया है। सुपरिन्टेंडेंट पुलिस को ६० रु० घोड़ा रखने के लिए दिया जायगा। आजकल घोड़ा रखने का खर्च काफी बढ़ गया है, लेकिन आशा की जाती है कि जो ज्यादा खर्च पड़ेगा उसे वह अपने पास से बरदाश्त कर लेंगे। इस प्रकार से उनको अपने जिले का सुपरवीजन करने में सुविधा होगी और आज की जो क्राइम सिचुएशन है उसे भी वह अच्छी तरह से सम्हाल सकेंगे।

जब सामान्य वाद विवाद बजट पर हो रहा था, तो कुछ सदस्यों ने कहा था कि पुलिस का बजट तो बढ़ना चाहिए, और मैंने भी यह कहा था कि कुछ कारणों से मैं भी ऐसा समझता हूं कि पुलिस का बजट कम है। मैं केवल उन दो चार आवश्यकताओं की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिनकी वजह से हमको अपने बजट को बढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहिए लेकिन आर्थिक कठिनाइयों की वजह से हम यह जानते हुए भी ऐसा नहीं कर सके हैं। अभी उस दिन जिक्र आया था कि इग्लैन्ड की आबादी साढ़े तीन करोड़ है और उनके यहां की पुलिस की संख्या ६० हजार है। हमारी आबादी उनसे करीब करीब

दूनी है और हमारे यहां पुलिस के ६० हजार आदमी हैं। मैंने देखा कटमोशंस भी एकाध आये हैं कि पुलिस की संख्या कुछ बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन इन सब बातों को देखते हुए भी आर्थिक कठिनाइयों की वजह से हम इसके लिए कोई प्रबन्ध नहीं कर रहे हैं। और बजट में भी इसका कोई प्राविजन हमने नहीं रखा है।

एक और चीज है। अब साइंटिफिक क्राइम्स ज्यादा होने लगे हैं। साधारण जुर्म करने वाले तो हैं ही। लेकिन आज कल सिनेमा को देख-देख कर लोग नये किस्म के जुर्म करना सीख गये हैं। बहुत सी शिक्षा भी बढ़ गयी है। इस लिए लोग नये नये साइंटिफिक उपकरणों से चोरी करना सीख गये हैं जिसका मुकाबला एक साधारण कांस्टेबिल नहीं कर पाता है। नये क्रिमिनल्स का मुकाबला करने के लिए पुलिस में नये आदमी होने चाहिए। इसके मानी यह हैं कि पुलिस का खर्चा बढ़ता है। इस प्रकार ज्यों ज्यों जमाना बदलेगा, नये नये क्राइम्स में उन्नति हो रही है उसका भी हमें प्रबन्ध करना ही पड़ेगा।

कई बार माननीय सदस्यों ने प्रश्न किये और कटमोशनों में भी जिक्र आया कि बहुत सी जगह पुलिस की इमारतें बहुत खराब हैं जो कि बरसात में किसी दिन भी गिर सकती हैं, जिन के छप्पर टूट गये हैं, छत टूटी हुई हैं, दीवारें टूटी हुई हैं। लेकिन उनकी मरम्मत का इन्तजाम नहीं हो पाता। कई जगहों पर श्रमदान से उनकी मरम्मत हुई है। अभी मैं उरई में देख कर आया हूं। वहां पर श्रमदान से उन्होंने बनाया है। लेकिन सब काम श्रमदान से नहीं हो सकता है। फिर उसके लिए, मसाले के लिए भी रुपया पैसा न दे सकें, यह नहीं होना चाहिए। इसकी भी जरूरत है।

दूसरे साइंटिफिक सेक्शन को दुरुस्त करने की जरूरत है। इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा इलाहाबाद में है और दूसरा आगरे में है। फिंगरप्रिन्ट ब्योरो में कागज या नोट पर हाथ का निशान लग जाय तो उसके जरिये से पता लगाते हैं। बन्दूक या पिस्तौल में कोई निशान लग जाय, इस किस्म के कई काम हैं जो कि बहुत खूबसूरती के साथ किये जाते हैं। लेकिन अभी हमारे यहां कई इंस्ट्रूमेंट्स और आदमियों की कमी है। दूसरा सेक्शन जो इलाहाबाद में है मसलन जैसे जहर है उकी जांच करना, कहीं एक टुकड़ा बाल का मिल गया, या कपड़े पर कोई दाग हो, खून का कोई निशान हो। उस से पता लगाते हैं कि किस प्रकार का जुर्म है। लेकिन अभी कमी की वजह से २५ हजार रुपया सालाना हमको बंगाल को देना पड़ता है क्योंकि हमारे यहां पूरा प्रबन्ध नहीं है। जो कि सात साढ़े सात लाख रुपये का इन्टरेस्ट होता है। अगर हम एक बार इसमें रुपया लगा सकें तो हमारा यह रुपया बच सकता है। इसकी भी जरूरत है क्योंकि मध्यभारत वगैरह कई सरकारें हम से मदद लेती हैं।

अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं। जो जनरल शिकायत पुलिस के बारे में की जाती है उसको इन्कार करने से कोई लाभ नहीं है। इस देश में हम रहते हैं और हमें अपने देश की पुलिस को दुरुस्त करना है। लेकिन दो बातों का खयाल रखना चाहिए तभी यह हो सकता है।

एक तो अगर कोई पुलिस की डिसिप्लिन को कमजोर करने की कोशिश करता है तो देश का नुकसान करता है। मैं जानता हूं कि कुछ लोग उत्तर प्रदेश में बाहर से आये हैं, उनका किसी राजनीतिक पार्टी से सम्बन्ध है। वे गुप्त रूप से पुलिस के आदमियों से मिले, उनके बीच में सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने क्या बात कही और किससे मिले सब मुझे मालूम है। हमने अभी तक उनके खिलाफ कोई स्टेप नहीं लिया। लेकिन अगर कोई शख्स पुलिस की डिसिप्लिन को खराब करने की कोशिश करता है तो यह बहुत खतरे की चीज होगी।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

दूसरी बात यह है कि पुलिस के ऐबों का जिक्र करते वक्त हमें साथ-साथ यह भी देखना चाहिए कि पुलिस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हर गवर्नमेंट के काम आता है, चाहे वह कांग्रेस गवर्नमेंट हो या कल कोई दूसरी गवर्नमेंट आ जाय उसे भी उस इंस्ट्रूमेंट से काम लेना है। उसके लिए यह जरूरी है कि जहां हम उस के ऐबों का जिक्र करते हैं वहां उसकी खूबियों का जिक्र करना भी जरूरी है। इतना खयाल होना चाहिए लेट दि मैन नाट टु लूज हिज रेपुटेशन। जिस आदमी के ऊपर यह विश्वास डाला जायगा कि हम तुम को भला आदमी समझते हैं, हम तुम्हारे ऐबों को मित्र भाव से दूर करने की कोशिश करते हैं, तुम्हें चोर, बदमाश या बेईमान नहीं समझते तो उस आदमी से काम लिया जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी का खयाल रखते हुए इन बातों का खयाल रक्खेंगे। इन शब्दों के साथ मैं पुलिस की अनुदान की मांग पेश करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इसे स्वीकार करें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, अगर आप कृपा करके समय निर्धारित कर दें तो बहुत ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष---जैसा कि पहले अनुदानों के लिए समय निर्धारित रहा है वही इसमें भी ठीक रहेगा, यानी १० मिनट कटौती के प्रस्ताव को पेश करने वाले के लिए और ७ मिनट बाकी लोगों के लिए। अगर आप इसमें अधिक समय चाहते हैं, तो बतला सकते हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---जैसा आप उचित समझें।

श्री अध्यक्ष---वैसे तो दस मिनट काफी हैं परन्तु दो अनुदान एक साथ उपस्थित हैं इस कारण ऐसा हो सकता है कि १२ और ८ मिनट रख दिये जांय। १२ मिनट कटौती के प्रस्ताव को पेश करने वाले के लिए और बाकी लोगों के लिए ८ मिनट।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)---८ मिनट कम होंगे, कम से कम १० मिनट होने चाहिए।

श्री अध्यक्ष---आम तौर से मैं समझता हूं कि लोग ८ मिनट ज्यादा पसन्द करेंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---बोलने वाले भी ज्यादा हैं इसलिए ८ मिनट ही ठीक रहेंगे।

श्री शिवनाथ काटजू---अगर क्वांटिटी का ही सवाल है तो फिर दूसरी बात है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं समझ नहीं सका कि जब जेल और पुलिस साथ-साथ हैं तो कटमोशन पेश नहीं होंगे या एक ही कटमोशन पेश होगा दोनों के लिए और पुलिस और जेल एक साथ ले लिया जायगा?

श्री अध्यक्ष---दो कटमोशन होंगे और दोनों के ऊपर बहस होगी और दोनों अलग-अलग पेश होंगे।

श्री अध्यक्ष---गेंदासिंह जी, आप एक को ही ले रहे हैं या दोनों को ले रहे हैं?

श्री गेंदासिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पुलिस और जेल की अनुदान पर कटौती का प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--तो एक-एक करके अलग-अलग पेश कीजिये ।

*श्री गेंदासिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६--जेल के अधीन १ रुपये की कमी की जाय और अनुदान संख्या १७--पुलिस के अधीन भी एक रुपये की कमी की जाय ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मन्त्री जी की बातों को मैंने ध्यान से सुना और उसके पहले रिपोर्ट को भी पढ़ने की कोशिश की और मैं कई बातें जो उन्होंने कहीं उनसे इत्तिफाक करता हूं लेकिन यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने अभी कहा कि पुलिस का प्रबन्ध देश की समूची आर्थिक व्यवस्था से मतलब रखता है और दूसरी तरफ उसका काम यह भी है कि वह सारे देश में कानून की मर्यादा को कायम रक्खे और शान्ति और व्यवस्था को कायम रक्खे। मैं एक बात उनसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि उन्होंने जो सबसे पहले जेल की जनसंख्या के बारे में कहा मैंने इसको ध्यान से जेलखाने में भी पढ़ा था । जेलखानों की जो संख्या बढ़ी हुई है उसमें उन्होंने इस बात को कबूल किया था कि इसमें अन्डरट्रायल लोगों की संख्या ज्यादा है । मैं भी आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पुलिस की लापरवाही इस मामले में अक्षम्य है कि अन्डरट्रायल लोगों को साल साल, डेढ़ डेढ़ साल, दो दो साल जेलखानों में छोड़ रक्खा जाता है । अगर उनकी तरफ से जमानत की कोशिश की जाती है तो कोर्ट इन्स्पेक्टर जमानत नामंजूर कर देता है और उसमें अनावश्यक तौर पर बहुत देर की जाती है । मुलजिमान को अदालत में नहीं बुलाया जाता, उनकी कोई वास्तविक शिकायत हो तो उसको मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं रखने दिया जाता, ये बातें इतनी आपत्तिजनक हैं कि जिनको दूर किया जाना चाहिए और जब तक विचाराधीन कैदियों को इस तरह से सुविधा न दी जाय कि वह जल्द से जल्द अपने मुकदमों का न्याय पा सकें तब तक मैं समझता हूं कि यह जनसंख्या कम नहीं की जा सकती । मैं जिस जिले में बन्द था यानी गोरखपुर में मैंने उन लोगों से पूछा कि आखिर क्यों इतनी भीड़ है तो उन्होंने यह बतलाया कि ४७२ आदमियों का स्थान रहने के लिए जिस गोरखपुर जेल में है, वहां पर ९७५ आदमी इस समय बन्द हैं और उसमें २०० से ज्यादा आदमी अन्डरट्रायल हैं । इसके अलावा गोरखपुर में दूसरी हवालात भी मौजूद हैं, जिसमें मैं नहीं कह सकता कि कितने आदमी मौजूद होंगे । देवरिया में भी ३०० आदमी जेल में हैं, उनमें भी अन्डरट्रायल बहुत हैं । इस लिए मैं समझता हूं कि अन्डरट्रायल लोगों की तादाद बहुत बड़ी तादाद है और यह थोड़ी सी सुविधा कर देने से कम की जा सकती है । मजिस्ट्रेटों को अगर इस बात की ताकीद की जाय कि इन मुकदमों को जल्दी से जल्दी फैसला करें, तो मैं समझता हूं कि यह जनसंख्या कम हो सकती है और करदाताओं के ऊपर इन अन्डर ट्रायल लोगों को खिलाने का बोझ भी नहीं पड़ सकता है ।

जेल के सुधार के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि खाने पीने के मामले में हो सकता है कि इस लेविल पर मंत्रिमंडल सोचता हो कि अच्छा खाना पीना देते हैं, लेकिन मैं यह समझता हूं कि इसमें बड़ी खामी है । विजिटर लोग जिस समय जाते हैं उस समय अच्छा प्रबन्ध कर दिया जाता है, किन्तु वैसे विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है । उसका जो बोझा है, खर्च का उसको करदाता जरूर बरदाश्त करता है, लेकिन इसमें चोरी की काफी गुंजाइश है । इसको दूर करने के लिए मैं समझता हूं कि अगर गृहमन्त्री जी इस तरफ ध्यान देने की कृपा करें तो कुछ सुधार हो सकता है । मैं गृह मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह बतायें कि जेल की स्टैन्डिंग कमेटी ने क्या सलाह दी थी । मैं समझता हूं कि यह हो सकता है कि विजिटिर लोग अगर सख्ती से इस बात को देखें और खास तौर से जो जिलों के अधिकारी हैं या जो हमारे मंत्री लोग दौरे पर जाते हैं अगर वह सब सरप्राइज विजिट कर सकें तो यह बुराई जरूर दूर हो सकती है ।

---

* भाषण माननीय सदस्य द्वारा शुद्ध नहीं हुआ है ।

[श्री गेंदा सिंह]

पुलिस के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि समय इतना थोड़ा है कि इस पर मुझे दिक्कत बड़ी मालूम हो रही है, इसमें क्या कहूं और क्या न कहूं। जो दिक्कत हम लोग खुद भुगतते हैं और हमको तो आपकी कृपा से एक अधिकार भी प्राप्त है तो अधिकार प्राप्त लोगों को जो दिक्कत होती है उसी से हमको अनुमान हो जाता है कि साधारण लोगों के साथ क्या बरताव होता होगा। पुलिस जो यह मुकदमा बनाने की कोशिश करती है अगर वह मुकदमा बनाने की कोशिश न की जाय तो जो सच्चे अपराधी हैं और जो अपराध करते हैं उनको सजा देना आसान है। झूठे लोगों को पुलिस पकड़ लेती है जिनको सजा देनी मुश्किल है। जब कहीं गांव में चोरी या डकैती होती है तो वहां पर बजाय इसके कि सही लोगों को पकड़ा जाय ऐसे लोगों को पकड़ लिया जाता है कि जिसके लिए गवाह मिलना मुश्किल हो जाता है। जब गवाह मिलना मुश्किल है, तो इसका नतीजा यह होता है कि अगर १२ आदमी पकड़े गये हैं, तो उनमें जो १० आदमी सही अपराधी हैं, वह भी छूट जाते हैं। अगर पुलिस सही आदमी को पकड़े तो उसको सजा देना आसान है। मैं इसका प्रमाण इस समय आपको क्या दूं। उस समय अदालत में पुलिस को प्रमाण देने में दिक्कत हो जाती है। हमारे सामने इस प्रकार के प्रमाण हैं कि इस तरह की बातें होती हैं। अगर पुलिस ईमानदारी से चाहे तो इन बातों को रोका जा सकता है। अगर इस बात को स्वीकार किया जाता है कि साल भर या डेढ़ साल पहले चरमा का गिरोह बहुत तंग करता था और साल या डेढ़ साल से पुलिस के अधिकारियों ने उस गिरोह को पकड़ने के लिए कोशिश की, तो इस बात को स्वीकार किया जायगा कि उनको कुछ सफलता मिली। इस बात को माना जायगा कि जो पहले की पुलिस थी वह ढीली थी, और उसके अफसरों ने उस गिरोह को पकड़ने के लिए कोशिश नहीं की। इस हालत में एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि थानेदार से लेकर सुपरिन्टेंडेंट पुलिस तक इस समय भ्रष्टाचार की ज्यादा शिकायत दिखाई देती है।

थानेदारों से नीचे और सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस से ऊपर इन दो श्रेणियों में तो हमें पहले से कम भ्रष्टाचार दिखायी देता है। सुपरिन्टेंडेंट तो समझता है कि वह सरकार का एक ऐसा अंग है जिसकी मर्जी पर सरकार टिकी हुई है। उसको यह घमंड नहीं है कि वह ला ऐन्ड आर्डर को मेनटेन करता है। अगर थानेदारों को सुपरिन्टेंडेंट के लिए डाली लगाने से रोक दिया जाय तो इससे बहुत लाभ होगा। सारे सूबे का तो मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन इस बात की शिकायत बहुत से माननीय सदस्यों को है कि इस समय डाली जोरों पर है। सुपरिन्टेंडेंट की सुविधा बढ़ायी जाय, घोड़ा भी दिया जाय और ६० रुपया महीना एलाउन्स भी दिया जाय, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस बात को भी देखना चाहिए कि मौके पर काम करने वालों के लिए भी कुछ होना चाहिए। सिपाही के लिए मैं कहना चाहता हूं जब वह दौरे पर या मुकदमे की पैरवी में जाता है, तो उसे ४ या ६ आने, इससे अधिक नहीं भत्ता मिलता है फिर हम उससे यह कहें कि वह रिश्वत न ले, तो यह नहीं हो सकता ४, ६ आने में कैसे गुजर हो सकता है, इसे माननीय गृह मंत्री जी सोचें।

माननीय गृह मंत्री जी ने वायरलेस के सम्बन्ध में जिक्र किया कि उसने बड़ा काम किया। इस पर काफी बहस हो चुकी है और मैं केवल इतना ही कहूंगा कि यह जल्दी खबर देने के लिए होता है तो फिर इलाहाबाद की खबर क्यों ४, ५ बजे तक नहीं पहुंच पायी। इसे सारा संसार और हिन्दुस्तान और माननीय गृह मंत्री जी भी जानते हैं। पुलिस बड़ी भारी शक्ति है, हम मानते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ सुधार हुआ है उससे हम इन्कार नहीं करते, लेकिन इतने ही से सन्तोष कर लेना उचित नहीं होगा। जब कभी राजा ऐसा सन्तोष कर लेता है तो उसकी प्रजा का नाश हो जाता है और राजा के लिए तो मैं क्या कहूं। मैं माननीय गृह मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि हमको सन्तोष नहीं है। मैं समझता हूं कि पुलिस और मैजिस्ट्रेट से हमें न्याय मिलना चाहिए। अधिक तो मैं जस्टिस के बजट के समय कहूंगा। लेकिन यह देखने की बात है कि पुलिस केवल परेशान करने के लिए चालान न करे और बरसों तक जेलखाने में न रखे तो अच्छा है।

श्री शिवनाथ काटजू—अध्यक्ष महोदय, मैं इन दोनों अनुदानों पर अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष—दूसरा तो पेश ही है।

श्री शिवनाथ काटजू—जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है, मैं सरकार को बधाई देता हूं कि आजकल के वातावरण को देखते हुए उन्होंने पिछले साल के खर्च में सिर्फ ३ लाख की वृद्धि की है मेरा अपना खयाल है कि जितनी पुलिस अपने यहां है, वह काफी नहीं है, आज नहीं तो कल उनकी संख्या में आपको वृद्धि करनी होगी। विलेज डिफेंस सोसाइटीज जहां-जहां बनी हैं, वहां-वहां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मेरा यह निवेदन है कि उनको सरकार को और ज्यादा स्थापना को बढ़ाना चाहिए। मैं यह भी देख रहा हूं कि जहां जहां अधिकारियों ने ऐसी सोसाइटीज की स्थापना की है, वहां वे खुद भी यह समझ रहे हैं कि जितना काम उन्हें वहां फैलाना चाहिए उतना अभी नहीं फैला है।

साइंटिफिक सेक्शन पर सरकार काफी रुपया खर्च कर रही है और जैसा कि मंत्री महोदय ने बतलाया कि कारतूसों से यह मालूम किया जा सकता है कि यह किस बन्दूक से चला है लेकिन मेरे अपने खयाल में हमारे यहां जितनी बड़ी जरूरत है उतनी हद तक यह काम अभी नहीं बढ़ा है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। आम तौर से यह देखा गया है कि मामूली जरायम की तफ्तीश हो जाती है, लेकिन जो उलझे हुए जरायम होते हैं उनमें बड़ी देर लगती है और कामयाबी नहीं मिलती। लखनऊ में जो डाक्टर हुक्कू का हत्याकांड हुआ, उसका अभी तक कुछ भी पता नहीं लग पाया है। उसके लिए हमारे पास कोई उचित साधन नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां भी इंगलैंड की भांति स्काटलैन्ड यार्ड होना चाहिए। गुप्तचर विभाग का मामला गुप्त मामला है, इसलिए उसके बारे में मैं माननीय मन्त्री जी से यह तो नहीं कह सकता कि इस विभाग में जो काम हो रहा है उस से हम सन्तुष्ट हैं या नहीं, लेकिन जहां तक मेरा अपना अनुमान है केवल उस अनुमान के बल पर मैं इतना निवेदन कर सकता हूं कि आजकल के वातावरण को देखते हुए हमारे पास पूरे साधन नहीं हैं और हम ऐसी बातों को नहीं रोक पाते जिनको हम रोकना चाहते हैं। अभी लखनऊ में जो झगड़ा हुआ था, इसके बारे में पहले भी मैंने निवेदन किया था कि हमारे यहां अखबारों में खबरें बाद को आयीं, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान रेडियो ने मुहल्लों के नाम ले लेकर बता दिया कि कहां क्या हुआ। उनको यह सब कैसे मालूम हुआ, वहां यह खबरें कैसे पहुंचीं, क्या सरकार को इसकी सूचना है? आजकल की स्थिति और वातावरण को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि सरकार उन लोगों के बारे में और अच्छी तरह से जानकारी रक्खे जो कि यहां किसी वक्त भी गड़बड़ी कर सकते हैं। उनके लिए पहले से ही रोक थाम होनी चाहिए।

जहां तक पुलिस और जनता का सम्बन्ध है, मैं यह निवेदन करूंगा कि पिछले पांच छः वर्षों में काफी सुधार हुआ है। आज पुलिस भी समझती है कि वह जनता की सेवा के लिए है और जनता भी समझती है कि वह हमारी रक्षा के लिए है। यह भी ठीक है कि इसमें अभी और तरक्की हो सकती है और जितना सुधार अभी होना चाहिए वह अभी नहीं हुआ है। इसके लिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जिलों के अन्दर जो अधिकारी गण हैं वे अपने मातहतों का अच्छी प्रकार से निरीक्षण करें, आज तक जिस प्रकार से निरीक्षण हो रहा है वह यह है कि वे लोग अपने पूरे लवाजमें के साथ वहां जाते हैं और जितनी बातों को हम वहां जाकर जनता के सम्पर्क से जान जाते हैं, उतनी बातें वे नहीं जान पाते। उनको जांच के लिए जनता के पास तक इस तरह से जाना चाहिए कि उनका जनता से सीधा सम्पर्क हो और वे अपने क्षेत्र की जानकारी अच्छी प्रकार से कर सकें और केवल स्टेशन आफिसर के हाथ में न रहें। मेरा अपना खयाल है कि जो स्थिति आज ४-५ साल में उत्पन्न हो गयी है उसके फलस्वरूप तजुर्बेकार आफिसर्स चले गये और उनके स्थान पर नये आफिसरान काम कर रहे हैं जहां कि पहले ज्यादा

[श्री शिवनाथ काटजू]

तजुर्बेकार लोग काम किया करते थे। तो जाहिर है कि वे जो बड़े बड़े खुर्राट थानों में बैठे हुए हैं, उनके काम की जानकारी और जांच वे उतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं जितनी कि उनको करना चाहिए। मेरे खयाल में अगर वे अफसर जाब्ते से नहीं बल्कि आम तौर पर क्षेत्रों में जायें और घूमें तो वह ज्यादा फायदेमन्द होगा। जैसा कि मंत्री जी महोदय ने निवेदन किया, जहां तक अपराधों की स्थिति है वह पहले से अच्छी है और मैं यह निवेदन करूंगा कि वातावरण को देखते हुए काफी सन्तोषजनक है। चोरी और राहजनी के बारे में भले ही कोई कहे कि डकैती को चोरी का रूप दिया गया या चोरी को राहजनी का रूप दिया गया लेकिन जहां तक कत्ल का मामला है लेकिन मरे हुए आदमी को कोई जिन्दा तो कर नहीं सकता है, अगर आप कत्ल के आंकड़े देखें, तो मालूम होगा कि सन् १९५३ ई० में १५१० कत्ल हुए और सन् १९५२ ई० में १५७२ कत्ल हुए थे। तो थोड़ी बहुत इसमें कमी है और मेरे खयाल में आजकल की स्थिति को देखते हुए यह सन्तोषजनक कहा जा सकता है।

श्रीमन्, अब मेरे कहने के लिए समय तो बहुत कम है, क्योंकि लाल सिगनल दिखा दिया गया है, लेकिन जेल के सम्बन्ध में मैं केवल दो बातें निवेदन करूंगा। एक तो मेरा निवेदन यह है कि क्लासिफिकेशन जेल में होना चाहिए। क्लासिफिकेशन का अर्थ यह है कि जो हैबिचुअल हैं, जो मंजे हुए क्रिमिनल्स हैं, कन्विक्ट्स हैं उनको सरकार उनके साथ रखे जो पहली बार जेल गये हैं, या मामूली अपराध में गये हैं, यह मुनासिब नहीं है और इसलिए मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि वह इस बात का प्रयत्न करे कि जहां तक हो सके क्लासिफिकेशन किया जाय जिसमें कि कम से कम जेलों में जाकर लोग जुर्म करना न सीखें? और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार जहां तक हो सकता है, सुधार के सिद्धान्त पर चल रही है और वह प्रतिहिंसा और दण्ड के सिद्धान्त पर नहीं चल रही है और यह ठीक है, लेकिन दण्ड के सिद्धान्त को बिलकुल दूर नहीं किया जा सकता है। जब किसी को दण्ड दिया गया है, तो कुछ न कुछ अंश में दण्ड का भाव वहां रहेगा ही लेकिन उसके साथ साथ सुधार का भी भाव रखना ठीक है, और अब काफी रखा जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से सुधार की बातें, जैसे रिक्रिएशन रेडियो और खाने पीनेमें सुविधायें की बातें कही गयी हैं वे बजाय एक आध जेल के और भी जेलों में बढ़ाया जाय। दूसरा मेरा निवेदन यह है जैसा कि श्री गेंदा सिंह जी ने कहा कि हमारी सरकार को जेलों की जांच जहां तक हो सके बिना किसी खबर दिये हुए और सूचना दिये हुए अगर की जाय तो वह ज्यादा मुनासिब होगा।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—अध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, अंग्रेजों के जमाने में हमारी नौकरियों का आधार जो था, वह बहुत हद तक इस बिना पर होता था कि इसमें बाहरी आमदनी कितनी हो सकती है और कितनी नहीं। इसी आधार पर हमारी पुलिस की नौकरी, उनके भत्ते, उनकी स्टेशनरी के भत्ते आदि कायम थे, लेकिन आज मुल्क के आजाद होने के बाद हम अपनी नौकरियों की बुनियाद पुराने आधार पर नहीं रख सकते हैं। मैं श्रीमन् आपके द्वारा इस तरह की कुछ मिसालें माननीय मन्त्री जी के सामने रखने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट क्लास थानों पर श्रीमन् ३ रुपया महीने इसलिए मिलता है, जिसमें रात भर रोशनी जलायी जाय, कारबन पेपर और पेंसिल निब आदि खरीदना शामिल है। सेकेन्ड क्लास थानों को दो रुपया मिलता है और थर्ड क्लास थानों को डेढ़ रुपया ही मिलता है। तो श्रीमन्, मेरे ख्याल में यह बात नहीं आयी की रोशनी भी अलग-अलग थानों पर अलग-अलग तरीके से कैसे जलायी जाय। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कौन सा लैम्प है जिसमें १, २, ३, दर्जे के थानों में ३), २), १।।) में रात भर रोशनी एक सी हो जाय। यदि हमें ईमानदारी बरतनी है और हम चाहते हैं कि हमारे कर्मचारी ईमानदार रहें, तो हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जिसमें वे ईमानदार रह सकें। हमें, उसके लिए वैसी हालत पैदा करनी है। इसी तरीके से पुलिस चौकियों पर एक रुपया रोशनी वस्टेशनरी के लिए मिलता है, जिसमें सारी रात रोशनी भी जलायी जाय और उसमें कारबन

आदि खरीदा जाय। क्या इतने कम पैसे में यह सम्भव भी है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा।

इसी तरीके से श्रीमन्, सफर खर्च का सवाल है। थानेदारों के जब वे अपने सर्किल के बाहर जाते हैं, तो उनको हाल्टिंग एलाउन्स केवल एक फी सदी तनख्वाह का मिलता है। इसके माने यह हैं कि नया थानेदार जिसकी तनख्वाह १२० रुपये है, उसको केवल एक रुपये तीन आने और दो सही दो बटा पाँच पाई मिलता है और सुपरिन्टेंडेन्ट पुलिस को जिसको पाँच सौ रुपये से ऊपर तनख्वाह मिलती है, उसको ५ रुपया हाल्टिंग अलाउन्स दिया जाता है और गवर्नमेंट ट्राँसपोर्ट भी फ्री होती है। तो यह नीति बिलकुल गलत है कि जो ज्यादा तनख्वाह पाने वाले हैं, उनको हम ज्यादा सुविधा दें और जो कम तनख्वाह पाने वाले लोग हैं उनको हम इतनी चीजें भी न दें कि जिसमें वे सच्चाई के साथ अपना कर्तव्य भी पालन कर सकें। इस पर श्रीमन् हृदय मंथन की आवश्यकता है और गौर करने की जरूरत है।

इस तरीके से सवारी का सवाल है। थानेदार जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जाता है, तो जहाँ से रेलवे या मोटर सर्विस होती है वहाँ से सवारी एलाउन्स दिया जाता है। श्रीमन्, मेरे जिले में चार पाँच थाने ऐसे हैं जिनसे मोटर की सड़क तक पहुंचने के लिए १२–१२ और १४–१४ मील तक आना जाना पड़ता है। लेकिन उस जगह तक जाने के लिए या आने के लिए एक पाई भी उसको सफर खर्च नहीं मिलता। कौन नहीं जानता कि जब थानेदार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जायगा तो उसके साथ बिस्तरा भी होगा और दूसरी जरूरी चीजें भी होंगी। अगर मान लीजिये कि वह घोड़े पर जा सकता है, तो फिर बिस्तरा या दूसरी चीजों के ले जाने के लिए क्या साधन है? श्रीमन्, यह एक गलत चीज है और मैं इसकी तरफ माननीय मन्त्री जी की तवज्जह खास तौर से दिलाना चाहूंगा।

श्रीमन्, अंग्रेजों के जमाने में जो इंस्पेक्टरों का कैडर था वह बहुत मामूली पढ़े लिखे लोगों का था, मिडिल पास या मामूली शिक्षा के आदमी उसमें आते थे लेकिन आज हमारे यहाँ इतने शिक्षित मौजूद हैं कि यद्यपि इंटरमीडियेट कम से कम क्वालिफिकेशन उन लोगों के लिये रखी गई है लेकिन पर्याप्त मात्रा में ग्रेजूयेट एम० ए० और बी० ए०, एल एल०बी० भी मिल जाते हैं और ऐसी हालत में हमारी नौकरियों का आधार फर्क होना चाहिये। हम देखते हैं कि भारतीय सेना में जो आदमी लेफ्टिनेंट से नौकरी शुरू करता है वह कमाडंर इन चीफ तक हो जाता है। यही आधार सब इंस्पेक्टरों के लिये होना चाहिये। जिस आदमी को सब इंस्पेक्टर हम बनाते हैं उसी को तरक्की देकर के डी० एस० पी०, एस० पी० और डी० आई० जी०, और आई० जी० भी बना दें तो उससे उनको ईमानदारी से कार्य करने में प्रोत्साहन मिलेगा। थानेदार लोगों की जिनकी तन्ख्वाहें बहुत कम हैं और जिनको १२ साल नौकरी करने के बाद सारी तरक्की खत्म हो जाती है वह भी कुछ तरक्की कर सकेंगे इस आधार में मिसाल के तौर में उस वेतनक्रम को आपके सामने रखता हूं। एक सब इंस्पेक्टर को जब वह भर्ती होता है १२० रुपये तन्ख्वाह मिलती है और उसके बाद ६ रुपये साल से वृद्धि करता करता १८० रुपये तक जाता है और उसके बाद १० रुपया वृद्धि करता करता २०० रुपये पर खत्म हो जाता है। इस प्रकार उसकी तरक्की १२ साल में खत्म हो जाती है और उसके बाद वह अपनी तरक्की आप करे। इसके सिवा उसके पास कोई चारा नहीं रह जाता है।

श्रीमन्, इसी तरीके से अंग्रेजों के जमाने में एक एक्सपेरीमेंट किया गया था और इंस्पेक्टर पुलिस की जगह को खत्म कर दिया गया था। इंस्पेक्टर पुलिस की जगहें पुलिस में बिलकुल बेकार हैं। इसमें सिवाय काम दोहराने के और कुछ नहीं है। उसके पास सिर्फ तफतीश का काम नहीं होता है केवल मुआइने का है। यही काम हल्के का डी० वाई० एस० पी०

[श्री भगवान सहाय]

भी करता है तो इस कैडर को बेकार के लिये क्यों रख छोड़ा जाय। इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसको खत्म करके अगर नीचे के दर्जे के पुलिस के लोगों की तरक्की में रुपया लगाया जावे तो मैं समझता हूं कि पुलिस का काम कुछ अच्छा हो सके।

श्रीमन्, इसी तरीके से हमारे मन्त्री जी ने कहा कि साइंटिफिक इन्वेस्टीगेशन की तरफ उनको विशेष तवज्जह है। मैं केवल यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमने साइंटिफिक इन्वेस्टीगेशन के लिये हमारी सरकार ने एक सीनियर आदमी को विलायत भेजा और बीसों हजार रुपया इस राज्य की जनता का खर्च किया लेकिन जब वे सीख कर आये तो उनको आई० जी० बनाकर दूसरी जगह भेज दिया गया। इस राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च करके बाहर शिक्षा देकर लौटने पर उनको दूसरी जगह भेज दें। श्रीमन्, इस नीति में सुधार की आवश्यकता है इसको माननीय मन्त्री जी भी मानेंगे। इस तरीके से हम देखते हैं कि ऊंचे रैंक के आफिसर्स में कमी नहीं की जाती है बल्कि नीचे के आफिसर्स जैसे सब इंस्पेक्टर वगैरह हैं इनमें कमी की जाती है। आज डी० आई० जी० की पोस्ट्स बढ़ती चली जाती हैं। पहले हेडक्वार्टर पर एक सीनियर एस० पी० काम करता था लेकिन आज एक डी० आई० जी० साहब काम कर रहे हैं। इस लिये आज अगर उनकी जगह पर एक सीनियर एस० पी० काम करे तो कम से कम ६०० रुपये माहवार की बचत हो सकती है और सालाना ७२ सौ रुपये की बचत हो सकती है। जो हमारे डी० आई० जी० साहब बहादुर बाहर दूसरे राज्य से आये उनके लिए किसी आदमी को हटाने के बजाय एक नयी पोस्ट डी आई० जी० सरहद बना दी गयी। यह नीति बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूं कि अगर इस तरह से बजाय ऊंचे अफसरों को प्रोत्साहन देने के नीचे दर्जे के कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया जाय तो ज्यादा उन्नति हो सकती है और उन्हें काम करने में ज्यादा उत्साह मिल सकता है।

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, पुलिस का काम इतना बुनियादी है, कि जब तक वह ठीक नहीं चलता तब तक कोई स्टेट पुलिस स्टेट हो या न हो मगर मैं समझता हूं कि वह वेलफेयर स्टेट नहीं हो सकती है और कोई भी गवर्नमेंट पापुलर नहीं हो सकती। उसकी जन प्रियता इसी पर निर्भर करती है कि उसकी पुलिस कितनी ईमानदार और कितनी योग्य है। आज जो कुछ दोष हमारी पुलिस में है वह बहुत पहले की विरासत है और मैं माननीय मन्त्री जी से बिल्कुल सहमत हूं कि आज हमको केवल आलोचना ही नहीं करना है, बल्कि हमें उस पर विचार करके सुझाव देने हैं। पुलिस हमारे लिए और जनता के लिए रक्षा का काम करती है इस लिए जब कोई उसके पास जाता है, वह किसी मुसीबत में ही फंसकर जाता है और रक्षा की आशायें लेकर जाता है। मगर जब उसे वहाँ पर दूसरी ही बात मिलती है, तो उसे बहुत ज्यादा असन्तोष और निराशा होती है। इस दृष्टि से मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं।

आज यह सभी जानते हैं कि पुलिस में करप्शन है। मैंने आज रिपोर्ट में देखा कि एक ६ इन्स्पेक्टर वाला इसके लिए स्क्वाड बनाया गया है। बड़ी अच्छी बात है और भी ट्रिबुनल्स वगैरह के कायदे बनाये गये हैं, वह भी अच्छे हैं लेकिन एक बात मुझ को खटकती है, नहीं मालूम उसकी तरफ हमारा ध्यान क्यों नहीं गया। हम देखते हैं कि पहले तो यही बहुत मुश्किल है कि किसी पुलिस अफसर के खिलाफ कोई भी कार्यवाही किसी साधारण व्यक्ति की शिकायत पर हो सके, पर अगर कहीं बहुत ज्यादा ज्यादती हुई और लोगों में इतनी हिम्मत भी हुई कि वह उसके खिलाफ कहने के लिए तैयार भी हो गये तो सौ दो सौ केसेज में कहीं ऐसा होता है कि डिपार्टमेन्टल कार्यवाही या ट्रायल की नौबत आवे। अधिकारियों के पास अपनी सुरक्षा के सब साधन हैं। जैसे मान लीजिये थाने में किसी आदमी से रिश्वत ली जाती है, तो वहाँ उस थाने की चहारदीवारी के अन्दर उस व्यक्ति के अलावा जिससे रिश्वत ली जाती है उसकी कहने वाला कोई आदमी नहीं होता। इसके बाद अगर कहीं ट्रायल हुआ, या डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी हुई तो उसका एक्वीटल सहज हो जाता है। मगर उसका एक्वीटल बेनिफिट आफ डाउट पर होते हुए भी

उसको सस्पेंशन पीरियड की पूरी तनख्वाह दी जाती है। यह बात मेरी समझ में किसी तरह से भी नहीं आती कि उसके पक्ष में सभी सुविधायें और साधन होते हुए भी बेनिफिट आफ डाउट पर भी उसको पूरी तनख्वाह दी जाये और डिफेंस का पूरा खर्चा भी दिया जावे यह एक बहुत बड़ी एनोमली है और इसे जल्द से जल्द दूर कर देना चाहिए। जहाँ पर क्लीन एक्वीटल हो वहाँ पर तो यह ठीक है, मगर जहाँ पर बेनिफिट आफ डाउट हो वहाँ मैं समझता हूं कि करेक्टर रोल में इन्टरी होनी चाहिए और तनख्वाह और खर्चा बिलकुल नहीं दिया जाना चाहिए। यह बात केवल पुलिस पर ही लागू नहीं होती, है बल्कि सब डिपार्टमेंट्स पर लागू हो सकती है।

दूसरी बात जिस की तरफ हम प्रयत्नशील हैं, वह यह है कि जनता से ज्यादा से ज्यादा सम्पर्क हो। मैं समझता हूं कि इसी लिए घोड़ों के ऊपर चढ़ने पर ज्यादा जोर दिया गया है। पुलिस के गजेटेड आफिसर्स जितना टूर पहले करते थे, उतना अब नहीं कर पाते हैं। इससे उनका जनता से सम्पर्क बहुत कम होता जाता है। देहातों में वे अपना कैम्प नहीं करते हैं जहाँ आसानी से लोग उन से मिल सकें। अगर वे किसी इन्क्वायरी में जाते हैं तो उनके मातहत ही उनको घेरे रहते हैं। मेरा सुझाव यह है कि गजेटेड आफिसर्स साल में कम से कम तीन महीने देहातों में कैम्प किया करें।

एक तरफ मैं आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं और वह है दफा १०९ का दुरुपयोग। मुझे स्वतः इसका अनुभव है और मैं समझता हूं कि हर एक पुलिस अधिकारी को इसका अनुभव है कि इस दफा का बड़ा भारी दुरुपयोग होता है। अगर हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में से यह दफा निकाल दी जाय तो यह एक बड़ा भारी कलंक उससे हट जायगा। बहुत से भले लोग इसके शिकार होते हैं। वे दूर देश से आते हैं इस लिए अपरिचित होते हैं। उनको यहां कोई सबूत शहादत नहीं मिल पाती। वे अगर बतलाते हैं कि मथुरा से आये हुए हैं तो लिखा जाता है कि अहमदाबाद से आये हैं। इस प्रकार उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है और उनको महीनों जेल में पड़ा रहना पड़ता है। उनकी जमानत करने वाला कोई नहीं मिलता। मेरी यह आशा शायद दुराशामात्र होगी कि दफा १०९ का उपयोग बिलकुल बन्द कर दिया जाय। लेकिन मैं यह जरूर निवेदन करूंगा कि इस बात का आर्डर निकाल दिया जाय कि जब तक कोई गजेटेड आफिसर स्वतः जाकर अभियुक्त से बात न कर ले और अपने को सर्टिफाई न कर ले, कि वह वाकई ऐसा आदमी है जिस को जेल में भेजना चाहिए, तब तक उसका चालान नहीं होना चाहिए। यह दो तीन बातें मैंने जनता के सम्पर्क और करप्शन के सम्बन्ध में कहीं।

एक चीज मैं ट्राफिक पुलिस के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हमारे यहाँ जो ट्रैफिक का सिगनल है, नहीं मालूम कैसे उसकी ईजाद हुई। दुनिया में जैसा ट्रैफिक सिगनल है उससे यह बड़ा भिन्न है और गलत है। इससे न किसी को कोई शिक्षा मिलती है और न पब्लिक कुछ समझता है। यहाँ ट्रैफिक कांस्टेबिल मक्खियाँ उड़ाता हुआ मालूम पड़ता है। बम्बई और कलकत्ता में ट्रैफिक पुलिस का सिगनल वही है जो इंटरनेशनल सिस्टम है। वह एक दफा में सारी वैहिकिल्स को डाइरेक्शन देता है। यहां एक-एक कार को पास किया जाता है जिस से कुछ तो यह समझही नहीं पाते हैं कि उनको जाना है या नहीं जाना है और अगर जाना है तो किधर जाना है। सिगनलिंग तो ट्रैफिक के डाइरेक्शन का होना चाहिये। अगर कांस्टेबिल ने हाथ उठा दिया तो सीधे ट्रैफिक नहीं जायगा। दाहिने को तब ही जायगा जब सीधा खुला हुआ है। यह बातें हैं जिनपर इंटरनेशनल ट्रैफिक आधारित है। अगर आप कानपुर की दशा देखें तो वहां से ज्यादा बुरा ट्रैफिक सिस्टम दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसकी तरफ ध्यान दिया जाय।

[श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी]

अन्त में मैं माननीय मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि बाज क्षेत्र में जो उन्होंने ऐक्शन लिया है वह बहुत ही सफल हुआ है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी यह है कि हमारी गवर्नमेंट ने टोटैलिटेरियन मेजर्स को काम में नहीं लिया, जो कि और जगह काम में लिये गये हैं। जहां कहीं उससे डिपार्चर हुआ, वहां तुरन्त उन्होंने हम लोगों के कहने से उनको वापस ले लिया। इससे उनकी जनप्रियता और पुलिस के प्रति विश्वास अधिक लोगों में बढ़ा। लोगों को ऐसा मालूम हुआ कि अगर हमारी आवाज सही है तो वह पहुंचती है और उसकी सुनवाई होती है।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से माननीय गेंदा सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा यह सौभाग्य है कि सेन्ट्रल जेल, बरेली, डिस्ट्रिक्ट जेल, हलद्वानी और एक जुडीशल लाक अप में रहने के बाद, स्वयं अपने अनुभव के आधार पर जेल के सम्बन्ध में सुझाव देने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है।

जहां तक जेल के प्रबन्ध का प्रश्न है। मैं पहले डिस्ट्रिक्ट जेल और जुडीशियल लौक अप्स के सम्बन्ध में कहना उचित समझता हूं। वहां जितनी भीड़ भाड़ तथा क्राउडनेस है उसको देख कर सारा इन्तजाम चौपट हो जाता है। आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि ४ फरवरी की रात को हमारे ४७ साथियों को केवल ४ कम्बल मिले। जब कहा गया तो मालूम हुआ कि स्टाक में नहीं हैं और तीन दिन बाद हलद्वानी जेल में भेजा गया और वहां पर रात को मुझे जेल में दाखिल नहीं कर रहे थे; वहीं रात को एक बजे जाकर मुझे जेल में लिया गया। वहां के जेलर इसलिए रात को दाखिल नहीं कर रहे थे कि अगर यह जेल में आ जायेंगे तो यहां की सारी हालत इनको मालूम हो जायगी। वहां ६५ आदमियों की कैपेसिटी थी और उसमें १४७ आदमी बन्द थे और रात को जब मैं बन्द किया गया तो अस्पताल खुलवाया गया और उसके अन्दर रखा गया। मुझे और मेरे साथियों को जहां ६ आदमी रह सकते थे वहां पर १८ आदमियों को रखा गया।

इसके बाद मैं वहां के पानी की व्यवस्था पर आता हूं। वहां पर एक डिक्की बनी हुई थी। जितना पानी नाली का वहां आता था वहां पर जनाने जेल के पेशाब और पाखाने का पानी बहकर आता था। मैंने कहा था तो शायद वह बन्द हुआ या नहीं। जब पानी का नल बन्द हो जाता था, तो वही पानी इस्तेमाल होता था।

सेन्ट्रल जेल की वही हालत जो माननीय मन्त्री जी के समय में थी। २० और २१ फरवरी की रात को जो सुपीरियर क्लास की बैरक मानी जाती थी, वहां पर पानी बरसता रहा और खड़े होने तक की जगह नहीं मिली। इतना पानी चू रहा था कि कहीं जगह नहीं थी कि कहां जायं। सुपरिन्टेंडेंट से जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें? सारे बरेली सेन्ट्रल जेल की मेंटिनेंस के लिए १,५०० रुपये सालाना दिये जाते हैं। जिसमें से सुपरिन्टेंडेंट महोदय का बंगला तथा कर्मचारियों के क्वार्टर्स वगैरा भी शामिल हैं। वह कहते हैं कि इतने रुपयों से हम क्या करें। अपने बंगले ठीक रखें या कर्मचारियों के क्वार्टर्स ठीक रखें, या बैरक ठीक रखें, हम हेल्पलेस हैं। अगर हमें गिरफ्तार करते हैं तो कम से कम इन्सानियत के तकाजे के नाते बैरकों की मरम्मत तो होनी चाहिए, अगर कुछ खर्चा बढ़ता है तो बढ़ने दीजिये।

लैटरीन्स के सुधार के बारे में क्या कहूं? सैनिटेशन की भी वही हालत है जो पहले थी। कपड़ों की हालत यह है कि कपड़े फटे हुए हैं और कम्बल भी फटे हुए हैं। खादी भंडार को पिछले साल से आर्डर दिया हुआ है लेकिन आज तक वहां कपड़ा पहुंचा नहीं है। सैकड़ों सी क्लास के कैदी नंगे थे। इस हालत में कि उनके बदन पर केवल एक फटा हुआ पाजामा था।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दवा की भी वही हालत है। वहां पर दवाओं के नम्बर मशहूर थे जैसे ९ नम्बर और ४ नम्बर से ही दवा आती थी। दवा में पहले से कोई फर्क नहीं आया है। वहां पर जो चबूतरा है वह खटमल और पिस्सुओं से भरा हुआ है। एक बार भी वहां पर डी० डी० टी० हो जाय तो कम से कम एक आध दिन तो आराम की नींद आ सकती है। हम लोगों के कहने के बावजूद २० दिन बाद कहीं जाकर डी० डी० टी० आई। सारी जेल खटमल और पिस्सुओं से भरी हुई है।

जहां तक खाने का सवाल है, मैं एक बात कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने स्वयं इस बजट के पेज १४ पर माना है कि प्रति वर्ष प्रति कैदी के भोजन का तखमीना १५५ रुपये के करीब खर्च होते हैं। अगर माननीय सदस्य हिसाब लगायें तो एक कैदी पर पौने सात आने प्रति दिन खर्चा आता है यानी करीब साढ़े तीन आने एक वक्त का खर्चा आता है। इससे आप स्वयं अन्दाजा लगा सकते हैं कि इस साढ़े तीन आने में कैदियों को क्या मिलता होगा। यह तो हमारे मन्त्री जी जान सकते हैं। वही पुराना खाना बगिया के अन्दर जो घास हो, वही है, उसमें तेल भले ही ज्यादा पड़ जाय। तो यह तो मैंने अपनी आंखों देखा हाल बतलाया, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, और बिलकुल ईमानदारी और सच्चाई के साथ मैंने सदन के सामने रखा है। अगर माननीय मन्त्री चाहें, तो वह स्वयं मालूम कर सकते हैं। मैंने जेल में भी यही लिखा था। वह जहां कहें, मैं एक जांच के द्वारा भी यह साबित करने के लिए तैयार हूं कि जेल की बैरिकों की क्या दशा है, सैनिटेशन की, सफाई की और खाने की क्या हालत है, और खाने की जो मात्रा है, या कम्बलों और कपड़ों का जो स्टाक है, उसको बढ़ाने की तो फौरन आवश्यकता है। इसमें किसी प्रकार की कोई देर नहीं होनी चाहिए और जहां तक सवाल है भीड़-भाड़ होने का, मैं माननीय शम्भूनाथ जी से पूर्णतया सहमत हूं कि अधिकतर दफा १०९ के कारण भीड़-भाड़ है। मैंने स्वयं देखा कि हलद्वानी जेल में ३१ आदमी ऐसे थे, जो १०९ में पकड़े गये थे और वहां मद्रासी एक सज्जन के बारे में बतलाया गया कि एक मिस्टर कुमार रेड्डी हैं, जिनको साढ़े चार महीने से पुलिस ने मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोडयूस नहीं किया, वैसे ही पड़े हुए हैं। अब मेरी मिसाल लीजिये। मुझे पुलिस ने मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोडयूस नहीं किया, लेकिन मेरा वारंट बना रखा है मैजिस्ट्रेट के यहां, यह बड़े आश्चर्य की बात है। जब हम लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि बिना जांच के हुए रिमांड ३ हफ्ते के लिए एक्सटेंड किया गया और जब यहां से या हाई कोर्ट से इन्क्वायरी आयी, तो हमारा मुकदमा हुआ। वह भी १४४ के तोड़ने के बाद रिमांड पुलिस बढ़ाती गयी और बिना प्रोडयूस किये ही हमारा वारंट बना दिया गया। तो जब हमारे साथ पुलिस ऐसा कर सकती है, तो उन बेचारे हवालातियों की कहां सुनवाई हो सकती है। बहुत से हवालाती हमें जेल के अन्दर मिले जिनके लिए कोई कहने सुनने वाला नहीं, इतना रुपया नहीं उनके पास कि हाई कोर्ट के अन्दर रिट मूव करवा सकें, या कांस्टिटयूशन के फंडामेंटल राइट को क्वेश्चन करा सकें।

जहां तक पुलिस के बजट का सम्बन्ध है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पुलिस के सम्बन्ध में कि पुलिस की रिआर्गनाइजेशन कमेटी की जो रिपोर्ट थी, जिस पर पिछले साल भी हमने प्रकाश डाला था और अगर माननीय मन्त्री जी उसके सुझावों पर ध्यान दें, जिन में पुलिस के सभी स्तरों की तनख्वाहों के बारे में, टीयर गैस स्क्वैड के अबालिशन के बारे में और पुलिस के जनरल सुधार के बारे में सुझाव है, पर अभी तक उनपर कोई विचार नहीं किया गया। अगर माननीय मन्त्री जी उस कमेटी के सुझावों पर दोबारा ध्यान दें, और उसके अनुसार कार्यवाही करें, तो जो रेगुलर श्रेणी की पुलिस के बारे में आज शिकायतें हैं और जो भ्रष्टाचार सम्बन्धी बातें हैं, जिनका अभी जिक्र किया गया, वह पूर्णतया दूर हो सकेंगी।

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मन्त्री जी को सुनने के बाद इस बात का कोई शुबहा बाकी नहीं रह जाता है कि हम अब किस प्रश्न पर विचार करें। माननीय गृह मन्त्री जी का कहना है कि यह सत्य है कि अभी हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन यह भी सत्य है और मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि यह सदन इस पर विचार करे कि गृह विभाग उत्तर प्रदेश का, प्रतिवर्ष आगे की तरफ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता ही चला जा रहा है।

जब मैं यह कहता हूं अध्यक्ष महोदय, तो इस बात की तरफ संकेत करना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि इस विभाग में पुलिस के तरीकों से नहीं बल्कि फौजी तरीकों से लगभग ८ घंटे तक मुकाबला करके दिन के अन्दर मशहूर चरना डाकू का सफाया किया था और उस पूरी घटना को यदि ध्यान से देखा जाय और उसके परिणाम या फल पर विचार किया जाय, तो मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस डाकू के मरने के बाद प्रांत की शान्ति व्यवस्था अच्छी हुई है। इसके अतिरिक्त जब मैं यह कहता हूं तो मेरे सामने यह भी घटना है कि हमारे जिले का वह मशहूर दस्यु जो कि दिनदहाड़े इन्सानों का, बालकों का और स्त्रियों का कत्ल किया करता था, धन लूटता था और इज्जत लिया करता था, उस मेंहदी डाकू का सफाया इसी वर्ष में हुआ। इसके अतिरिक्त कितने और दर्जनों डाकुओं के गिरोहों का सफाया हुआ। मुझे अपने जिले की बात याद है। जमुना पासी का गिरोह जिसके नाम को सुनकर के हमारे यहां के आदमी घबड़ा जाते थे, और परेशान होते थे, आज वह जेल के अन्दर बन्द है। इसी प्रकार से चारों तरफ मशहूर-मशहूर डाकुओं का सफाया किया गया और उनको बन्द किया गया। अध्यक्ष महोदय, समय की कमी के कारण मैं इसको विस्तारपूर्वक सदन में नहीं रख सकता। केवल एक बात मुझे और कहनी है, और वह यह है कि आज इस विभाग की कठिनाइयां भी हैं। ऐसी मनोवृत्तियां हैं जहां यह आरोप कभी-कभी सत्य हो सकता है कि गलत मुकद्दमे पुलिस बनाती है, वहां यह भी बात सत्य है कि आज समाज में ऐसे इन्सानों की तादाद कम नहीं, हैं जो कि पुलिस से गलत मुकदमे करवाने का प्रयत्न करते हैं। गलत रिपोर्ट लिखवाते हैं और लिखवाने की कोशिश करते हैं और जब ऐसी बातें पुलिस नहीं करती है तब फिर यह कहा जाता है कि रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। मेरा इशारा अध्यक्ष महोदय, किसी पार्टी की तरफ नहीं है। मैं समाज के व्यक्तियों की तरफ इशारा कर रहा हूं। छोटी-मोटी घटनायें किसी गांव में हुईं और कुछ लोग थानों की तरफ चल पड़े। वह उसको डकैती में लिखाने की कोशिश करते हैं। आज समाज की यह भी स्थिति है कि समाज चाहता तो है कि बदमाशों का सफाया हो जाय, बदमाश पकड़े जायं लेकिन बदमाशों को पकड़ने में मदद नहीं करता और पकड़ जाने पर गवाही नहीं देता। इन कठिनाइयों की तरफ भी इस विभाग की दृष्टि लगी हुई है और इसीलिये ग्राम रक्षा समितियों का संगठन हमारे माननीय गृह मन्त्री जी कर रहे हैं, उसका परिणाम इस प्रान्त में बड़ा सुन्दर हो रहा है। मेरे जिले में दो तीन ग्राम रक्षा समितियों ने वह काम किया है जिसका प्रभाव उन इलाकों में बहुत अच्छा पड़ा है। डाकुओं का पीछा लुआना भवानी-गंज की एक ग्राम रक्षा समिति ने किया। जिस समय कुछ लोग लूट करके चले जा रहे थे, उस समय ग्राम रक्षा समिति का एक सदस्य उनके पीछे हो लिया, और जहां पर सबेरा होता है, वहां वह गांव वालों को इकट्ठा करके उनको पकड़ता है। इसी प्रकार से सकलदहा की ग्राम रक्षा समिति ने भी बहुत अच्छा काम किया। अध्यक्ष महोदय, यद्यपि मेरे पास प्रमाणिक सबूत तो नहीं हैं, लेकिन अखबारों के द्वारा मैंने अलीगढ़ की एक ग्राम रक्षा समिति का जिक्र पढ़ा जिसमें वहां की ग्राम रक्षा समिति ने न केवल अपनी ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को इकट्ठा किया, बल्कि लड़ाई के तरीके से पड़ोस की ग्राम रक्षा समिति से सहायता मांगी और वहां के बन्दूक-धारी तथा लाठी वाले सदस्यों को लेकर, उन लोगों ने जम करके डाकुओं का मुकाबिला किया जिसमें कुछ डाकू मारे गये, कुछ पकड़े गये। इस तरह से ग्राम रक्षा समितियों के द्वारा यह विभाग रक्षा कार्य में जनता का सहयोग ले रहा है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, एक बात की आवश्यकता आज मैं महसूस कर रहा हूं और वह यह है कि मेरी समझ में एक बात नहीं आती,

कि आखिर डी० वाई० एस० पी० और सब-इन्स्पेक्टर के बीच में सर्किल इन्स्पेक्टर की क्या जरूरत है। मैं आपके द्वारा इतनी प्रार्थना माननीय गृह मन्त्री से करूंगा कि डी० एस० पी० और बढ़ा दिये जायं, और उनका हेडक्वार्टर तहसीलों के हेडक्वार्टर पर कर दिया जाय। ऐसा करने से पुलिस का संचालन ठीक से होगा। मैं आगे प्रार्थना करूंगा कि ग्राम रक्षा समितियों का और संगठन किया जाय, उनको बन्दूकें दी जायं, उन्हें नगारा दिया जाय और इस प्रकार से जुर्मों का मुकाबिला किया जाय। अन्त में एक चीज की आपके द्वारा और मैं माननीय गृह मन्त्री से मांग करूंगा और वह यह है कि यद्यपि जब से नयी कांग्रेसी सरकारें आयीं, यह देखने में आता है कि अस्पतालों की संख्या बढ़ी। स्कूलों की संख्या बढ़ी, मैजिस्ट्रेटों की संख्या बढ़ी, अदालतों की संख्या बढ़ी, लेकिन अगर कहीं बढ़ोत्तरी नहीं हुई है, तो वह थानों की तथा कांस्टेबिलों की संख्या में। मेरे जिले में हर मुहकमें में बढ़ोत्तरी हुई है, लेकिन थानों की बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। आज समाज की खराब स्थिति है, साम्प्रदायिक स्थिति आप जानते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बिगड़ती जा रही है, और हमारा प्रान्त नैपाल और तिब्बत की सरहद पर है, तो क्यों नहीं पुलिस का बजट बढ़ा कर हमारी सरकार सिपाहियों की संख्या बढ़ाती और उनको नये-नये शस्त्रों से सुसज्जित करती? पुलिस का बजट न बढ़ाना कौम को खतरे में डालना है।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि मेरे नाम के यहां दो सदस्य हैं। मेरे नाम में आगे शर्मा है वह लगा दिया जाया करे, क्योंकि पिछले साल इसी पुलिस के बजट पर मैं बोला था, वह हमारे दूसरे भाई जो जालौन के हैं, उनके नाम से कार्यवाही में छप गया और वह अब भी वैसा ही मौजूद है।

अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी पुलिस बहुत उन्नति कर रही है बहुत अच्छे-अच्छे बहादुरी के काम कर रही है। जैसा कि मेरे अन्य साथियों ने भी बताया कि डाकुओं का सफाया किया, डाकेजनी को रोका, किन्तु इन सब बातों के साथ-साथ जो खामी है, और विभाग में जो कमजोरी है, उसको भी साल भर के बाद बजट के ऊपर ऐसा मौका हमारे सामने आता है कि हम अपने सुझावों को रखें, ताकि उनमें भी सुधार हो सकें।

मैं अपने जिले बहराइच की ही स्थिति बताना चाहता हूं। हमारे यहां जो पुलिस का आतंक है, और जो घोर अत्याचार पुलिस के हो रहे हैं, उनके सम्बन्ध में, चारों तरफ से जनता की शिकायतें आती रही हैं और आ रही हैं। जिले की मौजूदा पुलिस के सम्बन्ध में जब हर प्रकार की कोशिश की गयी, पुलिस के उच्चाधिकारियों से मिला गया और चाहा गया कि किसी तरह से आतंक शांत हो, परन्तु जब वे प्रयत्न असफल रहे तो एक प्रस्ताव जिला कांग्रेस कमेटी ने पास किया कि जिले की पुलिस का जो आतंक है उसके बारे में जिला कांग्रेस कमेटी क्षोभ प्रकट करती है और सरकार से प्रार्थना करती है कि वह इसकी जांच कराये। परन्तु वैभागिक नीति जो है वह समझ में नहीं आती। आज दो ढाई महीने हो गये परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। जहां-जहां के उदाहरण हैं सब लिख कर दिये गये। माननीय मुख्य मन्त्री जब पधारे तो उनके सामने भी वह चीज लायी गयी। जब इतना भ्रष्टाचार है, आतंक है, अत्याचार है, उस वक्त हमारी रिपोर्ट में कहा जाता है कि जनता और पुलिस के बीच जो खाई है, उसको पाटने का प्रयत्न किया जा रहा है, यह मेरी समझ में नहीं आता कि यह किस प्रकार होगा। एस० पी० मौके पर जाते हैं, तमाम मामलात उनके सामने रक्खे जाते हैं परन्तु वह कोई कार्यवाही नहीं करते और उल्टे ही डांट देते हैं। ऐसे उदाहरण हैं जो कि मेरे पास मौजूद हैं। अगर कभी दिखाने की जरूरत पड़ी, तो मैं पेश करूंगा। जिले में तीन तहसीलें हैं। तीनों के अन्दर एक-एक जिन्दा उदाहरण मैं देने के लिए तैयार हूं। अगर कभी मौका पड़ा तो मैं जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से बताऊंगा। मैं यह कह देना चाहता हूं कि इस प्रकार के आतंक के सम्बन्ध में यदि हमारे सामने कोई बात आती है, और हम उसको एक प्रस्ताव के रूप

[श्री बसन्त लाल शर्मा]

में या किसी भी रूप में सरकार के पास पहुंचाते हैं, तो सरकार के लिए उसके ऊपर शीघ्रतम ध्यान देना अनिवार्य हो जाता है। यदि उस पर ध्यान नहीं दिया जाता तो जिस लक्ष्य को हम चाहते हैं, वह पूरा नहीं हो सकता।

मैंने पिछले साल भी एक बात कही थी। एफ० आई० आर० को लिखाने में जनता के सामने एक दिक्कत है, सही रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। इसमें कोई संशय नहीं कि जनता में भी लोग इस बात की पूर्ण रूपेण जिम्मेदारी नहीं समझते कि हम सही रिपोर्ट ही लिखायें। किन्तु विभाग को तो सत्य बात लिख ही लेना चाहिए। पर ऐसा नहीं किया जाता।

इसको ठीक करने के लिये हमें और हमारी सरकार को किसी तरीके से कोई न कोई उपाय निकालना है। अतिरिक्त इसके पहले भी जो चीज प्रसिद्ध थी कि लिखाने जायंगे तो कुछ न कुछ देना होगा, आज भी वही चीज है, किसी से छिपी नहीं है। देहात में आज भी आम तौर से यही मशहूर है कि लिखाई के लिये कुछ न कुछ देना ही होगा।

मैंने पिछले वर्ष भी यह कहा था कि सीनियरिटी और जूनियरिटी को खत्म करके उनकी रेपुटेशन का ख्याल किया जाय और इस संबंध में एक कमेटी भी बनी थी। अखबारों में भी देखा कि उसने कुछ सुझाव गवर्नमेंट को दिये हैं लेकिन उन पर अब तक अमल होते हुये दिखाई नहीं दिया। नतीजा यह होता है कि एक कांस्टेबिल या सब-इंस्पेक्टर कुछ दिन तो ईमानदारी से काम करता है लेकिन जब उसको तरक्की नहीं मिलती जूनियर होने की वजह से, तो वह भी उसी रंग में रंग जाता है और हताश हो कर उसी रास्ते को अपना लेता है जिसे हम और आप पसन्द नहीं करते।

मैं पिछले साल पुलिस स्टैंडिंग कमेटी का मेम्बर था। उस मीटिंग में हमारे इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस ने यह फरमाया था कि वह जिले में एक ऐसी कमेटी बना देना चाहते हैं कि जिसमें वे लोग सदस्य होंगे जो जिले के कोने-कोने से वाकिफ हों और जिनका जनता से अच्छा संबंध हो और उसकी बैठक हर महीने हुआ करेगी और वह पुलिस को सुझाव दिया करेगी कि फलां थाने की यह हालत है और यह यह सुधार फलां थाने में किया जाय, उससे वास्तविक स्थिति का ज्ञान होगा और सुधार भी होगा। सब-इन्सपेक्टर जो वहाँ काम करता है उसकी रेपुटेशन का भी पता चलता रहेगा। लेकिन आज साल भर हो गया, ऐसी कोई चीज मुझे अपने जिले में देखने में नहीं आई। हो सकता है कि दूसरे जिलों में ऐसा हुआ हो लेकिन दुर्भाग्य से मेरे जिले में यह चीज नहीं हुई। एक तो मैं यह सुझाव देना चाहता हूं जैसा कि मेरे माननीय साथी राम नरेश जी शुक्ल ने कहा कि सर्किल इन्सपेक्टर्स की कोई जरूरत नहीं है। वे बिल्कुल लेटर बाक्सेज हैं, वे शिकायतों की जांच करते हैं और अगर कोई शिकायत होती है तो मिलजुल कर उसे खत्म कर दिया जाता है और इससे भ्रष्टाचार अधिक बढ़ता है। मेरे ख्याल से सर्किल इन्पेक्टर की जरूरत नहीं है। सरकार इस पर विचार करे और इसको खत्म कर दे। डी० एस० पी० की पोस्ट्स बढ़ा दी जायं तो बहुत अच्छा होगा।

मेरा निवेदन है कि मेरे जिले में जो शिकायत चल रही है उसके संबंध में माननीय गृह मंत्री जी इनक्वायरी करायेंगे। उसमें एस० पी० के खिलाफ भी शिकायत है। अक्सर ऐसे मामले में ट्रांस्फर कर दिया जाता है, उससे कोई फायदा नहीं होता। दूसरे जिले में जाकर भी वह वैसा ही करते हैं। हमारे यहाँ जो चीज चल रही है उसकी जाँच किसी प्राविंशियल उच्चाधिकारी द्वारा की जायगी और अगर चीज ठीक पाई जाय तो मुनासिब कार्यवाही की जायगी।

*श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान के समर्थन के हेतु खड़ा हुआ हूं। हमारा सूबा जैसा कि हमारे एक मित्र ने बतलाया नैपाल तराई और तिब्बत की सरहद पर बसा हुआ है। आज हमारे देश के चारों तरफ बवंडर खड़े हो रहे हैं और हम अहसास करते हैं कि हमारी पुलिस का जो बजट है उसमें कम पैसा रक्खा गया है और उसमें ज्यादा पैसे की जरूरत है। आज थानों पर केवल १२, १३ सिपाही रक्खे जाते हैं, उनके रहने का कोई भी उचित प्रबन्ध नहीं होता। रात को जो कांस्टेबिल पहरे पर निकलता है उसके पास सिर्फ एक डंडा होता है, कोई बन्दूक नहीं होती, मैं समझता हूं कि उस कांस्टेबिल को बंदूक दी जाय और बजाय एस० पी० को घोड़ा देने के कांस्टेबिल को घोड़ा दिया जाय, एस० पी० के पास तो कार होती है। तो दूसरी बात यह है कि उनकी तनख्वाह बहुत कम है। ज्यादा से ज्यादा उनको कुल भत्ता वगैरा मिलाकर ५० रुपया मिलता है। अगर वह २५ रुपया अपने घर वालों के लिये भेजते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या दशा होगी। इस वजह से उनके लिये चोरी करना अनिवार्य हो जाता है और लोगों को गलत मुकदमे में फांस दिया जाता है। १०९ के मुकदमे का जिकर किया गया है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस १०९ की दफा को निकाल दिया जाय क्योंकि इसमें नाहक बहुत से लोगों को मजबूरन फांस दिया जाता है। मैंने पुलिस के अधिकारियों से पूछा है उन्होंने कहा कि इसमें गलत लोगों को फांसना पड़ता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह इस १०९ की दफा को निकाल दे तो यह अति उत्तम होगा।

दूसरी बात मैं जेल के विषय में कहना चाहता हूं। जेल की दशा हमारे मित्र नारायण दत्त जी ने बयान की कि सन् ४२ से लेकर आज तक वही दशा है। अगर ऐसी बात है तो हमारे लिये यह बड़े दुख की बात है। हम लोग जितने यहाँ पर हैं सब जेल होकर आये हैं। अगर वही दशा अब भी है, वही नाली बहती है, उसी तरह से मच्छर रहते हैं, पाखाने की भी वही हालत है तो यह हमारे लिये खुशी की बात नहीं है। हो सकता है कि कभी जमाना पलटा खाय और हम लोगों को भी जेल जाना पड़े। तो उसका सुधार होने पर हम लोगों को आराम मिल सकता है। इस पर बहुत से लोग हंस रहे हैं लेकिन यह बात मैंने अपने दिल से कही है, किसी तरह से बनावट की बात नहीं कही है। समय आ सकता है कि जब हम लोगों को भी सत्याग्रह करना पड़े। इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जेल की दशा का सुधार किया जाय।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजन भाई जो पुलिस में रखे गये हैं किसी न किसी तरह से उनको फांसकर वहाँ से अलग कर दिया जाता है और बहुत से लोगों को मजबूर होकर इस्तीफा देना पड़ता है। मैंने इस संबंध में पुलिस मंत्री से भी निवेदन किया था। उनका मत भी यही है कि जो कमजोर होता है उसके ऊपर दो मन मिट्टी और रख दी जाती है। मैं उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि हमारे भाइयों को जिनको पुलिस से निकाला जाता है उनके ऊपर विचार किया जाय और उनको उत्साह दिया जाय क्योंकि अगर उनको पुलिस से निकाला जाता है तो वे न घर के काम के रहते हैं और न उनको सरकारी नौकरी में ही रखा जाता है। "धोबी का कुत्ता घर का न घाट का" वाली उनकी हालत हो जाती है। अगर सरकार उनको नौकरियों में रखना चाहती है तो उनके लिये रियायत करना जरूरी है क्योंकि वे लोग इतने पढ़े-लिखे और वैल डिसिप्लिन्ड नहीं हैं कि बहुत लोगों का मुकाबला कर सकें। इसलिये मैं अपने पुलिस मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इस ओर ध्यान देने की कृपा करें।

दूसरी बात मैं थानों में रिपोर्ट लिखाने की बाबत कहना चाहता हूं। आज भी उसकी हालत ज्यों की त्यों है। हम यह मानने के लिये तैयार नहीं हैं कि जो लोग कहते हैं कि हालत ठीक हो गयी है। आज भी वही हालत है। मैं समझता हूं कि आज पुलिस का राज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवनारायण]

ज्यों का त्यों बना हुआ है और आतंक बढ़ता जाता है। दिन दहाड़े चोरियाँ हो रही हैं। मैं आपसे सही बात कहना चाहता हूं कि आज पुलिस फोर्स की कमी नहीं है, सुधार की कमी है। उसका सुधार तभी हो सकता है जब हमारे नौजवान भाई उनके अन्दर जायं और पुराने आदमियों को वहाँ से अलग किया जाय। मेरे जिले में एक मुंशी सिंह एस० पी० थे, वह मई के महीने में मेरे साथ एक गाँव में गये थे जहाँ पर आग लगी हुई थी। हम तो यह समझते हैं कि इसके अन्दर नवयुवक आयें और वह अपने विचारों से इसको बदलने का प्रयत्न करें। हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि उन लोगों को अवसर दिया जाय और उनको ट्रेनिंग दी जाय। अगर पी० आर० डी० वालों को पुलिस के कम्पीटिशन में रख दिया जाय तो गाँवों का कुछ सुधार हो सकता है। गाँव के हर आदमी को रक्षा दल का मेम्बर बनाया जाय और उसको ट्रेन्ड किया जाय और उनको बन्दूक और भाले चलाना सिखाया जाय तो इससे बहुत फायदा होगा। हिटलर ने जर्मनी में ऐसा ही किया था।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय यह बजट पेश हुआ उस समय वित्त मंत्री महोदय ने यह कहा था कि बजट एक आइने के रूप में है। बहुत दिन तक मैं तलाश में रहा कि आइना तलाश करूं। बहुत से आइने मैंने देखे और इत्तिफाक से एक आइना मुझे एक सिनेमा हाउस के सामने ऐसा दिखाई दिया जिसके सामने खड़ा होने पर सही शरीर दिखाई देने के बजाय शरीर छोटा मोटा और टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दिया। तो मैंने सोचा कि यह आइना ठीक है या नहीं। मेरे एक मित्र ने बतलाया कि यह वह आइना है जिससे सोशलिस्ट पार्टी के लोग देखा करते हैं। मैंने उनसे कहा कि आखिर सही आइना कहाँ मिलेगा। उन्होंने बताया कि आप चले जाइये एक बाल काटने वाले नाई की दूकान पर, जो बाल काटने पर सर का पीछे का हिस्सा भी दूसरे आइने से दिखाता है कि पीछे का बाल भी ठीक कटा है या नहीं। जब मैं इस दृष्टि से पुलिस बजट को देखता हूं तो इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि पुलिस विभाग के सामने और पीछे अगर दोनों तरफ आइना लगा कर देखा जाय तो ऐसा मालूम होगा कि सर के ऊपर के बाल तो ठीक कटे हैं लेकिन नीचे वाले खराब हैं। कहने का मतलब यह है कि ऊपर के अधिकारियों में पुलिस में अवश्य सुधार है। उनमें सज्जनता और कार्य करने की एक निराली शैली आ गई है लेकिन नीचे के लोगों में वहीं धाँधले बाजी है जैसा कि अंग्रेजी जमाने में थी। इसका अनुभव हमारे गाँवों की जनता को अच्छी तरह से हो रहा है। उनसे आप पूछिये तो वे यही कहेंगे कि ठीक रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। मुझे भी अदालतों में काम करने का और छोटे से बड़े मुकदमे करने का अवसर मिला है। मैंने यह अनुभव किया है कि मुकद्दमों की तफशीश में जितनी ईमानदारी होनी चाहिये उतनी नहीं है। इसके लिये हमें दुख होता है। रिपोर्ट ठीक लिखने का कुछ प्रबन्ध अवश्य होना चाहिये।

आज मेरे जिले में एक पुलिस वाले के खिलाफ रिश्वतखोरी के सिलसिले में जबरदस्त मुकद्दमा चल रहा है। रिश्वतखोरी का नंगा नाच मेरे जिले में ही क्या हर जिले में उसी तरह से है जैसा पहले अंग्रेजी जमाने में था। थानेदार लोग जज बनकर दीवानी के या माल के फैसले करना चाहते हैं। अगर किसी की फसल काटी जा रही है और वह जाकर रिपोर्ट करता है और कहता है कि ५० आदमी बन्दूक और भाले लिये तैयार हैं तो एक सिपाही को भेज कर उसे बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि तुम्हारे कागजात क्या हैं और दरोगा जी फैसला करने लगते हैं कि किसका हक है। तब तक वहाँ सारी फसल कट कर घरों में पहुंच जाती है। पुलिस वाले ऐसा फैसला करने के लिये नहीं हैं। अगर झगड़े का अन्देशा है तो १५१ की कार्यवाही करनी चाहिये और अगर वह झूठी रिपोर्ट करता है तो १८२ का मुकदमा उस पर चलाना चाहिये। लेकिन ऐसा न करके हमेशा यह बताया जाता है कि १००,२०० रुपये मिलें तो मामला ठीक हो। जहाँ तक पुलिस वालों ने डाकुओं को मारा उनकी सराहना हो लेकिन यह कहें कि उन्होंने बड़ा भारी काम किया तो मैं तो उसे इस रूप में देखता हूं कि अगर

उन्होंने ऐसा किया तो केवल अपना कर्त्तव्य पालन ही किया जिसके लिये कि उनको नियुक्त किया गया है। क्या घोड़े देकर आप यह समझ सकते हैं कि एस० पी० जिलों में कुछ ज्यादा काम कर सकते हैं? कदापि नहीं कर सकते। वह दौरे पर जाते हैं, कहा जाता है कि जनता से ज्यादा संपर्क रक्खा जाना चाहिये लेकिन जहाँ वे जाते हैं उनसे दो मील के फासले पर जनता खड़ी रहती है। जनता को उनसे मिलने का मौका तक नहीं मिलता। एस० पी० साहब गाँव में जाकर स्वयं किसी मामले की जाँच नहीं करते। कत्ल हो जाता है, एस० पी० साहब पहुंचते हैं, कुछ इधर उधर देखभाल कर चले जाते हैं। दरोगा जी रुक गये, १० इधर के पकड़े, १० उधर के पकड़े, १०० की बात इधर हुई, हजार की उधर से हुई और चले आये। यह सब हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन यह है कि यह इसी प्रकार से चलने वाला नहीं है। अगर हमें सरकार चलाना है तो इस तरह से काम नहीं चल सकता। हमारे सामने शुद्ध आईना होना चाहिये जिसमें सही शक्ल हमारी दिखाई पड़े। अगर गलत सलत आइना रख कर हम चलेंगे तो हमें दुगुनी और तिगुनी शक्ल ही दिखेगी। इस प्रकार से हम अगर चलेंगे तो अंधेरे में जायेंगे और गड्ढे में गिरेंगे और अपने साथ-साथ जनता तथा प्रदेश को भी गड्ढे में ले जायेंगे।

*श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)--अध्यक्ष महोदय, जो कुछ मैं इस पुलिस विभाग के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता था या आपके द्वारा माननीय मंत्री जी के सम्मुख रखना चाहता था वह बार मेरा बहुत कुछ हलका हो चुका है उन भाषणों से जो मैंने अपने से पहले उस ओर के सुने। श्रीमन्, हमेशा कुछ ऐसे आरोपों का संकेत रहता है कि विरोधी दल की ओर से पुलिस विभाग की आलोचना होती ही रहती है और वे केवल एक बिगड़ी हुईतस्वीर ही देखा करते हैं या पुलिस के कारनामों को न देख कर उनकी आलोचना ही किया करते हैं। यहाँ कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात की भी कोशिश की कि वे अपने भाषण में पुलिस के कारनामों को रक्खें और कुछ लोगों ने उनकी आलोचना भी की। श्रीमन्, यह कौन नहीं जानता और कौन नहीं मानता कि पुलिस ने बड़ी सतर्कता और मेहनत के साथ कई डाकुओं के गिरोहों को पकड़ा? लेकिन उसके साथ ही साथ यह भी है पुलिस के जो छोटे कर्मचारी हैं वे बिल्कुल नहीं बदले हैं। जहाँ यह सच्चाई है कि पुलिस ने बहुत से डाकुओं के दलों को लिक्विडेट किया वहाँ यह भी सच है कि थानों में अभी तक रिपोर्ट लिखने के पैसे माँगे जाते हैं। क्या यह सच नहीं है कि पुलिस के छोटे-छोटे कर्मचारी घूसखोरी करते हैं? क्या यह सच नहीं है कि पुलिस के छोटे छोटे कर्मचारी गरीब और अपढ़ जनता पर अत्याचार करते हैं? तो चाहे इसका मतलब चाहे सरकार या सरकारी दल के लोग यह लें कि कुछ लोग केवल आलोचना ही करते हैं या कुछ और। इस समय जब कि मैं यहां पर एक रुपये की कटौती के प्रस्ताव पर बोल रहा हूं लेकिन स्थिति यह है कि इसके बजट में १ या २ करोड़ रुपया और बढ़ाया जाना चाहिये क्योंकि जब तक कि इन छोटे छोटे कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ नहीं जायेंगी तब तक श्रीमन् हमें यह हिम्मत नहीं पड़ती है कि माननीय मंत्री जी के पास जाकर वह कहें जो कुछ यहां हो रहा है, या एस० पी० से कहें। मुझे अपना अनुभव है कि बड़े बड़े कर्मचारी तक यह कहते हैं कि हमारी हिम्मत नहीं पड़ती कि हरएक रिश्वत के मामले में दखल दें और उन लोगों को हटायें। इसलिये इसके पहले कि हम अपने सूबे की पुलिस के विरुद्ध कुछ कहें, प्रांत की पुलिस के छोटे कर्मचारियों की तनख्वाहें अच्छी होनी चाहिये। जहां तक श्रीमन् क्राइम्स का सवाल है, माननीय मंत्री जी ने कहा कि तस्वीर को बढ़ा चढ़ा कर नहीं देखना चाहिये और उनका यह ख्याल है कि क्राइम्स कम हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि वे माननीय सदस्य जो कि देहातों में रहते हैं और यहां पर क्राइम्स की बनिस्बत कुछ आलोचनायें करते हैं वे कौन सी तस्वीर देखते हैं और माननीय मंत्री जी कौन सी तस्वीर देखते हैं। माननीय मंत्री जी तो वह तस्वीर देखते हैं जो नीचे से रंगा जाकर उन्हीं के विभाग द्वारा उनके पास भेजा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

जाता है। तो श्रीमन् मैं यह नहीं कह सकता हूं कि माननीय मंत्री जी के हर देखने में सच्चाई नहीं मालूम होती लेकिन यह तो अवश्य ही कहूंगा कि माननीय मंत्री जी यदि समझते हैं कि सेक्योरिटी आफ लाइफ ऐंड प्रापरटी देहातों में बढ़ गयी है तो मैं माननीय मंत्री जी को यह बतलाना चाहता हूं कि यह जो इनफारमेशन उनके पास है वह सच नहीं है या जो तस्वीर वे देखते हैं वह ठीक नहीं है। अभी इलाहाबाद के एक हमारे माननीय मित्र ने कहा कि देश की स्थिति आज ऐसी हो गयी है कि पुलिस के कर्मचारी अपने को इस देश का सेवक समझते हैं और इस देश की जनता पुलिस को अपना रक्षक समझती है। मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा ऐसा अनुभव नहीं है और जिस समय माननीय सदस्य ऐसा कह रहे थे मेरे दाहिने और बायें बेंचों पर बैठे हुये माननीय सदस्य सरकास्टिक हंसी हंस रहे थे। उससे पता चला कि बहुत से माननीय सदस्य इस बात को नहीं मानते कि पुलिस के कर्मचारी, कम से कम छोटे कर्मचारी अपने को जनता का सेवक समझते हैं और यहां की गरीब जनता पुलिस को अपना संरक्षक समझती है। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि बड़े कर्मचारियों में बहुत बड़ा अन्तर आ गया है, मैं यह कहने को तो तैयार हूं श्रीमन् कि पुलिस के बड़े कर्मचारी अपने को देश का सेवक समझते हैं और वे कोशिश करते हैं कि जनता की तकलीफों को दूर कर सकें परन्तु मुझे मालूम नहीं कि क्या बात है कि जहां कोई शिकायत की बात होती है वहां पर वे उतनी दिलचस्पी नहीं लेते या इतनी जल्दी काम नहीं करते जिससे जनता की शिकायत दूर हो सके। अगर जनता को कोई शिकायत हो तो कम से कम उसकी जांच तो अवश्य ही होनी चाहिये। जैसा कि कहा गया है मैं उसका समर्थन करता हूं कि अगर पुलिस सुपरिंटेंडेंट या डी० वाई० एस० पी० के देखने में कोई शिकायत पुलिस की आती है तो सजा उसकी क्या होती है कि उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। श्रीमन्, बड़ा मुश्किल हो जाता है जनता का यह साबित करना कि यहां पर इस पुलिस अफसर ने घूस लिया या यह अत्याचार किया। जनता आतंकित रहती है जिससे उसे कोई सबूत नहीं मिलता। मैं तो यही कह सकता हूं कि सरकार पहले उनकी तनख्वाह बढ़ावे और फिर जैसा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था "It is not enough to be honest, one must be known to be honest" तभी पुलिस में सुधार होगा। जब तक हमारे पुलिस के बड़े कर्मचारी या सरकार या माननीय मंत्री जी के मन में यह बात रहती है कि उनकी तनख्वाह इतनी कम है और की जा रही है तब तक श्रीमन् हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार रुक नहीं सकता है। अभी कहा गया कि सुपरिंटेंडेंट पुलिस के लिये घोड़े का इन्तजाम किया जा रहा है। ठीक है श्रीमन्, लेकिन घोड़े तो काम में आते हैं दौरे पर। सीतापुर, मुरादाबाद या शाहजहांपुर के बीच में घोड़े काम नहीं दे सकते। आजकल उनके पास इतना काम है कि उनको दौरा करने की भी फुरसत नहीं मिलती। किसी माननीय सदस्य ने कहा कि उनको साल में तीन महीने तक दौरा करना चाहिये। मैं कहता हूं कि अगर दो महीने या डेढ़ महीने ही साल में दौरे पर जाया करें और जनता से जाकर पूछ लिया करें कि बताओ तुम्हें क्या क्या तकलीफें हैं तो मैं समझता हूं कि उससे बहुत काम निकल सकता है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह कह सकता हूं कि पुलिस को जैसी कार्यवाही करनी चाहिये उसमें सरकार बड़ी ढिलाई करती है। माननीय पुलिस मंत्री जी ने कहा कि कुछ लोग पुलिस डिसिप्लीन बिगाड़ कर कुछ पुलिस कर्मचारियों की जिन्दगी बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। मैं पूछता हूं कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ क्या ऐक्शन लिया गया? सरकार सोचती ही रह जाती है और तब तक डैमेज हो जाता है। ६,७,८ महीने तक सरकार सोचती रह जाती है और उस पर कोई कार्यवाही हो तब तक बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। श्रीमन्, अब अधिक टाइम नहीं है जिससे मैं अधिक कुछ नहीं कह सकता और इतने समय में जहां मुझे माननीय मंत्री जी की तारीफ भी करनी चाहिये थी वहां उनकी तारीफ न करके केवल आलोचना ही करनी पड़ी।

(इस समय १ बजकर २७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन दोनों ही अनुदानों का समर्थन करता हूं, साथ ही मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं ।

डिस्ट्रिक्ट कानपुर में जेल है उसकी कैपेसिटी लगभग पांच सौ आदमियों की है और उसमें ११ सौ और १२ सौ आदमी रखे जाते हैं । औरतों की बैरेक में केवल १० औरतों की जगह है लेकिन उसमें ४० और ४५ तक औरतें रखी गई हैं । इस सम्बन्ध में मैंने अधिकारियों का ध्यान भी आकर्षित किया था लेकिन उसका फल कुछ नहीं मिला । पहले कानपुर की आबादी ३ लाख की थी और आज १० लाख के करीब शहर की आबादी है और जिले की मिलाकर २४ या २५ लाख आबादी है । उन्नाव डिस्ट्रिक्ट जेल में अन्डर ट्रायल्स रखे जाते हैं और मोटर से उन्हें रोज कानपुर लाया जाता है । इसमें खर्चा ज्यादा होता है, इसलिये मेरा सुझाव यह है कि कानपुर में एक सेंट्रल जेल बना दिया जाय । इसी सदन के एक सदस्य श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव थे उनके जमाने में तो सेंट्रल जेल की व्यवस्था कानपुर के लिये थी लेकिन न मालूम किन कारणों से उसको खत्म कर दिया गया । इसके बाद दूसरा सुझाव है कि कानपुर जेल को एक लाक अप कर दिया जाय और जितने भी कैदी हों उनको उन्नाव में रखा जाय, साथ ही कानपुर के जेलर को और सुपरिन्टेंडेंट, को हटा कर वहां का खर्चा कम किया जाय ।

पुलिस के संबंध में जो मुझे कहना है वह यह है कि गोबिन्दनगर में एक पुलिस चौकी है और जो पारसाल दो या डेढ़ लाख रुपये की लागत से बनाई गई, वह शहर से लगभग ६ मील की दूरी पर है लेकिन उसमें टेलीफोन की व्यवस्था नहीं है । मैंने इस अनुदान में देखा है कि कई जगहों पर डी० एस० पी० के बंगलों पर टेलीफोन की व्यवस्था की गई है लेकिन वहां पर टेलीफोन की व्यवस्था न होना बहुत बड़ी कमी है । गत वर्ष भी इस अनुदान का समर्थन करते हुये मैंने कहा था लेकिन उसपर ध्यान नहीं दिया गया ।

आदर्श थानों के बारे में भी गतवर्ष मैंने पुलिस मंत्री का ध्यान आकर्षित किया था । उनमें से एक कल्याणपुर थाने में इस समय केवल १३ कांस्टेबिल रहते हैं । इसका एरिया बहुत बड़ा है और उसकी आबादी मेरा ख्याल है १०, १२ हजार के करीब होगी । उसके १ फर्लांग के अन्दर ही जरायम पेशा वालों की आबादी है जो कल्याणपुर सेटिलमेंट कहलाती है । इसलिये वहां पर कम से कम तीन चौकियां, एक मधना और एक रावतपुर में और होनी चाहिये और उसमें १–६ की व्यवस्था होनी चाहिये । इससे वहां जो थाने के अन्तर्गत जरायम होते हैं उनमें कमी हो सकेगी और व्यवस्था भी ठीक हो सकेगी ।

मुझे यह भी मालूम हुआ कि कुछ थाने वहां पर हैं, जो बहुत ही छोटे हैं उनकी इमारतों की हालत ऐसी है कि वर्षों से सफाई और पोताई नहीं हो सकी है । इस संबंध में मुझे यह भी कहना है कि जो कांस्टेबिल काम करते हैं, जैसा मेरे एक भाई ने कहा था कि उनको बाहर जाने के लिये भत्ता बहुत कम मिलता है और जो लोग पैदल जाते हैं विशेषकर रात में उनके साथ कोई रोशनी का भी प्रबन्ध नहीं रहता है

इसलिये मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय मंत्री जी इन सब बातों की ओर ध्यान दें और जो सजेशन्स मैंने दिये हैं उनपर भी ध्यान देने की कृपा करें ।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मुझे बोलने के लिये टाइम आपने दिया है उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं । यों तो सभी सदस्य इस सदन के मानते हैं कि यह बजट बहुत ही अहम है और इसी पर देश की उन्नति बहुत कुछ निर्भर है और जनता की सेवा इसके जरिये से राज्य बहुत कुछ कर सकता है । इन सब बातों को ख्याल में रखते हुये जब मैं पुलिस विभाग की ओर निगाह डालता हूं तो यही पता चलता है कि अंग्रेजी जमाने की पुलिस से भी आजकल हालत खराब है । दो साल पहले जब मैं वर्कर था और मैं फटी

[श्री रामेश्वर प्रसाद]

चप्पल पहनकर यहां आया करता था उस समय श्री लालबहादुर शास्त्री मिनिस्टर थे, मैं उनकी कार रोककर उनके पास शिकायत करता था, सुनवाई होती थी लेकिन उसके बाद मैंने यह पाया कि जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है यह बोस्ट किया तो जाता है कि जुर्म बहुत कम हो रहे हैं लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि वह दिन शास्त्री जी के समय के जो हैं वह हमें एक नजीर की तरह से याद करने पड़ते हैं। इस समय तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय के बाद ऐसा होने वाला है, अगर यही रवैया रहा, तो इस प्रदेश में पुलिस राज कायम हो जायगा। हम डर कर के भले ही न कहें, हमें फीगर्स का जादू दिखाया जाय, मगर यह सब बातें हैं और मैं अपने माननीय मन्त्री जी की बुजुर्गी का ख्याल करता हूं। सुना है वह योग्य हैं मगर जब हम इस विभाग की आलोचना करने बैठे हैं तो हम देखते हैं कि आज गरीब की कोई सुनवाई नहीं है और उस गरीब को एक सब-इंसपेक्टर नाजायज तरीके से तंग करता है और कांस्टेबिल भी तंग करता है, अगर वह उसके खिलाफ दरख्वास्त देता है, आई० जी० साहब से कहता है, पुलिस मन्त्री जी से कहता है मगर फिर भी उसके लिये वही रुटीन बना हुआ है कि वह जांच उसी सरकिल इन्सपेक्टर या दारोगा के पास भेज दी जाती है। इस तरह से उसे न्याय नहीं मिलता है। मैं यह भी कहने के लिये तैयार हूं कि यह एक थाने बछरावां का बंडल बन गया है शिकायत करते करते, मगर अफसोस है कि कोई कार्यवाही नहीं हुई। आई० जी० साहब से बहुत कहा तो उन्होंने दिसम्बर में सी० आई० डी० मुकर्रर की। मगर उसका नतीजा यह हुआ कि उस आफिसर का ट्रांसफर कर दिया जायगा, यह जवाब आई० जी० ने दिया। आपके यहां यह पनिशमेंट है।

मेरे पास एक थाने की शिकायतों के बारे में अखबार की कटिंग्ज हैं जिसे मैं इस माननीय सदन के माननीय सदस्यों के सामने पेश करना चाहता हूं। इसमें सोशलिस्टों का भी दृष्टिकोण है, कम्युनिस्टों का भी दृष्टिकोण है और एक कांग्रेसी एम० एल० ए० होने के नाते मेरा भी दृष्टिकोण है। वहां की पुलिस की शिकायत के बारे में इस प्रकार की बातें हैं, सभी शिकायत कर रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं ढूंढ कर दिखला सकता हूं। मेरे पास इस कागज पर लगभग सौ डेढ़ सौ सदस्यों ने हस्ताक्षर किये थे। उनको इस पुलिस विभाग से तकलीफ है, उसके प्रबन्ध पर शिकायत है। जिस प्रकार से वह पुलिस विभाग की व्यवस्था चाहते हैं वह नहीं हो पा रही है। अगर हमें दबाकर कह दिया जाय तो हम नहीं कहेंगे मगर क्या इससे जनता रुक सकती है? रिवोल्ट हो जायगा। लेकिन अगर माननीय मंत्री जी अपनी योग्यता की छाप लगाने के लिये तैयार हों तो मैं समझता हूं कि उनमें ऐसी योग्यता हो सकती है कि वह इस पर काबू पा जायं। वरना अगर इसी प्रकार स्थिति रही तो जिलों में एस० पी० जी० अपना राज्य कायम करेंगे और पुलिस अफसरों का राज्य कायम हो जायगा। आज मैं देखता हूं कि चोरियां होती हैं, डकैतियां होती हैं, सब जुर्म होते हैं और अभी माननीय मंत्री जी कुछ हद तक मान चुके हैं और मानते हैं कि जुर्म छिपाये जाते हैं, मैं कहता हूं कि बहुत कुछ छिपाये जाते हैं। जो फीगर्स यहां हम लोगों के सामने दी जाती हैं, वह बहुत कुछ झूठ हैं। अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि ४७ गांव ऐसे हैं जहां विलेज डिफेंस सोसाइटीज नहीं बनी हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी मेरे जिले में कार लेकर चलें तो मैं दिखला सकता हूं कि यह फर्जी फीगर्स हैं। मुझे खुद पर्सनली ५० गांवों का अनुभव है जिनमें विलेज डिफेंस सोसाइटीज नहीं बनी हैं। हमारे माननीय मंत्री जी एक योग्य व्यक्ति हैं और साहित्यिक हैं, उनको अधिकारियों द्वारा भुलावे में डालना कहां तक उचित है। मैं माननीय मंत्री जी की बड़ी इज्जत करता हूं। आज दो साल तक उन्हीं के कारण न मैं इस सदन में मुंह खोल पाया, न बाहर मुंह खोल पाया और न उनके सामने मुंह खोल पाया। आज मैंने बहुत करेज बटोर करके इतनी बातें कहने की हिम्मत की है। मैंने अपने प्रांत की सही पिक्चर दिखलाई है और माननीय मंत्री जी के सामने सही बातें कहने के लिये तैयार हुआ हूं। हो सकता है कि मुझे इसके लिये कुरबानी देनी पड़े। हो सकता है कि मुझसे पुलिस विभाग नाराज हो जाय और मेरे पीछे कुछ षड्यंत्र किया जाय लेकिन मैं इसको सहने के लिये तैयार हूं और जो भी कुरबानी हो सकती है

उसको देने के लिये तैयार हूं। माननीय मंत्री जी शायद सो रहे हैं। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से यह दरख्वास्त करूंगा कि वे इन मांगों को, सदन के सदस्यों की मांगों को और प्रांत की जनता की सही मांगों को ठुकरा नहीं सकते। आज गरीबों के साथ न्याय होना चाहिये। आज आप के विभाग में जो दरोगा १०९ में ज्यादा से ज्यादा मुकदमे चलाता है उसे इनाम दिया जाता है। अगर यही रवैया रहा कि दरोगा झूठ मुकदमे इनाम पाने के लिये चलाते रहे, उन असहाय व्यक्तियों को जिनके पास रोजी का साधन नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है, जेल में बन्द किया गया, और उनको मजबूर करके उनसे अकबाल कराया गया और १०९ और ११० के गम्भीर जुर्मों में फांस करके उनको सजा दिलाई गयी, इस पर भी आप उनको इनाम देते रहे तो यह कितने शर्म की बात होगी, कितने दुख की बात होगी। आज गरीबों के लिये कोई चारा नहीं है। आज मैं एक छोटे हरिजन समाज से आया हूं, इसलिये मुझे इसका बहुत अनुभव है। आपने क्रिमिनल ट्राइब्ज ऐक्ट को रिपील किया। जिस वक्त वह रिपील हुआ था उस वक्त मैंने भी माननीय मंत्री जी को बधाई दी थी और सदन के कोने कोने से बधाई आयी थी कि अब मानव को मानव समझा गया है। लेकिन अगर आज आप गौर करें कि एक तरफ उनकी निगरानी काटी गयी, उनको क्रिमिनल ट्राइब्स से हटा दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ उनके विरुद्ध षड़यंत्र रचे जाते हैं। आज पुलिस एक-एक की हिस्ट्री खोल रही है, आज पुलिस गलत जुर्मों में फांस करके उनका चालान कर रही है। आप देखें कि जुर्म क्यों नहीं बन्द हो रहे हैं? उसका महज एक कारण है कि आप के यहां जो डकैती होती है उसमें भलेमानुष फांसे जाते हैं और झूठे गवाह अदालत के सामने पेश किये जाते हैं। इससे जुर्म होते हैं। सही मुलजिम फिर भी जुर्म करता रहता है। इस थोड़े से टाइम में जो कुछ मैंने कहा, यदि कटु सत्य हो गया हो, उसके लिये माननीय मंत्री जी मुझे क्षमा करेंगे, और जनता के हितों की रक्षा करेंगे।

*श्री भूपाल सिंह खाती (जिला अल्मोड़ा)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं। अभी इस सदन के काफी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। लेकिन मैं तो यह समझता हूं कि अधिकांश रूप में पहले कुछ धारणायें बना ली गयी थीं, तब इस विभाग पर कुछ टीका-टिप्पणी की गयी। जब हम एक दृष्टिकोण बना लेते हैं, तो मुझे जरा डर है उपाध्यक्ष महोदय कि हम कभी भी सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाते हैं। मैं यह मानता हूं कि जब हम पुलिस विभाग पर विचार करने लगते हैं तब हमको उनका एक बार लम्बा इतिहास देखना पड़ेगा। और इस आधारशिला को समझते हुये जो उन्नति की है, तरक्की की है वर्तमान सरकार ने, उसको देखना पड़ेगा और मुझे विश्वास है, उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस दृष्टिकोण से और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इस विभाग को देखें कि थोड़े से वर्षों में जो उन्नति की है वह आशाजनक और संतोषजनक है। लेकिन आज यह दावा किसी का नहीं है कि इस विभाग में कमियां नहीं हैं और सुधार करने की गुंजायश नहीं है।

मैं यह मानता हूं कि अब तक का जो कार्य रहा उसमें इस विभाग की वाणी में तो अंतर आया है लेकिन कार्य में जहां तक वर्तमान सरकार ने कोशिश की थी उतनी सफलता सरकार को नहीं मिल पाई है और सरकार की ओर से यह मानना भी भूल होगी कि अगर यह कहा जाय कि अब भ्रष्टाचार खत्म हो गया है और अब भ्रष्टाचार को रोकने के लिये सतत् प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का विभाग है और शासन का आधार पुलिस के नियंत्रण और कार्यकुशलता पर निर्भर है। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[श्री भूपाल सिंह खत्री]

इस बात को ध्यान में रखते हुये कोई ऐसी योजना बनायेंगे क्योंकि इतना तो मानना ही पड़ेगा कि योजनाओं में से कुछ तो कार्यान्वित ही नहीं हुईं और जो कार्यान्वित हुईं भी तो उनसे आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हो पाई जितनी कि सरकार को आशा थी। इस बात की कोशिश की जानी चाहिये कि जो भ्रष्टाचार है उसको जल्द से जल्द दूर किया जाय क्योंकि गरीब आदमियों का इससे बहुत ही निकट का संबंध है। पुलिस विभाग के हाथ में कुछ ताकत ऐसी है कि अगर वह गलत तरीके से अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उससे जनता को नुक्सान पहुंच सकता है।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान पहाड़ी इलाकों की तरफ आकर्षित करूंगा कि वहां पर शायद सदन को याद होगा कि रेग्यूलर पुलिस नहीं है बल्कि एक पुलिस ऐसी है जो रेवेन्यू पुलिस के नाम से कही जाती है। पटवारी ३०-४० गांव पर होता है जिसको पट्टीदार कहते हैं। वह रेवेन्यू की वसूली का काम करता है, माल का काम करता है और पुलिस का भी काम करता है, फिर उसके साथ दिक्कत यह है कि उसकी सरकारी नौकरी पक्की नहीं होती यानी उसको पेंशन नहीं मिलती है। वह जानता है कि ५५ वर्षों बाद उसको पेंशन नहीं मिलेगी और वह पक्का सरकारी नौकर नहीं है। इसलिये भ्रष्टाचार का जो सिलसिला पुलिस में चलता है अगर ऐसी हालत में वहां पर और ज्यादा चले तो ताज्जुब नहीं है क्योंकि जब आदमी को बुढ़ापे में आमदनी की आशा नहीं होती है तो वह अगर ज्यादा लेने की कोशिश करे तो यह एक प्राकृतिक सी बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि मैं मानता हूं कि जहां तक पटवारियों का प्रश्न है माननीय गृह मन्त्री जी का उससे सीधा संबंध नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वह इस बात की निभाते हैं। अगर उनकी नौकरी पक्की कर दी जाय तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनमें मनोवैज्ञानिक बदलाव होगा और जो भ्रष्टाचार है उसमें काफी कमी की गुंजाइश होगी।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो सीमावर्ती पुलिस जो खाला तथा मालचाल इत्यादि स्थानों पर रखी गयी है और उसको जो भत्ता दिया जाता है वह वहां की परिस्थिति के लिहाज से नाकाफी है। जहां पर ५ रुपये सेर गेहूं और ६-७ रुपये सेर चावल है वहां पर यह सम्भव नहीं है कि जो उनको भत्ता मिलता है उसमें वह अपना पूरा डाल सकें और मुझे बड़ा दुख है कि ऐसी परिस्थिति में उनसे कैसे आशा की जाय कि वह अपने कर्त्तव्य का पालन करें? यह असम्भव है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह इस बात पर विचार करें और वहां की परिस्थिति के अनुसार उनको भत्ता दिया जाय। साथ ही एक आज भयंकर परिस्थिति हो गयी है यानी राय सिक्खों ने जो आतंक जमा रखा है उसकी वजह से वहां पर नये बसने वाले लोगों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। उनमें राजनीतिक पीड़ित भी हैं और कुछ हमारे एक्स सोल्जर्स भी हैं। इसके अलावा शरणार्थी लोग हैं। आज वहां जानवरों की चोरी इतनी ज्यादा हो गयी है कि चोरी हो जाने के बाद उनका कहीं पता नहीं लगता और एक अराजकता तमाम इलाके में फैली हुई है। आवश्यकता इस बात की है कि वहां समुचित प्रबन्ध किया जाय और लोगों के जान व माल की पूरी रक्षा हो। उन को इस बात का विश्वास हो कि लोगों को कोई हानि नहीं पहुंच सकती है। इसके साथ ही साथ वहां पर पिछले दिनों भी काफी डकैती और चोरियां हुई थीं, उस सम्बन्ध में कोई अभी तक ऐसा प्रबन्ध नहीं किया गया जिसकी वजह से लोगों को संरक्षता मालूम हो। वहां की खास परेशानी यह है कि किसान लोग वहां पर ऐसे हैं जो गोरखपुर, बस्ती, बलिया, आजमगढ़, इन जिलों से आये हैं। वह पूरा परिवार वहां पर नहीं ला सके हैं। इसी तरह पहाड़ के सुदूरवर्ती इलाके से भी लोग आये हैं। अगर वहां पर पुलिस की विशेष व्यवस्था नहीं होगी तो लोगों का बसना असम्भव हो जायगा।

मैं अधिक न कह कर केवल इतना ही कहूंगा कि मुझे विश्वास है कि जो कुछ मैंने सुझाव आप के द्वारा माननीय गृह मन्त्री जी की सेवा में रखे हैं उन पर पूरा विचार किया जायगा ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय गेंदा सिंह जी ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है कटौती का, उसका मैं समर्थन करता हूं। उन्होंने जेलखाने में कैदियों को भोजन के विषय में जो शिकायत की है वह मेरा भी अनुभव है और मैं उनका समर्थन करता हूं । शिवनाथ काटजू जी ने जो सुझाव माननीय गृहमंत्री जी के सामने प्रस्तुत किया है, कैदियों का वर्गीकरण होना चाहिये कि उन कैदियों में जो पेशेवर जुर्म करने वाले होते हैं और उनमें जो कभी कभी जेल जाते हैं, जिन्हें मामूली जुर्म में जेल जाना पड़ता है, मैं उनसे भी सहमत हूं । मैं महसूस करता हूं कि माननीय गृह मन्त्री जी या सरकार के दूसरे लोग जो कभी कभी जेलों का निरीक्षण करते हैं उनके सामने जेल की जो तस्वीर रखी जाती है वह वह तस्वीर नहीं होती जो कि हमेशा वहां बनी रहती है । एक माडेल जेल लखनऊ का या ऐसे जेल जिनमें सुपरिंटेंडेंट या जेलर अच्छे किस्म के पहुंचते हैं और उनका आपस में मेल भी बैठ जाता है, यानी दोनों एक स्वभाव के होते हैं तो उनमें कुछ सुधार हुए हैं, जैसा कि उन्नाव की जेल है, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल है । लेकिन आम तौर से जेलों में जो गड़बड़ी पहले से थी वह आज भी कायम है और इसकी ओर सरकार का ध्यान देना बहुत जरूरी है । श्रीमन्, कैदियों के वर्गीकरण के विषय में मैं एक सुझाव रखता हूं कि कैदियों में जो कम उम्र के लड़के जेल जाते हैं उनमें आम तौर पर कायदा यह है कि २१ साल से कम उम्र के एक जगह बन्द किये जाते हैं। मैं समझता हूं कि यह व्यवस्था बुनियादी तौर पर गलत है । हिन्दुस्तान ऐसे गर्म मुल्क में जहां पर यूथ, यौवन, पहले ही कम उम्र में आ जाता है, वहां २१ साल के लड़के और १० साल के लड़के को एक साथ बन्द करने से बहुत तरह की बुराइयां जेल में पैदा होती हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि जिनको हम जुवेनाइल जेल कहते हैं उनमें तीन तरह का वर्गीकरण होना चाहिये । एक युवक अवस्था के करीब, एक वह जिनकी किशोर अवस्था हो और तीसरे वह जो बहुत कम उम्र में जेलों में जाते हैं और बचपन के उम्र के होते हैं ।

पुलिस के विषय में मैं आपके जरिये कुछ बुनियादी बातें माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं । अक्सर देखा जाता है कि देहातों में जब जुर्म होते हैं अनेक प्रकार से चोरी हो, डकैती हो, कत्ल हो, अगर निम्न श्रेणी के लोगों के यहां होते हैं, गरीब आदमियों के यहां होते हैं, तो अधिकतर उसकी पुलिस के यहां या तो पहुंच नहीं होती या पहुंच होने के लिए काफी पूजा करनी पड़ती है और अगर पूजा के बाद पहुंच हो जाती है तो उस पर ध्यान ही बहुत कम दिया जाता है और ध्यान अगर किसी केस में दिया जाता है तो कार्यवाही थोड़ी बहुत करके उसको दबा देने की कोशिश की जाती है । अगर वही जुर्म की बात, डकैती, चोरी या कत्ल किसी श्रीमान् के यहां हो जाय या ऐसे लोगों के यहां हो जाय जो समाज में ऊंचे वर्ग के लोग हैं तो उनकी आवाज कप्तान के पास या कलेक्टर के पास या थानेदार के पास आसानी से पहुंच जाती है और उन पर ध्यान भी दिया जाता है । यह क्यों होता है ? सात वर्ष से इस सरकार के होते हुए भी आज वही परम्परा जो अंग्रेजों के जमाने में थी, क्यों चल रही है ? इसका जवाब मैं चाहूंगा कि माननीय गृह मन्त्री जी दें ।

दूसरी बात माननीय गृहमन्त्री जी ने सामान्य वाद-विवाद का जवाब देते हुए एक बात की चर्चा की थी कि ऊंचे ऊंचे अफसरों के दिमाग में काफी परिवर्तन हुआ है । मैं कहना चाहता हूं कि माननीय गृह मन्त्री जी उस संस्था के सदस्य आज भी हैं जो किसी जमाने में राष्ट्रीय

[श्री झारखंडे राय]

मोर्चे का स्वरूप ग्रहण किये हुए थी। उस राष्ट्रीय कांग्रेस के आप मेम्बर थे जिसकी जनतन्त्रवादी परम्परायें थीं, जिसकी प्रगतिशील परम्परायें थीं। तो आपके दिमाग में, आपकी सरकार के दिमाग में और आपकी नौकरशाही पुलिस के दिमाग के बीच में जो अन्तर आज भी है उसको दूर करने की क्या कोशिश की जा रही है? आज अगर गृहमन्त्री जी कुछ करना चाहते हैं तो भी वह काम नहीं हो सकता है। उसमें भी लाल फीतावाद चलता है। उसकी रोकथाम की कौन सी कोशिश की जा रही है?

तीसरी बात---जो राजनैतिक कार्यकर्ता हैं उनकी स्पीचेज को नोट करने में, उनका पीछा करने में, उनके पीछे लगे रहने में तो आप की पुलिस आज भी बहुत तत्पर दिखाई देती है लेकिन अगर कोई और असामाजिक कार्य होते हैं और ऐसे कार्य जिनसे कि समाज के समूह का नुकसान होता है उसकी तरफ से पुलिस बिलकुल आंख मूंद कर बैठी रहती है। घटनायें होती रहती हैं लेकिन पुलिस उनकी तरफ देखती नहीं है। तो केवल पोलिटिकल वर्कर्स के पीछे चाहे वह किसी भी विरोधी पार्टी के लोग हों, उनके पीछे पड़े रहने से ही समाज का उद्धार तो नहीं होगा। दूसरी तरफ जब जब किसी पोलिटिकल वर्कर को पुलिस तंग करती है तो उसकी आड़ में वह अपने कुकर्मों को भी छिपाने की कोशिश करती है। अगर किसी पोलिटिकल पार्टी को उसने तंग किया तो वहां का अधिकारी यह कह कर अपने बड़े अधिकारियों के सम्मुख कि हम तो मुखालिफ पोलिटिकल पार्टी को दबा रहे हैं, अपने को सुर्खरू बनाने की कोशिश करता है और इस प्रकार अपने कुकर्मों को छिपाने की कोशिश करता है। मैं चाहता हूं कि इस बात पर भी हमारे माननीय गृह मन्त्री जी ध्यान दें।

आखिरी बात---जिन अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की जाती है, घूम फिर कर वे शिकायतें उन्हीं के यहां पहुंच जाती हैं। अगर किसी थानेदार के खिलाफ शिकायत की जाती है तो वह आई० जी०, डी० आई० जी०, एस० पी०, डी० एस० पी० और इंस्पेक्टर के यहां से होते हुए फिर उसी थानेदार के पास पहुंच जाती है। यहां तक होता है कि जिसे सब लोग जानते हैं कि थानेदार यहां तक कहते सुने जाते हैं कि अगर एम० एल० ए० हैं तो क्या करेंगे? बहुत करेंगे असेम्बली में जाकर बोल देंगे। अगर कोई शिकायत लिखकर देंगे तो शिकायत तो मेरे पास ही आयेगी। इस तरह की भावना पुलिस में कांग्रेस एम० एल० ए० तक के बारे में है, इस तरह की भावना बनती जा रही है। उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा यही है कि अधिकारियों के दिमाग में सरकार की तरफ से जो डर पैदा हुआ था १९४७ में सत्ता हस्तांतरण के समय, वह डर भी खत्म हो गया है और मालूम होता है कि सरकार अधिकारी नहीं है बल्कि अधिकारियों की सरकार हो गई है। श्रीमन्, इस तरह से मैं महसूस करता हूं कि पुलिस विभाग में जो गड़बड़ियां आज भी बनी हैं उनकी तरफ गृह मन्त्री जी विशेष ध्यान दें। श्री सियाराम नाम के उन्नाव जिले के मुर्तजा नगर के पास के एक बहुत अच्छे किसान सभा के कार्यकर्ता थे, उनका कत्ल अभी एक माह पहले हो गया। पुलिस चुप। श्री दलश्रृंगार दुबे आठ महीने से घायल जिंदा लाश की तरह पड़े हुये हैं, उनके ऊपर हमला करने वालों का पता पुलिस को नहीं। बस्ती के सर्वश्री परमात्मा प्रसाद, रामधीन सिंह, मोतीभाई, तीन अच्छे कम्यूनिस्ट वर्कर्स पर खूनी हमले पुलिस की साजिस से हुये, रिपोर्टें की गईं पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। आजमगढ़ के प्रमुख किसान नेता श्री मन्नू पर वहां के जमींदारों ने हमला किया, बलिया के दो किसान सभा के साथी कत्ल कर दिये गये। कोई कार्यवाही नहीं हुई। पोलिटिकल वर्कर्स के ऊपर हमले हुए हैं और बहुत जगहों पर पुलिस की छिपी सहायता से। पर पुलिस बिलकुल ध्यान नहीं देती है। मैं समझता हूं कि यह विरोधी पार्टियों को दबाने की आड़ में अपनी बुरी कार्यवाहियों को छिपाने का बहाना मात्र है। हमारे खुद अपने गांव में एक चौकी है। मैं चाहूंगा माननीय गृह मन्त्री जी से कि वह जांच करावें कि हमारे गांव में जब से पुलिस चौकी कायम हुई है तब से चोरियां, डकैतियां तथा दूसरे जुर्म क्यों बढ़ गये हैं?

डकैतियों की संख्या बढ़ गयी है, डकैती हुई, लिखी जाती है चोरी, और चोरी जोरी। नतीजा यह होता है कि जुर्म की संख्या बढ़ गयी है। उस पर एक सदस्य मांग करते हैं कि पुलिस फोर्स बढ़ा दिया जाय। अगर पुलिस को ऐसा ही काम करना है तो इससे क्या फायदा है?

श्रीमन्, इसके अतिरिक्त मैं उस बात पर पुनः गृहमंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। नैपाल और बस्ती की सीमा पर हमारे प्रदेश की जो पुलिस तैनात की गयी है वह वहां के कारबार करने वालों को, दूकानदारों को प्रत्येक बाजार में तंग करती है। उसको मैं फिर चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जांच करें।

*श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया।

आपके द्वारा मैं माननीय गृह मंत्री को कुछ सुझाव देना चाहता हूं जो कि मुझे देहात का तजुर्बा हुआ है। आज भी पुलिस के कुछ अड्डे हैं, उनके कुछ दलाल हैं, उन्हीं के यहां वह रहते हैं, वहीं वह खाते पीते हैं, जो लोग जुर्म करते हैं उनके द्वारा वे लोग छोड़वा दिये जाते हैं और जिनसे उनकी दुश्मनी रहती है उन्हें उस जुर्म में फंसा दिया जाता है। इसका नतीजा यह होता है जो लोग जुर्म करते हैं वह लोग छूटे हुये घूमा करते हैं, वे उन दलालों के अगल-बगल रहते हैं, और इसका नतीजा यह होता है कि जो लोग बेकसूर हैं वह परेशान होते हैं और जुर्म करने वाले बच जाते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं भूतपूर्व जमींदार ऐसे हैं जो उनको काफी खर्चा देते हैं और टिकाते हैं और उनकी धमकी से गांव के गरीब किसान मजदूरों से जबरदस्ती, दबाव डालकर बेगार लेने की कोशिश करते हैं। वह बराबर उनके यहां आते जाते हैं, और वे यह भी कहते हैं कि उनके रिश्तेदार हैं। तो मेरा यह सुझाव है कि ऐसे लोगों की एक लिस्ट होनी चाहिये कि किन किन लोगों के यहां पुलिस के अड्डे हैं। उन लोगों पर नजर रखी जाय। अगर ऐसे लोगों के यहां उठते बैठते हैं तो जरूर कोई हिस्सा लेते हैं। खासकर ऐसा देखा गया है कि जो ऐसे लोग हैं उनके कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उनके बीच में रहते हैं और वह जमानत के तौर पर उन लोगों को छुड़ाने का काम करते हैं और जो डकैती या चोरी करते हैं उसमें से हिस्सा बटा लेते हैं। वह उनकी मदद करते हैं। ऐसे लोग सफेदपोश हैं। उनको लोग नहीं जानते कि चोरी डकैती करते हैं। लेकिन बीच में ऐसे लोग होते हैं। उन पर नजर रखी जाय। अगर उनको भी सजा हो तो जुर्म कम हो सकते हैं और जो जुर्म करने वाले बच जाते हैं वह पकड़े जा सकते हैं। रिपोर्ट जब लिखाने जाते हैं तो आजकल भी रिवाज यह है कि दो रुपये, चार रुपये, पांच रुपये लिये बिना कमजोर, गरीब किसानों की रिपोर्ट लिखी ही नहीं जाती और ऐसी रिपोर्ट लिख दी जाती है कि वह कहता कुछ और है और लिखा कुछ और जाता है जिससे असली मुलजिम बच जाते हैं और दूसरे लोगों के नाम दर्ज हो जाते हैं, ऐसा देखा गया है।

अगर कोई पुलिस की शिकायत करता है तो पुलिस के लोग उसको ऐसी धमकी देते हैं, तुमने शिकायत की है, तुमको देख लूंगा और फिर वे बेचारे परेशान किये जाते हैं। चूंकि शिकायत जो होती है उन्हीं के पास फिर घूम कर जाती है इसलिये कोई शिकायत नहीं करता। मैंने थानों में कई जगह घूम कर देखा। बहुत से गरीबों की नकब कटी और रपट लिखाने गये तो वापस कर दिये गये और ऐसा देखा गया कि कई जगह चोरियां हुईं लेकिन उसकी रपट दर्ज ही नहीं हुई और वे मामले यों ही खत्म हो जाते हैं। इससे गांव में जुर्म बढ़ जाते हैं। हां, यह अलबत्ता हो जाता है कि नकबें कम हुईं। इस संबंध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। पुलिस में भ्रष्टाचार बीच के दलालों की वजह से है, उनकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम वचन यादव]

तरफ नजर जब तक नहीं उठाई जाती तब तक घूसखोरी या जरायम खत्म नहीं हो सकते। ऐसी लिस्ट बननी चाहिये जिसमें उन लोगों के नाम हों जो पुलिस और चोर डकैतों के बीच दलाल का काम करते हैं और उन पर नजर रक्खी जाय तभी जुर्म खत्म हो सकते हैं वरना होता यह है कि उनमें आपस में शेयर बटता है और जो जुर्म नहीं करते बदले में वे फंस जाते हैं। अगर बीच वालों पर नजर रक्खी जाय तो जुर्म खत्म हो जायगा। आशा है माननीय मंत्री जी मेरे इस सुझाव पर विचार करेंगे और जुर्म को दूर करने की कोशिश करेंगे।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। उपाध्यक्ष महोदय, आपके पास चिट भेज दी जाती है, इससे "आई कैच" का प्रश्न खत्म हो जाता है। मैं इसमें आपकी रूलिंग चाहता हूं कि क्या यह उचित है ?

श्री उपाध्यक्ष---मैं जहां तक होता है सबको मौका देने की कोशिश करता हूं लेकिन माननीय सदस्य जानते होंगे कि हाउस इतना बड़ा है कि सबको मौका दे सकना बड़ा मुश्किल होता है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जेल के सम्बन्ध में एक बड़ा एक्सपेरीमेंट हो रहा है। कैदियों को जेल के बाहर जाकर डेम्स पर काम करने का मौका दिया जा रहा है जिससे वे अपनी दैनिक रोजी कमा सकें। खाना, कपड़ा इत्यादि का खर्चा काट कर बाकी पैसा उनके नाम जमा कर दिया जाता है---यह एक नया एक्सपेरीमेंट है और इसकी कामयाबी को देख कर जितनी प्रशंसा की जाय कम है। इसके लिये मैं माननीय गृह मंत्री को बधाई देता हूं और इसके साथ ही इस बात के लिये भी उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने माननीय गेंदा सिंह जी के आग्रह पर उनकी सुविधा के लिये देवरिया में नई जेल बनाने की योजना पर भी विचार किया है। मैं जेल के उन अधिकारियों को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने जेल की तमाम कमियों व खामियों के बावजूद भी हमारे साथियों का, जिनको वहां जाने का सौभाग्य हुआ उनके स्वास्थ्य को गिरने नहीं दिया।

इसके बाद दूसरा अनुदान पेश करते हुए माननीय गृह मंत्री ने बताया कि पुलिस का विभाग इतना महत्वपूर्ण है कि कोई भी पार्टी पावर में क्यों न आये लेकिन बगैर पुलिस के वह राज्य का संचालन नहीं कर सकती। उन्होंने यह भी कहा कि हमको केवल पुलिस को क्रिटिसाइज ही न करना चाहिये, बल्कि उसकी खूबियों को भी देखना चाहिये। मैं उनकी इस बात से इत्तिफाक करता हूं। हम मानते हैं कि पुलिस का विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। कोई भी सरकार बिना इस विभाग के चल नहीं सकती। कल्पना की दुनिया को छोड़ दिया जाय, तब व्यावहारिक संसार में हर देश में पुलिस विभाग है और उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके साथ साथ यह भी बात अपनी जगह पर ठीक है कि हमारे प्रदेश के कुछ पुलिस कर्मचारियों ने बहुत ही अच्छे काम किये हैं---डाकुओं के गैंग, जैसे चरना और मेंहदी आदि डाकुओं के गैंग को पकड़ा। जिन कर्मचारियों ने ऐसा किया उन सभी को मैं बधाई देता हूं और उनकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन इन चन्द बातों के मानी मैं यह नहीं समझता कि तमाम विभाग के अन्दर कोई कमी बाकी नहीं रही। यदि सम्पूर्ण चित्र को देखा जाय तो मानना पड़ेगा कि ६, ७ साल की आजादी के बाद भी पुलिस विभाग में विशेष सुधार नहीं हो सका है जिस स्तर पर कि पुलिस को एक प्रजातंत्र राज्य में होना चाहिये, उस स्तर तक हमारी पुलिस अभी नहीं पहुंच पाई है, उससे वह बहुत दूर है। जिस स्तर पर हम उसको प्रजातन्त्र के अन्तर्गत लाना व देखना चाहते हैं उस स्तर से भी अभी वह बहुत दूर है। आज भी हम देखते हैं कि पुलिस में जो बातें अंग्रेजों के वक्त में थीं वह अभी मौजूद हैं। मैं श्रीमन्,

डिटेल में नहीं जाऊंगा। सिर्फ यही कहूंगा कि उसके काम करने की प्रणाली आज भी वही है। अन्य साथियों ने भी यह शिकायत की है कि फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट लिखाने में आज भी दिक्कत होती है और उसके बाद जो तफतीश होती है वह उन्हीं लोगों के जरिये जो उनके पेटेन्ट गुरगे होते हैं होती है। इतना ही नहीं पुलिस का हर काम जो भी होता है वह सब उनके जरिये से ही होता है। उसके बाद अपनी जगह पर यह भी सच है कि बहुत से ऐसे क्राइम्स हैं जिनकी रिपोर्ट लिखी नहीं जाती है। इसलिये जो फिगर्स हमको मिलते हैं उन पर कहां तक विश्वास किया जाय यह कुछ मुश्किल सा मालूम होता है।

जेल के लिये जो ९। लाख रुपया नये बजट में ज्यादा रखा गया है उसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने माना है कि अब जेल की जनसंख्या बढ़ गयी है, और आगामी वर्ष में भी बढ़ी रहने की ही आशा है, तो इसके साफ मायने यह हैं कि क्राइम्स बढ़ रहे हैं। तो अपनी जगह पर यह भी सत्य है कि जब क्राइम्स बढ़ रहे हैं तब लोगों के अन्दर विशेषकर देहाती क्षेत्रों में रहने वालों में सेन्स आफ सेक्योरिटी कम होता जा रहा है।

इसके बाद यह भी बड़े दुःख की बात है कि पिछले साल में कई दर्दनाक क़त्लें हुई हैं और उन कत्ल हुये लोगों में कुछ कांग्रेस पार्टी के सम्मानित लोग भी हैं। अभी कुछ दिन हुये पिछले साल एटा के अन्दर इसी हाउस के एक मेम्बर थे जिनका कत्ल किया गया। चन्दौसी में भी अभी मालूम हुआ है कि कुछ दिन पहले दिन दहाड़े एक घर में तीन प्राणी कत्ल किये गये हैं। इस तरह से मालूम यह होता है कि कत्ल बढ़ते जाते हैं। अलीगढ़ में भी एक यू० पी० सी० सी० के मेम्बर का कत्ल हुआ है। इन सब कारणों से लोगों में असन्तोष की भावना बढ़ती जाती है। इसके साथ साथ जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है वह तो अपनी जगह पर है ही। उसमें कमी नहीं है। तकलीफ जब होती है जब कि भ्रष्टाचार की शिकायत की जाती है लेकिन उसकी इन्क्वायरी का वही तरीका है जो कि मेरे एक मित्र ने बतलाया कि वह दरख्वास्त घूम फिर कर उसी के पास पहुंच जाती है जिसकी कि शिकायत होती है। मैं चाहता हूं कि कम से कम इन्क्वायरी का जो इस समय तरीका है उसको फौरन तब्दील किया जाय। इसके साथ साथ जो ट्रेनिंग कालेज हैं उनके अन्दर कुछ इस तरह की तब्दीली की जाय जिससे वहां पर सब लोगों को यह महसूस कराया जाय कि अब जमाना बदल गया है और सरकारी ढांचा भी बदल गया है अतः उनको भी इसी प्रकार से समय के अनुकूल काम करना चाहिये ताकि जनता उनको सच्चे मानी में अपना सेवक, हितैषी तथा रक्षक समझ सके। श्रीमन्, इसमें एस० पी० साहबान के लिये घोड़े के अलाउन्स देने का भी जिक्र किया गया है और वह इसलिये कि अब एस० पीज० सरप्राइज विजिट करेंगे। इसलिये उनको घोड़ा रखना चाहिये क्योंकि देहात में जहां पर मोटर नहीं जा सकती है वहां पर वह लोग घोड़े पर जा सकेंगे। इसके लिये उनको घोड़ा अलाउन्स दिया जाना चाहिये। श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं। क्योंकि जहां कहीं भी बैलगाड़ी जा सकती है वहां पर जीप कार जा सकती है और वह जीप से भी उतना ही काम ले सकते हैं। अगर उनके लिये हार्स राइडिंग से स्वास्थ्य ठीक करने की बात हो या कुछ हवाखोरी की बात हो तब तो यह हार्स का अलाउन्स मेरी समझ में आ सकता है कि उनको दिया जाय लेकिन वह लोग कोई सरप्राइज विजिट करेंगे इसमें मुझे सन्देह मालूम होता है। मैं नहीं जानता कि इस प्रदेश में क्या कोई भी एस० पी० ऐसा है जो कभी कहीं भी सरप्राइज विजिट करता हो।

जहां तक छोटे नौकरों का प्रश्न है उनके लिये तनख्वाह बहुत कम है उसमें कुछ बढ़ोत्तरी होनी चाहिये। घोड़े का अलाउन्स एस० पी० साहब को तो ६० रुपये दिये

[श्री नवल किशोर]

जाने की बात है। मगर जो गरीब थानेदार हैं उनको केवल ३०, ३५ रुपया ही दिया जाता है और सिपाहियों को कुछ भी नहीं है। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि छोटे कर्मचारियों के लिये अब कुछ बढ़ोत्तरी की जरूरत है।

अन्त में मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पुलिस की आलोचना करने का मकसद हमारा यही है कि उनका जो मेंटल आउटलुक है वह बदले ताकि वह अपने को जनता का सेवक साबित कर सकें।

श्रीमती लक्ष्मी देवी (जिला हरदोई)---- उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज पुलिस की इस मांग के लिये मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि आज इतनी रकम पुलिस और जेल के लिये रखी है। वह काफी तो नहीं है लेकिन इससे बहुत कुछ सुधार होने की सम्भावना है। जेल के इन्तजाम के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही गईं लेकिन देखने से मालूम होता है कि पहले से काफी सुधार हो गया है। पुलिस के मामले में भी हमारे मंत्री जी ने अथक उत्साह से सुधार करने की चेष्टा की है। उन्होंने वक्तन फवक्तन पुलिस को हिदायतें जारी कीं और उनसे सहयोग मांगा और देश के प्रति उनके कर्त्तव्यों को समझाया। इन सब बातों के लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। जहां बड़े पुलिस के कर्मचारियों में हम परिवर्तन देखते हैं वहां मैं इतना अवश्य कहूंगी कि छोटे कर्मचारियों का अभी वही हाल है जो कि पहले जमाने में था। उन्होंने गणराज्य के सिद्धान्तों को नहीं अपनाया है। उनके दिमाग में अभी भी हुकूमत की भावना पहले जैसी भरी है और समझते हैं कि हम तो जनता के हाकिम हैं। वे जनता की तकलीफों को नहीं समझने की कोशिश करते। जब उनसे कहा जाता है कि तुम अब तो जनता के सेवक हो और भाई चारे से बर्ताव करो तो यह बात उनको अच्छी नहीं लगती है। इसके कई उदाहरण हैं। वरना जनता के अन्दर परेशानियां नहीं होनी चाहिये। ऊंचे अधिकारियों में अवश्य सुधार है लेकिन चौकीदार से लेकर दरोगा और डी० वाई० एस० पी० तक के दिमागों में अभी यह चीज नहीं आई है कि उन्हें क्या करना है। सारा काम तो इन छोटे कर्मचारियों द्वारा ही होता है। ये लोग देखते हैं कि कहां हमको फायदा होता है। मैं अपनी कांस्टीटचूएंसी के मामले को अपनी आंखों से देख चुकी हूं और वह दरोगा साहेब अभी मुअत्तल भी हैं। उन्होंने बड़े बड़े भले आदमियों से रुपया लिया और जुर्म करने वालों से बोले तक भी नहीं। मेरा यह निवेदन है कि अपनी-अपनी कांस्टीटचूएंसी के लोग इस चीज को देखें और सही बात सरकार के सामने रखें। मैं यह समझती हूं कि पार्टियों की वजह से सही बात पहुंचने में मुश्किल हो जाती है। लेकिन फिर भी वह कोई ऐसा इन्तजाम रखें जिससे पुलिस सही काम करे। पुलिस के कामों पर शासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मालूम होती है। अगर पुलिस अच्छी होगी तो शासन भी अच्छे तरीके से चलेगा और मजबूती से कायम हो सकता है। अगर पुलिस ढीली हो गयी या जरा इधर उधर हो गयी तो शासन में भी कमी आ जायगी और जब शासन में कमी आ जाती है तो सरकार के ऊपर लांछन आता है। यों तो हम जैसे ही सब व्यक्ति हैं लेकिन उसमें कोई खास बात होती है और इसलिये मैं चाहती हूं कि गृह मंत्री जी ऐसी तजवीज करें जिससे वह लांछन जो हम लोगों पर लगता है और जो बड़ा कटु होता है, उसमें कमी हो। मेरे सामने की बात है कि एक लिखित रिपोर्ट भेजी गयी और वह ७ दिन तक पुलिस स्टेशन में दर्ज तक नहीं हुई। जब मुझे यह मालूम हुआ तो मैंने एस० पी० को एक खत लिखा और उन दरोगा जी को रिवर्ट किया गया। यह आंखों देखी बात है और रिकार्ड की बात है। ऐसी ऐसी गलतियां होती हैं और जानबूझ कर होती हैं। यदि गृहमंत्री जी पूछेंगे तो नाम भी बता सकती हूं। कत्ल हुआ और उसमें फाइनल रिपोर्ट भी लगा दी गई, जांच परताल रोक

दी गई। हां, फाइनल रिपोर्ट से पहले लेन-देन की बातें हो गयीं। इससे सरकार की बदनामी होती है। यह चेतावनी मैं गृह मंत्री जी की सेवा में उपस्थित करती हूं कि वे इस तरफ ध्यान दें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---उपाध्यक्ष महोदय, आज एक बात बहुत खुशी की है और वह यह कि आज पुलिस एक ऐसा विभाग है जिसमें हम सब लोग चाहे सरकारी पक्ष के हों या विरोधी पक्ष के हों सब एक हैं और हमारे हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री को इस बात की खुशी होगी। यहां हम सब लोगों में सोलीडैरिटी है सिवाय रामनरेश जी शुक्ल को छोड़ कर जो कि हमेशा कुछ ऐसे ही रहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह सोलीडेरिटी प्रान्त भर के जिले जिले में हो जाय, क्योंकि मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी भी यही चाहते हैं कि उनके विभाग में कोई गड़बड़ी न हो। कोई करप्शन और व्यभिचार न हो, तो प्रान्त की खराबियां बहुत ही शीघ्र दूर हो सकती हैं और हम सब का मक़सद भी इन खराबियों को दूर ही करने का है। मुझे खुशी है कि रामेश्वर लाल जी ने सही बातें कहीं। खुशी इसलिये नहीं है कि उन्होंने वे बातें कहीं जो इस ओर से कही जानी चाहिये थीं बल्कि इसलिये कि उन्होंने असलियत को दर्शाया। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि पुलिस इस वजह से श्री रामेश्वर लाल जी के खिलाफ कुछ न कर पाये। यदि इसके लिये उनके ऊपर कोई कार्यवाही की गयी तो मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि इस विधान भवन में उनके खिलाफ कार्यवाही करने को कहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जब इस पुलिस की रिपोर्ट में मैं जेलखानों का बयान पढ़ता हूं तो तबियत करती है कि जेलखाने चला जाऊं और जब माननीय गेंदा सिंह जी और माननीय तिवारी जी की तंदुरुस्ती को देखता हूं कि वे वहां से अच्छे होकर लौट कर आये हैं तो और भी ज्यादा तबियत करती है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इन किताबों को पब्लिक में बटवाने की कोशिश न करें क्योंकि इसमें लिखा है कि भोजन में समय समय पर परिवर्तन के अतिरिक्त सुपरिंटेंडेंटों को यह अधिकार दे दिया गया है कि वे महीने में दो बार निश्चित खाद्य सामग्री के अलावा सरसों के तेल में पकी पूड़ियां, कढ़ी, बड़ी, मुंगौड़ी, दालभोट बन्दियों को दे दिया करें। ये सब चीजें बाहर भी नहीं मिलती हैं तो सब लोग जेलखाने जाने की कोशिश करेंगे। मैं और ज्यादा तो नहीं कहूंगा, जो अच्छा काम है उसकी तारीफ भी करनी चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी को इस चीज के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने सबसे पहला काम जो यह किया कि बिना दीवाल की जेल चन्द्र प्रभा डैम पर कर दी। चन्द्रप्रभा डैम पर हमारे कैदियों ने जो काम किया है वह बहुत बढ़िया चीज है और हमारे हिन्दुस्तान के लिये उन्होंने एक नमूना रखा है। इस चीज के लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि हम जो प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, वैसे तो रूस आदि दूसरे देशों के बारे में हमने यह सुना है कि जब कैदी जेल में जाता है तो वहां से रिफार्मिस्ट होकर आता है लेकिन अगर यहां पर कोई आदमी ४२० में जेल जाता है तो वह जब जेल से लौट कर आता है तो ४२१, ४२२ और ४२३ बन कर ही आता है, ४१९ होकर नहीं आता। तो सवाल यह है कि हमारी इच्छा यह होनी चाहिए कि जेल से जो आदमी लौटे वह रिफार्मिस्ट होकर आवे, कोई काम सीखा हुआ हो जिससे बाहर आकर अपनी जिन्दगी बसर कर सके। लेकिन फिर भी जो अच्छी बातें होती हैं उनके कहने में हमें कोई एतराज नहीं है। जो तारीफ करने की बात होती है उसे हम कहते हैं लेकिन जहां खराबी होती है उसको भी बतला देना हमारा कर्त्तव्य है और वह इसलिये नहीं कि हम गवर्नमेंट को बदनाम करें बल्कि इसलिये कि गवर्नमेंट उन खराबियों को दूर करने का प्रयत्न करे। यह अवश्य है कि हमारे

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

प्रान्त की पुलिस वालों में अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। यह कहना कि पुलिस के बड़े कर्मचारी अच्छे हैं और नीचे के सब कर्मचारी खराब हैं, यह बिल्कुल गलत है। जो बेचारे बिल्कुल गरीब हैं उनमें भी बहुत से अच्छे हैं और जो बड़े कर्मचारी हैं उनमें भी कुछ खराब हैं। अगर हम उन छोटे कर्मचारियों की तारीफ करने लगें तब तो वे बेचारे और भी मारे जायेंगे क्योंकि ऐसा समझा जायगा कि वह तो सोशलिस्ट पार्टी से मिल गया है। इसलिये मैं उसकी तारीफ नहीं कर सकता हूं लेकिन काट के लिये जरूर कहता हूं और मैं माननीय मंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि जो गड़बड़ी होगी उसे तो मैं जरूर ही बतलाऊंगा और जो अच्छे काम करते हैं उनकी तारीफ भी करूंगा। माननीय मंत्री जी हर साल कुछ न कुछ ऐसी बात कह दिया करते हैं जैसे पारसाल भी माननीय मंत्री जी ने बजट पेश करते हुए कहा था कि तिब्बत नेपाल बार्डर पर गड़बड़ी है इसलिये हमको पुलिस के लिये इतने रुपये की जरूरत है और इस साल आपने यह कहा कि बाहर की कुछ पोलिटिकल पार्टीज आकर यहां गड़बड़ घोटाला कर रही हैं। इसलिये इन सब के लिये रुपये की जरूरत पड़ गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारा सी० आई० डी० विभाग जैसा होना चाहिये वैसा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह जान कर ताज्जुब होगा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया से एक इन्क्वायरी हुई कि इंडो तिब्बत बार्डर पर फारेनर्स जो हमारे यहां आये हुए हैं उनकी एक्टिविटीज वाच की जायं। रिपोर्ट तो सी० आई० डी० ने गवर्नमेंट आफ इन्डिया को सबमिट की लेकिन सबसे पहले वह रिपोर्ट अमेरिकन इमबेसी के पास पहुंच गयी और उसने उसी रिपोर्ट के आधार पर गवर्नमेंट आफ इंडिया को प्रोटेस्ट कर दिया कि आपकी सी० आई० डी० हमारी ऐक्टिविटीज को वाच कर रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे श्री रामनारायण त्रिपाठी जी को बड़ी तकलीफ है क्योंकि वे अपनी बीबी को कोई चिट्ठी भी नहीं लिख सकते, वे अपने दिल के उद्गार नहीं निकाल सकते क्योंकि उनको इस बात का ख्याल रहता है कि सी० आई० डी० वाले उनकी चिट्ठी को पढ़ लेंगे। ऐसी हालत में वे लाचार होकर टेलीफोन पर ही अपनी बीबी से गुप्त बातें कर लिया करते हैं क्योंकि वहां पर तो सी० आई० डी० वाले मौजूद रहते नहीं। मैं तो फिर भी दूसरे तरीके से पत्र लिख ही लिया करता हूं क्योंकि सन् ४२ में जब सी० आई० डी० मुझे नहीं पकड़ पायी तो अब क्या कर सकती है। लेकिन आज जब कि हमारे देश में लड़ाई का खतरा है, पाकिस्तान अमेरिकन एड की वजह से हमारा देश खतरे में है तो कहीं ऐसा न हो कि जैसे इलाहाबाद में कुम्भ के अवसर पर हुआ कि इतनी बड़ी तो घटना हो गयी और हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू और माननीय मुख्य मंत्री को इसकी घंटों तक खबर ही नहीं लगी। उसी तरह से पाकिस्तान तो अपनी फौजें हिन्दुस्तान में भेज दे और १० घंटे बाद हमारी सी० आई० डी० को पता लगे कि पाकिस्तान की फौजें तो आ गयीं लेकिन हम क्या करें, पहले तो हमें इसका पता ही नहीं लगा। इसलिए हमारे देश के रहने वालों को, हमारे प्रदेश के रहने वालों को काफी सतर्क रहना है ताकि इस तरह की बातें न होने पावें। इस किताब को हम लोगों के बीच बटवाने के बदले अगर माननीय मंत्री जी इसे पुलिस वालों में बटवा देते तो बड़ा अच्छा होता। इसमें लिखा है "एक कल्याणकारी जनतांत्रिक राज्य में पुलिस और जनता के कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निष्पादन के निमित्त यह आवश्यक है कि नागरिकों और उनके पुलिस फोर्स के आदमियों में उच्चतम कोटि का अनुशासन, विवेक और समझौता हो। स्वतंत्रता और स्वाधीनता के प्रथम उल्लास में, स्वतंत्रता और व्यवस्था के बीच संतुलन स्थापित करना कोई सरल कार्य नहीं है और आश्चर्य इस बात में नहीं है कि और अधिक सफलता प्राप्त नहीं की गई बल्कि इस बात में है कि इतनी सफलता प्राप्त कर ली गयी है। ऐसी सक्रिय कार्यवाहियां की गयी हैं और उनके किये जाने का विचार है जिनसे शीघ्र से शीघ्र लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। सुधार की कोई योजना तैयार करते समय यह बात ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि राजनीतिक

आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं का जनता पर ही नहीं बल्कि पुलिस फोर्स पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा। जो कार्यवाहियां की जा चुकी हैं या जो विचाराधीन हैं, वे इसी यथार्थवादी दृष्टिकोण पर आधारित हैं और यह आशा की जाती है कि उनसे उत्तरोत्तर लाभकारी परिणाम प्राप्त होंगे।"

तो ये शब्द हैं जो कितने सुन्दर तरीके से लिखे गये हैं लेकिन यह लिखना ही लिखना रह जायगा अगर सिर्फ यह हमें सलाह देने की बात रह जायगी। मैं यह चाहूंगा कि सब पुलिस वालों को बता दिया जाता और उन्हें यह समझा दिया जाता कि आपका और जनता का सम्पर्क ऐसा होना चाहिये जैसा इस किताब में लिखा हुआ है। माननीय रामेश्वर प्रसाद जी ने जो बातें कही हैं उनके लिये मैं कहां तक कहूंगा, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि जो खराबियां और कमियां होंगी उनकी शिकायतें अवश्य करेंगे और जो लोग अच्छा काम करेंगे उनके कामों में बराबर हम उनका साथ देंगे।

श्री व्रज विहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान हाउस के सामने है, उसमें जो कटौती का प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सच बात तो यह है कि पुलिस के बारे में जिस तरह की गरमागरम बातें कही गईं अगर उतनी ही गरमागरमी से उन पर ग़ौर नहीं किया गया और उनको दूर करने की कोशिश नहीं की गई तो हमारे प्रदेश में जो हम यह आशा करते हैं कि सुन्दर राज्य की स्थापना हो जायगी उसका होना असम्भव है। अपने भाषण में एक बात माननीय गृह मंत्री जी ने कही कि हम जब पुलिस की बुराई करें तो पुलिस के अच्छे कामों की तारीफ भी करें। बात बिल्कुल ठीक है जरूर करना चाहिये लेकिन किसी भी जमात में या किसी भी संस्था में यह देखा जाता है कि उसमें बहुमत किस तरह के लोगों का है और अल्पमत किस तरह के लोगों का है। तो अगर पुलिस की रैंक और फाइल को देखा जाय तो मालूम होगा कि बहुमत उन लोगों का होगा जिनके बारे में शिकायतें हैं और अगर उसकी शिकायत न की जाय तो मैं समझता हूं कि यह कमी रह जायेगी।

पुलिस ने जो रवैया अब से २० वर्ष पहले जो अंग्रेजी सल्तनत के जमाने में अख्तियार किया था उसको बदला नहीं है। पुलिस से हम बराबर कहते रहे हैं कि अपने तरीके को बदलो, सरकार की तरफ से कहा जाता है, हुक्म जाते हैं, नोटिसें जाती हैं लेकिन जो पुलिस का बहुमत है उस पर कोई असर नहीं होता। हमारे पुलिस का शासन जब माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने सम्हाला तो मैं समझता था कि वे मनोविज्ञान के बहुत बड़े पंडित हैं और उनके प्रयास से पुलिस में तब्दीली आ जायेगी लेकिन उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। ऐसी जनता की धारणा है, उसमें कोई न कोई खामी अवश्य है और उसको दूर करना है। मसलन पुलिस के जिम्मे नशाबन्दी का काम सौंपा गया था। लेकिन बजाय इसके कि वह इस बात की कोशिश करें कि नशाबन्दी हो, वह लाइसेंस ईशू करती है अफीम के बेंचने के लिये, गाँजा के लिये और इसके लाइसेंस पर लोग अफीम बेंचते हैं, भांग बेंचते हैं, गाँजा बेंचते हैं और खूब बेंचते हैं। बाज बाज वक्त तो ऐसा भी मालूम पड़ता है कि पुलिस हमारी ज्योतिषी हो गई है। थाने के सामने से चार गाड़ियां निकलीं, तीन गाड़ियों को उसने जाने दिया और एक को रोक लिया और कहा कि तुम्हारी गाड़ी में अफीम है और अफीम बरामद कर ली। इस तरह की चीजें की जाती हैं। जो नीचे का तबका पुलिसमैन का है जिसको कांस्टेबिल या सब-इस्पेक्टर कहते हैं उसके रवैये में कोई तब्दीली नहीं हुई है। जरूर दर्द होता है इन कांस्टेबिलों को देख कर कि जून और मई महीने में धूप में खड़े होकर ५० रुपये

[श्री व्रज बिहारी मेहरोत्रा]

पर दोपहर के वक्त मुजरा करते हैं और इनके अलावा कोई काम वह नहीं कर सकता। लेकिन असलियत क्या है? वे बसों को तो जाने दिया करते हैं लेकिन ट्रकों को रोक लिया करते हैं। ट्रक किस मतलब से रोक लिया करते हैं? वही मुजरे की फीस लेने के लिये ट्रकों को रोका जाता है। जुये को रोकने के लिये पिछले साल हमने एक कड़ा कानून बनाया था लेकिन आज देहात में क्या हालत है। एक आदमी बाजार से बानगी बेच कर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक दारोगा जी मिले। उन्होंने उससे कहा रुको, तुम जुआ खेलकर लौट रहे हो, तुम्हारी तलाशी ले लें। उसने कहा कि तलाशी क्या लोगे, मेरी जेब में रुपये हैं। मगर दारोगा साहब ने कहा कि नहीं, तुम तो जुवा खेलकर लौटे हो। उसके बाद दलाल दौड़ा, जमानत हुई। ५० रुपये की जमानत लिखित हुई और ५० रुपये की नकदी जमानत हुई और नकदी जमानत बट्टेखाते में चली गई। इस तरह के मामलात आये दिन होते रहते हैं। इन सब चीजों को अगर सचमुच नहीं रोका गया तो पुलिस का बहुमत जो यह सब कर रहा है उस पर कलंक का टीका तो जरूर लगेगा। हमारे आफिसर चाहे जितनी अच्छी बात करें, हमारे आफिसर चाहे जितने अच्छे हों और हम पुलिस के बारे में चाहे जैसी अच्छी बातें कहें वह कभी छुपती नहीं है। पुलिस का एक बहुत बड़ा दल ऐसा है जो यह सब कर रहा है। इसलिये मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे कुछ ऐसा तर्ज अख्तियार करें और वह अपनी विद्वत्ता को इस्तेमाल करें कि जिससे जहनियत में तब्दीली आये क्योंकि जब तक जहनियत में तब्दीली नहीं आती है तब तक अमल में कोई तब्दीली नहीं आ सकती है।

मैं आपसे अर्ज करूं अपनी बीती कि मैंने अपनी काश्त के लिये एक आदमी रख छोड़ा था इस तर्ज से कि वह तगड़ा आदमी था, मेहनती था और एक मर्तबा जेल की हवा भी खा चुका था। मैं जानता हूं कि वह ईमानदार आदमी है और गलत उसको फांस दिया गया था लेकिन हुआ यह कि पुलिस ने यह देखा कि यह किसी एम० एल० ए० का नौकर है, इसे पैसा जरूर ज्यादा मिलता होगा इसलिये उन्होंने उससे कहा कि तुम हमको भी कुछ दिया करो। जब उसने नहीं दिया तो उसे एक डकैती के मामले में फांस दिया गया। जब उसे गिरफ्तार करके ले जाया गया तो वह नंगे मुंह था, उसके मुंह पर नकाब भी नहीं था। उसे पहचनवाया गया लेकिन चूंकि वह बेगुनाह था इसलिये जेल में उसकी शिनाख्त नहीं हुई। वह बेगुनाह आदमी है लेकिन अब भी जेल में पड़ा हुआ है, छूट नहीं सकता और पता नहीं कब तक उसके छूटने की नौबत आवे। पुलिस ने कोई रिपोर्ट नहीं लगाई। ठीक इसी तरह से कुछ लोग हैं जिनका ख्वामख्वाह ११० में चालान किया गया है। उनके बारे में जब पुलिस आफिसर को बात बतलाई गई तो उन्होंने कहा कि हाँ, बात तो जरूर गलत हो गई है और उनको हम छोड़ देते हैं मगर आप इसकी जिम्मेदारी लें। जिम्मेदारी भी ली गई मगर फिर भी कान्सटेबिल रोज उसको परेशान करते हैं। सचमुच पुलिस ही बदमाश पैदा करती है और पुलिस तब तक बदमाश पैदा करती रहेगी जब तक जहनियत में तब्दीली नहीं पैदा होती है। मेरी पुलिस मंत्री जी से प्रार्थना है कि आप पुलिस को आराम दें और हम उनकी तारीफ करें बशर्ते कि वह सेवक बनें। हमारे जिले में एक थाना है मूसानगर, उसकी इमारत इतनी बदतर हालत में है कि उससे काँजी हाउस भी अच्छे होते हैं। पता नहीं बरसात के दिनों में वहाँ थानेदार और कान्सटेबिल कैसे रहते होंगे। हम चाहते हैं कि उनको आराम मिले और उनकी तारीफ हम कर सकें, मगर तारीफ करने की नौबत तो आवे। इस तरह से तर्ज तो अंग्रेजी जमाने का कायम है मगर ढिंढोरा करते हैं कल्याणकारी राज्य का, यह हो नहीं सकता। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

कारावास उपमन्त्री (श्री मुजफ्फर हसन)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने जेल के मुतालिबे को पेश करते हुये जेल के सुधार के बारे में और जेल के कामों

के बारे में जो कुछ सदन के सामने पेश किया है, मुझे उसमें कुछ इजाफा नहीं करना है। इसके अलावा जो पत्रिका माननीय सदस्यों के हाथ में है जिसमें जेल के कामों की तफसील दी गयी है, वह ऐसी है कि हमारे माननीय उपाध्याय जी को उसी पर जेल जाने की फिर से ख्वाहिश पैदा हो गयी है।

मैं सिर्फ चन्द बातें उस बारे में अर्ज करूंगा जो यहाँ माननीय सदस्यों ने जेल के बारे में सुझाव के रूप में या दूसरे रूप में पेश की हैं। मुझे अफसोस है कि जेल और पुलिस के मतालिबे एक साथ पेश होने की वजह से चूंकि वक्त कम था इसलिये माननीय सदस्य ज्यादातर अपना वक्त पुलिस के मतालिबे पर सर्फ करते रहे और हमें ज्यादा उनके सुझाव सुनने का मौका नहीं मिला। लेकिन जो बातें कही गयी हैं उनके बारे में मैं मुख्तसिर तौर पर कुछ अर्ज करूंगा। हमारे माननीय दीक्षित जी ने कानपुर की जेल के छोटे होने और उसमें कम गुंजायश होने के बारे में जो सुझाव दिया है, उसके बारे में मैं यह अर्ज करूंगा कि वह मामला गवर्नमेंट के सामने है और जो सुझाव उन्होंने दिया है उस पर विचार किया जायगा।

श्री शिवनाथ काटजू जी ने दो बातें जेल के बारे में कही हैं, एक तो क्लासिफिकेशन के बारे में और दूसरी इस बारे में कि सुधार के जो काम हैं वह केवल सेंट्रल जेल और नम्बर अव्वल की जेलों में ही महदूद न रहें बल्कि नीचे की जेलों में भी उनका प्रयोग हो। क्लासिफिकेशन के बारे में मुझे यह अर्ज करना है कि वहाँ अब भी क्लासिफिकेशन मौजूद है यानी जो आदी कैदी हैं, जो बार बार जाने वाले कैदी हैं, वह नये जाने वाले कैदियों से अलग रखे जाते हैं। उनके लिये फैक्ट्री में भी अलग काम दिया जाता है। हममें से जो लोग जेल गये हैं उनको मालूम है कि वहाँ एक बार और बार बार जाने वाले कैदियों का बिल्कुल अलग इन्तजाम है।

इसके अलावा जुवेनाइल जेलें हैं जिनमें छोटे बच्चों के लिये इंतजाम है। हमारे माननीय झारखंडे राय जी ने यह सुझाव दिया था कि जो कम उमर के लोग हैं उनके लिये और भी डिवीजन होने की जरूरत है। मैं उनकी इत्तला के लिए यह अर्ज कर देता हूं कि हमारे कम उम्र के कैदियों के लिये इस वक्त भी दो तरह की जेलें मौजूद हैं। एक रिफार्मेट्री स्कूल है जिसमें कि जो बहुत कम उमर के बच्चे हैं वही रखे जाते हैं। इसके अलावा जो जुवेनाइल जेल है उसमें उससे कुछ ज्यादा उमर के बच्चे रखे जाते हैं। मैं यह भी बता दूं कि एक बोस्टल जेल कायम करने का मसला भी गवर्नमेंट के सामने बहुत दिनों से चला आता है, लेकिन रुपये की तंगी की वजह से हम उसको कायम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही हमें मौका मिलेगा एक बोस्टल जेल की व्यवस्था यहाँ की जायगी।

माननीय काटजू साहब ने एक बात यह भी कही थी कि नीचे की जेलों में सुधार के काम और तालीम के काम को बढ़ाना चाहिए। मैं उनसे यह अर्ज करूंगा कि जहां तक रिक्रिएशन के कामों का ताल्लुक है, अक्सर छोटी जगहों में भी जहाँ क्राइम प्रिवेंशन सोसाइटीज ने रेडियो वगैरा दिया है, वहाँ उसका इन्तजाम किया गया है। तालीम की सहूलियत के लिये यहाँ माडल जेल में उस्तादों को ट्रेन्ड करके बाहर की जेलों में भेजा जाता है जिसमें ऊपर की जेलें भी शामिल हैं और दूसरी, तीसरी और चौथी श्रेणी की जेलें भी शामिल हैं। लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि जो तीसरी और चौथी श्रेणी की जेलें हैं वह ज्यादातर हवालात का काम देती हैं और उनमें जो थोड़े बहुत कैदी होते हैं वह उन्हीं हवालातियों के कामों में लग जाते हैं। इसलिये वहाँ ज्यादा मौका नहीं मिल पाता। माननीय गेंदा सिंह जी ने जेल में अंडर ट्रायल कैदियों की तादाद की तरक्की के बारे में कुछ कहा। यह सच है कि जेल में अंडर ट्रायल्स की काफी तादाद है और उस तरफ गवर्नमेंट का काफी ध्यान है और बराबर हिदायत जा रही है कि उनकी

[श्री मुजफ्फर हसन]

तादाद घटायी जाय। लेकिन मैं उनको इत्तिला के लिये यह बतलाना चाहता हूं कि वह तादाद बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है और जैसा कि इन आंकड़ों से मालूम होगा कि १९५१ में २९,०४६ कैदियों में से ११,५३२ हवालाती थे, १९५२ में ३१,९७८ में से १२,२३६ कैदियों का औसत रहा और १९५३ में ३३,५०१ में से १२,४५१ अंडर ट्रायल्स थे। इसके देखने से यह मालूम होता है कि अंडर ट्रायल्स की तादाद करीब-करीब वैसी ही है, बावजूद उसकी मजमुई तादाद २९ हजार से बढ़कर ३३ हजार हो चुकी है। इस तरफ थोड़ी बहुत तरक्की जरूर है लेकिन जितनी कि होनी चाहिये उतनी नहीं है, यह मैं मानता हूं।

इसके अलावा खाने-पीने की हालत के बारे में भी श्री गेंदा सिंह जी ने कुछ शिकायतें की हैं। मैं समझता हूं कि जो फर्क हुआ है खाने पीने की सामग्री में, उसको थोड़ा बहुत माननीय सदस्य जरूर महसूस करते होंगे। उन्होंने जो यह फरमाया कि जो नान-आफीशियल विजिटर्स हैं उनको ज्यादा विजिट करना चाहिये और सरप्राइज विजिट्स करने चाहिये, इसमें दो रायें नहीं हैं। मैं भी चाहता हूं कि नान-आफीशियल विजिटर्स जिसमें हमारे माननीय सदस्य इस तरफ के भी हैं और उस तरफ के भी हैं वह ज्यादा जेल के काम में अपनी दिलचस्पी लें।

इसी के साथ साथ हमने जो प्रयोग पंचायतों के बारे में किया है वह भी काफी सफल हो रहा है और बहुत सी जगह पंचायतें बन गई हैं जिसमें कैदियों के नुमायंदे खाने पीने का इन्तजाम अपनी निगरानी में करते हैं और उनको राशन सुपुर्द किया जाता है।

हमारे माननीय नारायण दत्त जी, जो अभी जेल से वापस आ रहे हैं, उनको मालूम होता है कि बहुत ज्यादा तकलीफ का अहसास हुआ और उन्होंने काफी शिकायतें की हैं। यह सही है कि जिस जेल में उन्हें जाने का मौका मिला उसकी पापुलेशन उस वक्त काफी ज्यादा थी और उसमें वह ४० साथियों को लेकर पहुंचे तो उसकी तादाद कुदरतन और भी बढ़ गई। आप यह देखें कि हलद्वानी में कुल ६१ आदमियों की जगह है। जिस वक्त तिवारी जी गये उस वक्त ११० आदमी मौजूद थे और ४० का इजाफा हुआ तो जाहिर है कि तंगी जरूर हुई होगी...

श्री नारायणदत्त तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ४७ आदमी ले लिये जाते तो १८७ हो जाते। मैं ही लिया गया।

श्री मुजफ्फर हसन—बहरहाल मैंने तो कम फिगर्स ही बतलाये हैं।

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस का सम्बन्ध प्रदेश के ला ऐंड आर्डर से है, इसलिए हमारे प्रदेश तथा देश के ला ऐंड आर्डर के लिए आज जिस एक बात से बहुत ज्यादा संदेह और खतरा हो सकता है उस बात की तरफ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पाकिस्तान और अमरीका के समझौते के बाद पुलिस विभाग को हमारे देश की भीतरी स्थिति की सही जानकारी बहुत आवश्यक है। इसी प्रश्न से सम्बंधित जमायत इस्लामी के विषय में जिसका आल इंडिया केन्द्र रामपुर में है, कुछ आवश्यक बातें आदरणीय सदन के सम्मुख उपस्थित करना चाहता हूं।

जमायत इस्लामी आज हमारे देश के नागरिकों अर्थात शहरियों पर अपने जरिये से किस तरह का प्रचार कर रही है, उसका उदाहरण मैं उसी के लिट्रेचर से (साहित्य से) देना चाहता हूं। अगस्त, १९५२ का उसका अखबार "उजाला" जो हिन्दी में छपता है, उसका एक उद्धरण है जिसमें कि "जयहिन्द" के बारे में इस प्रकार लिखा है, "इसी प्रकार के कुछ और

सलाम भी हमारे देश में चालू हैं, अब कुछ दिनों से एक नये सलाम ने जन्म लिया है, वह है "जय हिन्द" इसका अर्थ कुछ ऐसा है कि हिंद की जय हो। हिन्द सब से ऊंचा रहे, इस्लाम की नजर में यह बात भी गलत है। इस्लाम किसी एक देश को ऊंचा और दूसरे को नीचा नहीं बनाता।"

इसी तरह वह जमायते इस्लामी हमारे यहाँ के संविधान, कांस्टीट्यूशन के बारे में क्या विचार रखती है और क्या प्रचार कर रही है, इसके लिए फरवरी, १९५२ का जो यही "उजाला" अखबार है उसके अंक में इस प्रकार वर्णन है "आपने देख लिया कि इस्लामी राजनीति का जोड़ किसी और राजनीति से नहीं लग सकता। इसीलिये इस्लाम पर चलने वालों का भी कोई जोड़ किसी दूसरी सियासत से नहीं हो सकता। कोई मुसलमान आगे बढ़ कर यह नहीं कह सकता कि लो देश के राज्य प्रबन्ध के लिए मुझे चुन लो। हमारे देश का विधान वह नहीं है जो कुरान बताता है। देश की राजनीति वह नहीं है जो इस्लाम पेश करता है"।

इसी में आगे लिखा है "अब रह गया वोट देने का मसला। उसे भी समझ लीजिये। जब कोई मनुष्य वोट देता है तो वह अपने काम से यह साबित करता है कि वह लोकतंत्र के बनाये हुए सिद्धान्त के अनुसार अपने आप को देश का मालिक और हाकिम मानता है और अपनी तरफ से कानून बनाने और हुकूमत करने के लिए एक आदमी को चुनना चाहता है। यह बात जानते हुए सोच समझ कर वोट देना इस्लाम के खिलाफ है और खुदा के मुकाबले में अपने आप को हाकिम और मालिक बनाने के बराबर है।"

इसी में आगे लिखा है, "आज जिस देश में हम रहते हैं वहाँ हमारा काम यह नहीं है कि यहाँ गलत सलत बातों में हिस्सा लेने लगें"। आगे लिखा है, "सच्चे मुसलमानों का काम सदा यही रहा है। उन्होंने कभी हुकूमत की हविस में मुल्क नहीं जीते हैं। सच्चे मुसलमानों ने जो कुछ किया है वह खुदा की खुशी के लिए और उसके दीन को फैलाने के लिए किया है। इस काम के लिए जब जरूरत हुई है तो वह लड़े भी हैं और घरों से निकले भी हैं। आज भी जो लोग इस्लाम के सच्चे अनुयायी बनना चाहें और अपने पूरे जीवन को इस्लाम के हवाले करना चाहें उन्हें सारे धंधों से मुंहमोड़ कर वह काम करने पड़ेंगे जिससे अल्लाह का दीन कायम हो और उसका कलमा ऊंचा हो"।

यह जमायते इस्लामी के अखबार उजाले के दो कोटेशन मैंने पढ़ कर सुनाये हैं।

इसी तरह हमारे संविधान में गऊ वंश की उपादेयता को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। मैं आपकी आज्ञा से संविधान की धारा ४८ पढ़ना चाहता हूं।

"The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle".

लेकिन यही जमायते इस्लामी गोवंश के सम्बन्ध में क्या प्रचार कर रही है, इसके लिए भी इसी उजाले अखबार का सितम्बर-अक्तूबर, १९५२ का जो "कुर्बानी" अंक है उसमें कुछ लिखा है। वह लिखता है :

"इन सब बातों से पता चलता है कि गाय की मुहब्बत दिलों से निकालने के लिये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या करना पड़ा--सच है मुसलमान के दिल में अल्लाह की मुहब्बत के सिवा किसी और की मुहब्बत नहीं रह सकती। वह केवल अल्लाह का पुजारी होता है और अल्लाह के सिवा किसी और की पूजा करना या किसी और के सामने सर झुकाना उसका काम नहीं। यूं तो कुरबानी बहुत से जानवरों की हो सकती है

[श्री कृष्ण शरण आर्य]

कुछ गाय की कुरबानी ही जरूरी नहीं है परन्तु जब यह डर हो कि कहीं मुसलमान गाय की इज्जत न करने लगें और उसको पूज्य समझने लगें तो फिर जरूरी हो जाता है कि मुसलमानों को यह बताया जाये कि सारे जानवर तो अल्लाह के पैदा किये हुये हैं। मुसलमान इनको अल्लाह की खुशी के लिये कुरबान करता है। सब इन्सान ही के लिये पैदा किये गये हैं। इन्सान इनसे काम ले सकता है और जो जानवर अल्लाह ने हलाल किये हैं उनका दूध और गोश्त खा सकता है। गाय और बैल भी अल्लाह के पैदा किये हुए जानवर हैं और इन्सानों के काम के लिये बनाये गये हैं। अल्लाह ताला ने इनका दूध और गोश्त हलाल किया है। गाय और बैल पूजा के लिये नहीं हैं। उनका पूजना गलत है। मुसलमान तो बस अल्लाह को पूजता है और उसकी खुशी के लिये सब कुछ कुरबान कर सकता है।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी का प्रभाव है कि रामपुर में आज हमारे सारे प्रदेश से ज्यादा गोवध होता है। वहां की जो म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन जो कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता हैं और प्रजासोशलिस्ट पार्टी के पैक्ट से चुने गये हैं, उन्होंने नगर पालिका के पिछले एडमिनिस्ट्रेटर काल के आदेशों को रद्द करके गऊ वध को उन्नति देने जैसा रास्ता अपनाया है। आज १७५ दूकानें रामपुर शहर में कसाइयों की हैं और लगभग १०० गायों तथा बैलों का आज भी वहां रोजाना बध किया जाता है। तहसील बिलक के भेंसोड़ी और नगरिया खाता वगैरह जो गांव हैं वहां १५-१५, २०-२० गायों का रोजाना वध होता है और वहां से मांस दूसरे स्थानों को जाता है। शहर में, शहरयें आम, बीच बाजार में मांस की लगभग १०० दूकानें हैं जब कि म्युनिसिपल बाई लाज में इसका विरोध निषेध है। इन सब बातों का प्रभाव वहां के ला एंड आर्डर पर पड़ना अवश्यंभावी है क्योंकि वहां की दूसरी जनता अब इसको बर्दाश्त करने के लिये तैयार नहीं है। केवल यही नहीं कि जमाअत इस्लामी को मानने वाले ही अकेले इसकी मदद करते हों बल्कि कुछ और भी लोग जो कि अपना प्रभाव जमाए रखने के लिये आज दूसरी पोशाक में हैं, वह तथा वहां के रियासत काल के सब से बड़े प्रभावशाली व्यक्ति भी इस जमाअत इस्लामी की सहायता करते हैं तथा इसे फाइनेंस करते हैं।

*श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूं कि उन्होंने इस बात को कहा कि पुलिस में अत्याचार का जहां तक सम्बन्ध है, जहां पुलिस में अच्छाइयां हैं वहां अत्याचार भी हैं और उन्होंने किसी न किसी रूप में पुलिस के अत्याचार को मान लिया है। इससे यह साबित होता है कि वह पुलिस की सारी कार्यवाहियों से वाकफियत रखते हैं। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करने के लिये सरकार सोचती है और अपने यहां के अधिकारी वर्ग को यह उस काम को सुपुर्द करती है तो क्या मैं यह समझूं कि अगर पुलिस के अत्याचार जहां तक भी हों यह बिल्कुल समूल नष्ट न किये जायं तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं हो सकती है? मैं यह बात जानना चाहता हूं कि पुलिस के कर्मचारियों में जहां तक कि लोग रहते हैं जाति-पांति और दूसरे तरीके को मानने वाले और लोग होते हैं तो पिछले दिनों मैंने यह बात यहीं पर सुनी---एक सवाल के जवाब में पुलिस मंत्री जी ने यह कहा था कि यदि हम ट्रेनिंग कालेज में सभी लोगों को एक साथ खाने के लिये कहेंगे और उनको विवश करेंगे तो हम पुलिस को खराब कर देंगे, पुलिस फोर्स हमसे बिगड़ जायगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब उन्होंने यह स्वीकार कर लिया है कि जब तक वह पुलिस को छुआछूत मानने देंगे, तभी तक उनके काबू में पुलिस रहेगी अन्यथा उनके हाथों से निकल जायगी,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो इस तरह से सोशल डिसएबिलिटीज बिल को तिलांजलि देना है। जब कर्मचारियों में इस तरह की छुआछूत की भावना होगी तो जहां वह तफतीश करेंगे या दूसरे मामलों में जायेंगे वहां वे वही तरीका बरतेंगे। जिसके यहां खाना खा लिया या दूध भी पी लिया, जिन की उन तक पहुंच होती है उन्हीं के फेवर में रिपोर्ट दे देते हैं। इस तरीके से कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं हो सकती।

मैंने यह भी देखा कि पुलिस में जहां दूसरी जाति के लोग काफी तादाद में भरती किये जाते हैं वहां महज इसलिये कि वे छोटी जाति के हैं उनको डिस्कार्ड किया जाता है और उन्हें भरती नहीं किया जाता है। यद्यपि हरिजनों का कोटा मुकर्रर है लेकिन उसको भी पूरा नहीं किया जाता। यह कह दिया जाता है कि योग्यता की आवश्यकता है। लेकिन छोटी-छोटी नौकरियां जो हैं जैसे चपरासियों की नौकरी है क्या उनमें भी किसी योग्यता की आवश्यकता है, क्या उनमें भी हरिजनों में से कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिलते? पुलिस में खासतौर से पक्षपात होता है। मैं सहारनपुर के बारे में बता सकता हूं कि वहां पर किस तरीके से पुलिस के अत्याचार हो रहे हैं। वहां पर एक स्वीपर इतना पीटा गया कि वह अस्पताल में जाकर मर गया और बाद में जो पीटने वाले थे और उनको सहायता देने वाले थे वह सब छूट जाते हैं। तो पुलिस स्वयं जुल्म पर जुल्म करती है। उन्होंने अपने टाउट्स मुकर्रर कर रखे हैं। उनके जरिये वह रिश्वत लेते हैं और बेगुनाहों को फंसा देते हैं। मैंने अपने यहां देखा हमारे यहां एक कत्ल का वाकया हुआ है जिसमें दूसरे गांव के लोगों को सिर्फ दुश्मनी की वजह से या इस वजह से कि घूस नहीं मिली फंसाया गया और जिन लोगों ने कत्ल किया वह साफ छूट गये। पुलिस के हाथ में है कि न्याय मिलने दे या न मिलने दे। ऐसी अवस्था में मैं निवेदन करूंगा कि इन्वेस्टीगेशन का जो तरीका है उसमें तब्दीली की जरूरत है। जहां तक कि कत्ल के केसेज का सवाल है, तफतीश महज दरोगा के हाथ में नहीं रखनी चाहिए बल्कि उच्च अधिकारी उसकी तफतीश करें। मैंने यह भी देखा कि उच्च अधिकारियों में मेरे जिले में एक क्लिक सी बन गई है। वह जिसको चाहते हैं उसको सपोर्ट करते हैं। वहां पर यह हालत हो गई है कि कोई पार्टी वगैरह का ख्याल नहीं है। बल्कि अधिकारियों में एक क्लिक हो गई है और वह जो चाहते हैं वह करते हैं। अगर क्लिक के बेसिस पर कोई हुकूमत चल सकती है तो मैं समझता हूं कि वह नहीं चल सकती, वह कुछ दिनों के लिए है। ऐसी स्थिति में मैं दरख्वास्त करूंगा कि अफसरों को तम्बीह करें कि इस तरह की क्लिक वगैरह में वह न पड़ें।

जहां तक जरायम का सम्बन्ध है किसी की सिफारिश न सुनें। खुद तफतीश करें और अपनी रिपोर्ट दें। जहां तक रिपोर्ट का सम्बन्ध है रिपोर्ट लिखी नहीं जाती। लिखते भी हैं तो वही बात है चोरी हो गई ठीक है। मुझे रिपोर्ट मिली कि मेरे नजदीक की दूकान पर चोरी हो गई लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर एस० पी० के यहां शिकायत की जाती है तो फिर वह शिकायत लौट फिर कर थानेदार के पास आ जाती है और मामला दबा दिया जाता है। ऐसी अवस्था में मैं यह निवेदन करूंगा कि पुलिस फोर्स में सभी वर्गों के लोगों को मौका दिया जाय ताकि यह न हो सके कि यह मामला तो अमुक जाति वाले का है लिहाजा दबा दो। मेरे सुझाव पर अमल करने से पक्षपात न हो सकेगा वर्ना इस तरह से कल्याणकारी राज्य स्थापित नहीं हो सकता।

श्री हनुमान प्रसाद मिश्र (जिला सीतापुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री गेंदा सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये माननीय गृह मंत्री का ध्यान पुलिस के कुछ कारनामों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पुलिस के संबंध में मुझे यह निवेदन

[श्री हनुमान प्रसाद मिश्र]

करना है कि जितने क्राइम्स इस सूबे में हो रहे हैं यदि उनको दो विभागों में बांट दिया जाय तो एक साफ और सच्चा चित्र सामने आ जायगा। एक तो वह जो पुलिस खुद क्राइम कर रही है जो ५० फीसदी है जैसे चोरियां, डकैतियां और जालसाजी के मामले पुलिस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खुद करती और चलाती है। मैं अपने जिले से संबंधित ३ साल का अगर माननीय मंत्री जी चाहेंगे तो इनका हिसाब पेश करूंगा कि कितने कत्ल पुलिस ने खुद सीधे-सीधे किये, कांस्टेबिलों और दरोगाओं ने वहां किस तरह से लोगों को जान से मारा, बच्चों और औरतों को जानयसे मार डाला है और कितनी चोरियां, डकैतियां डलवायीं। मैं चाहता हूं कि इसका हिसाब लगाया जाय और अगर माननीय गृह मंत्री इस तरफ ध्यान दें तो जितने क्राइम्स होते हैं उनमें ५० फीसदी खत्म हो सकते हैं जो कि पुलिस के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किये जाते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी की ईमानदारी या नेकनियती पर पूरा विश्वास करता हूं लेकिन इस बात को अच्छी तरह से समझता हूं कि मंत्री जी पुलिस पर काबू पाने में बिलकुल असफल हुये हैं। पुलिस की दिन ब दिन जो तारीफें की जाती हैं उससे क्राइम्स बढ़ते जाते हैं। जैसा कि और भाइयों ने कहा यह ठीक है कि रिपोर्ट्स लिखी नहीं जाती अगर लिखी भी जाती हैं तो उनकी शक्ल ही बदल दी जाती है। डकैती को कत्ल और कत्ल को बिल्ली कुत्ते का झगड़ा दिखलाया जाता है। राजनैतिक पार्टियों को बदनाम करने के लिये गलतफहमियां पैदा की जाती हैं। मैं बतलाना चाहता हूं कि अगर पुलिस का यही रवैया और रफ्तार रही तो निश्चित रूप से पुलिस इस सरकार को समाप्त कर देगी। इसमें कोई शक नहीं या तो पुलिस रहेगी या जनता रहेगी। यह सरकार यह समझती है कि वह पुलिस के बल पर ही टिकी हुई है और जनता के बल पर नहीं। इसी कारण जनता सरकार से बिल्कुल अलग है। पुलिस और जनता के बीच की दीवार और खाई दिन ब दिन मजबूत होती चली जा रही है। इसी पुलिस ने अंग्रेजी हुकूमत को खत्म किया है। उसके कारनामों ने उसके खत्म करने में बहुत बड़ी मदद की है और यही पुलिस कांग्रेस सरकार को भी खत्म करने में बहुत बड़ी सहायक होगी। कांग्रेस क्या सोशलिस्ट पार्टी किसी की भी सरकार क्यों न हो वह सरकार पुलिस को दुरुस्त नहीं करती है तो वह सरकार निश्चय ही इस पुलिस का शिकार बनेगी। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक रिपोर्टों का संबंध है अभी १३ तारीख को मैं अपने हलके में जांच करने के लिये गया। कप्तान पुलिस मुझसे ३ घंटे पहले उसी इलाके के कमालपुर थाने की जांच करने के लिये गये थे। मैंने वहां पर ११ नकब देखी। कप्तान पुलिस को सरकिल इन्सपेक्टर और थानेदार ने एक खेत में वहां पर बैठा दिया और जो सही लोग थे उनमें से एक आदमी को भी वहां पर नहीं जाने दिया गया और जो उन्होंने चाहा वही बयान कर दिया। ९ नकब खोदी हुई वहां पर मैंने पाया, दो नकबें साबर से खुदी थीं। ११ नकबों में से सिर्फ दो नकबों की रिपोर्ट वहां पर लिखी गयी है। आज जनता वहां पर इतनी आतंकित है कि एक आदमी भी वहां पर रिपोर्ट लिखाने के लिये तैयार नहीं है। वहां पर लोगों से पूछा गया कि ये नकबें किसने लगायीं तो उन्होंने कहा कि हमारे दादा-बाबा जानते होंगे। किसी ने सही सही बात पुलिस को नहीं बतलायी लेकिन कुछ आदमी मिले जिन्होंने वास्तविक स्थिति मुझे बतलायी। मेरे स्थान महमूदाबाद के थाने के अन्दर ६ महीने के अन्दर ८ डकैतियां हुई लेकिन वहां पर सिर्फ दो डकैतियां शायद उनमें से दर्ज की गई हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मेरे गांव के आसपास भी चार डकैतियां हुईं जहां का मैं रहने वाला हूं। उसके चार मील इधर-उधर ये डकैतियां हुई हैं। मैं आपसे बताता हूं कि पुलिस के बारे में यह गलतफहमी है कि वह काम ठीक तरह से कर रही है। हमारी हुकूमत को भी गलत फहमी है कि जरायम कम हो रहे हैं। जरायम में दिन ब दिन तरक्की होती जा रही है। जाली मुकदमे चलाना तो पुलिस के लिये मामूली बात है। आज पुलिस से अदालत परेशान है। जिलों में कप्तान पुलिस जो चाहें करते हैं उनके ऊपर कोई नुक्ताचीनी करने वाला नहीं है। अदालतें रो रही हैं। मैं माननीय पुलिस मंत्री

से निवेदन करूंगा कि किसी तरह से कभी वह अदालतों के क्षेत्र के अन्दर जायं और वहां पर देखें कि किसानों के जत्थे जो वहां पर बैठे रहते हैं पुलिस के लिये क्या कहते हैं और उनकी दर्दनाक आहों को सुनें। जिलों के अन्दर १०७ के अन्दर ४०-४० आदमियों का चालान करके उनकी हस्ती को बरबाद किया जाता है। उनके ऊपर ३-३ साल से मुकदमे चल रहे हैं, उनके रुपये पैसे को मुकदमेबाजी में नष्ट-भ्रष्ट किया जा रहा है यह आम जनता का रोना है। आज मैं ही इस बात को नहीं कह रहा हूं बल्कि सभी पार्टियों के लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। यह कह देना कि बजट के आंकड़े बहुत भारी हैं और यह बजट एक कल्याणकारी राज्य का बजट है इसकी तो यही नजीर हो सकती है कि किसी का पेट बहुत बड़ा हो और उसको स्वस्थ कहा जाय। जलोदर से बड़ा पेट होना रोग का कारण है और उसको स्वस्थ कदापि नहीं कहा जा सकता। ताज्जुब तो यह है कि यहां तो वह रोगी भी अपने को स्वस्थ समझता है। बजट के आँकड़े बहुत बड़े हैं लेकिन इससे कल्याणकारी राज्य नहीं बन सकता है। अन्त में मुझे यदि अवसर मिलेगा तो मैं मंत्री जी की सेवा में उन सारी पुलिस की कार्रवाइयों को रखूंगा जिनकी मैंने चर्चा की है।

*श्री नाजिम अली (जिला सुल्तानपुर)---आज आजाद भारत की सरहद पर अगर एक सिपाही बन्दूक लिये खड़ा हो और वह अपने देश की रक्षा के लिये खड़ा है तो यह हमारे लिये गौरव की बात है। अगर एक पुलिस का सिपाही लखनऊ में खड़ा हो और जनता से कहता हो कि सुख की नींद सोओ हम तुम्हारी जान-माल की हिफाजत करेंगे तो यह गौरव की बात है। अगर वह सिपाही इसलिये सोने को कहता हो कि वह जनता को लूट ले तो यह जिल्लत की बात है। अगर इसी तरीके से कोई स्त्री यह ख्याल करती है कि अब पुलिस के रहते हमारी इज्जत को कोई डर नहीं है तो गौरव की बात है। लेकिन इसी तरीके से अगर वह पुलिस से डरती है और यह समझती है कि अब कांस्टेबिल से हमारी इज्जत नहीं बच सकती तो यह हमारे लिये लज्जा की बात है। हमारे मंत्री जी ने खुद बजट स्पीच में इस बात को तस्लीम किया है कि पुलिस में अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। मैं यह कहता हूं कि आज यह गवर्नमेंट आजाद भारत की है और जब हम उस आजाद भारत के समाज को देखते हैं तो उसी समाज से जवाहरलाल भी पैदा हुये हैं और मंत्री जी भी पैदा हुये हैं यह हमारे लिये गौरव है। जब पुलिस की तरफ ख्याल करते हैं तो आज यह मालूम होता है कि दीवानी और कलेक्टरी का आदमी कुछ सुधरा हो लेकिन पुलिस का आदमी नहीं सुधरा है। यह समाज का कसूर नहीं है। कसूर है म होल का। इस पुलिस में परिवर्तन क्यों नहीं होता है? सिर्फ एक तरीका है परिवर्तन लाने का और वह यह है कि तमाम पुलिस को एकदम बदल दिया जाय। एक कुंवे के अन्दर पानी भरा हुआ है। आप उसके अन्दर १ कनस्टर मिट्टी के तेल का डाल दीजिये और ४ कनस्टर पानी निकाल दीजिये फिर एक कनस्टर तेल डालकर चाहे ८ कनस्टर निकाल लीजिये लेकिन उसके अन्दर से तेल की बदबू नहीं जायगी। पुलिस में इसी तरह से ४ आदमी पेंशन जाते हैं और नये ६ भरती होते हैं, तो जहां ४ पहले से घाघ मौजूद हैं या ६ हैं वह कहते हैं नये आदमी के लिये कि यह हरिश्चन्द्र आ गया और रिश्वत नहीं लेता है। तो उस बेचारे नये आदमी को झक मार कर उनमें मिल जाना पड़ता है और वह भी बिगड़ जाता है। मैं पुलिस से बहुत नुक्सान उठा चुका हूं और शायद इतना किसी ने न उठाया हो। मुझे उसका बहुत अनुभव है। मैं एक प्रोपोजल रखता हूं जिससे इस प्रदेश की जनता यह समझ सकती है कि सही मानों में स्वराज्य है और यह बड़ी जिल्लत की बात है कि आज हमारे सिपाही की जात से हमारी बेइज्जती हो। मेरा प्रोपोजल यह है कि सिपाही से लेकर आई० जी० तक सब एक समय निकाल दिये जावें, चाहे आप उनको

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नाजिम अली]

पेंशन दें या इनाम दें। उनकी जगह एकदम नये लोग ऊपर से नीचे तक रखे जावें। इससे नये लोग नई रीति से काम करेंगे और रिश्वत का नाम नहीं रहेगा। आज हमारे लिये यह बड़े शर्म की बात है कि पुलिस के सिपाही को देखकर जनता सहम जाती है। वह इसे अपना बचाने वाला नहीं समझती।

दूसरी बात मैं उनकी तनख्वाह के सिलसिले में कहना चाहता हूं। २१ रुपया तनख्वाह बहुत कम है। आप एक मुदर्रिस को या चपरासी को जो सिर्फ ८ घंटे के नौकर हैं ४०-४५ रुपये या ५०-५० रुपये माहवार देते हैं लेकिन एक सिपाही को जो २४ घंटे का नौकर है उसे आप कम देते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सिपाही की तनख्वाह ८०-८५ रुपये से स्टार्ट होनी चाहिये। अगर माननीय मंत्री जी तमाम पुलिस को बदल देंगे तो उस दिन सूरज पूरब से निकलेगा और उस समय लोग यह समझेंगे कि आज सही मानों में स्वराज्य है। जय हिन्द।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के भाषण से यह सिद्ध होता है कि हमारी पुलिस सुधरती जा रही है। जितने भी इस सदन के माननीय सदस्य हैं वे भी इस बात को समझते हैं और मानते भी हैं। हमारे पास अनेकों पुस्तिकायें वितरण की जाती हैं जिनको देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे यहां की पुलिस इतनी अच्छी होती जा रही है। हमारे मंत्रीगण दौरे पर पहुंचते हैं और पुलिस के ठाटबाट देखते हैं और अफसरों से मिलते हैं तो दिखाई पड़ता है कि शायद इतना उत्तम पुलिस प्रयत्न हमारे देश मे कभी नहीं हुआ हो। परन्तु इसके विपरीत मैं यह समझता हूं कि हमारा रक्षक ही भक्षक है। इसका कारण यह है कि हमने दौरों का उद्देश्य ही भुला दिया है। हमने किसानों और गरीबों की ओर जाना ही छोड़ दिया है। जिस समय हम अपने प्रदेश में दौरे करते हैं तो इन गरीब किसान लोगों से बातें भी नहीं कर सकते। वहां के कलेक्टर या दूसरे सरकारी अफसरों से बात करने ही से फुरसत नहीं मिलती है। वे कागजों से तथा और बातों से पेट भर देते हैं। यह दोष हमारे मंत्री जी का नहीं है। वह ठीक ही समझते हैं और जैसा वे कागजों में देखते हैं वैसा ही प्रकट भी होता है। परन्तु यह बात नहीं है। मैं यह समझता हूं कि इस समय जो गिरावट हमारी पुलिस की है वैसी संसार भर में भी कहीं नहीं है। इसके साथ ही मैं एक उदाहरण रखता हूं। आई० जी० साहब भी यहां बैठे हुये हैं। गत वर्ष उन्होंने एक चिट्ठी छापी थी और उसको तमाम प्रदेश में घुमाया था। यहां भी बांटी गयी थी और यहां के जो सदस्य गण हैं वे उस चिट्ठी को लेकर अपनी-अपनी कांस्टीट्यूएंसी में गये थे। उस चिट्ठी में यह दिखलाया गया था कि रिपोर्ट दर्ज करने में कोई भी पुलिस वाला रिश्वत न ले। लेकिन उसका असर बिल्कुल उल्टा ही हुआ और उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। इसके स्थान पर अब पांच उंगली दिखलाई जाती है और रिश्वत अब पांच छः गुनी हो गयी है। मैं देखता हूं कि एक दुखी आदमी जब रिपोर्ट करने के लिये पहुंचता है तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है और अगर रिपोर्ट रुपया लेकर लिखी भी जाती है तो वास्तविक रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है और अपने बचाव के लिये पुलिस गलत तरीके से रिपोर्ट दर्ज कर लेती है ताकि उसकी बदनामी न हो। वास्तविक केस को छिपा दिया जाता है और हमारी सरकार को दिखाने के लिये वे इस बात की खुशी मनाते हैं कि हमारे हल्के में कोई भयंकर अपराध नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की रिश्वत कभी भी बन्द नहीं हो सकती। इसके बारे में मैं एक सुझाव देता हूं।

श्री भगवान सहाय—उपाध्यक्ष महोदय, लोग आपके ऊपर असर डालने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—यह बात नहीं है। पार्टी के व्हिप कभी-कभी मेरे पास आ जाते हैं।

श्री श्रीचन्द--मेरा समय बरबाद कर दिया। मैं इस समय एक मुख्य बात निवेदन कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी बात कर रहे हैं वे मेरी बात सुनें। आई० जी० साहब भी इस पर ध्यान दें और इस समय आई० जी० साहब एक सरक्यूलर जारी करें कि थानों में जाकर अब कोई रिपोर्ट न करें और रजिस्ट्री द्वारा रिपोर्ट भेजी जाया करे और जो गरीब आठ आना पैसा भी सहन न कर सकता हो तो वह अपनी रिपोर्ट गांव के प्रधान को दे और उसके द्वारा वह रिपोर्ट थाने में भेजी जाया करें। इस प्रकार से जो रिपोर्ट जायगी उसको थाने वाले इधर उधर नहीं कर सकते और अवश्य ही उस पर कार्यवाही करनी होगी। इसके साथ ही यह बात हो जायगी कि वास्तविक घटना दर्ज हो जायगी और आपको मालूम हो जायगा कि हमारे थाने में कितनी रिपोर्ट्स डकैती, कितनी कत्ल और कितनी राहजनी की होती हैं। जगह-जगह पर कत्ल हो रहे हैं, जगह जगह पर राहजनी हो रही है लेकिन उसके स्थान पर कुछ का कुछ लिख दिया जाता है। पहले अगर कोई लावारिश भी मर जाता था तो २-३ जिलों की पुलिस आकर जमा हो जाती थी। देहातों के अन्दर बहुत आतंक छा जाता था और ऐसा मालूम होता था कि न जाने क्या हो गया लेकिन अब देहातों में लाशें पड़ी सड़ती रहती हैं। कौन कत्ल कर गया यह तो मालूम ही नहीं होता। इस प्रकार की बातें हो रही हैं। आई० जी० साहब ने जो सरक्यूलर पिछले साल निकाला था उसके पालन न होने से भी उनकी हतक हुई। अब मेरी उनसे प्रार्थना है कि अगर वे जन राज्य कायम करना चाहते हैं तो अपने उन आदेशों को अब अमली जामा पहनायें और थानों में होने वाले अत्याचार और भ्रष्टाचार को बन्द करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय वे दौरे पर जायं तो सरकारी अफसरान, दरोगा, और एस० पी० से अलग हटकर भी पहले जिस तरह से घूमा करते थे वैसे ही घूमें और पब्लिक के लोगों की भी सुनें। किसान तथा मजदूरों को उनके कष्टों को सुनकर अपनायें और मालूम करें कि पुलिस की क्या कार्यवाही है। जब उनकी बातें मालूम हों तो मालूम करके उनसे पूछिये और उनका विश्वास कीजिये। अगर इस दिशा में सब प्रकार से कुछ करने पर कोई भला आदमी मारा भी जाता है तो उसका प्रभाव इतना अच्छा होगा कि आगे चलकर वे अत्याचार नहीं कर सकेंगे और जो जालिम व निर्दयी आदमी हैं वे बच जायेंगे। अब जहां कि झगड़ा-फसाद या चोरी होती है तो दारोगा जी देहात में पहुंचते हैं, वहां पर उनका अड्डा गड्डा उसी तरह से मौजूद है, वहां मुखिया वहां हैं, वही उनको रिश्वतें दिलवाते हैं, सब बातें वैसे ही सब हो जाती हैं, सब रुपया वहीं तय हो जाता है और जब किसी चीज की खोज होती है तो जो वास्तविक कसूरवार होता है वह तो छोड़ दिया जाता है और जो मालदार होता है, इज्जत आबरू वाला होता है उसको पकड़ लिया जाता है और उनसे रुपया वसूल किया जाता है। अब भी बुरी तरह से मार पड़ती है उनके ऊपर। मैंने खुद मुजफ्फरनगर में देखा है कि एक आदमी के शरीर पर कुछ नहीं होंगे तो कम से कम सैकड़ों निशान होंगे और वह १० रोज तक नहीं उठ पाया। मैंने उसके लिये कहा भी लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं की गयी। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मैं ऐसी सैकड़ों वारदातें बतला सकता हूं लेकिन मुझे अपनी दुर्दशा नहीं करानी है।

*श्री वीरेंद्रपति यादव (जिला मैनपुरी)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पुलिस अनुदान के संबंध में आपके समक्ष अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं। जहां तक जरायम का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि जरायम की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जाती है। आज हमारे पुलिस मंत्री जी यह कहते हैं कि उनके पास जो जरायम के आंकड़े आते हैं वे कप्तान पुलिस से आते हैं लेकिन जब उनसे प्रश्न किया जाता है कि ये जरायम के जो आंकड़े आते हैं उनके आने का कोई दूसरा रास्ता भी आपके पास है, तो उसके उत्तर में माननीय मंत्री

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]

महोदय जी कहते हैं कि यह हो सकता है लेकिन वह स्पष्ट नहीं है कि इन आंकड़ों के अलावा उनके पास और कहां से आंकड़े आते हैं। लेकिन हमारी सरकार को जानना चाहिये कि जो जरायम की रिपोर्ट थाने में नहीं लिखी जाती है उसके मुताल्लिक जिलाधीश के पास, कप्तान पुलिस के पास रजिस्ट्री चिट्ठी द्वारा अदालती काम के सिलसिले में रिपोर्ट की सूचनायें दी जाती हैं। लेकिन जो ये सूचनायें दी जाती हैं उनका कोई आंकड़ा हमारी सरकार के पास पुलिस कप्तान के द्वारा नहीं आता। जो आंकड़े हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं—जैसे कि १९५३ में दिखलाया गया है कि २४,३६४ के करीब जरायम हुये। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि जो आंकड़े हमारी सरकार के सामने हैं ये बिलकुल झूठे हैं। मैं तो समझता हूं कि पुलिस द्वारा सही रिपोर्ट लिखी ही नहीं जाती है। थानों में आंकड़े छिपाये जाते हैं और रिपोर्ट इसलिये नहीं लिखी जाती है कि कहीं उनसे पूछा न जाय कि तुम्हारे थाने में इतने जरायम क्यों बढ़ रहे हैं? मैं तो कहता हूं कि साढ़े २४ हजार के करीब जो जरायम की संख्या बतलायी गयी है वह कम से कम दसगुना होगी। आज हम जानते हैं कि हम लोगों का नैतिक स्तर कम हुआ है लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी कहने को तैयार हूं कि जहां हमारी जनता का नैतिक स्तर गिरता जाता है वहां हमारे कर्मचारियों का भी नैतिक स्तर गिरता ही चला जा रहा है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जो हमारे बीच में हमारी जनता है, जो इस तरह के जरायम करती है उन्हीं के करीब-करीब या कहीं अधिक संख्या में जरायम सरकारी कर्मचारियों द्वारा होते हैं। वे जरायम ऐसे हैं जो कि एक आश्चर्यजनक बात हो सकती है। हमारी जनता द्वारा जरायम तो होते ही रहते हैं लेकिन हमारे सरकारी कर्मचारियों द्वारा जो जरायम हो रहे हैं वे केवल एक ही तरीके के हैं। वे अपने को जरायम के विशेषज्ञ समझते हैं और उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने एक केस है जिसमें एक सब-इंस्पेक्टर महोदय ने अपने हाथ से कुछ आंकड़े लिखे थे और वह आंकड़े रिश्वत के थे। जो रकम उन्हें २६-२७ दिन के अन्दर मिली थी वह २७ सौ रुपये थी। यह उस सब-इंस्पेक्टर के हाथ से लिखा हुआ कागज है। वह कागज मुझे एकाध मंत्रियों को भी दिखलाने का अवसर हुआ है और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश के एक सब-इस्पेक्टर को २ करोड़ २५ लाख रुपये के करीब सालाना आमदनी है। यह एवरेज में उसी कागज के आधार पर लगाता हूं जो कागज मेरे पास है। और अगर हिसाब लगाया जाय कि औसतन एक जिले में १५ थाने हैं और एक एक थाने में एक थानेदार है और वह २७ सौ रुपये ले सकता है तो फिर कितना आयेगा। वही आंकड़े होंगे जो मैंने दिये हैं तो इस ओर माननीय मंत्री को खास तौर से ध्यान देना है। हम लोग सरकार को मदद देते हैं, अधिकारियों को सहायता पहुंचाते हैं कि यह रिश्वतखोरी बन्द हो। लेकिन जब हम लोग सुपरिन्टेंडेंट पुलिस के पास जाते हैं तो हमारे दुर्भाग्य से, हमारी सरकार के दुर्भाग्य से और जनता के दुर्भाग्य से हमारे कप्तान पुलिस के पास पहुंचने के १० मिनट पहले ही सब इन्सपेक्टर साहब को खबर पहुंच जाती है। हम लोग जाते हैं, छिपे रहते हैं और पकड़ने की कोशिश करते हैं और हो कुछ नहीं पाता और दूसरे दिन वही सब-इन्सपेक्टर साहब यह कहते हुये सुने जाते हैं कि हमको तो इसकी इत्तिला पहले ही रात में ही मिल गयी थी। हमारे कर्मचारियों की इस तरह की क्रिमिनल मेन्टैलिटी हो रही है। एक सब-इन्स्पेक्टर साहब कहते हैं कि अगर सौभाग्य से या दुर्भाग्य से हमारे साथ ऐसा होता तो हम सबसे पहले उस एम० एल० ए० या उस एम० पी० को शूट कर देते। अगर किसी ऐसे एक जिम्मेदार आदमी के लिए जिम्मेदार आदमी को छोड़ दीजिये, जो किसी मामूली आदमी के लिये भी कहता है कि सबसे पहले मैं उसको शूट कर देता तो इससे अधिक क्रिमिनल मेन्टेलिटी क्या हो सकती है। ऐसे लोगों का हमारी सर्विसेज में कैसे कोई स्थान होना चाहिये और यह बात मैंने यहां पर नहीं बल्कि अधिकारियों के बीच में भी कही थी। लेकिन हम लोगों को तो निराश हो जाना पड़ता है कि हम क्यों अधिकारियों से कहें। जब

हमारी बात कोई सुनने के लिये तैयार नहीं है तो हम क्या सहयोग दें और क्या मदद दें, जब हमारी सरकार ही हमारी बात को अच्छी तरह से सुनने के लिये तैयार नहीं है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उपाध्यक्ष महोदय, जब जेल और पुलिस दोनों विभागों के अनुदान एक साथ लिये गये तो यह मानीबात थी कि जेल के संबंध में बहुत कम बातें कही जायेंगी। जो खास-खास बातें कहीं गई हैं उनके संबंध में श्री मुजफ्फर हसन साहब ने काफी ब्यौरे से जवाब दे दिया है। दो एक बातों की चर्चा मुझे जरूर करनी है।

माननीय श्री नारायणदत्त जी ने ओवरक्राउडिंग और इमारतों के खराब होने का जिक्र किया और कुछ और चीजों का जिक्र उन्होंने किया जिसका अनुभव उनको अभी हाल ही में हुआ। कुछ और माननीय सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया। यह बात बिलकुल सही है कि इस वक्त ओवरक्राउडिंग है। यह बात भी सही है कि जेल की बहुत सी इमारतों की हालत बहुत खराब है। माननीय सदस्य बजट को देखें तो सिवाय दो एक जगहों के जैसे कहीं दीवार ही गिर रही हो, ऐसी मुसीबत को छोड़कर आमतौर से नयी इमारतों के बनवाने के लिये हम रुपया नहीं रख रहे हैं। इसकी वजह स्पष्ट है और वह यह कि प्रदेश के ऊपर आर्थिक संकट है। जो कुछ पैसा बचता है वह अपने भरसक उन कामों में खर्च किया जाता है जिनको कि डेवलपमेंट का काम कहते हैं। इसलिये दिक्कत है और मैं इसको स्वीकार करता हूं। इमारतों की लीपा-पोती होती है और कुछ इमारतों की थोड़ी बहुत मरम्मत भी करने की कोशिश की जाती है। हम आशा करते हैं कि एक बार डेवलपमेंट के काम कम हो जायं फिर शायद इस विभाग के हिस्से में भी कुछ पैसा आजायगा।

श्री नारायणदत्त जी ने इस बात का भी जिक्र किया कि कैदियों के खाने का औसत करीब ७ आने या साढ़े सात आने पड़ता है और उन्होंने पूछा कि भला एक आदमी का इतने में क्या हो सकता है। इस सवाल का जावब दो तरह से हो सकता है। यों तो हमारे जेल में जो डाइट रक्खी गई है वह बड़े-बड़े डाक्टरों की राय से रक्खी गई है। उस खाने में साधारण तौर से जितनी प्रोटीन या विटामिन इत्यादि होनी चाहिये या और जिन चीजों की जरूरत होती है वह उसमें काफी है। इस निगाह से तो हम कह सकते हैं कि उतना काफी है। मगर यदि उन्हें और ज्यादा दिया जाय तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। इस वक्त तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि जितना दिया जा रहा है वह बेर मिनिमम है और इससे ज्यादा देने की हम हैसियत नहीं रखते।

एक बात का और जिक्र हुआ। किसी माननीय सदस्य की राय थी कि जेलों में सर्प्राइज विजिट्स की जायँ। अगर मिनिस्टर्स वगैरह कभी जाते भी होंगे तो वह जेल देखने जाते नहीं होंगे, मेरा ऐसा ख्याल है क्योंकि मैं खुद भी नहीं जा पाता। लेकिन जहां तक माननीय सदस्यों की बात है उनको मेरी समझ में ऐसा करना चाहिये और सर्प्राइज विजिट्स के द्वारा उनको जो बातें मालूम होंगी वह बहुत ही कीमती होंगी। शायद इस बात का सबको पता नहीं है, मैं बताता हूं कि जेल मैनुअल की दफा ६७२ बी में माननीय सदस्यों को सर्प्राइज विजिट्स करने का अधिकार है और वह ऐसा कर सकते हैं। अगर इसके रास्ते में उन्हें कोई रुकावट हो तो उसकी ओर वह मेरा ध्यान आकृष्ट करें, मैं उसे देखूंगा कि इस मामले में उनको क्या दिक्कत हुई।

श्री नारायणदत्त जी ने किसी रेड्डी का जिक्र किया। हरशल रेड्डी नाम के एक सदस्य हैं लेकिन वह १०९ में नहीं हैं। उनपर सेक्शन ४७४, १७० और १६२ आई० पी० सी० के अनुसार मुकदमा चल रहा है। जो सेक्शन्स उनपर लगे हैं उनके अनुसार वह जमानत पर छूट सकते हैं मगर उनकी जमानत देने वाला कोई नहीं मिलता तो मजबूरी है

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैंने कुमार रेड्डी के लिये कहा था।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--दरियाफ्त करने पर हरशल रेड्डी का हाल मालूम हुआ है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या वह मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह मैं नहीं कह सकता। इतना ही मुझे मालूम हुआ है कि चार दफाओं में उनपर मुकदमे चल रहे हैं और वह बेल पर छूट सकते हैं। उन पर दफा १०९ नहीं लगी है।

अब मैं कुछ थोड़ा सा जिक्र पुलिस की बाबत भी करता हूं। पुलिस एक ऐसा मुहकमा है कि जिसका नाम आते ही व्यक्तियों का टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ जाता है और बहुत जल्दी गुस्सा आता है लेकिन गुस्से से तो कोई मसला नहीं होता नहीं है और गुस्से का जवाब गुस्से में ही देने पर अगर मसला हल होने वाला भी हो तो भी बिगड़ जाता है। बहरहाल जिन सदस्यों ने गुस्से से काम लेना उचित समझा उनसे तो मैं पहले ही हार मान बैठा हूं।

मेरी मजबूरी है कि जिस स्तर पर वह बात करते हैं उस स्तर तक न मैं उतना ऊंचे जा सकता हूं और न उतना नीचे उतर सकता हूं, जो भी समझा जाय।

मुझे एक बात की बड़ी खुशी है जैसा कि माननीय उपाध्याय जी ने कहा कि पुलिस का एक ऐसा मुहकमा है कि इसकी चर्चा होते ही सारे सदन में एक सालिडैरिटी का भाव पैदा हो जाता है। मुझको इस बात की बड़ी खुशी है कि सालिडैरिटी का साधन मैं बन जाता हूं। संभव है कि इसी प्रकार सालिडैरिटी होते होते हम एक दूसरे के करीब आ जायं और हम मामले में एक दूसरे के साथ काम करना सीखें।

यह तो मैं पहले कई बार कह चुका हूं और फिर दोहराता हूं कि जो असलियत हो उसको छिपाने से कोई फायदा नहीं। मैंने कभी भी अपनी समझ में असलियत को छिपाने की कोशिश नहीं की। यह हो सकता है जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं कि हम लोगों को जो आज इन कुर्सियों पर बैठे हैं असलियत का उस तरह से पता न हो जिस तरह से कि उन माननीय सदस्यों को पता होता है जोकि हर जगह घूमते हैं, फिरते हैं, देहातों में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। हम उतनी आसानी से लोगों से नहीं मिल पाते हैं, न और लोग ही हम लोगों से उतनी आसानी से मिल पाते हैं। यह बात सही हो सकती है। लेकिन यह बात भी गलत है कि हमको असलियत का बिल्कुल पता नहीं होता। यह बात भी गलत है कि हमारे पास जो सरकारी रिपोर्टें आती हैं उनको वेद वाक्य मान करके उनके प्रति हमारा एक अन्ध विश्वास होता है। हमारे सामने यह रिपोर्ट होती है और इस तरह से भी हम काम नहीं करते हैं कि उन रिपोर्टों को रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिये, वह १६ आने गलत हैं। साथ ही जो माननीय सदस्य यहां पर हैं उनसे भी बातचीत करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। जिलों के वर्कर्स भी हमारे पास आते रहते हैं। सभी वर्गों और पार्टियों के लोग हमसे मिलते-जुलते रहते हैं। इस तरह से एक सन्तुलित राय बनाने की हमें सुविधा हासिल है। जो मैं बार-बार कहता रहा हूं और जो मैं दूसरों से भी कहता हूं और अपने भी सामने रखता हूं वह यह है कि किसी चीज का जनरेलाइजेशन आसानी से नहीं करना चाहिये। आज अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी हैं। हमको बुराइयों को भी देखना चाहिये और अच्छाइयों को भी देखना चाहिये और दोनों को अपने सामने रखकर एक सन्तुलित तस्वीर सामने रखना चाहिये। यह मैंने कभी नहीं कहा कि जो बुराइयां हैं उनकी तरफ से आंख बन्द कर ली जाय और उनपर पर्दा डाल दिया जाय। कम से कम मेरी कोशिश कभी ऐसी नहीं रही।

यहां बहुत से व्यक्तिगत मामलों का जिक्र हुआ। यह जाहिर बात है कि हर व्यक्तिगत मामले का जवाब तो यहां पर दिया नहीं जा सकता, वह गौर करने की बातें हैं। कहीं-कहीं खास जिले की बातें हैं, वह भी विचार करने की बातें हो सकती हैं। यहां पर मैं कुछ उन्हीं बातों की चर्चा कर सकता हूं जो कि आम तरह की हैं। पुलिस में जो दोष हैं उनका सब से पक्का इलाज वही है जैसा कि सुझाव हमारे मित्र नाजिम साहब ने दिया। इससे सुन्दर और अच्छा उपाय कोई हो नहीं सकता। लेकिन जैसा कि बजट के आम वादविवाद के सम्बन्ध में मैंने कहा था कि हमारी मुश्किल यह है कि उस उपाय से हम काम नहीं ले सकते कि सारी की सारी पुलिस

एकदम निकाल दी जाय । इससे यह हो सकता है कि जो थोड़े से अच्छे आदमी होंगे वह भी निकल जायेंगे । लेकिन हिन्दुस्तान में अच्छे आदमियों की कमी नहीं है । एक अच्छा आदमी आयगा तो सौ आजायेंगे । इस प्रकार सारी की सारी पुलिस तो शिर से पैर तक बिल्कुल बदल जायगी । लेकिन अगर हमने तलवार के जोर से स्वतंत्रता हासिल की होती तो आज वह रास्ता अच्छा होता । जब हमको स्वतंत्रता मिली तो हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझौता किया और उसमें कुछ गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के बारे में भी समझौता हुआ था । ऐसी दशा में हमारे सामने वह रास्ता बन्द हो गया है कि एकदम से सारी पुलिस निकाल दी जाय । जो काम हमने किया आंख बन्द करके नहीं किया, आंख खोल कर के किया । यदि कोई बात थी तो हमें उस तरह से स्वतंत्रता नहीं लेनी चाहिये थी, लेकिन जब हमने वैसा किया तो फिर उसी दायरे के भीतर हमको काम करना है और ऐसी परिस्थिति से जो अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सकता है वह उठाने कि कोशिश करना है । यह मैं नहीं कहता कि ऊपर वाले आदमी सब से अच्छे हैं और नीचे वाले सब से बुरे हैं । लेकिन कुछ पढ़े लिखे ज्यादा होने की वजह है और समय की गति को कुछ ज्यादा समझ सकने की वजह से यह जरूर है कि परसेंटेज अगर देखा जाय तो ऊपर के आदमियों में अच्छे आदमी अधिक मिलेंगे । मैं समझता हूं कि सभी लोगों को इस बात का अनुभव है । जहां तक नीचे के लोगों की बात है उसके कई कारण हैं । आप सब-इंस्पेक्टर्स को ले लीजिये जो नये हैं, ठीक हैं । सभी कहते हैं कि नये अच्छे होते हैं । आप देखें कि मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूं कि हमारे सब-इंस्पेक्टर्स में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो देश के विभाजन के बाद हेड कांस्टेबिलों में से सब-इंस्पेक्टर्स हुये हैं । वह पहले कांस्टेबिल भी रह चुके हैं । वह अच्छे आदमी होते हैं, तजुर्बेकार होते हैं, बहादुर होते हैं लेकिन खास परिस्थितियों में नौकरी करते हुये उनको कई वर्ष हो गये हैं और उनका जो दिमाग बन गया है वह तो बन ही गया है । सब-इंस्पेक्टर्स बहुत से मामलों में अच्छा काम करते होंगे लेकिन नये जमाने के अनुरूप काम करना, मैं सबके लिये नहीं कहता, लेकिन बहुतों को मुश्किल होता है, उनको अपनी आदत बदलना मुश्किल हो जाता है ।

नये आदमियों का जो हमारे यहां स्थान है वह यह है कि हम हर साल पुलिस ट्रेनिंग कालेज में १०० आदमियों को ट्रेन कर रहे हैं । मुश्किल होता है वहां १०० आदमियों को ट्रेनिंग देना । लेकिन फिर भी हम हर साल १०० आदमी ट्रेन कर रहे हैं । १०० से कम आदमियों को ट्रेनिंग देना आसान होता है । लेकिन अगर १०० आदमियों को भी ट्रेन करें तब भी कम से कम २-३ वर्ष तो लगेंगे ही जिनके बाबत शिकायतें हो सकती हैं, उनको रिप्लेस करने के लिये । इसलिये ठंडे दिल से सोचना चाहिये । यह कहना तो आसान है कि फलां वर्ग के, फलां क्लास के सब आदमियों को एकदम निकाल दो । लेकिन परिस्थिति को देख कर क्या यह किसी गवर्नमेंट के लिये सम्भव है । माना कि इन्तजाम अच्छा न हो, जैसा कि माननीय सदस्यों का ख्याल है, सिक्यूरिटी ज्यादा न हो तो क्या माननीय सदस्य राय दे सकते हैं कि हमारा प्रदेश इसको बरदाश्त कर सकता है कि एकदम सबका सफाया कर दिया जाय । माना कि इन्तजाम खराब होता है लेकिन एकदम सफाया नहीं किया जा सकता है । मजबूरी है इधर-उधर करना पड़ता है । इन कठिनाइयों को हमें समझना चाहिये ।

माननीय सदस्यों की राय है कि पुलिस ट्रेनिंग कालेज में सदाचार की शिक्षा दी जाय । हम सिखाते हैं । पैटरियोटिज्म की बात सिखाते हैं और बदले हुये जमाने की बात उनको सिखाते हैं । इधर और उधर जो लोग बैठे हुये हैं वह सब लोग कार्यकर्ता हैं । हम लोग अलग-अलग पार्टीज के भले ही हों लेकिन जहां तक पब्लिक लाइफ का संबंध है, त्याग कहिये, तपस्या कहिये उसका असर जरूर पड़ता ही होगा । आज रिवोल्यूशन की बात मैं नहीं सोच पाता । हमने जो डेमोक्रेसी का रास्ता पकड़ा है उसको देखते हुये हमारे लिये यह मुश्किल है । हमें शान्ति से काम लेना होगा क्योंकि क्रोध से कोई फायदा नहीं है । इसलिये शान्ति से ही काम करना चाहिये । इन बातों का सुन्दर असर पड़ता ही है चाहे गुस्से

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

में ही क्यों न हो। आखिर लोग अखबारों में पढ़ते ही होंगे कि हमारी कौन सी हरकतें हैं जिनसे हमारे प्रदेश के चुने हुये लोग हमसे नाराज हैं। इसका असर पड़ता ही होगा। चाहे मैटीरियल चीज न होने से मालूम न होता हो लेकिन परिवर्तन जरूर होता होगा। जैसा कि हमने डेमोक्रेसी का रास्ता पकड़ा है उसके देखते हुये यह धोखे की बात होगी, अगर मैं कहूं कि यह जादू मंत्र की तरह से हो सकता है। हमारे यहां जो गल्तियां हैं, कमियां हैं उनका हमें दृढ़ता के साथ मुकाबला करना चाहिये और दृढ़ता से उनको दूर करना चाहिये, उनको दूर करने का शार्ट कट आसानी से नहीं हो सकता है। जो तरीका समझ में आता है उसको हम देखते हैं, सोचते हैं और सजा भी देते हैं।

एक मित्र ने कहा था कि सेक्शन ७ की कार्यवाही की जाती है इसे सोचने की बात है। लेकिन अगर मुकदमा चल सकता है तो हम चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बात है कि जो सरकारी अहलकार हैं उनके कुछ अधिकार हैं। अगर गवर्नमेंट उनके खिलाफ कोई ऐक्शन लेना चाहे तो उसमें पहले पब्लिक सर्विस कमीशन की राय लेनी होती है। यहां तक कि खास हालतों में वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। इसलिए हमेशा इस बात को देखना पड़ता है कि किसी सरकारी अहलकार के खिलाफ अगर इतना मजबूत केस समझा जाय कि वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक टिक सके तो मुकदमा किया जाता है। क्योंकि वहां से अगर छूट गया तो उसके खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही भी नहीं हो सकती। बाजे वक्त ऐसा होता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन है, हाई कोर्ट है वहां से वह बरी हो जाता है। तो अगर यह जरूरी हो कि उसे कुछ न कुछ सजा तो देनी चाहिये तो वह १०७ के अन्दर कुछ कार्यवाही हो सकती है, करेक्टर रोल में कुछ लिखा जा सकता है, आगे की तरक्की रुक सकती है। तो जहां डेमोक्रेसी में कुछ बुराइयां हैं वहां अच्छाइयां भी हैं, कुछ दिक्कतें जरूर हैं। इसलिये वह चीज आज अच्छी समझी जाती है और सर्विसेज को एक तरह की सेक्योरिटीज वहां पर ज्यादा होती हैं।

एक चर्चा हुई एफ० आई० आर० पर कि रिपोर्ट गलत लिखी जाती है। मैंने यहां पर जो शिकायतें इस सम्बन्ध में हुईं उनको सुना। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि बहुत से मामलों में पुलिस गलत रिपोर्ट लिखती होगी और अपनी बेवकूफी से या कुछ रुपया लेकर कुछ ऐसा होता होगा कि बहुत से बेकसूर आदमियों के खिलाफ रिपोर्ट लिख लेती होगी जिसके कारण बाद में अदालत में वह छूट जाते होंगे। लेकिन जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमको अपनी आदत भी देखनी चाहिये कि ऐसे मामले भी होते हैं कि जब लोग कोई रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो जिस किसी से पास के लोगों से दुश्मनी हुई तो उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखा देते हैं। दुश्मनी में जितने भी नाम समझ में आये उनके नाम लिखा दिये गये और जब केस अदालत में पहुंचा और अदालत ने देखा कि इसमें इतने बेकसूर आदमी फंसे हैं तो अदालत ने समझा कि सारा केस झूठा है और सबको छोड़ दिया। तो इस तरह की बहुत सी बातें होती हैं। यहां पर शिकायतें तो इस सम्बन्ध में बहुत की गयीं लेकिन किसी ने यह सुझाव नहीं दिया कि ठीक रिपोर्ट लिखी जाय, इसका क्या तरीका है। जो तरीका बरतते बना वह हमने बरता। मैंने पहले भी बताया था कि इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस की ओर से एक नोटिस निकला। हर एक थाने पर उसको लगा दिया गया, चिपका दिया गया। जितने माननीय सदस्य सदन के हैं उनके पास उसकी नकल भेज दी गयी। हर ग्राम पंचायत के पास उसकी नकल भेज दी गयी। किसी माननीय सदस्य ने हमें उस सम्बन्ध में यह नहीं बताया कि हम क्या करें। उसमें लिखा हुआ है कि कोई आदमी जो रिपोर्ट लिखाने जायगा उसकी रिपोर्ट बिना पैसे लिये हुए लिखी जायगी और एक पैसा भी नहीं लिया जायगा और अन्त में यह भी लिखा हुआ है कि अगर रिपोर्ट लिखते वक्त किसी से पैसा मांगा गया है या जैसी रिपोर्ट कोई लिखाना चाहे वैसी रिपोर्ट न

लिखी जाय तो आप ऐसा करिये कि रिपोर्ट रजिस्ट्री से सुपरिंटेंडेंट पुलिस के पास भेज दीजिये। हर रिपोर्ट के लिए तो रजिस्ट्री से भेजने का इन्तजाम नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपको रिपोर्ट के बारे में संदेह मालूम हो कि कोई रिपोर्ट पूरी नहीं लिखी गयी या उसके लिखने के लिए पैसा मांगा गया तो रिपोर्ट रजिस्ट्री से भेज दीजिये और उसकी नकल अपने पास रखिये। अगर इससे अच्छा और कोई तरीका माननीय सदस्य हमको सुझायें तो हम उस पर अमल करने के लिए तैयार हैं। आप पहले देखिये कि रिपोर्ट लिखते हैं या नहीं। रजिस्ट्री के अलावा कोई और भी तरीका हो सकता है, तो मेरी नोटिस में लाइये या कोई इसके अलावा तरीका बतलाया जाय जिससे गलत रिपोर्ट लिखना या पैसा लेना बन्द हो तो वह बरता जायगा। हर समय हर जगह पर न आप रह सकते हैं न मैं रह सकता हूं। सिवाय इसके और कोई तरीका नहीं कि रिपोर्ट रजिस्ट्री से भेजी जाय। हमने इस तरीके को अच्छा समझा और उसको बरत रहे हैं। आज नहीं, आगे के लिए अगर कोई राय इस सम्बन्ध में आवे तो हम उस पर अमल करने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि रिपोर्ट ठीक तरीके से लिखी जाय ताकि आगे चल कर मुकदमे की पैरवी हो सके।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह शिकायत की कि कर्मचारियों की तनख्वाह कम है और भत्ता कम मिलता है। मैं इस बात का पूरा समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि जैसे काम उनसे लिये जाते हैं उनको देखते हुए उनको तनख्वाह और भत्ता कम दिया जाता है। लेकिन हमको इसमें दो तीन दिक्कतें हैं और सब से बड़ी दिक्कत यह है कि जब पुलिस कर्मचारियों की तनख्वाह और भत्ता बढ़ाने का प्रश्न आता है तो गवर्नमेंट के सामने दूसरी सर्विसेज का सवाल आ जाता है। एक सब-इन्सपेक्टर है, उसकी जो एजूकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी तनख्वाह उसी की क्वालिफिकेशन के दूसरे मुहकमे में जो लोग हैं उनकी तनख्वाह के बराबर रक्खी जाय या कितनी रखी जाय, या पुलिस वालों की और रक्खी जाय और दूसरे मुकहमे वाले जिनकी एक सी क्वालिफिकेशन्स हैं उनकी कम रक्खी जाय तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है। क्योंकि अगर उनकी तनख्वाह बढ़ायी जाय तो लोगों के दिमाग़ में यह ख्याल आता है कि चूंकि इस सर्विस से आप काम लेना चाहते हैं, इसलिये उसको आप खुश रखना चाहते हैं और दूसरों को मारना चाहते हैं इसलिये गवर्नमेंट जब सोचेगी तो उसको सोचना पड़ेगा कि जब तक हम क्वालिफिकेशंस के आधार पर बराबर लेबिल पर सबको नहीं ले जाते हैं तब तक किसी एक मुहकमे के लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ायी जा सकती। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस पहलू का जिक्र भी माननीय सदस्यों ने किया है।

श्री झारखंडेराय जी ने ऐसा कहा कि नैपाल में बड़ी ज्यादती हो रही है। सिवाय उनके और किसी ने यह शिकायत नहीं की। हां, यह जरूर हुआ कि दो चार साहब हैं, या कुछ लोग हैं, दस पांच या बीस कह लीजिए, नम्बर गिनाने की जरूरत नहीं है जो कि कभी नैपाल की सरहद पर ऊधम मचाते हैं, वहां पर जमींदारों को लूटते हैं, उनके खेत खराब करते हैं, वहां के बड़े हाकिम को, छोटे हाकिम को हैरान करते हैं और वह टहलते-टहलते कभी हमारी तरफ भी चले आते हैं। तो नैपाल सरकार का तो हमने ठेका नहीं लिया है। लेकिन हां, हमारे यहां जो लोग इस तरह की कार्यवाही करेंगे उनको हम जरूर गिरफ्तार करेंगे और वहां पर पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा भी है। लेकिन सिवाय इसके और कोई प्रमाण नहीं है कि वहां पर रियाया के साथ या और किसी के साथ पुलिस ज्यादती करती हो।

श्री झारखंडे राय--क्या आपके पास शिकायत नहीं आई है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

अभी जमैयत इस्लामी का एक मित्र ने जिक्र किया। मैं उस बहस में ज्यादा पड़ना नहीं चाहता लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि जमैयत इस्लामी की जो कार्यवाहियां हैं वह हमारी निगाह में हैं और माननीय सदस्यों ने पढ़ा भी होगा कि उसके कुछ कार्यकर्ता गिरफ्तार भी हुए हैं। बहरहाल कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी तरफ से हमारी आंखें बन्द हों।

कुछ जिक्र हुआ यहां पर हरिजनों का पुलिस सर्विस के सम्बन्ध में एक बात का मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं। मैं जानता हूं कि जो हरिजन पुलिस में हैं, उनको कुछ दिक्कतें होती हैं। उनकी तरह के आदमी वहां कम होते हैं और उनको थोड़ी दिक्कतें होती हैं। लेकिन जहां तक हरिजनों का कोटा पूरा हो इसका सम्बन्ध है इसके लिए तो हम यहां तक लिहाज करते हैं कि जब कम्पीटीशन होता है तो जितने और उम्मीदवार होते हैं उनका कम्पीटीशन हम अलग लेते हैं और हरिजनों के लिए बिल्कुल अलग कम्पीटीशन करते हैं जिससे उनके मुकाबिले का सवाल न रहे और यहां तक करते हैं कि जितने नम्बर पर हम नान हरिजनों को लेते हैं उससे कई नम्बर नीचे हम हरिजनों को लेने के लिए उतरते हैं। बाकी रहा यह कि कुछ जिक्र हुआ खाने पीने के मामले में तो उसमें हम मजबूर हैं और हमने काफी कानूनी दृष्टियों से भी देख लिया है कि जो सोशल डिसैबिलिटीज ऐक्ट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो उनके साथ नहीं खाना चाहता या उनके हाथ का बनाया नहीं खाना चाहता उसको हम मजबूर नहीं कर सकते और फिर यह कहना कि पुलिस में या फौज में लोगों को मजबूर किया जाय इसके लिए यह उचित नहीं है। हरिजनों को मन्दिर में अगर प्रवेश नहीं मिलता है तो हम उसके लिए तो मजबूर कर सकते हैं और उनको मन्दिर में प्रवेश मिले। लेकिन नान हरिजनों को हरिजनों के साथ खाने के लिये अगर वह नहीं खाना चाहते तो उनको मजबूर नहीं किया जा सकता और जब तक मौजूदा हालत है तब तक यह कहना कि पुलिस में सब लोगों को मजबूर कर दिया जाय कि नहीं तुमको साथ खाना ही पड़ेगा ठीक नहीं है और अगर ऐसा किया जाय तो इससे प्रदेश की सेफ्टी खतरे में पड़ जायगी। यह प्रत्यक्ष बात है और इसको सब लोगों को अच्छी तरह से समझना चाहिये।

मैं फिर इस बात पर वादा करता हूं कि जो अलग अलग बातें हैं उन पर हम अलग-अलग गौर करेंगे। कई सलाहें दी गईं। उनमें से कुछ बातें हमारे सामने पहले से थीं। कई और बातें हमारे सामने रखी गईं। उन पर हम विचार करेंगे और जो अमल करने की बातें हैं उन पर हम अमल भी करेंगे। अब मैं बैठता हूं, आखिर में सिवाय इसके कि गेंदासिंह जी से इस बात के लिए अनुरोध करूं और कुछ नहीं कहूंगा कि हमारा छोटा सा तो बजट है और इसमें से दो रुपये घटाने की बात है, जैसा हमारे एक मित्र ने बताया कि एक रुपये में एक चौकी पर महीने भर रोशनी होती है, तो अगर दो रुपया घटा दिया जायगा तो न जाने कितने दिनों तक रोशनी नहीं हो पायेगी और फिर और ज्यादा शिकायत होगी। इसलिए उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

*श्री गेंदा सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह माफी चाहता हूं माननीय गृह मंत्री जी से कि मैं अपनी दो रुपये की कटौती के प्रस्ताव को वापस नहीं ले रहा हूं। मैं वापस जरूर ले लेता लेकिन जिस तरह से सदन का मैंने रवैया देखा तो उसमें मुझसे ज्यादा नाराज तो दूसरे माननीय सदस्य थे और खासतौर से माननीय नाजिम अली साहब ने तो जो कुछ कहा वह अब मालूम नहीं कि मैं उसे क्या कहूं, उसको अपने समर्थन में कहूं या विरोध में कहूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या कहूं। लेकिन उनसे मैं कुछ भिन्न राय रखता हूं। तो उनकी बात सुनने के बाद तो फिर मैं कितना

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शुक्रिया अदा करूं अपने इस माननीय सदन का कि जिसने इस तरह से हमारे इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया, उसके लिये मैं बहुत ही आभारी हूं और अगर फिर भी मैंने उस कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लिया तो मैं उन लोगों को बिट्रे करूंगा। इसलिए वह किसी भी हालत में मुझे बाध्य नहीं करेंगे माननीय गृह मंत्री जी कि मैं इस कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लूं। लेकिन मैं एक बात जरूर नाजिम अली साहब से कहना चाहूंगा कि अगर उनकी राय मानी जाय तो पहले तो ४३० आदमी जो यहां पर हैं उनको एकदम बदल देना पड़ेगा। इसके बाद शायद पुलिस को १६ आने बदल देना पड़ेगा। व्यावहारिक बातें कह दीं। ज्यादा अच्छी बात है। मैंने उनको दो मर्तबे टोका भी जब उन्होंने कहा कि पुलिस को बिल्कुल बदलने में दो वर्ष लगेंगे। मैंने भी सवाल किया कि दो वर्ष में क्या होगा। यह मान भी लिया जाय कि मेरे साथ या माननीय नारायण दत्त के साथ पुलिस ने बड़ी ज्यादती की है क्योंकि पुलिस समझती थी अगर इसके साथ ऐसी बात करेंगे तो शायद मंत्री जी सुन कर बड़े प्रसन्न होंगे और हमें तरक्की मिल जायगी। लेकिन हर आदमी के साथ पुलिस ऐसा व्यवहार नहीं करती, पुलिस रक्षा भी करती है। इसलिये विरोधी दल का काम यह नहीं है कि वह हर आदमी को नालायक बता दे। हम इस बात को नहीं कह सकते कि हर आदमी नालायक है। हो सकता है कि दूसरे लोग अंग्रेजी गवर्नमेंट के बड़े लायक हों या हम अपनी जिन्दगी में किसी वक्त अंग्रेजी गवर्नमेंट के बहुत वफादार रहे हों लेकिन एक जमाना आया जब हमने कहा कि अंग्रेजी गवर्नमेंट को उखाड़ फेकना चाहिये। मैं समझता हूं कि पुलिस में भी ऐसे लोग हैं, बदल रहे हैं, और आगे भी बदलेंगे। लेकिन निवेदन मेरा माननीय गृह मंत्री जी से है। उनकी चूंकि काफी उम्र हो चुकी है, वह न बदलने के मूड में हैं, न बदलना चाहते हैं। अगर उन्होंने अपने को नहीं बदला तो पुलिस कैसे बदलेगी। वह मेहरबानी कर के अपने को बदलें। मैं समझता हूं कि ऊंचे पैमाने पर ही बदलने की जरूरत है।

मेरा जाती तजुरबा है कि जिस तरह से शासन का ऊपरी यंत्र हिलता है उसी प्रकार से नीचे तक के यंत्र हिलते हैं। लेकिन अगर शासन का ऊपरी यंत्र गड़बड़ हिल रहा है तो फिर नीचे तक उसी प्रकार गड़बड़ हिलेगा। अगर ऊपर का दो आने भर गड़बड़ हिलता है तो नीचे का १२ आने भर हिलता है। गांधी जी हमेशा कहते थे कि जो पानी ऊपर से गिरता है नीचे आते आते कुछ न कुछ गंदा अवश्य हो जाता है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं डरता हूं कि अगर मैं आंकड़ों में पड़ गया तो सारा वक्त मेरा खराब हो जायगा। लेकिन एक आंकड़ा दिये बिना मेरा भी मन नहीं मानता। क्राइम्स रिपोर्ट पढ़ लीजिये और ५० से ५३ तक के आंकड़े देखिये। उसमें आप लिखते हैं १९४९ में ३१ हजार २१ चोरियां हुईं और वही १९५०-५१ में ३३ हजार ५ सौ २९ चोरियां हो गयीं। यह फीगर्स मैंने डेढ़ घंटे तक बड़ी मेहनत करके निकाली हैं। अगर आप १९५३ की सब फीगर्स देखें तो यही हालत है। कई आदमी मर गये हैं और फिर जिन्दा हो गये हैं। यह तो बहुत ऊंचे पैमाने पर बताई गई है और माननीय गृह मंत्री जी के नाक नीचे ऐसा हुआ है। जब माननीय गृह मंत्री जी की नाक के नीचे ऐसा होता है, नीचे वालों को दोष देना बेकार है। मैंने माननीय गृह मंत्री से निवेदन किया था कि जो कांस्टेबिलों को भत्ता दिया जाता है जरा उसको बतला दें। उन्होंने सुपरिन्टेन्डेंट का घोड़ा तो बतलाया लेकिन कांस्टेबिल का भत्ता नहीं बतलाया। मैंने उनको टोका नहीं। जब कोई बोलता है तो मैं इसका बड़ा ध्यान रखता हूं कि बीच में न टोकूं। मैं आप से आग्रह करता हूं कि आप ने जो यह पहले कहा था कि बाहर के सूबों से आ कर लोग कांस्टेबिलों में संगठन करते हैं मैं चेतावनी देता हूं कि यह रुकेगा नहीं और जिस तरह से बिहार की पुलिस में गड़बड़ हुई उसी तरह से यहां की पुलिस में गड़बड़ हो सकती है। अगर आपने कांस्टेबिल और जो नीचे के लोग हैं उनको संतुष्ट नहीं किया तो इसमें खतरा बढ़ने का डर है। मैं समझता हूं कि ला ऐण्ड आर्डर का खतरा है,

[श्री गेंदासिंह]

हर आदमी का खतरा है। लिहाजा कांस्टेबिल और चौकीदार जो पुलिस की सबसे बड़ी फोर्स हैं उनको संतुष्ट रक्खा जाय, अगर संतुष्ट नहीं रक्खा गया तो सरकार भुगतेगी और हम भी भुगतेंगे।

जेल के संबंध में मुजफ्फर साहब ने बताया कि अंडरट्रायल्स की तादाद बढ़ी नहीं। कांग्रेस की हुकूमत में अंडर ट्रायल्स की तादाद नहीं घटती लेकिन स्कूल के पढ़ने वालों की तादाद घट जाती है। तो यह कोई शान की बात नहीं है। अगर अंग्रेजी हुकूमत होती और वह इस बात को कहती तो हम सर झुका कर सुन लेते।

(इस समय ४ बज कर ५८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

लेकिन जिस गवर्नमेंट के गृह मंत्री माननीय सम्पूर्णानन्द हों उसमें यह कहा जाय कि क़ैदियों की तादाद बढ़ नहीं रही है यह कोई शान की बात नहीं है। तादाद घटनी चाहिये। मैं अंडर-ट्रायल हो कर आया हूं। जो सख्ती मेरे ऊपर हुई है उससे मैं अन्दाजा लगा सकता हूं कि दूसरों के ऊपर क्या बीतती होगी। लिहाजा अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात के लिये मजबूर न किया जाय कि मैं अपनी कटौती का प्रस्ताव वापस लूं। अगले वर्ष भी शायद जिन्दा रहूंगा तो जानने का मौक़ा मिले कि पिछले वर्ष अंडर-ट्रायल्स की क्या हालत रही।

माननीय मंत्री जी को फिर याद दिलाना चाहता हूं कि पुलिस के संगठन को वह रोक नहीं सकते और अगर पुलिस के बढ़ते हुये असंतोष को वह रोक नहीं सकते और पुलिस के बढ़ते हुये असंतोष को दूर नहीं किया जाता, उनके गुप्तचर विभाग से भी उनको रिपोर्ट मिल चुकी होगी, तो बहुत बड़े खतरे का सरकार को सामना करना होगा। लिहाजा इस बात की कोशिश वह करें कि कांस्टेबिल का जो तबक़ा है वह लायक हो कर मुल्क की खिदमत करे। माननीय सम्पूर्णानन्द जी के जमाने में वह पुलिस न होनी चाहिये जिससे अंग्रेजों के जमाने में लोग डरते थे और पुलिस के कांस्टेबिल को सामने देखा तो समझा कि कहीं हमारी इज्जत न बिगड़ जाय। मैं आखिर में एक ही बात चाहूंगा कि उन माननीय सदस्यों के सुझाव को चाहे उन्होंने गुस्से में कहा हो उससे माननीय मंत्री जी गुस्से में न ले कर उस पर गौर करें। अगर उन्होंने उसे गुस्से में लिया तो भविष्य खतरे में पड़ जायगा। जिन लोगों ने सुझाव दिये उनके लिये मुझे नहीं स्वयं माननीय गृह मंत्री को धन्यवाद देना चाहिये कि उन्होंने सही सही हालत सूबे की उनके सामने रखने की कोशिश की।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)—मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री से कि किसी जगह के जो सब-इंसपेक्टर आफ पुलिस, डी० एस० पी० या एस० पी० हैं उनमें कितने ऐसे हैं जिनकी सर्विस बुक में यह एंटरी लिखी गयी कि उन्होंने ठीक ठीक रिपोर्ट नहीं लिखी या लिखते हुये उन्होंने रुपया माँगा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माननीय सदस्य ने शायद सुना नहीं। मेरे पास इस क़िस्म की शिकायत नहीं आयी। बात सुनने में तो आती है कि रिपोर्ट नहीं लिखी जाती लेकिन कोई पट्टीक्युलर इंस्टेंस नोटिस में नहीं आई। किसी केस पर मुक़दमा चल रहा हो उसको तो मैं नहीं कह सकता लेकिन फलाँ आदमी ने शिकायत नहीं लिखी इसकी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६—लेखा शीर्षक २८—जेल और बन्दी बस्तियाँ—इस सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६—जेल (लेखा शीर्षक २८—जेल और बन्दी बस्तियाँ) के अन्तर्गत १,३१,२९,४०० रुपये की माँग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७-पुलिस के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७—पुलिस (लेखा शीर्षक २९-पुलिस) के अन्तर्गत ७,२१,८५,९०० रुपये की माँग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २८—लेखा शीर्षक ४७—श्रम और संख्या

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, श्रम के अनुदान के सम्बन्ध में माँग तो मैं पहले ही पेश कर चुका हूं। केवल इस माँग के सम्बन्ध में २, ४ बातें कहूंगा। इस बजट का एक अच्छा खासा हिस्सा हमारे वेलफेयर पर खर्च होता है। यह तो मैं नहीं कहता कि इस सम्बन्ध में जो कुछ करना चाहिये वह पूरा हो रहा है लेकिन फिर भी मैं ऐसा समझता हूं कि अपने साधनों को देखते हुये और दूसरे प्रान्तों में जो काम हो रहा है उसको देखते हुये बहुत कुछ सन्तोषजनक प्रगति इस सम्बन्ध में है। हमारे वेलफेयर सेंटरों में १६,५३,४२८ लोगों की दवा हुई है और ३,४८५ आपरेशन्स हुये। इसके अलावा ढाई लाख आदमियों की मरहम पट्टी हुई। मजदूरों के लिये टी० बी० में १,०७० एक्सरे हुये। इसी तरह से ४८४ रोगियों की दवा की गई।

जो मजदूरों के लिये मकान बनाने की बात है वह भी माननीय सदस्य जानते होंगे। जो शुगर के कारखाने हैं उनमें मजदूरों के लिये १,५०० मकान बनाने की बात थी। उनमें ६८४ में हाथ लगा हुआ है और ३८४ तैयार हो रहे हैं और ३३० क़रीब-करीब बिलकुल तैयार हैं।

दूसरी बात यह है कि ७५ लाख रुपया गवर्नमेंट आफ इंडिया से मिला था उसमें कानपुर में २,१०० मकान तैयार हो रहे हैं और ११६ बिलकुल तैयार हैं। ५६० लखनऊ में तैय्यार हैं उसके बाद १२५ हजार रुपये की रक़म और मिली थी जिसमें २६ मकान कानपुर में बने और कुछ दूसरे शहरों में भी बन रहे हैं। २ करोड़ रुपये की रक़म और मिली है जिसमें ७,४०० मकान बनाने की योजना है। इसमें यह नहीं कि कानपुर में ही मकान बनाये जायंगे बल्कि जहाँ-जहाँ श्रम केंद्र हैं उनमें सब जगह मकान बनाने की योजना है। कभी-कभी यह सवाल उठता है इन मकानों का किराया क्यों लिया जाता है और मुआफ क्यों नहीं किया जाता। इसका जवाब यह है कि पहले जब किराया तय हुआ उस समय गवर्नमेंट आफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच बात करके तय किया गया था। किराया इस आधार पर लिया जाता है कि उन मकानों पर जो म्युनिसिपल टैक्स होगा वह देना होगा। इन मकानों का पानी, बिजली और सालाना मरम्मत का भी देना होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट आफ इंडिया से जो क़रीब ४ करोड़ रुपया आया है वह कुल मुफ्त नहीं आया बल्कि आधा ग्रांट और आधा लोन के रूप में मिला है जिस पर सवा चार परसेंट ब्याज देना होगा। यह सब किराये में से निकलता है।

इस साल में २,३ काम हमने और किये हैं। एक तो हमारा दूकानबन्दी का कानून है। ग़ाजियाबाद और फ़र्रुखाबाद में हमने दो जगह इसे पूरा लागू कर दिया है। मिर्जापुर, बुलन्दशहर, बाराबंकी, उन्नाव, सीतापुर और बदायूं में हमने वहाँ के म्युनिसिपल बोर्ड से यह कहा था कि अगर वे अपने एक्जीक्यूटिव आफीसरों को यह इजाजत दे दें कि वे इस काम को देखें तो कम से कम हम वहाँ हफ्तेवार छुट्टी का हिस्सा तो लागू कर ही देंगे और वहां के म्युनिसिपल बोर्ड ने यह मंजूर भी कर लिया है। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो हम इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो कपड़ा बिजली के कारखानों के क्लर्क थे पहले उनको पहले डी० एफ० ए० मजदूरों से कम मिलता

[डा० सम्पूर्णानन्द]

था, अब उसके लिये हुकुम जारी हो चुका है कि उनको भी मजदूरों के बराबर महंगाई भत्ता दिया जाय। एक बात कही जाती है कि मजदूरों के फैसले आसानी से नहीं होते। खैर, इसमें मैं विचार रखता हूं कि सब लोगों के सहयोग से हमें काफी सफलता मिली है जैसा कि सन् १९५२ के मैनडेट के देखने से मालूम होगा, पश्चिम बंगाल में २१६६, एक हजार मजदूरों के पीछे, बम्बई में १९०२, मद्रास में १२१३ और यू० पी० में ८०६ हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि काफी झगड़ों को हमने शांत रखा।

एक बड़ा भारी सवाल नेशनलाइजेशन का चल रहा है जिसके लिये मैं इतना ही कह सकता हूं कि जहां तक सूती मिलों की बात है, गवर्नमेंट ने एक आफीसर मुकर्रर किया है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और उस पर कुछ प्रस्ताव हुये जिनको हमने कान्फीडेन्शल तरीके पर मजदूरों और मिलमालिकों की संस्थाओं के पास भेज रखा है कि उनकी राय क्या है। दोनों की राय, जहां तक मुझे मालूम है, आ गई है। उसके लिये हमने यह कहा है कि हम अपने प्रस्तावों को फिर सुधारेंगे और फिर दोनों पक्षों के पास भेजेंगे और उसके बाद ट्रिपार्टाइट कानफ्रेंस में उन पर विचार होगा।

एक चीज हम और करना चाहते हैं। वह यह है कि अक्सर मशीनों में एक्सीडेन्ट हो जाया करते हैं। बहुत सी नई मशीनें चलती हैं जिनका हमको पता नहीं होता। हमारा विचार है कि एक म्यूजियम हम कानपुर में इस तरह का रखें कि हमारे प्रदेश के खास-खास रोजगारों की मशीन के माडल्स वहां रहें ताकि हम मजदूरों को दिखला सकें कि इस मशीन में यह खराबी हो सकती है और इस प्रकार ऐक्सीडेंट होने की सम्भावना है। थोड़ा सा रुपया इसके लिये भी रक्खा गया है। अन्त में मैं आपसे जिक्र करता हूं मिनिमम ऐग्रीकल्चर वेजेज का। कुछ माननीय सदस्यों का ऐसा ख्याल है कि हमने कुछ भी नहीं किया है। मैं यह कह दूं कि अपने मन में मुझे बहुत कुछ सन्देह है कि ऐग्रीकल्चर में मिनिमम वेजेज तय करने का यह वक्त है या नहीं। जब अनाज का भाव गिर रहा हो तो उस समय बहुत कुछ अच्छा मौका नहीं मालूम होता। लेकिन बहरहाल, कानून है और हम उस पर अमल करना चाहते हैं। पिछले साल हमने यह कर दिया था कि १२ जिलों में ५० एकड़ के फार्मों तक लागू किया जाय। दो वर्ष में हम उसे कंप्लीट कर देना चाहते हैं। तो अगले साल इन बारह जिलों में तो ५० एकड़ के नीचे के फार्मों पर भी यह लागू हो जायगा और पहाड़ी जिलों को छोड़ कर बाकी सब जिलों में ५० एकड़ तक के फार्मों पर भी वह लागू कर दिया जायगा। अगले साल के लिये सिर्फ वह ५० एकड़ से नीचे के जिले रह जायंगे। वे भी हो जायेंगे।

संक्षेप में इसके बारे में इतना ही कहना चाहता हूं और आशा करता हूं कि सदन इस मांग को स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष---मैं दो तीन माननीय सदस्यों को, जो इसमें विशेष दिलचस्पी रखते हैं, १२-१२ मिनट दूंगा। मजदूरों के मामले में आप की ओर से विशेष दिलचस्पी रखने वाले एक सदस्य को और उधर से दो सदस्यों को ज्यादा समय दे दिया जायगा।

*श्री नारायणदत्त तिवारी---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो यह अनुदान प्रस्तुत किया है उसमें एक रुपये की कमी कर दी जाय।

आज माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में उन विविध नीतियों की ओर संकेत किया जिसके अनुसार सरकार आज इस प्रदेश में कार्य कर रही है। उसका विस्तृत विवरण उस रिपोर्ट में मिलता है जो श्रम विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई है लेकिन मैं इतना कह देना चाहता हूं कि जिस प्रगति से हमारे प्रदेश और देश में मजदूरों के लिये, मजदूरों के लिये कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिये जो व्यावहारिक रूप में क़दम उठाये जाने चाहिये थे और जो साधन प्रयुक्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होने चाहिये थे, उनमें हम आज तक पिछड़े हुये हैं। सारे प्रान्त में जितने भी मजदूर संगठन हैं और अभी हाल में आई० एन० टी० यू० सी० का जो सम्मेलन हुआ था उस तक यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि मजदूरों के निर्णय की प्रणाली, औद्योगिक विवादों को सुलझाने की प्रणाली ठीक नहीं है। वे भी आप की इस एडजूडीकेशन की मशीनरी से नाराज हैं। इसलिये मजदूर क्षेत्रों में यह मांग बढ़ती जा रही है कि इस ऐडजूडीकेशन से मजदूरों के मसले सुलझते नहीं बल्कि उलझते जा रहे हैं। इन पंच निर्णयों में कितनी देर होती है और किस तरह से उनका फैसला होता है इसकी एक मिसाल मैं माननीय मंत्री जी के सम्मुख रखूंगा। लखनऊ की अपीलेट पंचायत सबसे बड़ी है। उसमें पिछले साल १७१ मुकदमों का फैसला होना बाक़ी था उनमें से साल भर में केवल १४५ फैसले हुये। पूरे साल भर में पिछले मुकदमें भी पूरे फैसल नहीं हो पाये। इस साल में नये केसेज ४३१ आये जिनमें से केवल १४५ का फैसला हुआ। इससे यह मालूम होता है कि सन् ५३ के मसलों का फैसला तीन चार साल बाद सन् ५७–५८ में जा कर हो पायेगा, अगर फैसलों का यही रेट रहा तो। अब कोंसीलियेशन आफिस की हालत भी देखिये। वहाँ से २,६९३ केसेज भेजे ही नहीं गये और यूनियनों से अपने प्रादेशिक आफीसर के पास जो मामले गये उनमें से केवल १ हजार मामले ही भेजे गये और २,६९३ मामलों को रोक लिया गया। और उनमें मजदूरों के ऐसे मामले भी हो सकते हैं जो किसी भी समय हड़ताल का कारण बन सकते हैं। पिछले साल भी माननीय मंत्री जी से मैंने अर्ज किया था कि वे बतायें कि कौन सा फार्मूला है जिसके अनुसार मामले भेजे जाते हैं अथवा रोक दिये जाते हैं लेकिन आज तक न तो उन्होंने और न इस रिपोर्ट के द्वारा ही हमें बताया गया कि वह कौन सा फार्मूला है जिसके अनुसार सरकार उन मामलों को एडजूडीकेशन के लिये भेजती है और बाक़ी को रोक देती है। इसके साथ ही साथ अपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला करने का तरीका भी बड़ा ढीला ढाला है। पिछले साल ४४ ऐसे मामले थे जिनके बारे में सरकार के पास शिकायतें आयीं कि अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो निर्णय किया उनके फैसले को लागू नहीं किया गया है। उन ४४ मामलों में केवल ६ लागू करवाये। इस साल रिपोर्ट में उन्होंने नहीं बतलाया कि कितनी शिकायतें इस बारे में आयीं लेकिन इस साल भी हम देखते हैं कि २६ मामले में ६ के फैसले हुये और क़रीब २० मामले वैसे ही पड़े हुये हैं। उन ६ में भी ५ का रुपया वसूल करना अभी बाक़ी है जब कि स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस प्रकार के रुपये रेवेन्यू कलेक्शन की तरह से वसूल किये जायं। केवल एक का ही रुपया वसूल हुआ है और ६ का रुपया वसूल करना अभी बाक़ी है। यह पंच निर्णय को लागू करने की हालत है तो क्या हम आशा कर सकते हैं कि मजदूरों को इस प्रकार के कानूनी भूल भुलैया में कोई जल्दी न्याय मिल सकता है? साथ ही साथ जब हम इस प्रदेश में बढ़ती हुई छंटनी, बैठकी और ताला बन्दी की हालत देखते हैं तो फिर मैं तो वास्तव में आश्चर्य में पड़ जाता हूं कि यह हमारा ढांचा जो न तो पूंजीवादी ही है, न समाजवादी ही है, यह अर्द्धमिश्रित पंचयोजना ढांचा हमें कहां ले जायगा? इस रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि इस साल ७५,२११ मजदूर प्ले आफ हुये जब कि पिछले साल ८७ हजार मजदूर प्ले आफ हुये।

तालाबन्दी का जहां तक सवाल है तालाबन्दी से ५ हजार व्यक्ति संबंधित हैं। इस साल वह संख्या दुगुनी हो गयी है। इस रिपोर्ट के आधार पर १०,३४३ आदमी तालाबन्दी के शिकार हुये हैं। छंटनी की हालत में तो माननीय मंत्री जी को मालूम ही है जो स्वदेशी काटन मिल, कानपुर, विक्रम काटन मिल, कानपुर, लखनऊ में हुआ तथा पडरौना चीनी मिल, गोकुल नगर के मजदूरों की मजदूरी डेढ़ डेढ़ साल की बाक़ी है। तो इन तमाम बातों को देखते हुये भी आज भी शांति दिखलाई पड़ती है वह मजदूर यूनियनों के समझाने बुझाने से ही है। इसका श्रेय किसी डिपार्टमेंट को नहीं है कि उसने शांति करायी हो। इसका श्रेय मजदूर यूनियनों के सब को है चाहे वे किसी भी यूनियन या फेडरेशन के नीचे हों। ऐडजुडिकेशन में जब मजदूरों के केस जाते हैं तो यूनियनों के हजारों और सैकड़ों रुपये खर्च होते हैं

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

लेकिन फिर भी शान्ति का वातावरण बनाये हुये हैं जो कि आने वाली अशांति का परिचायक है। मैं माननीय मंत्री जी को साहस के साथ चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपनी विद्वता से, अपने प्रभाव से और जो उनका दृष्टिकोण है उससे वे इस ऐडजुडिकेशन और न्यायालयों के निर्णय में पड़े रहे तो यह निश्चय है कि इतनी बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं वे इस कंसिलिएशन बोर्ड आदि के पचड़े को ढाहढूह न दें। और इसमें इसकी असफलता स्पष्ट दिखलायी भी देती है।

जहां तक खेतिहर मजदूरों की कम से कम मजदूरी तय करने की बात है, इसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी के शब्द आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं जो उन्होंने इस सदन के सामने अपने भाषण में कहे थे कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अनुसार ३१ दिसम्बर, सन् ५३ तक यह यू० पी० के हर जिले में लागू कर दिया जायगा। उनके पिछले साल के भाषण मेरे पास मौजूद हैं। उस समय उन्होंने कहा था कि ३ साल के अन्दर यानी ३१ दिसम्बर, सन् ५३ तक यह हर जिले में लागू कर दिया जायगा लेकिन इस साल हम देखते हैं कि इसको तीन साल के लिये और एक्सटेंड कर दिया गया है यानी ३१ दिसम्बर, सन् ५६ तक बढ़ा दिया गया है। इस सदन में कई बार माननीय सदस्यों ने स्पष्ट रूप से कहा कि पूर्वी जिलों में कहीं कहीं पर खेतिहर मजदूरों को चार-चार आने रोज मजदूरी मिलती है लेकिन उनके लिये आपने क्या किया? जब हम रिपोर्ट में देखते हैं तो मालूम होता है कि केवल १२ जिलों में इसे आप ने लागू किया है और वह भी इन बारह जिलों के केवल १०६ फार्म्स में ही और उन १०६ फार्म्स में से भी आज तक एक को भी दंड नहीं दिया गया है। इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि आज तक किसी ने एक इस कानून का कुछ उल्लंघन किया ही नहीं। अब निरीक्षणों की हालत देखिये तो मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अनुसार ऐग्रीकल्चर और लेबर के बारे में केवल १९८ निरीक्षण निरीक्षकों द्वारा हुये और केवल १३ विशेषाधिकारियों ने किये हैं। इस ऐक्ट को लागू हुये दो ढाई साल हुये लेकिन इसमें केवल १३ निरीक्षण हुये और उनमें सजा एक की हुई। क्या मिनिमम वेजेज ऐक्ट है? ३६ लाख खेतिहर मजदूर हैं जब तक उनके लिये होल टाइम इंस्पेक्टर्स नहीं रखेंगे और जो अधिकार उनको दिये गये हैं उनको लागू नहीं करेंगे और जो इस कानून को तोड़ने वाले हैं उनको दंड नहीं देंगे तब तक क्या ऐक्टिंग फोर्स होगा।

शाप्स ऐन्ड कामर्शल एस्टैब्लिशमेंट्स ऐक्ट का क्या हाल है? मैं जानना चाहूंगा कि इस रिपोर्ट में यह क्यों नहीं बतलाया गया कि इतने आदमियों को दन्ड दिया गया। औद्योगिक व्यवस्था में १०१०३ निरीक्षण हुये लेकिन एक को भी दंड नहीं दिया गया। १० हजार निरीक्षण होते हैं और सब सबसाइड होते हैं तो या तो होल सेल डीलर्स इतने कानून के मानने वाले हो गये हैं लेकिन इसको मन्त्री जी स्वयं मानते हैं जो मिनिमम वेजेज ऐक्ट में लिखा गया है उसको नहीं मानते तो मैं पूछता हूं कि फिर कैसे लागू हो सकता है।

साथ ही साथ पंचवर्षीय योजना का भी जिक्र है। इसके १८ पृष्ठ पर फाइव ईयर प्लान के अन्तर्गत १३ योजनायें लेबर डिपार्टमेंट में है और वे योजनायें क्या हैं। एक योजना है लेबर वेलफेयर सेन्टर में एक पंखा लगाना, लेबर कंसीलियेशन बोर्ड के दफ्तर में १३ पंखे लगाना, लेबर इंस्पेक्टर के दफ्तर में एक टेबुल फैन लगाना और न्यायालय के लिये एक आफिस क्लाक खरीदना, पांच रुपये चार्ज एलाउन्स देना, एक टेलीफोन रीजनल लेबर इंस्पेक्टर के दफ्तर में लगाना, ६ घड़ियां आर० सी० आफिस में लगाना आदि-आदि। सात योजनायें पंचवर्षीय योजना के मातहत रखी गयी हैं। अब मैं आप से क्या कहूं। यह फाइव ईयर प्लान में रखे गये हैं। क्या वह न्यू आइटम में नहीं रखे जा सकते थे? मैं तो श्रीमन्, हैरत में आ गया इस को देख कर कि एक जगह नहीं ६ जगह इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि पिछले वर्ष के आंकड़ों की समीक्षा करने पर ये आंकड़े अशुद्ध थे और इनको शुद्ध कर दिया गया है यानी जितनी पिछली रिपोर्टें थीं उनमें सब आंकड़े गलत थे और उनको अब शुद्ध कर दिया गया है और एक जगह नहीं ६-६ जगह ऐसा कहा गया है और हमें यह भी पता नहीं है कि अगले साल यह भी आंकड़े गलत निकलेंगे। श्रीमन्, कोई भी आंकड़े जो दिये जाते हैं वह एक बार नहीं ६-६ बार देख लिये जाते हैं। अगर यह

कहा जाय कि छापे की भूल मालूम होती है तो वहां भी प्रूफ रीडिंग होती है इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जहां तक समीचीनीकरण या रेशनलाइजेशन का सवाल है ठीक सिद्धान्त की बात है लेकिन अगर छटनी, तालाबन्दी और बैठकी बढ़ती रही और औद्योगिक न्यायालय में ढोलढाल चलती रही तो यह रेशनलाइजेशन बेकार हो जायगा। मैं यह नहीं कहता कि दिक्कतें नहीं हैं दिक्कतें हैं आज न्यायालय के संगठन की शिकायत नहीं है बल्कि उनके साथ जो सिद्धान्त है कि मजदूर चाहता है जल्दी, वह नहीं चाहता कि उसके फैसले में देर हो लेकिन वहां देर होती है, यह बहुत बुरी बात है। आज कानपुर का लिविंग इंडेक्स बढ़ रहा है इस वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबिले में २३ दशमल के हिसाब से कास्ट आफ लिविंग का इंडेक्स बढ़ा है। तो आज जब मंहगाई बढ़ रही है और इसके वजह से बाजार के भाव बढ़ रहे हैं तो जो न्यायालय में देर होती है तो मजदूर की परेशानी बढ़ती है। तो अगर हम चाहते हैं हमारे यहां कल्याणकारी राज्य कायम हो अगर उसको कायम करना है तो हमें इस अर्द्ध मिश्रित नीति पर नहीं चलना होगा, उसको छोड़ना होगा, उससे हमारा काम नहीं चलेगा और हमें समाजवादी दृष्टिकोण को अपना कर उसमें मजदूर के महत्व को स्थान देना होगा। इस अधकचरी और अधूरी योजना से मेरा विश्वास है कि काम चलने वाला नहीं है और यह भावी अशान्ति का परिचायक है।

श्री अध्यक्ष——माननीय बहुगुना जी, आप १२ मिनट बोल सकते हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुन——माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्रम मंत्री जी ने जो अनुदान श्रम तथा संख्या सम्बन्धी इस भवन में उपस्थित करते हुये कुछ बातों के सम्बन्ध में अपने विचारों को रक्खा और हमें समचीनीकरण के सम्बन्ध में यह कह कर कुछ सांत्वना देने की कोशिश की कि उनके श्रम विभाग के एक उच्चाधिकारी द्वारा जांच वगैरह होने के पश्चात् सब लोगों की राय लेकर एक त्रिदलीय सम्मेलन द्वारा वह एक निश्चात्मक रूप लेगा, उसके सम्बन्ध में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में यह सर्वमान्य सत्य है कि आज बेकारी है और चिन्ताजनक हालत है प्रदेश की और देश की जहां तक कि इम्पलायमेंट के प्रश्न का सम्बन्ध है। उस पर आज हमें यह अवश्य देखना होगा कि रेशनलाइजेशन चाहे उसे हम समीचीनीकरण कहें या अभिनवीनकरण कहें या किसी नाम से पुकारें वह हमारे प्रदेश के लिये किस मात्रा में आवश्यक है। माननीय मंत्री जी विशेषकर श्रीमन्, जानते हैं कि राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की ओर से भी निश्चयात्मक रूप से इस प्रश्न पर हमेशा यह कहा गया कि इस हालत में, देश के आज के आर्थिक संकट में यदि रेशनलाइजेशन से बेकारी बढ़े तो हम उसके बिल्कुल विरुद्ध हैं। यही नहीं श्रीमन्, यदि रैशनालाइजेशन से कन्ज्यूमर्स गुड्स के रास्ते बिकने की बाजार में कोई सूरत निकले, यदि बेकारी न पैदा हो, यदि आवश्यक यन्त्रों से उत्पादन क्रय को अधिक प्रगति देने की कोई बात आवे तो वह भी बात विचारणीय हो सकती है लेकिन हमारे जैसे प्रदेश की आर्थिक स्थिति में समीचीनीकरण और समीचीनीकरण द्वारा उत्पन्न संकट को माननीय मंत्री जी को अच्छी तरह समझना होगा इसके पहले कि उसपर त्रिदलीय सम्मेलन में भी विचार विमर्षकरने की कोशिश की जाय। हमें खेद है श्रीमन्, कि रेशनलाइजेशन को कुछ ऐसा मान लिया गया है, कुछ ऐसा समझ लिया गया है और श्रम विभाग द्वारा भी और श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा भी ऐसा समझ लिया गया है जैसा कि एक श्रमजीवी पत्रिका के इस अंक में पढ़ने से मालूम होता है कि समीचीनीकरण होना कुछ अनिवार्य सा है। उस समीचीनीकरण का मतलब सिर्फ एक ही निकाला जा सकता है और वह बात है कि मशीनों और यंत्रों में कुछ अन्तर कर देने से मजदूरों की संख्या घटायी जाय। हम श्रीमान्, बार बार इस सदन में और इस सदन के बाहर यह कहते आये हैं कि समीचीनीकरण यदि होना है तो वह सिर्फ मजदूरों की तादाद के लिये ही नहीं बल्कि उत्पादन के जितने भी अंग हैं चाहे वह मैनेजमेंट हो, चाहे वह मशीन हो, चाहे वह मजदूर हों, इन सभी के सम्बन्ध में उस रेशनलाइजेशन की प्रतिक्रिया एक होनी चाहिये और वह यह कि लागत यदि कम हो तो कन्ज्यूमर को उससे फायदा हो न कि पूंजीपति को ही उससे ज्यादा, मुनाफा हो।

[श्री हे मवती नन्दन बहुगुना]

साथ ही यह बात भी सर्वमान्य है कि आज हमारे देश में ऐसे यन्त्रों का लाना, हमारे यहां के जनस्थिति को देखते हुये, हमारे यहां की बेकारी को देखते हुये और जब सस्ते दामों में अधिक काम करने वाले मिलते हों, वहां ऐसे यन्त्रों को उपयोग में लगाकर देश का कोई कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिये इस बड़े खतरे को जो सम्भव है कि रैशनलाइजेशन से उत्पन्न हो और जिसके विरोध में हमेशा मजदूर वर्ग के लोग रहे हैं मैं समझता हूं कि उसके सम्बन्ध में कोई भी क़दम उठाने के पहले बहुत अच्छी तरह से उसके सभी पहलुओं पर विचार करना होगा। श्रीमन्, यहां पर हमारी सरकार की भी कुछ कार्यशैलियां ऐसी हैं जो हमारे प्रदेश के आर्थिक ढांचे को धक्का लगाती हुई मजदूर वर्ग को नुकसान पहुंचाती हैं। मैंने श्रीमन्, इस भवन में कुछ दिन पहले गवर्नमेंट प्रेस के और डिपार्टमेंट्स और सरकारी विभागों के छापेखाने के काम को हाथ में लेने की वजह से जो हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति में एक परेशानी पैदा हो रही है उसके सम्बन्ध में कहा था और आज आप की आज्ञा से मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के सैकड़ों हजारों ईंट के भट्ठों पर काम करने वाले जो मजदूर हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज के जो मजदूर हैं, कोयला न मिलने की वजह से आज वहां बेकारी फैल रही है। प्ले आफ हो रहा है। सरकार के सरकारी विभाग ने ईंटों का काम अपने एजेन्टों के द्वारा कराना शुरू किया है, और कोयले का स्टाक करना शुरू किया है। एक तरफ कोयला बेहद स्टाक में भरा पड़ा है, कोआपरेटिव विभाग के कब्जे में बहुत कोयला भरा पड़ा है, और दूसरी ओर भट्ठों पर कोयला न जाने की वजह से और सरकारी नीति स्पष्ट न होने की वजह से मजदूरों में बेकारी फैल रही है। इस तरह की बेकारी श्रमिक वर्ग के लिये एक परेशानी का कारण बन जाती है जो कि सरकारी नीति से सम्बन्ध रखती है। मैं जानता हूं कि तत्काल माननीय श्रम मंत्री जी शायद इस बात का उत्तर न दे सकें। लेकिन मैं आपके द्वारा श्रीमन्, उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार और सरकार की कैबिनेट को पूरी तरह से इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि सरकार किसी काम से भी हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति को कोई धक्का न लगे।

माननीय नारायण दत्त तिवारी ने चीनी मिलों के सम्बन्ध में कुछ बातचीत की। मैं श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय श्रम मंत्री जी का ध्यान राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के हाल ही के अधिवेशन में पास किये हुये प्रस्तावों की ओर ले जाना चाहता हूं। यह तो स्पष्ट है ही कि इस प्रदेश के मजदूरों की अधिकांश बातें राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के द्वारा आती हैं। लेकिन यह भी साफ है कि मजदूर वर्ग कभी-कभी गुस्से में पड़ जाता है और खास कर तब जब कानून के द्वारा निश्चित उन वेतनों को भी पाने में उसको मुश्किल पड़ती है जो उसे मिलनी चाहिये। उस दशा में यदि मजदूरों के सामने हम श्रम कल्याण हितकारी और दूसरी बड़ी-बड़ी बातों की चर्चा करें तो वह उसको थोथी मालूम देती है। मैं आप के द्वारा श्रीमन्, माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि चीनी मिलों के अन्दर जब से इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऐण्ड कंट्रोल ऐक्ट के अनुसार कुछ अथराइज्ड कंट्रोलरों का सिलसिला हुआ है, तब से जहां सरकार के सामने एक ओर कुछ दिक्कतें आयीं, वहां पिछले तीन वर्षों में मजदूरों के सामने भी बहुत सी परेशानियां आयीं। पडरौना मिल के मजदूरों का वेतन ७ लाख ३८ हजार ९ सौ बाकी है। छः सात महीने से उनको वेतन नहीं मिला। मजदूर भूखे रहते हैं। अपनी मांगों के लिये फिर वहां की यूनियन के सेक्रेट्री जब भूख हड़ताल करता है तो वहां के मजदूर निश्चय करते हैं कि भूख हड़ताल करने से कोई लाभ नहीं है, हम सत्याग्रह करें। उसके बाद वह सिर्फ यह करते हैं कि मिल के उस भाग की ओर जाते हैं जहां चीनी स्टाक में रखी हुई है। इस पर कलेक्टर साहब और पुलिस दफा ३७९ में ६६ मजदूरों को जेल भेज देती है कि तुम चीनी के गोदाम की तरफ क्यों गये। अपनी उत्पादित चीनी के कमरे की तरफ मजदूर का जाना उनके लिये दफा ३७९ का जुर्म बन सकता है। लेकिन अगर मिलमालिक मजदूरी नहीं दे सकते हैं तो उसके लिये मैं समझता हूं कि माननीय श्रम मंत्री जी यह समझते हैं कि कहां से पैसा आवे, बैंक एडवांस नहीं करती, चीनी स्टाक में बन्द है। कुछ समझदारी हमारी तरफ ज्यादा है और उस समझदारी की वजह से हमारे पैरों में एक जंजीर पड़ जाती है कि हम क्या

करें। लेकिन जब हम मजदूरों की दशा देखते हैं तो हम निरुत्तर हो जाते हैं। मैं जानता हूं कि हमारे श्रम मंत्री जी ने एक दो लाख रुपया दिलाने की यह कोशिश की कि मालिकों पर दबाव डाल कर के मजदूरों का वेतन बांटा जाय। लेकिन ६६ आदमी जो बन्द हैं, उनमें सभी लोग राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस से सम्बन्धित थे और यह बड़ी दुख की बात है, हमारे प्रदेश के लिये और श्रम मंत्री के लिये खास कर क्योंकि मजदूरों के कल्याण में उनका बड़ा हाथ रहा है और हम आगे बढ़ना चाहते हैं और यदि यह परिस्थिति है कि मजदूरों को वेतन भी न मिले तो मैं समझता हूं कि यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसी तरह से कठकुइयां शुगर मिल्स में १५ महीने से मजदूरों का वेतन बाक़ी है। श्रीमन्, गौर करें कि मजदूरों का तो १५ महीने का वेतन बाकी है और चीनी बनती रही और वह चली गयी। अब अथाराइज्ड कंट्रोलर आ गया है और वह कहता है कि मैं पिछले पैसे नहीं दे सकता हूं। इस तरह से मजदूरों का लाखों की तादाद में वेतन का रुपया पड़ा हुआ है। यही हालत खड्डा मिल्स की भी है। विक्रम काटन मिल में प्रावीडेंट फंड का एक लाख रुपया बाक़ी था। प्राविडेंट फंड का इंस्पेक्टर भी है लेकिन फिर भी वह एक लाख रुपये का अमाउंट गायब है। पता नहीं चलता कि वह रुपया कहां चला गया। इसी तरह से वहां मजदूरों के वेलफेयर के लिये एक लाख रुपये का एक फंड था वह भी गायब है। यह हालत है। मैं इधर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

हाउसिंग के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा कि कानपुर के अलावा भी मजदूरों के लिये मकान बनाये जायेंगे। मैं श्रीमन्, आप के द्वारा उनसे निवेदन करूंगा कि यह मकान केवल कानपुर में ही नहीं बल्कि ६-७ कस्बाल टाउन्स में बनाये ताकि मजदूरों में चेतना का भाव आये और मजदूरों की कोलोनी बन सकें। भंगियों के लिये जो क्वार्टर्स बनाये जाने की बात कही है उसके लिये मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। एक बात मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन के दफ्तर में जब सरकारी व अर्द्धसरकारी कारखानों की यूनियनें रजिस्ट्रेशन के लिये सबमिट की जाती हैं तो उनकी रजिस्ट्री नहीं की जा रही है। इसके सम्बन्ध में श्रीमन्, मैं श्रम मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि निस्संदेह यह राइट आफ एसोसिएशन का डिनायल है। यह गैर मुनासिब बात है। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की केंद्रीय शाखा ने इस अवसर पर विचार विनिमय किया और दिल्ली के श्रमालय में भी इसको लिखकर दिया गया तो वहां से कहा गया कि उनको तो कोई आपत्ति नहीं है। यह मामला प्रान्तीय सरकार को ही निश्चित करना है। मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थिति में माननीय मंत्री जी को आदेश देने चाहिये कि इस तरह का जो हमारा हक है उसमें रुकावट न डाली जाय। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मजदूरों की हालत सुधारने के लिये निरन्तर काम करते रहेंगे जैसा कि वह अब तक करते आये हैं।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---अध्यक्ष महोदय, आज मजदूरों की समस्या पर विचार हो रहा है और उनकी उन्नति का जो अनुदान हमारे सामने हैं और मंत्री जी ने जो विचार प्रकट किये हैं, मैं उनसे उसी तरह सहमत हूं कि उन्होंने मिल मजदूरों के लिये सब कुछ करने की कोशिश की है, फिर भी गुंजायश बाक़ी है। खेतिहर मजदूरों का जिक्र किया है लेकिन कोई क्रियात्मक कार्य नहीं हुआ है। इसके लिये खेद है। आज हमारे कृषि मजदूर उसी तरह से दुखी हैं। उनके पास खाने के लिये अन्न नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है और रहने को मकान नहीं है। यहां ३६ लाख खेतों पर काम करने वाले मजदूर हैं। अगर हमारे समाज का यह अंग जिसकी कमाई पर सारा देश निर्भर है अगर कमजोर रहता है तो सारा समाज, सारा देश कमजोर रह जायगा।

मैं मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुये कहूंगा कि आज इन मजदूरों की दशा जो देहात में रहते हैं और खेतों पर काम करते हैं, उनकी शिक्षा पर विचार किया जाय, उनके मकान के लिये तथा आर्थिक दशा सुधारने के लिये न्यूनतम मजदूरी निर्धारण करने के लिये कोई कानून बनाया जाय।

[श्री रामदास आर्य]

आज वह खेतिहर मजदूर इस प्रकार परेशान हैं कि दिन भर काम करने के बाद भी वह अपने पूरे काम की मजदूरी जो खेतों में काम करते हैं नहीं पाते हैं। आज हमारे देश में मिलों में मजदूरी करने वाले और खेतों पर काम करने वाले मजदूरों की संख्या तो दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है और उनमें जो बेकारी बढ़ती जा रही है उससे इन दोनों प्रकार के मजदूरों को बेचैनी होती जा रही है। आज जो खेत पर मजदूरी करने वाले हैं उनमें हाली हैं, नौकर हैं, बालदिये हैं, लुहार हैं, बढ़ई हैं, खेत से संबंधित श्रमिक हैं। आज जो हाली अपने किसान के खेत में काम करता है तो उसको जो मजदूरी उसको मिलती है उसमें वह संतोष नहीं पाता है। रात-दिन काम करता है, पानी बलाता है खेतों में सब जिंस बोकर के, फिर भी वह अपनी उन सब जिन्स में हिस्सा नहीं पाता है जिसमें वह काम करता है। इन कारणों से यह अन्दाजा लगता है कि अभी वह पर्याप्त सुविधाएं नहीं पा रहा है जो उसे मिलनी चाहिये थीं।

अभी कुछ समय पूर्व एक कमेटी बनी थी मजदूरों की समस्या पर विचार करने के लिए। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं कि कितने नुमाइन्दे मजदूरों के इस कमेटी में आये और उस कमेटी ने क्या सुझाव दिये और रिपोर्ट दी कि हम इस प्रकार के खेतिहर मजदूरों की समस्या हल करेंगे। जब कमेटी उसी प्रकार से कागज पर बनती रही और उसका कोई प्लान न बना कर उसे क्रियात्मक रूप नहीं दिया गया तो क्या फायदा हो गया इस कमेटी के बनने से और आगे काम करने से आज देश के मजदूर का असन्तोष बढ़ रहा है। पहले उसको आशा थी कि हमारी माननीय कांग्रेस सरकार हमारे लिए सब कुछ करेगी और हमने भी आश्वासन दिया कि हम अपने देश में किसी को बेरोजगार नहीं रहने देंगे, न भूखा मरने देंगे, न नंगा रहने देंगे और उनकी शिक्षा का प्रबन्ध करेंगे। तो माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें कि जहां हमने पंचवर्षीय योजना में अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध किया था वहां कम से कम उन मजदूरों के लिये जिनके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है और जिनके बच्चों की शिक्षा के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है तो उनके लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध करते ताकि उनको लाभ पहुंचता।

आज हम गांव-गांव में घूम-घूम कर किसानों और मजदूरों की हालत का निरीक्षण करते हैं और उनके आपस के झगड़ों को निपटाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हर जिले में समितियां बनें और हर जिले के किसान मजदूरों की परिस्थिति को देख कर कि वहां झगड़े क्या हैं, क्या दिक्कतें हैं, किस तरह से उनको मिला कर काम करना चाहिये—इस काम के लिए एक कमेटी बननी चाहिये ताकि उनके मामलात को वहीं तय करने की कोशिश की जा सके। मजदूरी के काम के घंटे तय किये जाने चाहिये और उनके झगड़े वहीं तय होने चाहिये। मैं चाहता हूं कि मजदूरों में सहकारी समिति के द्वारा यह काम हो और मजदूरी तय करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि जितनी मजदूरी हो उतने पैसे मिलें और उनकी मजदूरी एक प्रकार से निर्धारित की जाय और ठीक तरह से मिले।

आज देहात में मजदूर कर्जे में दबा पड़ा है जो रुपया वह ले लेता है एक बार, वह पुश्तों दर पुश्तों उससे उतरता नहीं है और उसी कारण आगे बढ़ने में उसको बाधा पड़ती है। तो ऐसा प्रबन्ध हो जाना चाहिये जिससे वह कर्जे से निकले और उसके अखराजात जो हर प्रकार के रोजाना जिन्दगी में आते रहते हैं वह उन्हें पूरे करने चाहिये, जिनके पास वह रहता हो। आज देहात में जो मजदूर काम करता है, वह पानी पर गया और पानी पर जाते हुए किसी सांप या बिच्छू ने काट लिया तो उसके जो बच्चे और स्त्री होंगे उनका कोई प्रबन्ध नहीं किया जाता। मिलों में तो ऐसा संरक्षण प्राप्त है, लेकिन देहातों में कोई प्रबन्ध नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी देहात के मजदूरों के लिए अपने पूर्ण प्रयत्न के साथ कोई योजना बनायेंगे और विधान बना कर के उन्हें शीघ्रातिशीघ्र लागू करने की कोशिश

करेंगे ताकि देहात में रहने वाले मजदूरों की भलाई हो, उनकी शिक्षा का, उनके रहने का, कपड़े का, खाने का, ठीक तरह से प्रबन्ध हो।

इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूं कि इन खेतिहर मजदूरों के लिए आगे कोई क्रियात्मक कदम उठाया जायगा जिससे आगे श्रमिक का उत्थान हो सके।

श्री भगवानदीन वाल्मीकि (जिला फतेहपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो श्रम अनुदान माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उस अनुदान का समर्थन करते हुए मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान उस मजदूर तबके की तरफ दिलाना चाहूंगा जो मजदूरों में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वह महत्वपूर्ण वर्ग मेहतर वर्ग कहा जाता है। गत जनवरी और फरवरी के माह, सन् १९५३ में उत्तर प्रदेश व्यापी हड़ताल हुई थी। उस हड़ताल द्वारा मेहतरों ने अपनी मांगों को सरकार के सामने रख कर मनवानी चाहीं, और एक नोटिस लेबर डिपार्टमेंट को और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी दिया गया था। लेकिन हमने यह देखा कि उस स्ट्राइक को लेबर डिपार्टमेंट के जरिये से इल्लीगल (गैर-कानूनी) करार दे दिया गया था। हमें इसके सम्बन्ध में तो कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस सम्बन्ध में इसलिये दिलाना चाहूंगा कि यह क्लास (मेहतर वर्ग), जो हरिजन भी कहलाता है, घृणित है, यह बहुत पिस रहा है—दो डिपार्टमेंटों की अलग-अलग नीतियों के कारण। जिस वक्त इनकी मांगों का सवाल आता है तो लेबर डिपार्टमेंट के जरिये से उनकी स्ट्राइक पर बैन लगा कर इल्लीगल करार दे दिया जाता है ताकि उनकी मांगें पूरी न हों। लेकिन हम यह देखते हैं कि यह वर्ग लोकल एथारिटीज के जरिये से, म्युनिसिपल बोर्ड के जो अधिकारी हैं, उनके जरिये से पीसा जाता है। उनके साथ अत्याचार होते हैं, नौकरी से वे निकाल दिये जाते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। जिस वक्त वह अपनी फरियाद लेबर डिपार्टमेंट के कंसीलियेशन बोर्ड ऐडजुडिकेटर या लेबर ट्रिब्यूनल के सामने रखना चाहते हैं तो वह भी उससे भागते हैं। अर्थात् सुनवाई नहीं करते। लेबर डिपार्टमेंट इस बात को कहता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसमें इंटरफियर करती है और वह कहती है इनका ताल्लुक सीधे हमारे डिपार्टमेंट से है, उनकी अपीलों पर, उनकी मांगों पर या उनकी जो फरियाद है, जो म्यूनिसिपल बोर्ड के द्वारा उन पर अत्याचार किये जाते हैं, उनकी सुनवाई की कोई व्यवस्था नहीं है, तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि यहां पर दो डिपार्टमेंट की दो नीतियों के कारण एक ऐसा वर्ग उन अधिकारियों के द्वारा पीसा जा रहा है तो क्यों पिसे? उन लोकल निकायों के अधिकारियों द्वारा वह वर्ग पीसा जा रहा है। उनको बेगुनाह नौकरी से निकाल दिया जाता है और उनकी और भी मांगों पर कोई तवज्जह नहीं दी जाती है। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा और उनसे यह विनम्र निवेदन करूंगा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और लेबर डिपार्टमेंट अपनी एक नीति इन लोगों के सम्बन्ध में तय करें, जिससे कि इन गरीबों का भी भला हो सके और यदि ऐसा हो जाय तो इनकी भी फरियाद सुनी जायगी। अगर इस तरह से नहीं किया जायगा तो इन बेचारों का स्थान कहीं नहीं होगा और इसी तरह से पिसते रहेंगे। उनकी जब फरियाद नहीं सुनी जायगी तो उनकी हालत गिरती जायगी और ये बेचारे गिरे हुए ही रहेंगे।

माननीय मंत्री जी ने इस लेबर फंड में से हमारे मेहतर भाइयों के लिए भी कुछ थोड़ी रकम रखी है। इससे उनके मकान बनवाये जायंगे। इसके लिये मैं उनका बड़ा आभारी हूं और हृदय से उनको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष—श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी, आप बारह मिनट ले सकते हैं।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रम विभाग की रिपोर्ट और बजट को एक ही साथ पेश करने के लिए माननीय गृह मंत्री को मैं बधाई देता हूं। इस १२ मिनट के समय में बारह महीने की लिखी हुई रिपोर्ट पर विचार करना मेरे जैसे आदमी के लिए असम्भव सी बात है। पर आपकी आज्ञा शिरोधार्य है और मैं कोशिश करूंगा कि इस १२ मिनट में मैं अपनी बातें कह सकूं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में चार तरह के मजदूर हैं। एक तो वह हैं जो निजी कल कारखानों में काम करते हैं। एक वह हैं जो सरकारी कल कारखानों में काम करते हैं या अर्द्ध सरकारी कल कारखानों में काम करते हैं। एक वह हैं जो खेतिहर मजदूर हैं और एक वह हैं जो घरों में काम करते हैं। हमारे श्रम विभाग ने जो रिपोर्ट हमारे सामने पेश की है वह निजी कल कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के सम्बन्ध में है; जहां तक सरकारी कल कारखानों का सवाल है उन्हें बराबर इस रिपोर्ट में छोड़ते चले गये हैं। इसी प्रकार जैसे म्युनिसिपल बोर्ड के मेहतर भाई हैं, उनके बारे में भी हमारे सामने कोई इत्तला नहीं है। कुछ साधारण सी इत्तला खेतिहर मजदूरों के बारे में है।

पहले मैं खेतिहर मजदूरों के बारे में कहना चाहता हूं। उनके बारे में हमारे माननीय तिवारी जी को बड़ा एतराज है कि इंस्पेक्शन हुआ पर चालान नहीं हुआ। यदि आपने गौर से रिपोर्ट पढ़ी है तो आपको मालूम होगा कि खेतिहर मजदूरों की तनख्वाह २६ रुपये रखी गयी है। मेरा ऐसा विश्वास है और लोगों ने भी सूचना दी है कि उनको २६ रु० से अधिक मिल रहा है। तब प्रश्न ही नहीं उठता उनके मालिकों के ऊपर कार्यवाही करने का। दूसरी बात यह है कि श्रम पर कानून बनाना केन्द्रीय विषय है। केन्द्रीय सरकार ने इसका कार्यकाल बढ़ा दिया है। कार्यकाल बढ़ा देने के कारण यह प्रश्न धीरे-धीरे चल रहा है। इस सम्बन्ध में एक मिनिमम वेज कमेटी के बनने की सूचना मिली थी और यह भी सूचना मिली थी कि मैं उसका एक सदस्य हूं। लेकिन डेढ़ वर्ष से उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई और कोई आशा भी नहीं है जब तक कि केन्द्रीय सरकार इस विषय पर जोर न दे उस वक्त तक कोई मीटिंग नहीं होगी। लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि हमारा भविष्य सुन्दर है। अगले वर्ष फिर इस सुन्दर भविष्य की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

मैं अब अपने उन श्रमजीविकों की तरफ आता हूं जो मिलों में काम करते हैं जो कि सरकारी कल कारखाने नहीं हैं बल्कि गैर सरकारी कल कारखाने हैं जिनके सम्बन्ध में यह रिपोर्ट है। मिलों में काम करने वाले मजदूरों के लिए हमारी सरकार ने काफी बड़ा प्रबन्ध किया है और उस प्रबन्ध की झलक इस रिपोर्ट में है। सन् १९४४ से ही इस रिपोर्ट का आधार मिलता है। १९४४ में हमारे प्रदेश में इस तरह के मजदूरों की संख्या २ लाख ७८ हजार २३८ थी। सन् ५३ में वह संख्या २,०६,८३२ रही यानी ७१,४०६ मजदूर बेकार रहे। लेकिन उनके लिये हमने प्रबन्ध क्या किया उसको भी जरा सुन लीजिये। सन् ४४ में श्रम विभाग में १५ गजेटेड आफिसर्स थे और २०० नान-गजटेड आफिसर्स। उनकी संख्या सन् ५३ में हो गई ७५ गजेटेड आफिसर्स की और १,१५८ नान-गजेटेड आफिसर्स की। उधर बेकारी बढ़ी तो इधर कम भी हुई। इसकी हमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन शिकायत इस बात की है कि इतनी तादाद उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग में बढ़ने के बावजूद भी रिपोर्ट में कहा गया है कि मजदूरों की हालत सम्पूर्णतया

शान्त है या पूर्णतया शान्त है। इतने मजदूरों के निकलने के बाद अगर हमारे प्रदेश में मजदूरों की हालत पूर्णतया शान्त है तब तो मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन अगर इतने मजदूर पूर्णतया शान्त नहीं हैं बल्कि वास्तव में वे इतने परेशान हैं या दबे हुए हैं जिससे वे आगे बढ़ नहीं सकते तो फिर माननीय मंत्री जी को उस पर विचार करना होगा।

एक तरफ तो हमारे यहां मजदूर निकाले जा रहे हैं दूसरी तरफ जो उनके मुकदमे हैं जैसा कि दूसरे मित्र ने बतलाया कि सौभाग्य से कुछ मुकदमे फैसल हो चुके हैं, पर मिल मालिकों ने उनको नहीं माना। मिल मालिकों पर मुकदमों के फैसलों को न मानने पर जो मुकदमे चले उनकी संख्या साल भर में ४४ है और बदकिस्मती से इन ४४ मुकदमों में कानपुर में केवल एक है। कानपुर में अभी तीस तारीख को एक मुकदमा दायर हुआ। कानपुर के मिल मालिकों को २९ लाख रुपये का बोनस जो २९ नवम्बर को बांट देना चाहिये था नहीं बांटा। तीस तारीख को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब ने फौरन मुकदमा दायर कर दिया लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक कोई सम्मन भी मिलमालिकों के पास नहीं पहुंचा। अगर यही हालत है तो फिर मैं माननीय श्रम मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह जरा स्थिति के इस पहलू पर भी गौर करें।

अब दूसरी तरफ कानपुर में मजदूरों के मकानों की संख्या बढ़ी लेकिन रहने वाले घट रहे हैं। वे मकान इसलिये बनाये गये थे कि गन्दे हातों को खत्म किया जाय, पर आज तक एक भी हाता खत्म नहीं हुआ। उनके मकानों की वैसी ही दुर्व्यवस्था है जैसी कि पहले थी। क्या श्रम मंत्री इस बात पर विचार करेंगे कि जो मजदूर दो ढाई रुपये किराया देता था वह इन नये मकानों का १२ रुपया किराया दे सकेगा? असंभव है। असंभव इसलिये है कि उन हातों में टेक्सटाइल मिल्स के मजदूर नहीं हैं बल्कि उन मिलों के मजदूर हैं जिनको तेल मिल कहते हैं, चमड़े और टैनरीज कहते हैं या ठेला ढोने वाले मजदूर कहते हैं। वह १२ रुपया किराया नहीं दे सकते। श्रीमन्, मैं सदन को बतलाना चाहता हूं कि मकान बनाये गये थे हाते के लोगों के लिये, इंडस्ट्रियल लेबरर्स के लिये लेकिन रक्खा वहां कौन जा रहा है टी० पी० १ और टी० पी० २ के मजदूर जो अच्छी अच्छी तनख्वाहें पाते हैं। अगर यही दशा है तो कहना होगा कि श्रम मंत्री जी सोचें कि वास्तव में असलियत कहां है।

तीसरी चीज यह है कि झगड़े होते हैं। आखिर झगड़ा होने के कारण क्या हैं? पहला कारण तो यह है कि गैर-कानूनी तरीके से मजदूर निकाल दिये जाते हैं। दूसरा झगड़ा होता है मजदूरी पर और तीसरा बोनस के लिये। गवर्नमेंट शुगर फैक्टरी के लिये फार्मूला बना सकती है तो क्या कारण है कि टैक्सटाइल फैक्टरीज के लिये फार्मूला नहीं बना पाती। इसका क्या मतलब है इसे तो श्रम मंत्री जी ही बतला सकते हैं लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि इस तरीके का कोई फार्मूला टैक्सटाइल मिलों के लिये सरकार को जरूर निकालना होगा, ताकि हर साल जो झगड़े होते हैं वह न हों। दिसम्बर का महीना आया कि झगड़ा शुरू हुआ। आप कहेंगे कि घाटा है। घाटा उनको नहीं है। मैं २, ३ मिलों की मिसाल आपके सामने देता हूं। कानपुर की एलगिन मिल-इसका पेड अप कैपिटल ६३ लाख है और इसमें ५४ हजार स्पिंडिल हैं और १२०० लूम हैं और इसका रिजर्व फंड ४३ लाख है। प्राफिट १९,२१,३७२ है। इसने मजदूरों को ४ आना बोनस दिया। दूसरा कारखाना जो छोटा ही है उसका पेड अप कैपिटल ३० लाख है, जिसके पास २२ हजार स्पिंडिल हैं और ५१० लूम हैं और जिसका रिजर्व २१ लाख है और उसका प्राफिट ५४४ हजार रुपया है। इसने ४ आना बोनस दिया है।

[श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी]

अब उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कारखाने को लीजिये जिसका नाम स्वदेशी काटन मिल है। उसका पेड अप कैपिटल १,५७,५०,००० है। इसमें ११५ हजार स्पिंडिल हैं और लूम २ हजार हैं। इसका रिजर्व २,२८,३१,६६७ है और इसका प्राफिट २४ लाख है। इसने कोई बोनस मजदूरों को नहीं दिया है। दूसरे मिल म्योर, विक्टोरिया आदि हैं। मैं समझता हूं कि इन मिलों के लिये एक कमेटी बिठाई जाय जिस तरीके से शोलापुर के मिलों के लिये बिठाई गयी थी जो इनके हिसाब-किताब की जांच करे और इसके कार्य को देखे और कार्य के तरीके को देखे और उस पर अपनी रिपोर्ट दे तब जाकर यह कोई बात समझ में आ सकती है। दूसरी बातों के सम्बन्ध में बहुगुना जी ने प्रकाश डाल दिया है मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं।

दूसरी बात मैं एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार कुछ रुपया उस पर खर्च करती है। यह विभाग बहुत छोटा है। उसका कार्य यह है कि जिन कारखानों को मजदूरों की जरूरत हो तो वहां पर वह मजदूर भेजता है। उनके लिये सरकार की तरफ से गाड़ी भी एक मिली हुई है। कारखाने खुलते हैं ६ बजे लेकिन यह दफ्तर ८ बजे खुलता है। किसी कारखाने को अगर मजदूरों की जरूरत है तो ६ बजे कहां से मजदूर मिलेगा क्योंकि दफ्तर तो ८ बजे खुलता है यह बात मेरी समझ में आज तक नहीं आयी। कई बार इसकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाया गया लेकिन कोई विचार नहीं किया गया। यह हमारा रुपया जो इसको दिया जाता है वह व्यर्थ जा रहा है। इसी तरीके से कुछ बातें पंचवर्षीय योजना के बारे में कही गयीं। पंचवर्षीय योजना के बारे में चाहे और कोई कार्य हो रहा है या नहीं लेकिन एक काम जरूर हो रहा है कि रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन का आफिस बढ़ता चला जा रहा है। पर रजिस्ट्री देर में होती है। अभी पिछले दिनों केन्द्रीय सरकार के श्रम मंत्री कानपुर आये थे। उन्होंने कहा था और हमारी सरकार के श्रममंत्री जी ने भी हमको विश्वास दिलाया था कि रजिस्ट्री को रोका न जायगा। लेकिन अब भी रजिस्ट्री रुकी हुयी है। अगर हमारे श्रम मंत्री चाहेंगे तो मैं उनको यह लिस्ट दे दूंगा। इसी तरीके से और भी हमारे विभाग बढ़ते चले जा रहे हैं।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—मैं माननीय सदस्य पं० नारायण दत्त तिवारी जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी अभी सदन के सामने इसके पहले जो अनुदान पेश हुआ था उस पर हमारे माननीय सदस्य रामेश्वर प्रसाद जी बोले थे। उस समय हमारे माननीय मंत्री जी ध्यानस्थ थे। माननीय रामेश्वर प्रसाद जी डर रहे थे कि माननीय मंत्री नाराज न हो जायं।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य पुराने अनुदानों के सम्बन्ध में जो भाषण हुए हैं उनका जिकर न करें। इस समय जो अनुदान सामने है उसी के सम्बन्ध में चर्चा कर सकते हैं।

श्री राम सुभग वर्मा—मैं यही कह रहा था कि आखिर में सही बातें आ ही जाती हैं। अभी माननीय बहुगुना जी ने देवरिया जिले की मिलों की ओर ध्यान दिलाया। श्रीमन्, इस पर मुझे एक देहाती किस्सा याद आ जाता है कि कोई राजा था उसके सिर में सींग उग आई थी। तब उसने अपने राज्य में डुग्गी पिटवाई कि कोई इस बात को न कहे, लेकिन एक आदमी इस बात को नहीं छिपा सका। उसी तरह से बहुगुना जी ने यहां बात कह डाली। कठकुइयां मिल के मजदूरों और वहां के किसानों ने कई साल से मंत्री जी के यहां मुख्य मंत्री जी के सामने बार-बार इस बात को रखा कि उस मिल की स्थिति सुधारी जाय। कई साल तक यह मामला चला लेकिन कुछ नहीं हुआ। सदन में भी कई मर्तबा इसकी चर्चा

हुई। अन्त में सरकार ने अपनी बात जो चाहती थी रखी, और कंट्रोलर को मिल दे दिया। उस मिल में १५ महीने की तनख्वाह मजदूरों की बाकी है। सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि कोई भी मजदूर काम करने के बाद अगर शाम को मजदूरी लेकर घर न जाय तो उसकी हालत क्या होगी, वह गुजारा कैसे कर सकता है। जब मैं उस कठकुइयां मिल में गया तो बरसात के दिनों में जब मिल बन्द थी, वहां के जो बनिये हैं उनसे मजदूर लोग काफी दिनों से उधार ले लेकर खाते रहे मगर जब वे पैसा नहीं दे सके तो उनका विश्वास उठ गया। हमने मजदूरों को देखा कि वे बरसात में बंसी लेकर मछली मार कर तथा भूनकर मक्का के साथ मिला कर खाते थे और अपना गुजर करते थे। यूनियन के कर्मचारी श्री गुनेश्वर सिंह ने अनशन भी किया, मगर कुछ नहीं हुआ। भविष्य में भी मालूम नहीं कि उन मजदूरों की मजदूरी मिलेगी या नहीं। यही नहीं, पडरौना की मिल पर साढ़े सात लाख रुपया बाक़ी है और वहां तो कांग्रेस यूनियन के लोग लड़ते हैं। उनमें एक ने अनशन किया, कुछ मजदूर चीनी रोकने में, ३७९ दफा में गिरफ्तार करके बन्द किये गये। ६६,७० मजदूर जेल गये। अभी जब मैं यहां से गया तो उस दिन शनीचर के दिन वे लोग छूटे हैं। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि चाहे किसी यूनियन के लोग हों, चाहे सोशलिस्ट हों या कांग्रेस के हों, जब तक वे मिलमालिकों की डुग्गी पीटते हैं तब तक तो सरकार के लिये बड़े अच्छे हैं और उन्होंने मिलमालिकों की शिकायत करना शुरू की तो उनको जेल में बन्द कर दिया जाता है। रोटी के लिये जो मांगें करे उसे हवालात में भेजा जाता है, यह हमारे यहां की मजदूरों की दशा हो रही है। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मजदूरों की रोटी के मामले में आपने कितने आदमियों को जेल में बन्द किया और कितनों को छटनी की, कितने आदमियों को गोलियों से मरवाया और यह बतलायें कि कितने मिल मालिकों को आपने जेल में बन्द किया जिन्होंने गैर-कानूनी काम किये। मंत्री जी बतलायेंगे कि किसी मिल मालिक को इस तरह की सजा दी गई है जिस तरह से कि रोटी की मांग करने वालों को जेलखाने में बंद किया गया है। रोटी की मांग करने वालों को आप जेल में बन्द करते हैं, गोलियों से भूनते हैं, उनके खिलाफ तरह तरह की कार्यवाही करते हैं। जिनको कि १०–१५ महीनों की तनख्वाहें नहीं मिली हैं, जिनको कि गन्ने की कीमत नहीं मिली है उनको आप जेलखाने में बन्द करते हैं। इसी सदन में फार्म पर मजदूरी दिये जाने के बारे में तय हुआ था। अपने जिले में चार फार्म हैं बम्बनौली, दोमठ, सपहा और बैकुंठपुर, इनमें हजारों मजदूर काम करते हैं, जिनको वह मजदूरी नहीं दी जाती है। जब मजदूर मांग करते हैं तो उनको निकाल दिया जाता है। अभी-अभी सदन में कहा गया कि मजदूरों को २८ रुपया कई आना मजदूरी दी जाती है। आपके ही टेस्ट वर्क्स पर ४, ६ और ८ आना मजदूरी दी जाती है वहां पर भी आप कहां मिनिमम मजदूरी देते हैं? आज कल चार आना में किसका निर्वाह हो सकता है, कौन अपने बालबच्चों का पालन-पोषण कर सकता है। आठ आने में तो वह अपना पालन भी नहीं कर सकता। तो मेरा सुझाव है कि मिलों में मजदूरी समय पर दी जाय। खेतिहर मजदूरों को मिनिमम रेट सब जगह दिये जायं।

*श्री जयपाल सिंह—अध्यक्ष महोदय, मुझको यह बात देख कर ताज्जुब होता है कि जिस वक्त यह लेबर की मांग यहां पर उपस्थित की गयी तो हाउस से सब के सब गायब हो गये। अब हाउस में जो रह गये हैं, मैं समझता हूं कि वे सब एक ही बिरादरी के रह गये हैं। जो बैठे हुये हैं उनकी बिरादरी श्रमिकों और मजदूरों की बिरादरी है। ऐसी स्थिति में मैं अपने माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जयपाल सिंह]

हूं कि उन्होंने जो कार्य खेतिहर मजदूरों के लिये, आज उस रिपोर्ट के द्वारा बताये हैं, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली दफा जब एग्रीकल्चर मिनिमम वेजेज कमेटी बनायी गयी थी तो उसमें ७ नुमायंदे किसानों के और ७ नुमायंदे मजदूरों के रखे गये थे। उन नुमायंदों को अगर देखा जाय तो मजदूरों के केवल दो नुमायंदे थे। एक श्री गंगा प्रसाद जी और दूसरे श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी। ये दोनों भी मजदूरों का ही ज्यादा रिप्रेजेंटेशन करते थे। इस प्रकार से खेतिहर मजदूरों का वहां कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। उसमें या तो फार्मों वाले थे या लखपती लोग थे। खैर, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट आज तक नहीं मिल पायी है और न यह मालूम हुआ कि उस कमेटी ने क्या तय किया। इसके अलावा सिर्फ सरकारी फार्मों पर ही यह मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू किया गया है और स्थानों पर यह लागू नहीं है। हमारे प्रदेश में खेतिहर मजदूर इस रिपोर्ट के अनुसार और सेंसस के अनुसार ३६ लाख हैं। मैं सेंसस फिगर्स पर विश्वास तो नहीं करता क्योंकि उनमें न जाने क्या-क्या गड़बड़झाला की जाती है। सन् ५१ में हरिजन मजदूरों की संख्या ४,७०० बतायी गयी है लेकिन हमने अपनी जानकारी के लिये जो गणना करायी उसमें हमें मालूम हुआ कि वह ७ हजार और कुछ है। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सेंसस में फिगर्स के साथ अन्याय होता है। लेकिन इतनी बड़ी समस्या ३६ लाख की होते हुए भी हमको यह देखना है कि ज्यादातर लोग देहातों में रहते हैं और सभी भूमिहीन हैं, उनके खाने, कपड़े की समस्या को कैसे सुलझाया जाय। मैं उनका मुकाबला शुगर फैक्टरी के मजदूरों से ही करता हूं क्योंकि वे खेतों में काम करते हैं और वहीं फैक्टरी में रहते हैं जहां कि उनको गन्ना उपलब्ध हो सकता है, किसान ही उसे पैदा करते हैं। तो अगर उनका मुकाबला शुगर फैक्टरी के मजदूरों से किया जाय तो ५० रु० से अधिक ही उनको दिया जाता है। पिछले साल शुगर फैक्टरी के मजदूरों को करीब ३२ रुपये का बढ़ोत्तरी भी दी गयी। लेकिन खेतिहर मजदूरों की मजदूरी २६ रुपये ही है। उसके कटेगरी के होते हुए भी उनकी मकान की समस्या को मद्देनजर नहीं रखा गया है, बोनस आदि का सवाल तो अलग रहा। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सरकार को फराखदिली से इस तरफ कदम उठाना चाहिये। जैसा कि अवस्थी जी ने बतलाया कि ऐक्ट की मियाद बढ़ायी गयी है लेकिन यह चीज ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिये। उनके लिये एग्रीकल्चरल प्रोबलम भी सामने है क्योंकि इस तरह के मजदूर बड़े-बड़े किसानों के ही खेत जोतते हैं, उनके नाम भी उस जमीन के खाते में नहीं लिखे होते। तो यह समस्या तभी हल हो सकती है जब कि उनके खाने पीने तथा जिन्दगी की दूसरी चीजों की तरफ ध्यान दें। आज देहातों में जितनी बुरी हालत में वे रहते हैं वह यह है कि वे अपने मकानों में जानवरों की तरह से रहते हैं। वे बहुत ही खराब जगहों में रहते हैं। उनकी हालत तो इतनी बदतर है कि वे अपनी आजीविका के लिये अपनी बीवी बच्चों यहां तक कि बहुत ही छोटे-छोटे बच्चों से भी मजदूरी करवाते हैं। जब उनकी हालत खाने पीने की ही ऐसी है तो फिर शिक्षा दीक्षा तथा दूसरी मामूली बातें तो दूर की रहीं। कांग्रेस एग्रीकल्चरल रिफार्म्स कमेटी ने कुछ सजेशंस रखे थे कि रीजनल बेसिस पर दो-दो तीन-तीन जिले एक साथ रख दिये जायं और वहां की स्थानीय हालत को देखकर ही जो वहां कंसिलिएशन बोर्ड वगैरह बनें, मजदूरों की मिनिमम वेजेज तय कर दें। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार इस चीजों को सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने मूव नहीं करती है तो और कोई सरकार इसे मूव नहीं कर सकती है। मुझे यकीन है कि यह सरकार जो भी मजदूरों के हित में चाहेगी वह सेंट्रल गवर्नमेंट से कार्यान्वित कराने की कोशिश करेगी। ऐसी अवस्था में यह कहना उचित नहीं मालूम होता कि यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट के मूव करने की बात है।

एक बात मैं और फैक्टरी मजदूरों के बारे में कहना चाहता हूं कि मकान बनाने के बारे में कई सजेशंस दिये गये हैं लेकिन उस स्कीम को इस तरह से व्यवहार में लाना चाहिये,

जिससे मजदूरों को जल्दी से जल्दी डाइरेक्टली फायदा पहुंच सके और जल्दी से जल्दी उनके मकान बन सकें। मिल मालिकों द्वारा मजदूरों को एक्सप्लायट न होने दिया, इस बात का ध्यान सरकार को बराबर रखना चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि स्वीपर्स के लिये जो उन्होंने कदम उठाया है वह काफी तो नहीं है, जितनी जटिल समस्या है उसको देखते हुए तो बहुत थोड़ा है लेकिन फिर भी जहां कुछ नहीं था उसके लिये तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूं।

*श्री गज्जू राम (जिला झांसी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो श्रम अनुदान हमारे सामने माननीय श्रम मंत्री जी ने उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और उसके लिये माननीय मन्त्री जी को बधाई देता हूं।

श्रीमन्, मैं अपने झांसी जिले के भंगी भाइयों की बात माननीय मन्त्री जी से निवेदन करता हूं। मैंने सुना है कि भंगी यूनियन का कई हजार रुपया म्यूनिसिपल बोर्ड कि अन्दर रखा है और आज तक उसको किसी काम में नहीं लगाया गया है। श्रीमन्, मैं जब अपने यहां के भंगी भाइयों की हालत को देखता हूं तो बड़ा दुख होता है और ऐसा मालूम होता है कि वे पशु से भी बदतर हैं और सरकार उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देती है। वे पानी, रोशनी और मकानों की सफाई से वंचित रहते हैं। वह दूसरों की सफाई तो करते हैं लेकिन अपनी सफाई मजबूरी और गरीबी के कारण नहीं कर पाते। इसलिये माननीय मन्त्रीजी कृपा करके उस ओर ध्यान दें और उनका और उनके यूनियन का पैसा उनके मकानों की योजना करने में लगवायें।

इसके अनन्तर भरारी डेयरी फार्म के मजदूरों की समस्या मैं माननीय मन्त्री जी के सामने रखता हूं। वे इतने दबे हुये हैं कि अपनी सांस भी किसी अधिकारी के सामने नहीं निकाल सकते हैं। वे जानते हैं कि उनकी नौकरी वहां के इंचार्ज महोदय की मेहरबानी पर है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वहां के मजदूरों को बुरी तरह से सताया जाता है और किसी बात को भी वहां के इंचार्ज महोदय से कहें तो वह लात, जूते और डंडे से बात करता है और उनको समझाना और बताना तो दूर वहां डंडों से काम लिया जाता है। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि अगर इस मामले की जांच न की गयी तो मुझे आशा है कि वहां के मजदूर बहुत ही शीघ्र मजदूरी से हट जायेंगे। उन्होंने मुझे बुलाया मैं वहां गया भी था। लेकिन मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जब मैंने सूचना दी कि मैं वहां का निरीक्षण करना चाहता हूं तो बंगले से जवाब आया कि इस वक्त तबियत ठीक नहीं है निकल नहीं सकते। लेकिन हालत यह है कि वहां के क्लर्कों से वहां का इंचार्ज डंडे से बात करता है। तो वहां के मजदूरों के लिये रहने की व्यवस्था नहीं है, उनके बच्चों के लिये शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो उनके रहने की, उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था माननीय मन्त्री जी करें, इसके लिये मैं उनसे प्रार्थना करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि इस ओर वे अवश्य ध्यान दें।

श्री हरिसिंह (जिला मेरठ)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो सदन के समक्ष मजदूरों के विभाग के लिये अनुदान उपस्थित है उसके लिये मैं अपने श्रम मंत्री जी को बधाई देता हूं। यह श्रम विभाग वह विभाग है जिस विभाग पर आज एक वर्ग का जीवन-मरण निर्धारित है और वह वर्ग मजदूर वर्ग है जिस वर्ग में अभी मेरे एक माननीय सदस्य ने ४ श्रेणियां बतलाई हैं। खेतिहर मजदूर, घरेलू मजदूर, सरकारी कारखानों के मजदूर और मिल मजदूर। जहां तक हमारी सरकार का संबंध है, जिस रोज से हमारी सरकार ने हमारे देश की और हमारे प्रदेश की बागडोर हाथ में ली थी उसी दिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरिसिंह]

से यह श्रम विभाग एक ऐसे मंत्री के हाथ में गया जो कि मजदूरों के सदैव शुभचिंतक रहे हैं। मैंने उनका भाषण सन् १९३३ ई० में जब कि वह जेल से छूटकर आये थे, मेरठ में कुमार आश्रम में सुना था। वह चाहते थे कि हमारे यहां के मजदूरों की आर्थिक स्थिति उतनी ही अच्छी हो जितनी कि यहाँ के मध्यश्रेणी के वर्ग की आर्थिक स्थिति है। सौभाग्य से हमारा देश भी स्वतंत्र हुआ, हमारी सरकार बनी, और वह विभाग हमारे मंत्री जो स्वयं हमारे मजदूर नेता जो कि काफी होशियार थे और मजदूर समस्या में काफी निपुण थे, उनके हाथ में आया।

अब मैं मिल मजदूरों का प्रश्न सब से पहले लेता हूं। क्योंकि मिल मजदूरों की सब से ज्यादा समस्याएं हैं इसलिये सरकार ने मिल मजदूरों के लिये अधिक कार्य किया है और उनके लिये नौकरियों में सुविधायें की गई हैं। उनके लिये मकान बनवाये गये हैं और उनकी जो जो कठिनाइयां थीं उनको दूर करने के लिये सरकार ने प्रयत्न किया है। परन्तु खेद के साथ मुझे एक बात कहनी पड़ रही है कि आज जो खेतिहर मजदूर हैं वह नहीं जानते कि कब हमारा देश स्वतंत्र हुआ और कब हमारे भारतवर्ष को स्वराज्य मिला और वह स्वराज्य कहाँ रह गया, आज उसको कुछ पता नहीं है। आज इस विभाग के कर्मचारी खेतिहर मजदूरों की समस्या को नहीं जानते और उनके नजदीक तक नहीं जाते। इसका कारण यह है कि उनमें खेतिहर मजदूरों का एक भी अधिकारी नहीं है।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि घरेलू मजदूर जो कि आज चार-चार और पांच-पांच रुपये पर बरतन मांजते हैं उनकी समस्या किसी के कान तक नहीं पहुंची है और किसी को भी नहीं मालूम कि वह भी इस देश के मजदूर हैं। उस बेचारे को कोई नौकरी देता है और कोई नहीं देता है, यह घरेलू मजदूरों की समस्यायें हैं। आज माननीय सदस्य मिल मजदूरों की बात कहते हैं जिनके लिये सरकार ने करोड़ों रुपया का अनुदान दिया है, उनके लिये बिल्डिंगें बनवाई हैं, उन बिल्डिंगों में वे लोग रहते हैं जिनकी स्थिति उस मिल में नौकरी करने से पहले बहुत अच्छी थी और उसमें जो गरीब से गरीब मजदूर भी है उसके लिये भी मकान की व्यवस्था उस मिल में है। लेकिन जहां तक भट्ठों के मजदूरों का प्रश्न है जो कि दो तीन महीने ईंटें बनाने के बाद गांव में वापस चले जाते हैं यदि उनके लिये भी आप लोग यह कहते हैं कि ग्राम में उनके मकान बनवा दिये जायं और उनके लिये छोटे-छोटे बैंक खोल दिये जायं तो यह एक उचित बात होती। जहां मिल मजदूरों के मकानों की व्यवस्था के लिये रुपया रखा जाता है उसी तरह से यदि खेतिहर मजदूरों के लिये प्रत्येक गांव में मकान बनवाये जायं तब शायद इसे सुनकर मजदूरों को प्रसन्नता होती। लेकिन आज जब हमारे ही माननीय सदस्य भिन्न-भिन्न प्रकार की बातें करते हैं तो सरकार परेशान हो जाती है कि वह मिल मजदूरों के लिये काम करे या खेतिहर मजदूरों के लिये काम करे। इसके अतिरिक्त एक वर्ग और रह जाता है जिसका किसी को ध्यान ही नहीं है। मिल में जाना, हड़ताल कराना और गवर्नमेंट को हानि पहुंचाना, जहां तक मैं समझता हूं यहां उनका सदैव काम रहता है। मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि पी० डब्ल्यू० डी० के मजदूर हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मजदूर हैं और दूसरे छुटपुट कामों के जो मजदूर हैं, क्या आपने कभी उन पर भी ध्यान दिया कि उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है जब कि यहां सौ रुपये से कम किसी को तनख्वाह नहीं मिलती है औ तीन-तीन हजार तक मिलती है। मैं आपके द्वारा माननीय श्रम मंत्री के समक्ष यह सुझाव उपस्थित करना चाहता हूं कि जो खेतिहर मजदूर हैं उनके लिये कर्जे, मकानों और इंडस्ट्रीज की व्यवस्था सरकार करे ताकि उनकी बेरोजगारी दूर हो। यदि यह व्यवस्था नहीं की गयी तो दिनों दिन मजदूरों की बेकारी बढ़ेगी और वह देश के लिये घातक सिद्ध होगी।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, 'श्रम' शब्द इतना व्यापक है कि जो आदमी किसी प्रकार की मेहनत करता है उसका सम्बन्ध किसी न किसी प्रकार का श्रम विभाग से होना चाहिये। जैसा कि अभी जिक्र हुआ कि खेतिहर मजदूर हैं, सरकारी कारखानों में काम करने वाले मजदूर हैं, घर में नौकरी करने वाले मजदूर हैं, पी० डब्ल्यू० डी० के आदमी हैं, और अगर थोड़ा विस्तार में देखा जाय तो बहुत से घरों में लोगों की बीवियां बिना तनख्वाह की मजदूर होती हैं उनको भी श्रम विभाग में आना चाहिये। लेकिन अभी हमारे पास सब किस्म के श्रमिकों के सम्बन्ध में काम करने की कोई मशीनरी नहीं है, इसलिये मजबूर होकर हमको अपना हाथ खींचना पड़ता है। जो बातें यहां कही गयीं वह सभी अनुभव के ऊपर निर्भर हैं। परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनमें से कुछ का इस विभाग से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। जैसे कि कुछ बातें हमारे उन भाइयों की कही गयीं जो कि म्यूनिसिपलिटियों में सफाई का काम करते हैं, भंगी भाइयों की। उनसे जैसा समाज काम लेता है उस प्रकार का काम लेकर उनके साथ जैसा बर्ताव किया जाता है वह हम सब जानते हैं, और ऐसा कोई भी सहृदय आदमी नहीं है जो उसके लिये दुखी न हो। वह जिस कष्ट के साथ रहते हैं उसका हम सब को अनुभव है, परन्तु मैं केवल विभाग की बात कहता हूं। व्यक्तिगत रूप से हमको सहानुभूति है और गवर्नमेंट को है, परन्तु इस वक्त श्रम विभाग जो है उसका सम्बन्ध म्यूनिसिपलिटियों में काम करने वाले स्वीपर्स से नहीं है। उसका सम्बन्ध होना चाहिये या नहीं होना चाहिये, इसके लिये मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता। इस वक्त अगर उनका कहीं झगड़ा खड़ा होता है तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्वयं उस झगड़े को फैसला करती है। किसी खास मौके पर अगर वह डिपार्टमेंट लेबर डिपार्टमेंट से कहे और लेबर डिपार्टमेंट उस काम को लेना चाहे तो ले सकता है, लेकिन प्रायः ऐसा नहीं होता है। एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि कहीं उनकी हड़ताल हुई थी तो उसको लेबर डिपार्टमेंट ने गैर-कानूनी करार दे दिया। लेकिन डिपार्टमेंट को किसी हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित करने का अधिकार नहीं है। एक कानून इसके लिये बना हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि इतने दिनों की नोटिस देने से जो हड़ताल होती है वह कानूनी होती है और इतने दिनों की नोटिस न देने से जो हड़ताल होती है वह गैर-कानूनी होती है। तो इस सम्बन्ध में लेबर डिपार्टमेंट को कोई अधिकार नहीं है। इसलिये मैंने निवेदन किया कि पूरी सहानुभूति होते हुये भी लेबर डिपार्टमेंट का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। हां, यह जरूर है कि जो रुपया हमें गवर्नमेंट आफ इंडिया से मिला, आधा कर्ज के रूप में और आधा ग्रांट के रूप में, मकान बनवाने के सिलसिले में, उस सम्बन्ध में हमने गवर्नमेंट आफ इंडिया को लिखा कि यह रुपया आप वर्कमेन के लिये तो देते हैं लेकिन स्वीपर्स जो मिलों में काम नहीं करते हैं उनके लिये भी हम यह समझते हैं कि उनको वर्कमेन समझना चाहिये। इसलिये हमें आप इस बात की इजाजत दें कि इसमें से कुछ रुपया हम उनके लिये भी खर्च कर सकें। इस तरह की लिखा पढ़ी करने से उन्होंने हमारी बात मान ली, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हमारा स्वीपर्स से कोई सम्बन्ध नहीं है।

यह जो जिक्र किया गया है खेतिहर मजदूरों के बारे में तो उनमें से बहुत सी बातें ऐसी हैं जो उचित होते हुये भी हमारी शक्ति के बाहर हैं और इस समय तक ही नहीं बल्कि मैं तो नहीं समझता कि कोई भी गवर्नमेंट इस प्रदेश में होगी वह इन बातों को अपने में लेने की हिम्मत करेगी। जैसे कि खेतहर मजदूरों के लिये मकान बनाने का जिक्र किया गया। आप देखें कि मिल मजदूरों की संख्या इस वक्त जैसी है वह करीब २/३ लाख लोग के होगी इससे अधिक नहीं होगी। जिस वक्त शुगर के कारखाने चलते हैं तो वह सब मिला कर ३/४ लाख की आबादी होगी और वह भी गिनी गिनाई जगहों पर है। कुछ तो शहरों में हैं और कुछ लोग जो शुगर मिल्स में काम करते हैं तो उनके लिये

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

तो मकान बनाये जा सकते हैं। लेकिन जो लोग प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने में फैले हुये हैं, उनके लिये मकान बनाना मैं तो नहीं समझता कि किसी गवर्नमेंट की हिम्मत होगी कि वह ऐसा कर सके और मेरी जानकारी में तो किसी देश ने अभी तक ऐसी हिम्मत नहीं की है। रूस की बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन हमारे पड़ोस में चीन है उसने भी ऐसी हिम्मत नहीं की है और करना सम्भव भी नहीं था। यह मैं कहता हूं कि यह तो अपने को धोखा देना होगा। अगर कोई समझे कि उनके लिये मकान बनाने की कोई सरकार कोशिश कर सकती है।

यह बात दूसरी है कि देहात के लोगों की हालत अच्छी हो, ग्राम पंचायतों को ताकत दे दी जाय और वह कोआपरेटिव बेसिस पर कार्य करें तो वह बात दूसरी है, लेकिन श्रम विभाग कर सकता हो तो यह मुश्किल है। इस तरह से अनिवार्य शिक्षा की बात है यह बड़ी अच्छी बात है। शिक्षा विभाग इस बात को देख रहा होगा और वह लोग भी इसी के अन्दर आ जायेंगे। बहरहाल यह चीज श्रम विभाग की शक्ति के बाहर है।

मजदूरी बात जरूर है। मेरी कमजोरी समझिये या जो कुछ भी समझिये। मैंने यह बात आप के सामने रख दी है। मिनीमम वेजेज ऐक्ट लागू हुआ तो गम्भीरता के साथ सोचने पर भी मैं समझ नहीं पाया कि इस काम के लिये यह उपयुक्त समय है या नहीं। जिन लोगों के लिये हम यह काम करना चाहते हैं उससे उनका कल्याण होगा या नहीं और इसका समाज में क्या असर होगा और। मुझे तो ऐसा लगता था और अब भी लगता है कि जिस जमाने में चीजों का मोल भाव स्थायी रूप से आ जाय उस समय इन चीजों के करने का वक्त हुआ करता है। हमारे यहां एक बात और होती है कि नगद के रूप में मजदूरी नहीं देते हैं। कुछ नगद में और कुछ अन्न के रूप में देते हैं। उनको मौका होता है कि जो अनाज के दाम गिर जाते हैं तो अनाज के देने में सुविधा होती है और कभी वह अनाज नहीं दे पाता है और उसे देने में आसानी नहीं होती है। अगर गवर्नमेंट रखेगी तो नगद में रखेगी क्योंकि अनाज और रुपये का अलग-अलग हिसाब लगाना बड़ा मुश्किल होगा। बहरहाल यह चीज है और मुझे संदेह रहता है कि इसका परिणाम क्या होगा और अगर हमने कोई मजदूरी फिक्स कर भी दी और इम्प्लायर न दे और झगड़े खड़े हो जायें तो क्या होगा।

जैसे मैंने मकानों के बाबत कहा कि मिल के मजदूर तो थोड़ी सी जगह में फैले हुये हैं, तो वहां झगड़े का फैसला करने में आसानी होती है। वहां मुकद्दमा चलाना, गोली बन्दूक चलाना आसान है। लेकिन जो एम्पलायर और मजदूर हमारे सारे प्रदेश के कोने-कोने में फैले हुये हैं और करोड़ों की संख्या में हैं और प्रदेश के इस कोने से दूसरे कोने तक फैले हुये हैं तो उनका फैसला कैसे होगा। क्या जगह-जगह अदालतें कायम होंगी और किस तरह से होगा? जरूर मैं इसके लिये घबड़ाता रहा हूं कि अगर इस प्रदेश में यह ठीक तरह से लागू नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, क्योंकि मुझे यह लगता है कि भलाई के बदले कहीं बुराई न हो जाय और ऐसी क्रान्ति हो जिसे समाज सम्हाल न सके, हम उसके लिये तैयार हैं और हम आशा करते हैं कि यह आगे चलेगी। इसकी बाबत कोई झगड़ा फसाद तो हमारे सामने कोई आया नहीं। मुमकिन है कि इस वजह से न आये हों कि जो मजदूरी हमने रखी है उसके मिलने में १२ जिलों में कोई दिक्कत नहीं होती। वह १ रुपया रोज है और २६ रुपया महीना भर के हिसाब से। या फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यह चीज चल गई तो सारे प्रदेश भर में जैसी कि हमारी जरूरत है कहीं झगड़े नहीं होंगे ऐसा तो नहीं होगा, कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो होंगे, लेकिन उससे काफी लाभ होगा। इस सम्बन्ध में माननीय जयपाल सिंह ने एक सुझाव दिया है। उनका सुझाव ठीक है। हम उसको अपने सामने रखते हैं, उसके लिए रास्ता निकाला जायगा। एक नया प्रयोग है, झगड़े पैदा होने की संभावना है।

डर है कहीं ऐसा न हो कि झगड़े पैदा हो जांय और सम्भलते न बनें। लेकिन अगर गुड विल होती है तो उसके साथ-साथ कोई न कोई रास्ता होना चाहिये। हम सोच रहे हैं कि इस पर गौर होना चाहिये। कई किस्म के झगड़े का जिक्र किया गया। माननीय नारायण दत्त जी को उस रिपोर्ट में ऐसा प्रमाण शायद ढूंढ़ने से भी नहीं मिला कि दिन भर कोई मजदूर काम करता रहे और मजदूरी उसको ४ आने से ज्यादा न मिले। मेरा तो कम से कम ऐसा अनुभव नहीं है कि आज के जमाने में केवल चार आने दिन भर की मजदूरी के हो सकते हैं और किसी को मिलते हैं। अगर कहीं मिलते भी हैं तो उसके साथ अनाज भी मिलता है। कहीं-कहीं ऐसा हो सकता है, इतना बड़ा प्रदेश हमारा है।

कुछ सदस्य--अब भी ४ आने मिलते हैं। देवरिया में ४ आने मिलती है मजदूरी।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मिलती होगी। देवरिया तो उन जिलों में है जहां मजदूरी फिक्स की गयी है। ५० एकड़ से ऊपर वालों में फिक्स की गयी है कि १ रुपया उन्हें मिलेगा और अगले साल वह लगेगी।

अब इसके बाद कुछ बातों का जिक्र हुआ और नारायण दत्त जी ने भी उनका जिक्र किया और श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी ने भी जिक्र किया और मुझे भी आश्चर्य हुआ उन बातों को सुन करके। इस बात का जिक्र हुआ कि जो एम्पलाई हैं उनका नम्बर घटाया जाय, छटनी हुई और न जाने क्या-क्या हुआ। लेकिन जिन आदमियों ने मजदूर समस्या का अध्ययन किया है उन्हें इस बात का ख्याल अवश्य होना चाहिये कि अगर वह मजदूरी का जिक्र करें तो अगर ऐसी बात केवल उत्तर प्रदेश में हुई हो, छटनी हुई हो, बेकारी या बे रोजगारी हुई हो तो उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार का दोष है। लेकिन आज सारे देश में जहां कहीं मिलें, कारखाने हैं वह सब बन्द हो रहे हैं। सारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है जहां कहीं सुनते हैं पार्लियामेंट में, सब जगह अनएम्पलायमेंट, अनएम्पलायमेंट की चर्चा सुनते हैं। तो हमें यह सोचना चाहिये कि कोई न कोई वजह जरूर है और उसके लिये उत्तर प्रदेश की सरकार ही जिम्मेदार नहीं हो सकती। अगर सरकार ही उसके लिये जिम्मेदार है तो मान लीजिए है, लेकिन देश व्यापी चीज वह है, सारे भारत वर्ष में वह चीज है। अब जो हवा सारे देश में बह रही है उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को जिम्मेदार ठहराना न्याय की बात नहीं है, उचित नहीं है और जो लोग इन बातों का अध्ययन करते हैं उनके मुंह से इस बात को सुन कर मुझे जरूर आश्चर्य हुआ। पिछली बार, जब छटनी और अनएम्पलायमेंट की बात हुई तो हमने एक पूल कायम किया जिसका माननीय अवस्थी जी ने बहुत व्यंग के साथ जिक्र किया कि कोई रुपया घटता तो नहीं। रुपया बहुत से कामों में लग सकता है। जो मजदूर किसी मिल से निकाले जांय उन सब का रजिस्टर वहां रहता है। कौन मजदूर किस योग्यता का है और जो कारखाने वाले हैं उनसे यह तय है कि अगर उन्हें मजदूरों की जरूरत हो तो वह इस पूल से मांगें। यह उनकी लिस्ट है, उससे मांगें। झगड़ा होते हुये भी जब मजदूर अलग किये जाते हैं तो हर एक कारखाना से उनकी मदद करने की कोशिश की जाती है। इसके साथ उन देश व्यापी कारणों को भी सामने रखने की आवश्यकता है जिन कारणों से आज कानपुर में मजदूरों को बड़ी दिक्कत हो रही है। उनकी मदद करने के लिए यह कोशिश की। अब अवस्थी जी कहते हैं कि ८ बजे दफ्तर खुलता है। तो मैंने इस बात को पहले पहल सुना है। मैं समझता हूं कि कानपुर के अधिकारियों के कान में वह इस बात को ले जांयगे कि ६ बजे के बजाय दफ्तर ८ बजे खुलता है, लेकिन मुझे यह भी आशा है कि सूर्यप्रसाद अवस्थी इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं कि वह बिना इस सदन में इस चीज का दुखड़ा रोये ही अपने आप इस दिक्कत को दूर कर सकते हैं उनकी बाबत ऐसा मुझको विश्वास है।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

अब एक बात मुझसे पूछी गई कि आपने कितने मिल मालिकों पर गोली चलाई और कितने मजदूरों पर गोली चलाई ? तीन चार साल पहले शायद एक बार कानपुर में गोली चली थी मजदूरों पर, जहां तक मुझे याद पड़ता है। मिल मालिकों पर कभी गोली नहीं चलाई गई लेकिन एक बात याद रखने की है यह केवल हिन्दुस्तान की बात नहीं है बल्कि सारी दुनिया की बात है और वह जरा सी कानून मेरे की बात है कोई बहुत बड़ी विद्या या बुद्धि की बात नहीं है। क्यों ऐसा होता है कि मजदूर इस चपेट में आ जाता है और मिल मालिक नहीं आता ? इसका कारण यह है कि बड़ी आसानी से मिल मालिक अपने को फौजदारी के उन सारे कानूनों से बचा सकता है जिन कानूनों से मजदूरों का बचना बड़ा मुश्किल है। मान लीजिए मिल मालिक मजदूरी नहीं देता है, आप अपने घर पर नौकर रखते होंगे, आप अपने नौकर की तनख्वाह न दें, तो सिवाय इसके कि वह दीवानी में जाय और कुछ वह नहीं कर सकता, फ़ौजदारी का केस आप के ऊपर नहीं चल सकता है। लेकिन अगर नौकर अपनी मजदूरी लेने के लिए आपके घर में घुस आवे तो उसके ऊपर फौजदारी का मुकद्दमा चल जायगा और दुनियां की सूरत ही इस समय ऐसी है कि एक आदमी जिसको रुपया देने की बात है, वह अगर रुपया नहीं देता तो सिवाय इसके कि आप दीवानी अदालत की शरण में जांय और कुछ आप नहीं कर सकते। आमतौर से और कोई रास्ता नहीं और वह आदमी जिसको मजदूरी चाहिए जो कि बिलकुल न्याय पर है और मजदूरी न मिलने की वजह से हर तरह की तकलीफ उठा रहा है, वह अपनी तकलीफ दूर करने के लिए जो भी साधन इख्तियार करता है, जो कुछ भी करता है, अपनी तनख्वाह लेने के लिए, उससे वह फौरन फौजदारी के अन्दर आ जाता है। अभी पड़रौना मिल का क्या हुआ ? वहां भी यही बात थी। मजदूरों की चोरी करने की नीयत बिलकुल नहीं थी। उनको मजदूरी नहीं मिलती थी मिल मालिक मजदूरी देने को राजी नहीं थे। उन्होंने क्या किया कि वह चीनी के बोरे के पास जाते हैं और फिर कुछ मजदूर मिलकर उसको बाहर लाते हैं और कहते हैं कि ठीक है अगर आप नहीं देते हैं तो हम यह चीनी ले जाते हैं, इसको बाजार में बेचने के बाद अपना हिस्सा ले लेंगे बाकी आपको दे देंगे। कोई गलत बात नहीं कही उन्होंने लेकिन कानून के अनुसार तो वह चोरी हो गई और वह कानून के अन्दर आ गये। तो मजबूरी ऐसी है। उसमें किसी की नीयत ऐसी नहीं है कि मिल मालिकों का साथ दिया जाय और मैं समझता हूं कि किसी भी दल का कोई सदस्य ऐसा नहीं है जो यह कहे कि उत्तर प्रदेश सरकार मिल मालिकों का साथ देती है, लेकिन मजबूरी है और कानूनी मजबूरी है।

अभी मुकदमा चलाने की बात आयी। जहां मुकदमा चलाने की बात होती है वहां मुकदमा चलाया भी जाता है। मैं सुन रहा था माननीय नारायण दत्त जी ने कुछ शाप्स ऐंड कामर्शियल ऐक्ट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इतने इंस्पेक्शन हुये लेकिन उन इंस्पेक्शन का नतीजा क्या हुआ ? उन्होंने शायद उसके नीचे नहीं पढ़ा। पेज २५ पर ही नीचे लिखा हुआ है। ९७८ मुकदमे दायर हुये जिनमें से ७६३ फैसल हुये। ७३० पर जुर्माना किया गया। १४,८३३ रुपया जुर्माना हुआ। सब उसमें लिखा हुआ है। तो जब मुकदमें चलाने की बात होती है तो मुकदमे भी चलाये जाते हैं। लखनऊ की एक मिल का जिक्र हुआ। जहां हम समझते हैं गड़बड़ी हुई और मुकदमा चलाया जा सकता है वहां हम मुकदमा चलाते हैं। लखनऊ की मिल के ऊपर हमने फौजदारी का मुकदमा दायर कर रक्खा है और जब मुकदमे का फैसला होगा तो देखा जायगा। तो इस किस्म के मुकदमे होते हैं। मुकदमे हम दायर तो कर देते हैं लेकिन मिल मालिकों के पास रुपया होता है और वह जितनी भी अदालतें हैं उन सबके पास जा सकते हैं। हमारे यहां लेबर कोर्ट्स के फैसले होते हैं वह कोई आखिरी फैसले तो होते नहीं। उसके बाद वह हाईकोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स तक उसे ले जा सकते हैं हम उन्हें इससे रोक नहीं सकते। हमारे यहां लेबर कोर्ट्स के बहुत से फैसले होते हैं लेकिन हम उनको इम्पलीमेंट नहीं कर पाते क्योंकि लेबर कोर्ट के बाद भी हाईकोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट

तक वह उनको ले जा सकते हैं। कुछ मिलों के इन्तजाम के बारे में जिक्र हुआ। पहले यू० पी० का कानून था। अब जो नया कानून बना है उसके अनुसार गवर्नमेंट आफ इन्डिया उनका प्रबन्ध करती है। यह अब गवर्नमेंट आफ इन्डिया के हाथ में है। हमारे यहाँ किसी भी मिल का इन्तजाम कितना भी खराब क्यों न हो, हम गवर्नमेंट आफ इन्डिया को बराबर चाहे लिखते रहें कि उस मिल का इन्तजाम अपने हाथ में लेना चाहिये लेकिन फिर भी गवर्नमेंट आफ इन्डिया किसी कारण से यह आवश्यक नहीं समझती है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इन सब दिक्कतों को समझना चाहिये और उन सब दिक्कतों के होते हुये भी सभी लोग इस बात पर सहमत होंगे कि जहां तक हमसे बन पड़ता है हम मजदूरों की सेवा करने की कोशिश करते हैं और इस काम में बहुत सी अड़चनों के होते हुये भी हमें काफी सफलता मिली है।

जो बातें यहां कही गयीं, जैसा कि मैंने कहा उनमें से अधिकांश बातें ऐसी हैं जो कि लोगों के अनुभव पर निर्भर हैं और लोगों की सहानुभूति की द्योतक हैं। जहां तक सहानुभूति की बात है, मैं कह सकता हूं कि हमको भी इन बातों के साथ पूरी सहानुभूति है। हमने कोशिश की है और आगे भी कोशिश करेंगे।

मैं समझता हूं कि प्रस्तावक महोदय का हृदय भी मेरी इन बातों से द्रवित हो गया होगा और वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले ही लेंगे।

*श्री नारायण दत्त तिवारी--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी के स्पष्टीकरण को बड़े ध्यान से सुना, लेकिन मुझे दुख है कि उन्होंने बहुत सी आधारभूत बातों पर प्रकाश नहीं डाला। जैसे मैंने यह जानना चाहा था कि इसका क्या कारण है कि हजारों मामले जो कंसीलिएशन के लिए जाते हैं वह ऐडजुडीकेशन के लिये ऊपर नहीं भेजे जाते। मैंने उनकी संख्या भी दी थी। ५२-५३ में २ हजार ६ सौ ९३ ऐसे मामले थे जो कि कंसीलिएशन से ऊपर भेजे गये लेकिन ऐजुडिकेशन आज तक नहीं हुआ। वह कौन सा फारमूला है जिसको मानकर सरकार यह निश्चय करती है जिसके अनुसार वह निश्चय करती है कि कौन सा मामला ऐजुडीकेशन में भेजा जायगा और कौन सा नहीं भेजा जायगा। यू० पी० मजदूर यूनियन जिनके मामले इस प्रकार दबाये जाते हैं, माननीय मंत्री जी ने उसका स्पष्टीकरण नहीं किया।

जहां तक खेतिहर मजदूरों का सम्बन्ध है माननीय मंत्री जी ने कहा कि इतने बड़े प्रदेश में किस प्रकार इस कानून को अप्लाई कर सकते हैं। तमाम बातें उन्होंने बतलाईं, एक लम्बी स्कीम मिनिमम वेजेज ऐक्ट को लागू करने की हमारे सामने रक्खी, लेकिन हमारा तो दृष्टिकोण इस सम्बन्ध में बिल्कुल स्पष्ट है। खेतिहर मजदूर तो एक थोड़े ही काल के लिये खेतिहर मजदूर है। जिस समय जमीन का दुबारा बटवारा हो जायगा चाहे वह कानून के जरिये हो, चाहे भूदान के जरिये हो, चाहे शान्तिपूर्ण क्रान्ति से हो, जमीन का बटवारा होजाने के बाद खेतिहर मजदूर खेतिहर मजदूर नहीं रह जायगा। वह जमीन का अधिकारी हो जायगा। विनोबा जी ने सन् १९५७ ई०तक की अवधि रक्खी है उस समय तक वह समस्या हल कर देंगे। तो क्या माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि खेतिहर मजदूर हमेशा खेतिहर मजदूर ही बना रहे। उन्होंने एक लम्बी स्कीम सन् १९६० ई० तक बतला दी। दूसरी चीज यह है कि यह स्कीम तो केवल ट्रान्जीशन पीरियड के लिये है जिस समय तक खेतिहर मजदूर भूमि का मालिक नहीं होता है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैंने सन् १९५६ ई० कहा था।

श्री नारायण दत्त तिवारी--तीन साल बढ़ गये हैं। उस समय हमारे सामने समस्या यह होगी कि खेतिहर मजदूर की कितनी मिनिमम होल्डिंग हो।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

ऐसा ही दूसरा सवाल माननीय अवस्थी जी ने उठाया था मजदूरों के मकानों के सिलसिले में। मकान उनको मिल रहे हैं जो बड़ी-बड़ी तनख्वाह पाने वाले हैं न कि उन गरीब मजदूरों को जो कि स्लम्स में रह रहे हैं। यह प्रश्न सिर्फ कानपुर के मजदूरों के लिये नहीं है, चीनी के मजदूरों के लिये भी है और मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा गम्भीर प्रश्न है। माननीय मुख्य मंत्री जी की ख्वाहिश थी कि आज इस कानपुर में आग लगा दी जाय तो जहांपर ऐसे लोग रहते हैं उनकी ख्वाहिश अधूरी रह जायगी अगर जो मकान बन रहे हैं वे उन मजदूरों को न दिये जायं जिनके लिये वह बनाये गये हैं बल्कि बड़ी-बड़ी तनख्वाह वाले उनमें रहें, जो मजदूर नहीं हैं।

कंसिलेशन और एजुडीकेशन के बारे में उन्होंने यह कहा कि फैसले इसलिये नहीं लागू हो पाते हैं कि उन पर अपीलें हो जाती हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है। मैंने तो वह मामले रक्खे थे जो मामले ऊंचे से ऊंचे न्यायालय से फैसल हो चुके हैं और अभी तक कोई लागू नहीं हुये हैं।

उसमें माननीय अवस्थी जी ने बतलाया कि कानपुर में केवल १ लिया गया है। रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ६ केसेज में ५ से रुपया वसूल नहीं हुआ जो कि फायनल हो चुके थे, तो किस प्रकार मजदूरों को विश्वास हो सकेगा गवर्नमेंट की इस तरह की एजुडिकेशन मशीनरी में? यह एक बुनियादी सवाल है। श्रम नीति से इसका सम्बन्ध है। इस तरह की नीति से डिपार्टमेंट बढ़ रहा है, धीरे-धीरे काम हो रहा है, इतनी काम हो रही है मैं समझता हूं कि इस तरह के छोटे मोटे उदाहरण देने से काम पूरा होने वाला नहीं है। बुनियादी सवालों का बुनियादी निराकारण होना चाहिये जिससे समस्या का हल हो सके। अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट की क्या नीति है जैसा कि बहुगुना जी ने भी कहा था कि सरकारी जो अहलकार हैं वे अपनी यूनियन रजिस्टर कराना चाहते हैं तो उसमें सरकार का क्या रवैया होगा, इस विषय में वह अपनी राय दे दें तो मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लूं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गवर्नमेंट प्रेस के वर्कर्स की यूनियन को रजिस्टर करने का जो प्रश्न है उसमें रजिस्टार, ट्रेड यूनियन को अधिकार है रजिस्टर करने से गवर्नमेंट उनको रोक नहीं सकती।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना—लेकिन वह करते तो नहीं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—तो इसका कारण उनसे ही पूछिये।

श्री रामनरेश शुक्ल—मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय सात बजे के बाद दो मिनट और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सदन का समय सात बजे के बाद दो मिनट और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८-श्रम और संख्या-लेखा शीर्षक ४७—विविध विभाग के अन्तर्गत २७,९६,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हर प्रसाद शिक्षा निधि, बनारस (समझौता पुष्टीकरण) (सम्पत्ति संक्रामण) विधेयक, १९५४

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं श्री हर प्रसाद शिक्षा निधि, बनारस (समझौता पुष्टीकरण) (सम्पत्ति संक्रामण) विधेयक, १९५४ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५०८–५२३ पर)

(इसके बाद सदन सायंकाल ७ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
४ मार्च, १९५४

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान परिषद सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१२ पर ।)

आज़मगढ़ प्लानिंग कमेटी के ग्राम सभापतियों की सूची

ग्राम प्रधानों के नाम	ग्राम सभा के नाम	पंचायत इन्सपेक्टर के नाम
१—श्री राम अवतार सिंह	चेनपुर	सगरी
२—श्री तीरथ राज शुक्ला	कैप्टेन गंज	महराजगंज
३—श्री सलतनत राय	पतवल	बिलारिया गंज
४—श्री पतेश्वरी प्रसाद	अतरसुवा	दोहरी घाट
५—श्री कृष्णानन्द तिवारी	दुरबला	सरायमीर
६—श्री परमानन्द दुबे	पिजारा	मऊ
७—श्री भगवत पाण्डेय	देवसली देवलस	मोहम्मदाबाद
८—श्री झूरी राय	महूवर	सदर
९—श्री हरेकेश्वर राय	सहरोज	घोसी
१०—श्री जनक देव सिंह	नेवादा गोपालपुर	मधुवन
११—श्री रुक्मणी सेवक अस्थाना	बजावल	मोहनागर
१२—श्री तिलकधारी राय	हरमन्दपुर	टेकमन
१३—श्री राम आसरे सिंह	लासनाथ खुर्द	दीदारगंज
१४—श्री मारकंड सिंह	जिगासी	लालगंज
१५—श्री पारसनाथ सिंह	रसूलपुर	कोयलसा
१६—श्री चन्द्र भूषण सिंह	सत्तरापुर	महुल

जिला प्लानिंग कमेटी आजमगढ़ द्वारा स्वीकृत हरिजन कुओं की सूची
२३-१२-१९५२

क्रम-संख्या	प्रार्थी का नाम		ग्राम का नाम	तहसील	स्वीकृत अनुदान
					रु०
१	श्री रामरतन धोबी	..	अलतपुर	लालगंज	४००
२	श्री खुरमुल्ली हरिजन	..	नाता उसरा	,,	४५०
३	श्री मुन्नी लाल	..	मेहुनगर	,,	४००
४	श्री फेकू राम	..	घटखाला	,,	४५०
५	श्री हन्साए राम	..	सेहपुरवा	,,	४५०
६	श्री राजपत हरिजन	..	बस्ती	घोसी	४५०
७	श्री फागूराम	..	बेला सुलानपुर	,,	३५०
८	श्री दूरदेशी हरिजन	..	परसरामपुर	,,	३५०
९	श्री रामलाल	..	बरहिमपुर	,,	४५०
१०	श्री लक्षमन राम	..	बन्सेपुर	फूलपुर	४५०
११	श्री सीरू राम	..	पूरू	,,	४५०
१२	श्री सुखू राम	..	हमजापुर	,,	२५०
१३	श्री जगुनूराम	..	भवानीपुर	,,	४५०
१४	श्री पतराम	..	सहाजली	,,	४५०

अध्यक्ष प्रदेश

क्रम-संख्या	प्रार्थी का नाम		ग्राम का नाम	तहसील	स्वीकृत अनुदान
					रु०
१५	श्री सोहन राम	..	भटवारा	मुहम्मदाबाद	४२५
१६	श्री शिवबालक	..	अस्वाना	,,	४२५
१७	श्री रामचेत राम	..	मदनपुर	सदर	४००
१८	श्री प्रेमराम	..	सरायमीर	,,	४००
१९	श्री बलईराम	..	शाहपुर	,,	४००
२०	श्री जगदेव राम	..	सलेमपुर	,,	४००
२१	श्री फुलबदन	..	हीरा पट्टी	,,	४००
२२	श्री सहदेवराम	..	खुद कास्ता	,,	२००
२३	श्री करइया राम	..	बिशुनपुर	घोसी	४००
			योग	..	९,२५०

जिला प्लानिंग कमेटी, आजमगढ़ द्वारा स्वीकृत हरिजन कुओं की सूची
८-६-१९५२

क्रम-संख्या	प्रार्थी का नाम		ग्राम का नाम	तहसील	स्वीकृत अनुदान
					रु०
१	श्री घुरपतारी खटिक	..	ईश्वर पुरपवानी	फूलपुर	४८०
२	,, मटाई हरिजन	..	बैनदुई	,,	४७५
३	,, ब्रजमन	..	खुरासान	,,	२२५
४	,, गुहदेव हरिजन	..	भरौली	,,	२२५
५	,, बहादुर और खेदू	..	मिर्सी बैरमवान	,,	३८०
६	,, भगवान दास हरिजन	..	कोसारा	लालगंज	४९०
७	,, ठाकुर खटिक	..	जीनपुर	सगारी	४८०
८	,, बहाऊ हरिजन	..	लालपुर	,,	४७०
९	,, तोलहा हरिजन	..	चैनवाता	,,	४९०
१०	,, गनपत हरिजन	..	सुवाह	घोसी	४००
११	,, खरपत्तू हरिजन	..	टमाठा	,,	४००
१२	,, श्यामदेव हरिजन	..	खिरीकोठा	,,	४००
१३	,, शिह दत्ता	..	मरियादपुर	,,	४००
१४	,, तूफानी हरिजन	..	नन्दौर	,,	४००
१५	,, शकल देव हरिजन	..	डुबारी	,,	४६०
१६	,, अध्यक्ष जिला बोर्ड	..	कमला सागर में कुएं के लिए	कमला नेहरू	२५०
१७	,, हरगेन हरिजन	..	मित्रासेनपुर	सदर	४७५
१८	,, चातुरी राम	..	परसरामपुर	,,	४९५
१९	,, निर्मल राम	..	रानीपुर	मुहम्मदाबाद	१७५
२०	,, गजाधर प्रसाद	..	पलहनी	सदर	२००
			योग	..	७,७७०

अनुसंधान एवं प्रकाशन

जिला प्लानिंग कमेटी आजमगढ़ द्वारा स्वीकृत हरिजन कुओं की सूची

२३-१२-१९५२

क्रम-संख्या	प्रार्थी का नाम	ग्राम का नाम	तहसील	स्वीकृत अनुदान
				रु०
१	श्री बसंत लाल	.. दयार	घोसी	२००
२	,, सुनाई राम	.. मिस्तोपुर	मुहम्मदाबाद	१००
३	,, चौथीराम	.. डुबारी	घोसी	१७५
४	,, जगन्नाथ प्रसाद	.. बौन्दीह	,,	१२०
५	,, बीसराम	.. कोलपुर कुसाहरा	सदर	१००
६	,, खरपत्ती राम	.. जोकाहारा	सगरी	१७५
७	,, परोही राम	.. देवला सल्तनत	फूलपुर	९०
८	,, जगदेव राम	.. बलरामपुर	सदर	१२५
		योग	..	१,०८५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१२ पर)

जिला प्लानिंग कमेटी, आजमगढ़ को १९५१–५२ और १९५२–५३ में दिये गये अनुदान का विवरण

डिस्क्रीशनरी अनुदान

क्रम-संख्या	शेष रु०			रिसीट्स			टोटल			पेमेन्ट्स				
				१९५१–५२			१९५२–५३			प्रोजेक्ट का नाम, ग्राम, तहसील	दिया गया अनुदान			प्रोग्रेसिव योग खर्च
	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०		रु०	आ०	पा०	रु०
१	३,४६८	१३	९	१२,०००	०	०	२३,५००	०	०	३८,९६८	१३	९	१—सीड स्टोर का निर्माण, बड़ा गांव, सगरी	४०० ० ० १,२००
													२—वीमेन वेलफेयर सेंटर की मरम्मत नडवाल, घोसी	७२ ० ० ७२
													३—टेस्ट वर्क पर तालाब की खुदाई, कल्याणपुर, घोसी	८० ० ० २००
													४—क्वेश्चनायर के छापने का खर्च	२५० ० ० ..
													५—खिरीधिया बांध में खर्च, खिरीधिया, सगरी	१०० ० ० २००
													६—प्रोफाइल के बनाने में खर्च बघान, लालगंज	१५० ० ० ..
													७—तालाब के खोदने में खर्च, कोहरियापार, घोसी	१०० ० ० ४००
													८—वेजीटेबल के बीजों पर खर्च	४५५ ३ ३ ..

अनुवाद विभाग

क्रम-संख्या	शेष रु० १९५१-५२	रिसीट्स १९५२-५३	टोटल	पेमेन्टस् प्रोजेक्ट का नाम, ग्राम, तहसील	दिया गया अनुदान			प्रोग्रेसिव योग खर्च
				९—पंचायत सेक्रेट्री ट्रेनिंग कैम्प पर खर्च	रु० ५३१	अ० ५	पा० ०	रु० ..
				१०—पी० आर० डी० ट्रेनिंग कैम्प	४१	११	०	..
				११—तालाबों की खुदाई, बेला सुल्तानपुर, घोसी	१००	०	०	३००
				१२—पंचायत सेक्रेट्री का रिफ्रेशर कोर्स	४५०	०	०	..
				१३—मेन पावर मोबिलाईजेशन योजना के सम्बन्ध में खर्च	६,१४८	७	०	२,१०,०००
				१४—कोआपरेटिव सीड स्टोर के निर्माण में खर्च बर्दा, लालगंज ..	२,०००	०	०	४,०००
				योग ..	१०,८७८	१०	३	२,१६,३७२रु०
				हरिजन वाटर सप्लाई				रु०
२	शून्य	६,००० ० ०	शून्य	१—हरिजन कुआं श्यारामारूफ लालगंज				५००
				२— ,, नासोपुर मोहम्मद				५००
				३— ,, चक विश्वनाथ घोसी				५००
				४— ,, हीरापट्टी सदर				५००
				५— ,, सुदानीपुर फूलपुर				५००
				६— ,, बरिहारी सदर				५००
				७— ,, बुजुर्गपट्टी सगरी				५००
				८— ,, भैरोंपुर, घोसी				५००
				९— ,, मेहनजपुर लालगंज				५००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

					१०— ,, चौटा सगरी	५००	१५,००
					योग ..	५,०००	१५,०००

तहसील फूलपुर और सगरी में दो हरिजन कुओं का निर्माण मंजूर किया गया था और उनमें से हर एक के लिए ५०० रु० को सबसिडी थी, लेकिन निर्माण पूरा न होने के और सर्टीफिकेट न मिलने के कारण उसका पेमेन्ट न हो सका और इस साल होगा।

अभाव-ग्रस्त क्षेत्र के लिए प्राईम मिनिस्टर द्वारा दिया हुआ अनुदान

३	शून्य	शून्य	१०,००० रु०	१०,००० रु०	दस सिंचाई के लिये कुएं तहसील मुहम्मदाबाद ..	४,५५५ रु०	१३,६६५ रु०

फिजिकल कल्चर अनुदान

४	२,१०० रु०	९१,५०० रु०	२,४०० रु०	६,००० रु०	१—पांच वीमेन वेल्फेयर सेंटर के लिये खेल-कूद का सामान	३०३ ६ ०	..
					२—आठ गांव सभाओं के लिये खेल-कूद का सामान	५५० १ ०	..
					३—आठ गांव सभाओं के लिये खेल-कूद का सामान	५२९ १२ ०	..
					४—विमेन वेल्फेयर के स्पोर्ट्स के इनाम	१९६ १० ०	..
					५—पी० आर० डी० के डिस्ट्रिक्ट अर्गेनाइजर के द्वारा किये गये स्पोर्ट्स के संबंध म खर्च	२९२ ८ ०	..
					योग ..	१,८७२ ५ ०	..
५	शून्य	१,००० रु०	१,००० रु०	२,००० रु०	१—हरिजन सम्मेलन के सम्बन्ध में नोटिस छापने पर खर्च	३४ ६ ९	

हरिजन सहायक एसोसिएशन फंड

६	शून्य	७५० रु०	शून्य	७५० रु०	तीन हरिजन विद्यार्थियों को स्टाइपेंड दिया गया	१६० ० ०	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	शेष रु०	रिसीट्स १९५१-५२	रिसीट्स ५२-५३	टोटल	पेमेन्ट्स प्रोजेक्ट का नाम, ग्राम, तहसील	पेमेन्ट्स दिया गया अनुदान	पेमेन्ट्स प्रोग्रेसिव योग खर्च
					कम्यूनिशेन अनुदान		
७	८,३७० रु०	शून्य	शून्य	८,३७० रु०	१—सड़क और कलवर्ट का निर्माण बखारा फूलपुर	१००	३००
					२—सड़क और कलवर्ट का निर्माण परीगढ़ मोहम्मद	२२०	७००
					३—सड़क और कलवर्ट का निर्माण रेंडा लालगंज	२००	६००
					४—सड़क और कलवर्ट का निर्माण भवनपुर घोसी	२२१	६८०
					योग ..	७४१	२,२५०
					पशुपालन अनुदान		
८	शून्य	१,००० रु०	शून्य	१,००० रु०	अभी तक कोई खर्च नहीं हुआ, स्कीम बना ली गई है	१०,४३१ ११ ० ..	
					जन—स्वास्थ्य अनुदान		
९	शून्य	११,२०० रु०	शून्य	११,२०० रु०	१—ऐन्टी मलेरिया योजना के संबंध में दवा तथा सामान के लिये खर्च	१०,४३१ ११ ० ..	
					तालाब खुदाई		
१०	४७३ ६ ०	शून्य	शून्य	४७३ ६ ०	१—टेस्ट वर्क योजना पर तालाब खुदाई चांदसार सदर	रु० १००	रु० ३००
					२—टेस्ट वर्क योजना पर तालाब खुदाई मुस्तफाबाद मुहम्मद	१००	३००
					३—टेस्ट वर्क योजना पर तालाब खुदाई सरौदा मुहम्मदपुर	१००	३००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

					४—टेस्ट वर्क योजना पर तालाब खुदाई सिकन्दरपुर, सगरी	७५	२५०
					योग ..	३७५	१,१५०
					हरिजन घरों के लिए अनुदान		
११	१,९८७ ६ ०	शून्य	४,००० ० ०	५,९८७ ६ ०	जिला नियोजन कमेटी में हरिजन घरों के लिये प्रार्थना-पत्र स्वीकार करने के लिये मांगे जा रहे हैं। अभी तक कुछ खर्च नहीं हुआ। सब रकमें जून १९५३ के पहले काम में लाई जायेंगी।		
					सामूहिक जुर्माने		
१२	३६,८	५६ १० ६	११,०८० १३ ९	..३७,९३७ ८ ३	१—करखिया, सगरी के स्कूल का आखिरी पेमेन्ट	२८९ १० ६	६००
					२—पंचायतघर नेवड़ा (लालगंज), पंचायत घर का आखिरी पेमेंट	१२३ ० ०	२५०
					३—जिले में जगह-जगह पर टेस्ट वर्क	१,००० ० ०	१,०००
					४—बांध का टेस्ट वर्क सौरासंथी व मदुरी (सगरी)	९७५ ० ०	९७५ १५ ०
					५—बांध का टेस्ट वर्क सरसेना (मुहम्मद)	४३४ १२ ०	७१६ ० ०
					६—बांध का टेस्ट वर्क तेरही (सगरी)	६४० १५ ०	६४० १५ ०
					७—भवनपुर (घोसी) में कलवर्ट का निर्माण	३७९	८००
					योग ..	३,८४२,१५ ६	४,९८२ १४ ०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	शेष रु०	रिसीट्स	टोटल	पेमेन्ट्स		
		१९५१–५२	१९५२–५३	प्रोजेक्ट का नाम, ग्राम, तहसील	दिया गया अनुदान	प्रोग्रेसिव योग खर्च
			जल वितरण के लिए अनुदान			
	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०			
१३	१२,६८६ १ ९	शून्य	८,००० ० ०	२०,६८६ १ ९	१—हरिजन कुआं, पलनी (सदर)	८५	२५५
					२—बांध बखारा फूलपुर	१३०	३९०
					३—बांध परीगढ़ मुहम्मदाबाद	१९०	५७०
					योग ..	४०५	१,२१५

इस जिले की सभी ६ तहसीलों में २० नये हरिजन कुएं स्वीकृत किये गये हैं जैसा कि संलग्न सूची में दिया गया है। इस पर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी द्वारा ७,७७० रु० सरकारी अनुदान के रूप में कमेटी ने अपनी ८–६–१९५२ की मीटिंग में दिया जिसके लिये ईंटें और सीमेन्ट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के फन्ड्स में से दिया जा रहा है।

इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ने अपनी २३–१२–१९५२ की मीटिंग में १०,३३५ रु० सरकारी अनुदान के रूप में ३१ नये तथा पुराने हरिजन कुएं बनाने के लिये चालू साल (१९५२–५३) में जिले की सभी ६ तहसीलों को स्वीकार किया जिसके लिये कमेटी के फन्ड्स में से सीमेंट तथा ईंटें दिये जा रहे हैं।

आजमगढ़ जिले में कम्यूनिटी प्रोजेक्ट क्षेत्र के लिये सरकार द्वारा दिये गये सहायतार्थ अनुदान का विवरण

क्रम-संख्या	रिसीट्स		योग	पेमेन्ट्स			खर्च का योग	विवरण
	१९५१–५२	१९५२–५३		प्रोजेक्ट का नाम, ग्राम	तहसील	रकम दी गई		
१	शून्य	६७,५०० रु०	६७,५०० रु०	..	..	..	..	

नोट— इस अनुदान में अभी तक कुछ खर्च नहीं किया गया है। पत्र-संख्या ७९३२/१२-जी—५००(२)-५२, दिनांक ११ नवम्बर, १९५२ के दिये गये आदेशों के अनुसार इस अनुदान को काम में लाने के लिये निर्माण तथा अन्य कार्यों को स्वीकृति दी जा रही है।

अनेर प्रदेश विधानसभा

डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, आजमगढ़ को दिये गये अनुदान का विवरण

क्रम-संख्या	अनुदान का नाम	बैलेन्स आट फार्वर्ड			रिसीट्स			योग			दिये गये पेमेन्ट			खर्च का योग		
		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
१	डिस्क्रीशनरी ग्रान्ट	३४६८	१३	९	३५,५००	०	०	३८९६८	१३	९	१०,८७८	१०	३	२,१६,३७२	०	०
२	हरिजन जल वितरण	..			६,०००	०	०	६०००	०	०	५,०००	०	०	१५०००	०	०
३	माननीय प्राइम मिनिस्टर का अनुदान	..			१०,०००	०	०	१००००	०	०	४,५५५	०	०	१३,६६५	०	०
४	फिजिकल कल्चर	२,१००	०	९	३,९००	०	०	६०००	०	९	१,८७२	५	०	..		
५	हरिजन उद्धार	..			२,०००	०	०	२,०००	०	०	३४	६	९	..		
६	हरिजन सहायक संघ का फंड	..			७५०	०	०	७५०	०	०	१६०	०	०	..		
७	कम्यूनिकेशन ग्रान्ट	८,३७०	०	०	..			८,३७०	०	०	७४१	०	०	२,२५०	०	०
८	पशुपालन	..			१,०००	०	०	१,०००	०	०	..			..		
९	जन स्वास्थ्य	..			११,२००	०	०	११,२००	०	०	१०४३१	११	०	..		
१०	तालाब खुदाई	४७३	६	०	..			४७३	६	०	३७५	०	०	१,१५०	०	०
११	हरिजन घरों को ग्रांट	१,९८७	६	०	४,०००	०	०	५,९८७	६	०	..			..		
१२	सामूहिक जुर्माने	२६,८५७	१०	६	११,०८०	१३	९	३७,९३७	८	३	३,८४२	१५	३	४,९८२	१४	०
१३	जल वितरण	१२,६८६	१	०	८,०००	०	०	२०,६८६	१	९	४०५	०	०	१,२१५	०	०
१४	कम्यूनिटी प्रोजेक्ट क्षेत्र के अनुदान	..			६७,५००	०	०	६७,५००	०	०	..			..		
	योग ..	५५,९४२	६	९	९३,४३०	१३	९	१,४९,३७३	४	६	३८,२९६	०	३	२,५५,६३४	१४	०

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१३ पर)

आगरा में कम्यूनिटी प्रोजेक्ट की योजना में ३१ जनवरी, १९५४ तक हुए कामों की सूची

सिंचाई ..	बन्धी निर्माण	९० क्यूबिक फ़िट
	गूल की सफ़ाई	७ मील ५ फर्लांग (२३५० सी० एफ० टी० मिट्टी खोदी गई)
कृषि ..	रबी के बीज बांटना	४२८२ मन ३३ सेर ८ छटांक
	सुधरे बीज का प्रदर्शन	४४५ मन
	सुधरी खाद का प्रदर्शन	६८ मन
	कोआपरेटिव बीज गोदामों द्वारा खाद की बिक्री	३२ १/२ बोरी
	कम्पोस्ट गड्ढे खोदे गए	१५६
	अमरूद के पेड़ लगाये गए	३०
	तरकारी के बीज बोने का क्षेत्र	४ बीघा ५ बिस्वा।
पशुपालन ..	रिन्डर पेस्ट के टीके लगाए गए पशुओं की संख्या	४५६२
शिक्षा ..	वाचनालय खोले गए	९
	पुस्तकालय	११
	ट्रेनिंग कैम्प	२४ अध्यापकों को सामूहिक शिक्षा की ट्रेनिंग दी गई।
सामूहिक कार्य ..	गांधी चबूतरा ..	२
	कच्ची सड़क का निर्माण	६ १/२ मील ३ १/२ फर्लांग
	पक्की पुलिया का निर्माण	१
	कच्ची सड़क की मरम्मत	२ मील
जन-स्वास्थ्य ..	कुओं की जल शुद्धि	६
	गलियों की सफ़ाई	२८१३ गज
	सोकेज पिट	२७
	गांव की सफ़ाई	१०
	गांव में रोशनी	४ लालटेनें लगाई गईं
	चेचक के टीके लगाए गए	१६९९
	मलेरिया रोकने के लिये डी० डी० टी० का छिड़काव	१ गांव में
सहकारी कार्य ..	नई सोसाइटी ..	६
	सदस्यों की संख्या	८२२

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१५ पर)

ORDERS BY THE CANE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH.

June 29, July 4, 1953.

No 232/C-II-9-156.—In pursuance of clause 3 read with clause 11 of the Sugar and *Gur* Control Order, 1950, and in exercise of the powers delegated to me by the Government of India, Ministry of Food and Agriculture, notification no. SV-195(i)-52—53, dated the 1st May, 1953, and for the reason that a substantial quantity of cane remained standing and unsold on May 1, 1953, I, A. D. Pant, Cane Commissioner, Uttar Pradesh, hereby allow, in the interest of the growers, the deduction as specified in column 2 of the Schedule hereto annexed, and fix the price specified in the corrosponding entry of column 3 of the Schedule as the minimum price to be paid by a producer of sugar by vacuum-pan process or his agent for sugarcane purchased on or after May 1, 1953, at the gate.

2. In the case of sugarcane purchased at rail centres, the Cane price in column 3 of the Schedule will be lesser by annas two per maund of cane :

Weekly average recovery	Deductions allowed per maund of cane	Cane price per md. to be paid to the growers
1	2	3
Percent ;	Rs. a. p.	Rs. a. p.
5·0 ..	0 14 6	0 6 6
5·1 ..	0 14 3	0 6 9
5·2 ..	0 13 9	0 7 3
5·3 ..	0 13 6	0 7 6
5·4 ..	0 13 3	0 7 9
5·5 ..	0 13 0	0 8 0
5·6 ..	0 12 6	0 8 6
5·7 ..	0 12 3	0 8 9
5·8 ..	0 12 0	0 9 0
5·9 ..	0 11 6	0 9 6
6·0 ..	0 11 3	0 9 9
6·1 ..	0 11 0	0 10 0
6·2 ..	0 10 9	0 10 3
6·3 ..	0 10 3	0 10 9
6·4 ..	0 10 0	0 11 0
6·5 ..	0 9 9	0 11 3
6·6 ..	0 9 3	0 11 9
6·7 ..	0 9 0	0 12 0
6·8 ..	0 8 9	0 12 3
6·9 ..	0 8 3	0 12 9
7·0 ..	0 8 0	0 13 0

Weekly average recovery	Deductions allowed per maund of cane	Cane price per md. to be paid to the growers
1	2	3
Percent	Rs. a. p.	Rs. a. p.
7·1 ..	0 7 9	0 13 3
7·2 ..	0 7 6	0 13 6
7·3 ..	0 7 0	0 14 0
7·4 ..	0 6 9	0 14 3
7·5 ..	0 6 6	0 14 6
7·6 ..	0 6 3	0 14 9
7·7 ..	0 5 9	0 15 3
7·8 ..	0 5 6	0 15 6
7·9 ..	0 5 3	0 15 9
8·0 ..	0 4 9	1 0 3
8·1 ..	0 4 6	1 0 6
8·2 ..	0 4 3	1 0 9
8·3 ..	0 4 0	1 1 0
8·4 ..	0 3 6	1 1 6
8·5 ..	0 3 3	1 1 9
8·6 ..	0 3 0	1 2 0
8·7 ..	0 2 6	1 2 6
8·8 ..	0 2 3	1 2 9
8·9 ..	0 2 0	1 3 0
9·0 ..	0 1 9	1 3 3
9·1 ..	0 1 3	1 3 9
9·2 ..	0 1 0	1 4 0
9·3 ..	0 0 9	1 4 3
9·4 ..	0 0 3	1 4 9

NOTE—(1) The prices will be calculated for each factory on the basis of average weekly recoveries for each week.

(2) Variations in recoveries up to 0.04 will be ignored and above that taken as 0.1 for purposes of calculating the minimum Weekly cane price.

(Sd.) A. D. PANT,
Cane Commissioner.

अविभाजित सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ पीछे पृष्ठ....४१५.....पर)

बुलन्दशहर जिले की जिला नियोजन समिति ने १९५३ में निम्नलिखित योजनाओं पर उनके आगे लिखी हुई धनराशि व्यय करने का निश्चय किया है:—

		रु०
१—आबपाशी के साधनों की तरक्की	..	२,०००
२—ग्रामों की नालियों इत्यादि का निर्माण	..	३,०००
३—बंजर भूमि व डूबी भूमि को उबारने का कार्य	..	१,०००
४—सहकारी बीज गोदामों का निर्माण	..	२५,०००
५—सड़कों का निर्माण तथा मरम्मत	..	२५,०००
६—पंचायत घरों का निर्माण व मरम्मत	..	४,०००
७—पुलियों व पुलों का निर्माण व मरम्मत	..	४,०००
८—पानी पीने के कुओं का निर्माण व मरम्मत	..	१,०००
९—हरिजनों के कुओं का निर्माण व मरम्मत	..	४,०००
१०—स्वास्थ्य सुधार इत्यादि	..	५,००
११—पशु नस्ल सुधार कार्य	..	२,०००
१२—स्कूलों का निर्माण	..	६,०००
१३—वृक्षारोपण	..	२,०००
१४—घरेलू उद्योग	..	३,०००
१५—औजार, फावड़े इत्यादि का क्रय	..	२,५००
१६—सामाजिक शिक्षा	..	५००
१७—प्रौढ़ शिक्षा	..	५००
१८—ट्रेनिंग कैम्प, विकास शिविर, इत्यादि	..	२,०००
१९—किसान मेले	..	२,०००
२०—प्रचार कार्य	..	१,५००
२१—प्लान की छपाई इत्यादि	..	१,०००
२२—स्वास्थ्य संबंधी खेलकूद आदि	..	२,५००
२३—हरिजन सम्मेलन, विभिन्न व्यय इत्यादि	..	२,८४६—११—७

इसके अतिरिक्त ८१,९५० रुपये का अनुदान नियोजन समिति को इस वर्ष के लिये सरकार ने और दिया है। इसमें ६०,४५० रुपये जिला नियोजन समिति तब ही खर्च कर सकेगी जब कि उतने ही रुपये का श्रमदान जनता द्वारा दिया जाये।

उपेन्द्र अस्थाना विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४९३ पर)

श्री हरप्रसाद शिक्षानिधि बनारस (समझौता पुष्टीकरण) (सम्पत्ति संक्रामण) विधेयक, १९५४

श्री हरप्रसाद शिक्षानिधि, बनारस, को इलाहाबाद के सबार्डिनेट जज के न्यायालय की डिक्री संख्या १३, १९२६ की भरपाई के रूप में कुछ सम्पत्तियों के संक्रामण की व्यवस्था के हेतु समझौते को कार्यान्वित करने का

विधेयक ।

बनारस निवासी श्री शिवप्रसाद गुप्त को माननीय राजा मोतीचन्द, नाईट, सी० आई० ई०, इत्यादि के विरुद्ध १३ लाख, अस्सी हजार, सात सौ पचहत्तर रुपये, साढ़े सात आने की साधारण धन डिक्री (simple money decree) संख्या १३, १९२६ सबार्डिनेट जज, इलाहाबाद के न्यायालय से प्राप्त हुई थी;

उक्त श्री शिव प्रसाद गुप्त ने उक्त डिक्री को श्री हरप्रसाद शिक्षानिधि अपने द्वारा बनाये ट्रस्ट के नाम, जिसे यहाँ पर आगे चल कर 'ट्रस्ट' कहा गया है, अभ्यर्पित (assign) कर दिया;

श्री हरप्रसाद शिक्षानिधि, डिक्रीदार (decree-holder) एक पक्ष तथा मदयून (judgment debtor) द्वितीय पक्ष के मध्य अन्त में समझौता हो गया जिससे मदयून (judgment debtors) ट्रस्ट द्वारा गृहीत उक्त डिक्री की भरपाई में, परिशिष्ट १ और २ में संलग्न अनुसूचियों में वर्णित सम्पत्ति ट्रस्ट को संक्रामित करने के लिये राजी हो गये;

कर्जदारों (debtors) ने यू० पी० इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ की धारा ४ के अधीन प्रार्थना-पत्र दिये और उक्त प्रार्थना-पत्र उक्त ऐक्ट की धारा ६ के अधीन स्पेशल जज के पास भेज दिये जाने पर कर्जदार उक्त ऐक्ट की धारा ७ की उपधारा (३) के अनुसार कलेक्टर की स्वीकृति के बिना संपत्ति का

संक्रामण नहीं कर सकते थे, इसलिये ऋणीगण ने दो पृथक् प्रार्थना-पत्र दिये थे जिनमें से एक:—

१—बा० गोकुल चन्द
२—बा० राज कुमार
३—बा० विजय कुमार
४—बा० ललित कुमार गुप्त
५—बा० प्रमोद कुमार गुप्त
६—बा० सरोज कुमार गुप्त

ने और की ओर से और दूसरा

१—बा० ज्योति भूषण गुप्त
२—बा० अनिल कुमार
३—बा० सुशील कुमार
४—बा० चन्द्र शेखर
५—बच्चा

ने और इनकी ओर से १६ मई, १९५१ को स्वीकृति के लिये कलेक्टर के पास दिये, किन्तु कलेक्टर ने कर्जदारों (debtors) के विरुद्ध कुछ दावेदारों (claimants) की आपत्ति पर स्वीकृति नहीं दी, और उक्त मदयूनों (judgment debtors) ने कलेक्टर की उक्त आज्ञा से असन्तुष्ट होकर कमिश्नर के समक्ष अपील प्रस्तुत की है,

उक्त अपीलों की सुनवाई १९५० ई० के उत्तर प्रदेश काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) (संशोधन) और प्रकीर्ण निदेश संबंधी अधिनियम की धारा १० के अधीन रोक दी गई थी और वे अब भी विचाराधीन हैं, और हित रखने वाले पक्षों (parties interested) ने राज्य सरकार से निवेदन (representation) किया है कि समझौता (compromise) वैध रूप से हुआ था और स्वीकृति न देने की कलेक्टर की आज्ञा दोषपूर्ण थी और ट्रस्ट, जो एक सार्वजनिक और राष्ट्रीय संस्था है, के पक्ष में उक्त सम्पत्तियों का संक्रामण (transfer) कार्यान्वित किया जाय,

और यह आवश्यक है कि उक्त समझौते को कार्यान्वित किया जाय, इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम और आरम्भ।

१—(१) यह अधिनियम श्री हरप्रसाद शिक्षानिधि, बनारस (समझौता पुष्टीकरण) (सम्पत्ति संक्रामण) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

परिभाषाएं।

२—विषय या प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में "निहित होने का दिनांक" (date of vesting) का तात्पर्य १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (१) में अभिदिष्ट (referred) दिनांक से है।

समझौता-पत्र का पुष्टीकरण।

३—दिनांक २४ अक्तूबर, १९५० को ट्रस्ट और क़र्ज़दारों (debtors) के मध्य हुआ समझौता (जिसकी प्रति इससे संलग्न परिशिष्ट १ में दी गई है) एतद्द्वारा पुष्ट (confirm) किया जाता है और वह दिनांक २४ अक्तूबर, १९५० से [जिसे यहां पर आगे चल कर "निर्दिष्ट दिनांक" (specified date) कहा गया है] प्रभावशाली होगा।

समझौता-पत्र के पुष्टीकरण के परिणाम।

४—धारा ३ के उपबन्धों की व्यापकता (generality) को न बाधित करते हुए एतद्द्वारा यह प्रख्यापित (declared) किया जाता है कि—

(क) परिशिष्ट १ और २ में संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट सम्पत्तियों में क़र्ज़दारों के सभी अधिकार, आगम और स्वत्व (rights, title and interest) निर्दिष्ट दिनांक पर ट्रस्ट को संक्रान्त तथा उसमें निहित (vested) हो जायंगे और उक्त ट्रस्ट को संक्रांत तथा उसमें निहित समझे जायेंगे।

(ख) सबार्डिनेट जज, इलाहाबाद के न्यायालय की १३,८०,७७५ रु० ७ आ० और ६ पाई की क़र्ज़दारों (debtors) के विरुद्ध साधारण धन डिक्री (simple money decree) संख्या १३, १९२५, सभी प्रयोजनों एवं अवसरों के निमित्त निर्दिष्ट दिनांक (specified date) पर यथोचित रूप से भरपाई की हुई (duly satisfied) समझी जायगी।

(ग) इस प्रकार संक्रान्त सम्पत्ति से, निर्दिष्ट दिनांक से निहित (vested) होने के दिनांक के ठीक पहले के दिनांक तक की अवधि में, उत्पन्न अथवा मिलने वाले (arising or accruing) लगान, अबवाब या अन्य आय या लाभ अथवा उनके अंश जिन्हें क़र्ज़दारों (debtors) ने इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व वसूल किये हों, इससे पहले किसी बात के उल्लिखित होते हुये भी उन्हीं के होंगे और उन्हीं के पास रहेंगे और अवशिष्ट भाग ट्रस्ट का होगा और ट्रस्ट द्वारा, न कि क़र्ज़दारों (debtors) द्वारा, उसकी वसूली की जा सकेगी।

(घ) निर्दिष्ट दिनांक से निहित होने के दिनांक के ठीक पहले के दिनांक तक की अवधि में किये गये 'लीज' अथवा पट्टे से भिन्न, परिशिष्ट १ और २ में संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट सम्पत्ति का कोई भी संक्रामण निर्दिष्ट दिनांक से निरर्थक (void) हो जायगा, और

यू० पी० ऐक्ट सं० २५, १९३४।

(ङ) यू० पी० इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ की धारा ४ के अधीन कार्यवाहियों से भिन्न, एतद्द्वारा संक्रान्त सम्पत्ति के संबंध में क़र्ज़दारों (debtors) द्वारा अथवा उनकी ओर से प्रस्तुत सभी वाद और व्यवहार (suits and proceedings) जो इस अधिनियम के आरम्भ के दिनांक पर आदिम न्यायालय (Court of first instance), अपील अथवा पुनरीक्षण (revision) के न्यायालय में अथवा अन्य किसी प्राधिकारी (authority) के समक्ष विचाराधीन हों, ट्रस्ट द्वारा जारी रखे जा सकेंगे और उक्त न्यायालय अथवा प्राधिकारी, ट्रस्ट

द्वारा प्रार्थनापत्र दिये जाने पर क़र्ज़दारों (debtors) के स्थान पर ट्रस्ट को पक्ष (party) बना देगा, किन्तु ट्रस्ट ऐसे व्यय (costs) देगा, जिसे न्यायालय या प्राधिकारी (authority) आवश्यक या उचित समझे।

स्पष्टीकरण—१९५० ई० के जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अधीन प्रतिकर अथवा पुनर्वासन अनुदान (Rehabilitation grant) के निर्धारण तथा भुगतान (assessment and payment) से सम्बद्ध कार्यवाही में यह खण्ड प्रवृत्त (apply) होगा।

(च) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अध्याय ३ और ५ के अधीन प्रतिकर एवं पुनर्वासन अनुदान (compensation and rehabilitation grant) के निर्धारण के प्रयोजनों के लिये, एतद्द्वारा संक्रामित सम्पत्तियों में क़र्ज़दारों (debtors) के सभी अधिकार, आगम और स्वत्व (rights, title and interest) उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर, उक्त अधिनियम में किसी विरोधी उपबन्ध के होते हुये भी ट्रस्ट के और उसमें निहित समझे जायेंगे, और

(छ) उक्त सम्पत्तियों के सम्बन्ध में क़र्ज़दारों (debtors) के अधिकार, आगम और स्वत्व (rights, title and interest) के विषय में १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अधीन मिलने वाला प्रतिकर और पुनर्वासन अनुदान (compensation and rehabilitation grant) ट्रस्ट को देय होगा और उसे ही मिलेगा, न कि क़र्ज़दारों (debtors) को।

इस अधिनियम को प्रचलित करने से सम्बद्ध आज्ञाएं।

५—राज्य सरकार, सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके, इस अधिनियम से धारा ३ के अधीन संक्रामण (transfer) को पूर्ण रूपेण कार्यान्वित करने एवं यथावश्यक आनुषंगिक (incidental) तथा अन्य विषयों के निमित्त, ऐसी व्यवस्था कर सकती है जो उसे आवश्यक और उचित प्रतीत हो।

परिशिष्ट १

IN THE COURT OF THE SPECIAL JUDGE FIRST GRADE; BANARAS

E. E. Act case no. 49 of 1936

Babu Gokul Chand and others—Landlord applicants

THE HUMBLE APPLICATION OF--

B. GOKUL CHAND, son of B. LAKSHMI PRASAD, aged about 70 years.

B. RAJ KUMAR, son of B. GOKUL CHAND, aged about 31 years for self and as guardian of his son KUSH KUMAR, aged about 10 years.

B. BIJAYA KUMAR, son of B. GOKUL CHAND, aged about 28 years for self and as guardian of his son, MANOJ KUMAR, aged about 10 years.

B. LALIT KUMAR GUPTA, son of B. GOKUL CHAND, aged about 25 years for self and as guardian of his sons GANESH aged about 4 years and SUNIL KUMAR aged about 2 years.

B. PRAMOD KUMAR GUPTA, son of Babu GOKUL CHAND, aged about 21 years.

Babu SAROJ KUMAR GUPTA, son of the late KUMAR KRISHNA KUMAR, deceased aged about 18 years.

All by caste Agarwala and residents of Mohalla Nandan Sahu Lane, Banaras City, landlord applicants.

Respectfully showeth :—

1. That on 5-10-36 the applicants filed an application under the provisions of the Encumbered Estates Act.

2. That in the aforesaid application under the Encumbered Estates Act the Applicants showed their liability amounting to Rs. 24,82,291-4-10.

3. That one of the creditors of applicants as mentioned in the aforesaid application is Shri Har Prasad Shiksha Nidhi and the amount of debt as mentioned in the claim filed by Shri Shiva Prasad Gupta predecessor-in-title of Shri Har Prasad Shiksha Nidhi on 10-7-37 was Rs. 13,64,842-14-3. As such the said Shri Har Prasad Shiksha Nidhi is the biggest creditor of the applicants.

4. That a compromise has been arrived at between the aforesaid Shri Har Prasad Shiksha Nidhi creditor no. 27 and the applicants by which compromise the applicants are transferring their Zamindari property and some other properties a list of which is given in the schedule attached to this application and marked no. 1 in lieu of and in satisfaction of the claim of the aforesaid Shri Har Prasad Shiksha Nidhi.

5. That the applicants are desirous of entering into similar compromises with other creditors also.

6. That it will be to the advantage of the applicants including the minors and all their creditors including Shri Har Prasad Shiksha Nidhi if permission is given to the applicants to enter into above stated compromise and to transfer the properties mentioned in schedule no. 1 attached to this application.

Therefore, it is respectfully prayed that the Court may be pleased to declare that the compromise is for the benefit of such of the applicants as are minors and is also for the benefit of the general body of creditors and to sanction and

record the compromise. The Court may be further pleased to send a copy of the compromise to the Collector of Banaras District and to obtain his sanction for the transfer by the applicants to the said Shri Har Prasad Shiksha Nidhi of the properties mentioned in Schedule no. 1 attached to this petition.

Dated 24-10-1950.

(Sd.) 1. Gokul Chand.
2. Raj Kumar for self and guardian of my son Kush Kumar.
3. Bijay Kumar Gupta for self and as guardian of my son Manoj Kumar.
4. Lalit Kumar Gupta for self and as guardian of my sons Ganesh and Sunil Kumar.
5. Promod Kumar. (IN HINDI)
6. Saroj Mumar Gupta.

Counsel for Applicants.

SCHEDULE

Half of Zamindari including *Sir*, *Sayar*, Jungle and all other rights appertaining thereto in the following villages:

Total Annual profit valued at Rs. 57,000 (Rupees Fifty-seven Thousand only)

DISTRICT JAUNPORE

Tahsil, Shahganj, Pargana Ungali

Name of villages	Extent of the share	Government Revenue in 1356 Fasli		
		Rs.	a.	p.
1. Aharpur	Sixteen annas	342	13	8
2. Pura Bhulan	Ditto	95	9	9
3. Tisouli	Ditto	599	11	1
4. Udho Patti	Ditto	73	12	5
5. Puredala	Ditto	235	6	10
6. Salempur	Ditto	159	15	11
7. Chak Nohar	Ditto	24	11	8
8. Dharuali Koshal	Ditto	227	6	11
9. Dharuali Lachhan	Ditto	169	14	3
10. Akbarpur	Ditto	222	15	0

	Name of villages	Extent of the share	Government Revenue in 1356 Fasli
			Rs. a. p.
11.	Nuruddinpur	Sixteen annas	295 6 0
12.	Sauraiya	Ditto	810 1 7
13.	Turkauli	Ditto	236 15 10
14.	Shera Patti	Ditto	367 14 2
15.	Sherpur	Ditto	346 3 3
16.	Kapasia	Ditto	300 1 11
17.	Rasulpur	Ditto	613 4 0
18.	Chak Bankata	Ditto	39 3 5
19.	Bheoraha	Ditto	223 5 0
20.	Khwajapur	Ditto	240 12 8
21.	Banhara	Ditto	444 10 5
22.	Pataila Khas	Ditto	188 14 5
23.	Madarpur	Ditto	184 4 6
24	Gulamipur	Ditto	299 0 11
25.	Mahammadpur *alias* Chak Gulamipur	Ditto	29 14 2
26.	Chak Mominha	Ditto	40 10 1
	Tahsil Kerakat, Pargana Kerakat		
27.	Naupur	Ditto	477 11 0
28.	Sohani	Ditto	568 0 9
29.	Kanwani	Ditto	743 1 3
30.	Jalalpur, District Allahabad ..	Ditto	100 1 6
	DISTRICT MIRZAPUR		
	Tahsil Chunar, Pargana Haveli		
31.	Tammal Ganj }	Ditto	146 3 0
32.	Sujatpur }		
33.	Lakhouri	Ditto	8 10 6

Name of villages	Extent of the share	Government Revenue in 1356 Fasli
DISTRICT BANARAS		Rs. a. p.
Tahsil Banaras, Pargana Jalhupur		
34. Gaura Kalan and Gaura Khurd ..	Sixteen Annas	591 6 4
35. Siristi	Ditto	542 14 10
DISTRICT GONDA		
Tahsil Utroula, Pargana Mankapur		
36. Rendoura	Ditto	511 8 0
37. Balapur Sonthia	Ditto	550 0 0
38. Bankasaya	Ditto	841 8 0
39. Khas Bhatania Uraph Garhi ..	Ditto	730 0 0
40. Pure Pandit Mathatdari	Ditto	..
41. Pikoura	Ditto	550 0 0
42. Birepur	Ditto	1,122 0 0
43. Nandgaon (Jogapur)	Ditto	401 8 0
44. Harana Tayar	Ditto	,585 0 0
45. Sohans	Ditto	1,210 0 0
46. Khoadi	Ditto	291 8 0
47. Harahawa	Ditto	880 6 0
Tahsil and Pargana Gonda		
48. Mahadeiya	Ditto	463 12 0
49. Gorava Kaunango	Ditto	418 12 0
DISTRICT JAUNPUR		
Tahsil Jaunpur, Pargana Rari		
50. Barbaspur	Ditto	326 13 3
51. Chawari	Ditto	524 7 2
52. Chhangapur	Ditto	494 8 6

	Name of village	Extent of the share	Government Revenue in 1356 Fasli		
			Rs.	a.	p.
53	Jangipur Kalan and Khurd	Sixteen Annas	11	2	0
54.	Bakkhopur	Ditto	304	10	0
55.	Belawan	Ditto	1,008	14	0
56.	Kharouna	Ditto	18	4	6
57.	Dariaoganj	Ditto	1,418	8	0
58.	Chak Haji Baksh	Ditto	..		
	Tahsil Jaunpur, Pargana Haveli				
59.	Ram Rai Patti	Ditto	42	11	0
60.	Har Singh Patti	Ditto	56	1	0
61.	Ram Nagar Bharsara	Ditto	100	14	8
62.	Sadipur	Ditto	195	1	4
	Tahsil Kerakat, Pargana Bealasi				
63.	Samoghar	Ditto	36	0	0
64.	Keshopur	Ditto	351	0	0
65.	Rajpur	Ditto	326	15	0
	Tahsil Mariahun, Pargana Mariahun				
66.	Nurpur Khas	Ditto	629	12	0
	DISTRICT BANARAS				
	Tahsil Banaras, Pargana Kaswar				
67.	Aswari	Ten Annas	393	7	0
68.	Kachnar	Ditto			
	Tahsil Chandauli, Pargana Narwan				
69.	Barhani	Sixteen Annas	1,623	9	10
70.	Bhaisakalan	Four Annas	65	8	10

2. Half of the decree in original suit no.88 of 1922 of the Court of the Subordinate Judge, Rae Bareli. The Hon'ble Raja Moti Chand *Vs.* Khan Bahadur Mohammad Wazih (Now B. Gokul Chand and others *Vs.* wife of Mirza Mohammad Wazih and others) decided on 21-8-25 which is at present under execution at Rae Bareli.

Annual profit valued at Rs.2,500 (Rupees Two thousand and five hundred only.)

3. Half of the decree in original suit no.36 of 1928 of the Court of the Subordinate Judge, Fyzabad the Hon'ble Raja Moti Chand *Vs.* B. Mitra Sen Singh of Dhavaran (Now B. Gokul Chand and others *Vs.* B. Devindra Bahadur Singh and others), decided on 17-11-28 which is under execution at present at Fyzabad.

Annual profit valued ast R.500 (Rupees Five hundred only).

उदय प्रदेश मेघा

परिशिष्ट २

IN THE COURT OF THE SPECIAL JUDGE FIRST GRADE, BANARAS

E. E. Act case no. 50 *of* 1936

B. Jyotibhushan Gupta and others—Landlord applicants

THE HUMBLE APPLICATION OF—

1. B. JYOTI BHUSHAN GUPTA, son of B. MANGLA PRASAD, aged about 35 years, and

2. B. ANIL KUMAR, son of B. JYOTI BHUSHAN GUPTA, aged about 12 years.

3. B. SHUSHIL KUMAR, son of B. JYOTI BHUSHAN GUPTA, aged about 10 years.

4. B. CHANDRA SHEKHAR, son of B. JYOTI BHUSHAN GUPTA, aged about 8 years.

5. BACHCHA, son of B. JYOTI BHUSHAN GUPTA, aged about one year.

All under guardianship of their mother Srimati Sulabha Devi, wife of B. Jyoti Bhushan Gupta, all by caste Agrawala and resident of Azmatgarh Palace, Banaras landlord applicants.

1. That on 21-10-36 the applicants filed an application under the provisions of the Encumbered Estates Act.

2. That in the aforesaid application and written statement dated 3-2-1937 under the Encumbered Estates Act a sum of Rs.29,35,529-4-10 was alleged to be the liability of the applicants as well as of B. Gokulchand and his family.

3. That one of the claimants of applicants as mentioned in the aforesaid application is Shri Har Prasad Shiksha Nidhi and the amount of claim as mentioned in the claim filed by Shri Shiva Prasad Gupta predecessor-in-title of Shri Har Prasad Shiksha Nidhi on 9-7-37 was alleged to be Rs.13,75,201-6 as such the said Shri Har Prasad Shiksha Nidhi is the biggest claimant of the applicants.

4. That a compromise has been arrived at between the aforesaid Shri Har Prasad Shiksha Nidhi claimant no. 26-A and the applicants by which Compromise the applicants are transferring some of their Zamindari property and some other properties a list of which is given in the schedule attached to this application and marked no. 1 in lieu of and satisfaction of the claim of the aforesaid Shri Har Prasad Shiksha Nidhi.

5. That the applicants are desirous of entering into similar compromise with such other claimants also whose claims are admitted by the applicants.

6. That it will be to the advantage of the applicants including the minors, and all their creditors including Shri Har Prasad Shiksha Nidhi, if permission is given to the applicants to enter into above stated compromise and to transfer the properties mentioned in schedule no. 1 attached to this application.

Therefore, it is respectfully prayed that this Court may be pleased to declare that the compromise is for the benefit of such of the applicants as are minors and is also for the benefit of the general body of creditors and to sanction and record the compromise.

The Court may be further pleased to send a copy of the Compromise to the Collector of Banaras District and to obtain his sanction for the transfer by the applicants to the said Shri Har Prasad Shiksha Nidhi of the properties mentioned in Schedule no. 1 attached to this petition.

Dated 24th October, 1950.

(Sd.) Jyoti Bhushan Gupta.

(Sd.) Sulbha Gupta (IN HINDI).

guardian of Anil Kumar, Susil Kumar, Chandra Shaker and Bachcha minors.

Counsel for applicants.

SCHEDULE

Half of Zamindari including *Sir*, *Sayar*, Jungle and all other rights appertaining thereto in the following villages:

Total Annual profit valued at Rs.57,000 (Rupees Fifty-seven thousand only)

DISTRICT JAUNPORE

Tahsil Shahganj, Pargana Ungali

	Name of village	Extent of the share	Government Revenue in 1356 Fasli Rs.	a.	p.
1.	Aharpur	Sixteen Annas	342	13	8
2.	Pura Bhulan	Ditto	95	9	9
3.	Tisouli	Ditto	599	11	1
4.	Udho Patti	Ditto	73	12	5
5.	Puredala	Ditto	235	6	10
6.	Salempur	Ditto	159	15	11
7.	Chak Nohar	Ditto	24	11	8
8.	Dharuali Koshal	Ditto	227	6	11
9.	Dharuali Lachhan	Ditto	169	14	3
10.	Akbarpur	Ditto	222	15	0
11.	Nuruddinpur	Ditto	295	6	0
12.	Sauraiya	Ditto	810	1	7
13.	Turkauli	Ditto	236	15	10
14.	Shera Patti	Ditto	367	14	2

	Name of village	Extent of the share	Government Revenue in 1356 Fasli		
			Rs.	a.	p.
15.	Sherpur	Sixteen Annas	346	3	3
16.	Kapasia	Ditto	300	1	11
17.	Rasulpur	Ditto	613	4	0
18.	Chak Bankata	Ditto	39	3	5
19.	Bheoraha	Ditto	223	5	0
20.	Khwajapur	Ditto	240	12	8
21.	Banhara	Ditto	444	10	5
22.	Pataila Khas	Ditto	188	14	5
23.	Madarpur	Ditto	184	4	6
24.	Gulamipur	Ditto	299	0	11
25.	Mahammadpur *alias* Chak Gulamipur	Ditto	29	14	2
26.	Chak Mominha	Ditto	40	10	1
	Tahsil Kerakat, Pargana Kerakat				
27.	Naupur	Ditto	477	11	0
28.	Sohani	Ditto	568	0	9
29.	Kanwani	Ditto	743	1	3
30.	Jalalpur, District Allahabad ..	Ditto	100	1	6
	DISTRICT MIRZAPUR				
	Tahsil Chunar, Pargana Haveli				
31.	Tummal Ganj	Ditto	146	3	0
32.	Sujatpur				
33.	Lakhouri	Ditto	8	10	6
	DISTRICT BANARAS				
	Tahsil Banaras, Pargana Jalhupur				
34.	Gaura Kalan and Gaura Khurd ..	Ditto	591	6	4
35.	Siristi	Ditto	542	14	10

	Name of village	Extent of the share	Government Revenue in 1356 Fasli		
	DISTRICT GONDA				
	Tahsil Utroula, Pargana Mankapur		Rs.	a.	p.
36.	Rendoura	Sixteen Annas	511	8	0
37.	Balapur Sonthia	Ditto	550	0	0
38.	Bankasaya	Ditto	841	8	0
39.	Khas Bhatania Uraph Garhi ..	Ditto	730	0	0
40.	Pure Pandit Mathatdari	Ditto		..	
41.	Pikoura	Ditto	550	0	0
42.	Birepur	Ditto	1,122	0	0
43.	Nandgaon (Jogapur)	Ditto	401	8	0
44.	Harana Tayar	Ditto	1,585	0	0
45.	Sohans	Ditto	1,210	0	0
46.	Khoadi	Ditto	291	8	0
47.	Harahawa	Ditto	880	6	0
	Tahsil and Pargana Gonda				
48.	Mahadeiya	Ditto	463	12	0
49.	Gorava Kaunango	Ditto	418	12	0
	DISTRICT JAUNPUR				
	Tahsil Jaunpur, Pargana Rari				
50.	Barbaspur	Ditto	326	13	3
51.	Chawari	Ditto	524	7	2
52.	Chhangapur	Ditto	494	8	6
53.	Jangipur Kalan and Khurd ..	Ditto	11	2	0
54.	Bakkhopur	Ditto	304	10	0
55.	Belawan	Ditto	1,008	14	0
56.	Kharouna	Ditto	18	4	6

	Name of village	Extent of the share	Government Revenue in 1356 fasli		
			Rs.	a.	p
57.	Dariaoganj	Sixteen annas	1,418	8	0
58.	Chak Haji Baksh	Ditto	...		
	Tahsil Jaunpur, Pargana Haveli				
59.	Ram Rai Patti	Ditto	42	11	0
60.	Har Singh Patti	Ditto	56	1	0
61.	Ram Nagar Bharsara	Ditto	100	14	8
62.	Sadipur	Ditto	195	1	4
	Tahsil Kerakat, Pargana Bealasi				
63.	Samoghar	Ditto	36	0	0
64.	Keshopur	Ditto	351	0	0
65.	Rajpur	Ditto	326	15	0
	Tahsil Mariahun, Pargana Mariahun				
66.	Nurpur Khas	Ditto	629	12	0
	DISTRICT BANARAS				
	Tahsil Banaras, Pargana Kaswar				
67.	Aswari	Ten annas	393	7	0
68.	Kachnar	Ditto			
	Tahsil Chandauli, Pargana Narwan				
69.	Bharhani	Sixteen annas	1,623	9	10
70.	Bhaisakalan	Four annas	65	8	10

2. Half of the decree in original suit no. 88 of 1922 of the Court of the Subordinate Judge, Rae Bareli. The Hon'ble Raja Moti Chand *Vs.* Khan Bahadur Mohammad Wazih (Now B. Gokul Chand and others *Vs.*wife of Mirza Mohammad Wazih and others) decided on 21-8-25 which is at present under execution at Rae Bareli.

Annual profit valued at Rs.2,500 (Rupees Two thousand and five hundred only).

3. Half of the decree in original suit no. 36 of 1928 of the Court of the Subordinate Judge, Fyzabad the Hon'ble Raja Moti Chand *Vs.* B. Mitra Sen Singh of Dhavaran (Now B. Gokul Chand and others *Vs.* B. Devindra Bahadur Singh and others), decided on 17-11-28 which is under execution at present at Fyzabad.

Annual profit valued at Rs. 500 (Rupees Five hundred only).

उद्देश्य और कारण

श्री शिवप्रसाद गुप्त ने जो डिक्री राजा मोतीचन्द आदि के विरुद्ध प्राप्त की, उसे हरप्रसाद शिक्षा निधि को अर्पित कर दिया। उक्त डिक्री के भरपाई के रूप में कुछ आस्थानों के संक्रामण के लिये राजा मोतीचन्द के उत्तराधिकारियों तथा अन्य लोगों, एवं ट्रस्ट के बीच में एक समझौता हुआ। इस समझौते के आधार पर उक्त निधि को, जो काशी विद्यापीठ को वित्तपोषित करती है, १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अधीन प्रतिकर तथा पुनर्वासन-अनुदान प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। उक्त निर्णीत ऋणीगण (judgment debtors) ने समझौते के अनुसार उक्त सम्पत्ति के संक्रामण के लिये कलेक्टर, बनारस, को इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट के अधीन प्रार्थना-पत्र दिया किन्तु निर्णीत ऋणीगण (judgment debtors) के विरुद्ध कुछ दावेदारों के आपत्ति करने पर उक्त प्रार्थना-पत्र को कलेक्टर ने अस्वीकृत कर दिया। निर्णीत ऋणीगण ने कलेक्टर की आज्ञा के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की है। इस अपील का निर्णय अभी नहीं हो सकता क्योंकि सरकार ने इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट के अधीन सब व्यवहारों की सुनवाई रोक दी है। निधि तथा काशी विद्यापीठ ने राष्ट्र की बहुमूल्य सेवा की है और अब उन्हें अपना व्यय संभालने में कठिनाई हो रही है। पक्षों ने राज्य सरकार को इस आशय का आवेदन दिया है कि उक्त समझौता वैध था। संक्रांत सम्पत्ति के संबंध में समझौते को कार्यान्वित करने का विचार है जिससे निधि को प्रतिकर एवं वार्षिक वृत्ति मिल सके। इसी उद्देश्य से यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

चरण सिंह,

माल मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१४८ एल० ए०—१९५४—८५० ।